

लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण
SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF
LOK SABHA DEBATES

[दसवा सत्र]
[Tenth Session]

5th Lok Sabha



[खंड 35 में अंक 1 से 10 तक हैं]
[Vol. XXXV contains nos. 1 to 10]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 9, शुक्रवार, 1 मार्च, 1974/10 फाल्गुन, 1895 (शक)
No. 9, Friday, March 1, 1974/Phalgun 10, 1895 (Saka)

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
सदस्य द्वारा शपथ गृहण	Member Sworn	1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
ता० प्र० सं०		
S.Q. No.		
141 एशियन क्लीयरिंग यूनियन तथा एशियन रिजर्व बैंक	Asian Clearing Union and Asian Reserve Bank	1
142 इंडियन एयर लाइंस को बोइंग विमान के लिये अमरीकी ऋण	U.S. Loan to Indian Airlines for Boeing Aircraft	3
143 ऋण नीति के संबंध में केरल सरकार का अनुरोध	Request made by Kerala Government regarding Credit Policy	6
146 दमदम हवाई अड्डे पर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें	International Flights to and from Dum Dum Airport	9
147 कतिपय मदों के आयात को सीमित करना	Restricting Import of Certain Items:	13
148 हजार दुआरी (पश्चिम बंगाल) में पर्यटन स्थलों की सजावट करने का प्रस्ताव	Proposal to Decorate Tourist Spots in Hazarduari (West Bengal)	15
151 कपड़ा मशीनों का आयात प्रश्नों के लिखित उत्तर	Import on Textile Machinery	17
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS		
144 पांचवी योजना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तार करने के लिये ब्रिटेन से वित्तीय सहायता	Financial Aid from U.K. for Expansion of Public Sector Projects in Fifth Plan	18
145 किसानों को सरलता से तथा समय पर ऋण देने की व्यवस्था	Easy and Timely Credit to Farmers	19
149 विदेशी कंपनियों द्वारा अपने पूंजी निवेश में वृद्धि करना	Capital Expansion by Foreign Companies	19

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योत्तक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a Member indicated that the Question was actually asked on the floor of the House by him.

ता प्र० सं० S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
150	वर्तमान आयात लाइसेंस प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना	Rationalisation of Existing Import Licensing Procedure	20
152	जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित कारोवार प्रतियोगिताएं	Business Competitions Organised by LIC	20
153	इंडियन एयरलाइंस में श्रमिकों के असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिये एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव	Proposal to appoint a Commission to go into the causes of Labour unrest in Indian Airlines	21
154	फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत का व्यापार	India's trade with Persian Gulf States	21
155	हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड	Hindustan Lever Ltd.	22
156	बड़े उद्योग-गृहों को कपड़ा उद्योग में प्रवेश की अनुमति देना	Permitting Large Industrial Houses to enter Textiles	22
157	इंडियन एयरलाइंस द्वारा शहरी कार्यालयों से हवाई अड्डों तथा हवाई अड्डों से शहरी कार्यालयों तक बस सेवा बंद करना	Discontinuation of Bus Services by Indian Airlines from City offices to Airports and Vice Versa	23
158	तेल उत्पादक देशों को निर्यात में वृद्धि	Augmenting Exports to Oil producing countries	23
159	गुजरात में 'नल-सरोवर' झील में पर्यटकों के लिये 'फाइबर ग्लास' की नौकाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव	Proposal to provide fibre glass Boats at Nal Sarovar Lake in Gujarat for Tourists	24
160	काजू सप्लाई करने के लिये भारत और तनजानिया के बीच करार	Agreement between India and Tanzania for supply of Cashewnuts	24
अ ता० सं०			
U.S.Q. No.			
1402	उत्तर बिहार में लघु उद्योगों के लिये बैंक ऋण	Bank Credit for Small Scale Industries in North Bihar	25
1403	औद्योगिक विकास बैंक द्वारा सहायक बैंकों को दिये गये ऋण	Advances by Industrial Development Bank to Subsidiary Banks	25
1404	राजगढ़ में एक व्यापारी के पास से सोना और चांदी बरामद किया जाना	Seizure of Gold and Silver from a Businessman in Rajgarh	26
1405	आस्ट्रेलिया से आयातित वस्तुयें	Items imported from Australia	26
1406	रूस को ऋण की अदायगी	Payment of Debt to USSR	27
1407	मद्रास में आयकर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax in Madras	27

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1408	पश्चिम जर्मनी को निर्यात की गई वस्तुयें	Items exported to West Germany.	28
1409	पश्चिमी गोदावरी जिले के कलेक्टर की कार से सोने तथा मुद्रा का पकड़ा जाना	Seizure of Gold and Currency from the Car of Collector of West Godavari Distt.	28
1410	तमिलनाडु स्थित महालेखाकार के कार्यालय का विभाजन	Bifurcation of the Office of Accountant General, Tamil Nadu	28
1411	राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मंजूरी की प्रक्रिया	Procedure for Sanction of Loan from Nationalised Banks	29
1412	चंगदेव सुगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई	Changdeo Sugar Mills Ltd., Bombay .	30
1413	मध्य प्रदेश से शराब का निर्यात	Export of Liquor from Madhya Pradesh	31
1414	वर्ष 1972-73 में जीवन बीमा निगम द्वारा उद्योगपतियों को दिये गये ऋण की राशि	Amount of Money advanced to Industrialists by LIC during 1972-73 .	31
1415	मध्य प्रदेश में पर्यटन केन्द्रों पर होटलों के निर्माण का प्रस्ताव	Proposal to construct Hotels in Tourist Centres in Madhya Pradesh	31
1416	मध्य प्रदेश में आयकर अधिकारियों द्वारा छापे	Raids by Income Tax Authorities in Madhya Pradesh	32
1417	केरल के कोचीन में एक निर्यात प्रक्रिया जोन की स्थापना	Setting up of an Export Processing Zone at Cochin in Kerala	33
1418	पांचवीं योजना में केरल में पर्यटन विकास	Development of Tourism in Kerala during Fifth Plan	33
1419	केरल में 'कोवालम टूरिस्ट रिसोर्ट' पर विकास कार्य	Development Works at Kovalam Tourist Resort in Kerala	33
1420	सामाजिक कार्यकर्ताओं तथा नेताओं को सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के अध्यक्ष पदों पर नियुक्त करना	Appointment of Social Workers and Leaders as Chairmen of Public Sector Undertakings	34
1421	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड पर नियंत्रण	Control over Indian Oxygen Limited *	35
1422	वर्ष 1973-74 में इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये लक्ष्य	Target for export of engineering goods in 1973-74	35
1423	कोयले का आयात	Import of Coal	37
1424	जहाजों के उपलब्ध न होने के कारण अखबारी कागज के पहुंचने में विलंब	Delay in arrival of Newsprint due to Non-availability of Ships	

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1425	भारत से खाद्यान्नों की तस्करी	Smuggling of Foodgrains out of India .	37
1426	हिन्दुस्तान मोटर लि० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया ऋण	Loan taken by Hindustan Motor Ltd. from Nationalised Banks . . .	38
1427	संसदीय समितियों के सदस्यों को उपहार देने के बारे में शार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों को निदेश	Directions to Public Sector Undertakings about Gifts to Members of Parliamentary Committee .	38
1428	सीमेंट की नेपाल को तस्करी	Smuggling of Cement to Nepal	39
1429	प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर प्रतिबंध	Ban on Export of Natural Rubber .	39
1430	बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का जप्त किया जाना	Seizure of Smuggled Goods in Bombay .	39
1431	औद्योगिकीकरण के लिये सोवियत संघ से सहायता	Soviet Aid for Industrialisation . . .	40
1432	कपड़ा मिलों में भट्टी तेल की कमी	Shortage of Furnace Oil in Textile Mills	41
1433	दक्षिण दिल्ली में सोने के बिस्कुटों का जप्त किया जाना	Seizure of Gold Biscuits in South Delhi	41
1434	मंत्रियों के विदेशों के दौरे पर व्यय	Expenditure on Foreign visits of Ministers	42
1435	आर्थिक सहयोग के बारे में चेको-स्लोवाकिया के साथ करार	Agreement with Czechoslovakia regarding Economic Collaboration . . .	42
1436	गत एक वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा निर्यात किये गए अभ्रक की मात्रा तथा उसका मूल्य	Quantity and value of Mica Exports through MMTC during the last one year	43
1437	वैशाली जिला (बिहार) में उत्पन्न तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व	Revenue from Excise duty on Tobacco produced in Vaishali District (Bihar) .	44
1438	अरब में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठक	Meeting of Indian Commercial Representatives in Arab.	44
1439	नयी कपड़ा नीति	New Textile Policy	46
1440	निर्यात बढ़ाने के विचार से कुछ वस्तुओं के देश में उपयोग पर रोक लगाया जाना	Imposition of Curbs on Domestic use of certain Items to boost Export	46
1441	भारत में मूल्य-वृद्धि	Price Rise in India	46
1442	भारत तथा श्रीलंका में व्यापार करार	Trade Agreement between India and Sri Lanka	47

अ ता० अ० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1443	केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण	Loan Advanced by Nationalised Banks in Kerala.	47
1444	तालाबंदी के कारण जीवन बीमा निगम को हुई हानि	Loss suffered by LIC as a Result of Lock out	49
1445	तालाबंदी के कारण इंडियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को हुई हानि	Loss suffered by Employees of Indian Airlines due to Lock out .	49
1446	सामाजिक सुरक्षा निधि में धन लगाने की नीति	Investment Policy Relating to Social Security Funds	49
1447	चमड़े की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि	Revision in Export Duty on Leather Goods	49
1448	केन्द्रीय पर्यटक सूची में दीघा सागर पर्यटन स्थल को शामिल करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना	Request from West Bengal Government for inclusion of Digha sea resort. —	50
1449	रंगाई सामान उद्योग का टैरिफ आयोग द्वारा पुनरीक्षण	Review of Dye Stuff Industry by Tariff Commission	50
1450	वर्ष 1971 से 1974 के दौरान वस्त्रों का निर्यात	Export of Textile Goods during 1971 to 1974	51
1451	पटसन के मूल्य के बारे में भारत और बंगला देश में मतभेद	Differences between India and Bangla desh over Jute Prices	51
1452	विमानों के सुरक्षित उतरने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे में सुधार करने हेतु कार्यवाही	Steps to Improve Delhi Airport for Safelanding	51
1453	कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण	Loan from World Bank for Calcutta Metropolitan Development Authority .	52
1455	कलकत्ता चाय व्यापारी संघ के विक्रेता सदस्यों द्वारा त्यागपत्र	Resignation by Seller Members of Calcutta Tea Traders Association .	52
1456	विदेशी मद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का विदेशी कंपनियों द्वारा पालन सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपाय	Measures to ensure compilience of Foreign Exchange Regulation Act, 1973 by Foreign Companies	53
1457	रुपये मूल्य में गिरावट	Fall in value of Rupee	53
1458	पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण	Construction of Hotels by ITDC during Fifth Plan	54

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1459	भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधी वार्ता	Trade Talks between India and USSR .	54
1460	गुजरात में नल सरोवर झील के विकास के लिये 1973-74 में निर्धारित धनराशि	Amount earmarked for development of Nal Saroyar Lake [in Gujarat during 1973-74	55
1461	आयात कम करने संबंधी योजनाएं	Schemes for Reduction in Imports .	55
1462	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन	Reconstitution of All India Handicraft Board .	56
1464	कलकत्ता हवाई अड्डे का विकास	Development of Calcutta Airport .	56
1465	पटसन के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये 'जूट इन्टर नेशनल' स्थापित किया जाना	Formation of Jute International boost export of Jute production	56
1466	ग्रेट ईस्टर्न होटल, कलकत्ता को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव	Proposal to take over Great Eastern Hotel, Calcutta	56
1467	अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तुलना में दमदम हवाई अड्डे पर उतरने वाले अथवा वहां से बाहर जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या	Number of foreign tourists who arrived at and departed from Dum Dum Airport in comparison with other International Airports	57
1468	पटसन का निर्यात	Export of Jute	57
1469	दम दम हवाई अड्डे को शुल्क पतन घोषित करने का निर्णय	Decision to declare Dum Dum as a Dry Port	57
1470	सरकारी वित्तीय संस्थानों द्वारा नये उद्यमियों को ऋण	Credit to entrepreneurs by Public Sector Financial Institutions	58
1471	केरल के महालेखाकार के विरुद्ध लगाये गये आरोप	Charges levelled against Accountant General of Kerala	59
1472	काले धन का पता लगाने के लिये मद्रास और बम्बई में छापे	Raids in Madras and Bombay to unearth black money	60
1473	वनस्पति घी, कोयला और मिट्टी के तेल आदि के भाव	Prices of Vanaspati Ghee, Coal and Kerosene Oil	60
1475	चाय बागान को सरकारी अधिकार में लिया जाना	Taking over of Tea Gardens .	60
1476	आयकर कर्मचारी फेडरेशन से संबद्ध यूनियन/एसोसियन	Unions/Associations affiliated an Income Tax Employees Federation	61

अता० प्र० सं० U.S.Q No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1477	विदेशी पर्यटकों से होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान मांगने वाली योजना में संशोधन का प्रस्ताव	Proposal to revise the Scheme requiring foreign Tourists to Pay their Hotel Bills in foreign Exchange	61
1478	इंडियन आक्सीजन लिमिटेड	Indian Oxygen Ltd.	61
1479	दिल्ली में चैकों का भुगतान न किया जाना	Non clearance of Cheques in Delhi	62
1480	ऋय केन्द्रों पर कच्चे पटसन का वर्गीकरण	Classification of Raw Jute at Purchasing centre	62
1481	इन्डियन एयर लाइंस में नए विमान चालकों की भर्ती	Recruitment of New Pilots in Indian Airlines	63
1482	इन्डियन एयरलाइंस में तालाबंदी के पश्चात् कार्य पर आने वाले विमान चालक की संख्या	Number of Pilots who have joined duty after lock out in Indian Airlines .	63
1483	कपास उगाने वालों की समस्याएं	Problems of Cotton Growers	64
1484	भारतीय निगम द्वारा लेखों को अंतिम रूप दिया जाना	Finalisation of Accounts by Cotton Corporation of India	64
1485	विश्व बैंक से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये ऋण	Loan from World Bank for Calcutta Metropolitan Development Authority	65
1486	रेल द्वारा पर्यटकों के (सी इंडिया) दौरों को बढ़ावा देने की योजना	Scheme to promote See India Tours for Tourists by Rail	66
1487	प्रारंभिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले देशों को इकट्ठा करने के लिये राज्य व्यापार निगम का प्रस्ताव	Proposal of STC for bringing together countries producing Primary products	66
1488	अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि	Rise in prices of Essential Commodities .	67
1489	स्टेट बैंक इंडिया की हिसार शाखा के विरुद्ध शिकायतें	Complaints against Hissar branch of State Bank of India	68
1490	बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार	Examination of recommendations of Banking Commission	68
1491	थोक व्यापार को बैंकों द्वारा ऋण	Bank advances to wholesalers	68
1493	भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच पटसन का व्यापार	Jute trade between India and EEC .	69
1494	केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों को समयोपरि भत्ते की अदायगी	Payment of overtime allowance to Central Govt. Employees	70

ता० प्र० सं०	विषय	SUBJECT	पृष्ठ
U.S.Q. No.			PAGE
1495	राज्यों में पर्यटन केन्द्रों को सुन्दर बनाने हेतु व्यापक योजनाओं का बनाया जाना	Formulation of comprehensive schemes for beautification of tourist centres in States	70
1496	तेल संकट के दौरान विश्व बैंक से वित्तीय सहायता	Financial assistance from World Bank during oil crisis	71
1497	अल्कोहल से बने रसायनों का निर्यात	Export of Alcohol based Chemicals	71
1498	बिहार के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता	Assistance from World Bank for development of Bihar	71
1499	भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार समझौता	Trade agreement between India and South Korea	72
1500	मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये युगोस्लाविया के साथ संयुक्त उपक्रमों की स्थापना	Setting up of Joint Venture with Yugoslavia for producing auto parts	72
1501	निजी क्षेत्रों को दिये गये ऋण को सभ्य पूंजी में बदलना	Conversion of loan given to private Sector into equity	72
1503	रक्षा लेखा विभाग में काम करने वाले एकाउंटेंटों और अपर डिविजन क्लर्कों के पदनामों में प्रस्तावित परिवर्तन	Proposed change in the designation of Accountants and UDC's working in Defence Accounts Department	73
1504	पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना	Opening of new branches of nationalised banks in rural and urban areas during Fifth Plan	73
1505	कोचीन क्षेत्र के विकास के लिये विश्व बैंक ऋण	World Bank loan for development of Cochin area	74
1506	केरल में काजू के कारखानों का बंद होना	Closure of cashew factories in Kerala	74
1507	भारतीय रिजर्व बैंक की "ऋण देना बंद करो" नीति के बारे में केरल ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन द्वारा किया गया वक्तव्य	Statement made by Chairman of Kerala Rural Development Board re. credit 'squeeze policy of Reserve Bank of India	75
1508	भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाई गई रोक का केरल के हथकरघा उद्योग पर प्रभाव	Effect of credit squeeze imposed by RBI on Handloom Industry in Kerala	75
1509	जीवन बीमा निगम के किन्हीं नियमों के संशोधन के लिये महिलाओं द्वारा की गई मांग	Demand made by Women for revision of certain rules of Life Insurance Corporation	76

अता० प्र० सं०	विषय	SUBJECT	पृष्ठ
U.S.Q. No.			PAGES
1510	खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के लिये पश्चिम यूरोपीय देशों के बाजारों से प्राप्त किये गये क्रयदेश	Orders secured by MMTC from West European Markets for export of Iron Ore	76
1511	जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन	Observance of work to rule by LIC Employees	77
1513	नाइलोन के धागे के मूल्यों तथा वितरण के बारे में नाइलोन की कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच स्वेच्छिक समझौता	Voluntary agreement between Nylon Spinners and Weavers regarding prices and distribution of Nylon Yarn	77
1514	राष्ट्रीय बचत योजना में जमा की गयी धनराशि पर रुपये के गिरते हुये मूल्य का प्रभाव	Impact of declining value of rupee on amount deposited in National Saving Scheme	79
1515	पांचवीं योजना के दौरान मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक स्थानों को पर्यटन केन्द्रों के रूप में चुना जाना	Cultural sports in Madhya Pradesh selected as Tourist centres during Fifth Plan	79
1516	छोटे पैमाने के उद्योगों को अग्रिम धनराशि दिये जाने की सीमा के संबंध में ऋण देने संबंधी नये मानदंडों से छूट	Examination of Small Scale Industries from new lending norms on margins on advances	80
1517	सरकार तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा प्रायोगिक फसल बीमा योजनायें आरंभ किये जाने	Introduction of Pilot Crop Insurance Schemes by Government and Central Insurance Corporation	80
1518	कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में लगी आग के कारण हुई मौतें	Deaths occurred due to Fire in Central Bank of India, Calcutta	81
1519	इंडियन एयरलाइंस में तालाबंदी के कारण बचत	Savings due to Lock out in Indian Airlines	81
1520	'पी' फार्म जारी करने संबंधी नियमों में संशोधन	Amendment to Rules governing issue of (P) Forms	82
1521	विदेश यात्रा कर	Foreign Travel Tax	83
1522	मूंगफली और नीम के तेल का अवैध व्यापार	Illegal Trade in Groundnut and Neem Oil	84

अता० प्र० सं० U.S.Q. No	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1523	मारुति लिमिटेड के अंशधारियों को विदेशी मुद्रा का नियतन	Allocation of Foreign Exchange to Share Holders of Maruti Limited .	84
1524	विभिन्न देशों को सूती कपड़े का निर्यात	Export of Cotton Clothes to various Countries	84
1525	इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा अपने कर्मचारियों के लिये दिये गये होटल के शुल्क	Hotel charges paid by Indian Airlines and Air India for their Employees	85
1526	बंगला देश से कच्ची पटसन का आयात	Import of Raw Jute from Bangladesh .	86
1528	एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट के लिए क्रयदेश को रद्द करना	Cancellation of order for Jumbo Jet by Air India	87
1529	वेरोजगार वाणिज्यिक विमान चालक	Unemployed Commercial Pilots	87
1530	मार्च 1974 में होने वाले लीपजिग व्यापार मेले में भारत का शामिल होना	India's participation in Leipzig Trade Fair in March, 1974	88
1531	त्रिपुरा में मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण	Loan advanced by LIC for Construction of Houses in Tripura	88
1532	त्रिपुरा में भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की वसूली	Procurement of Jute by JCI in Tripura	89
1533	त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देना	Advancing of loans by Nationalised Banks in Tripura	89
1534	सूपी धागे का उत्पादन	Production of Cotton Yarn .	90
1535	अरब देशों से ऋण	Loans from Arab Countries.	91
1536	राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमाकर्ताओं को व्याज	Interest to depositors in Nationalised Banks	91
1537	मध्य प्रदेश के इंदौर डिवीजन में जीवन बीमा की शाखाओं में कथित कुप्रबंध	Alleged Mismanagement of Branches of LIC in Indore Division of Madhya Pradesh	92
1538	विभिन्न व्यावसायिक व्यक्तियों को राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दी जाने वाली ऋण सुविधा बंद करना	Withdrawal of Facility of Loans from Nationalised Banks to Persons Engaged in various Professions	92
1539	पटसन उत्पादन के कृषि योग्य क्षेत्र को कम करना	Reduction in Cultivable Area of Jute Production	93
1540	बाजार ऋण कार्यक्रमों के लिए बैंकों को गुजरात की ई धाराओं	Amount given to Gujarat by Banks for Market Borrowing Programmes	93

अर्ता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1542	मैसर्ज कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस संबंधी गुम हुई फाहल	Missing File in respect of M/s Karnatak Export House	93
1543	हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को धन का दिया जाना	Money invested by Nationalised Banks to Agriculturists in Haryana	94
1544	हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश	Investment of Money by LIC in Backward Areas of Haryana	94
1545	पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन	Incentives to boost Export of Jute Goods	94
1546	कपड़ा कंपनियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये नकद सहायता देना	Cash Subsidy given to Textile Companies to boost Export	95
1547	जेम्स फिनले एण्ड कम्पनी लिमिटेड	James Finlay and Company Ltd.	96
1548	सचिवों और संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रमों और भत्तों में किए गए परिवर्तन	Changes made in the Scales of Pay and Allowances of Secretaries and Joint Secretaries	96
1549	दिल्ली में सिनेमा मालिकों तथा फिल्म वितरकों के विरुद्ध कर की बकाया राशि	Arrears of Taxes against Cinema Owners and Film Distributors in Delhi	96
1550	युवक होस्टलों का प्रबंध युवक होस्टल एसोसियेशन को सौंपने की मांग	Demand to hand over the Management of Youth Hostels to Youth Hostels association	97
1551	मैसूर में काजू के कारखानों का बन्द होना	Closure of Cashew Factories in Mysore	97
1553	बिहार के पालामऊ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Palamau District, Bihar	98
1554	चाय बागानों में संकट	Crisis in Tea Gardens	98
1555	एयर इंडिया द्वारा अपनी कलकत्ता को जाने वाली/से होकर जाने वाली अंतरराष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि	Increase in the number of International flights to/through Calcutta by Air India	98
1556	फ्लाईंग क्लबों का बंद होने की स्थिति में आ जाना	Flying Clubs facing closure	99
1557	इंडियन एयरलाइंस द्वारा टैरिफ में वृद्धि करके के कारण अतिरिक्त राजस्व	Additional Revenue due to Increase in Tariffs by Indian Airlines	99
1558	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अप्राधिकृत ऋण देना	Grant of Unauthorised Loans by the Central Bank of India	100
1559	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फर्नीचर की खरीद	Purchase of Furniture by Central Bank of India	100

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1560	ऊनी चिथड़ों का जब्त किया जाना	Confiscation of Woollen Rags	101
1561	एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस की आय में वृद्धि करने के उपाय	Measures to Boost up Earnings of Air India and Indian Airlines	101
1562	अभ्रक के उत्पादन तथा व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये कार्यवाही करना	Steps to Encourage Production and Trade of Mica	102
1563	देश में बैंकों की शाखाएं	Branches of Banks in the country	102
1564	भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा कोवलम तथा महाबलीपुरम में निर्मित कुटीरों (काटेजों) से हुए लाभ/हानि	Profit/Loss from Cottages set up by ITDC at Kovalam and Mahabali-puram	102
1565	फिल्म कलाकारों पर आय कर की बकाया राशि	Arrears of Income Tax against Film Stars	103
1566	ब्रिटेन से ऋण	Loan from Britain	104
1567	एशियाई वाणिज्य तथा उद्योग संघ का सम्मेलन	Conference of Asian Chambers of Commerce and Industry	104
1568	कोका कोला निर्यात निगम	Coca Cola Export Corporation	105
1569	देश में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को हुआ लाभ अथवा हानि	Profits earned Losses suffered by State-run Hotels in the country	106
1570	स्टर्लिंग रिजर्व के मूल्य के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता	Talks with British Government about value of Sterling Reserves	107
1571	राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति का पुनर्विलोकन करने के लिये एक संसदीय समिति का गठन	Setting up of a Parliamentary Committee to Review Loan Policy in Nationalised Banks	108
1572	कम बैंक वाले राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र	Under-Banked States and Union Territories in India	108
1573	भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही पर्यटन संबंधी पत्रिकाएँ	Tourist Magazines Published by ITDC and Department of Tourism	109
1574	टाटा समिति की सिफारिशें	Recommendations of Tata Committee	109
1575	जीवन बीमा निगम के पास पड़ी ऐसी राशि जिसके लिये दावे नहीं किये गये	Unclaimed Money in LIC	110
1576	हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएँ खोलना	Opening of Branches of Nationalised Banks in Himachal Pradesh	110

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1577	श्रीनगर हवाई अड्डे के एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करना	Development of Srinagar Airport as an International Airport	111
1578	कर्नाटक में कृषि के विकास हेतु सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं द्वारा दिया गया धन	Money advanced by Branches of Central Bank of India in Karnataka for Agricultural Development	111
1579	बड़े औद्योगिक गृहों के निर्यात दायित्वों में छूट	Relaxation in Export Obligations in respect of Large Houses	111
1580	बड़े विदेशी निर्माताओं के सहयोग से निर्यात बढ़ाने संबंधी योजनाएँ	Schemes to Boost export in collaboration with Major Manufacturers Abroad .	112
1581	विदेशी पर्यटकों को दी गई सुविधायें	Courtesies extended to Foreign Tourists	112
1582	अमरीका तथा यूरूपीय देशों को काली मिर्च का निर्यात	Export of Pepper to US and other European Countries.	112
1583	राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा त्रिपुरा के ग्राम्य उद्योगों को दिया गया ऋण	Credit advanced by Nationalised Banks to Rural Industries in Tripura	113
1584	त्रिपुरा में हथकरघा उद्योग का विकास	Development of Handloom Industry in Tripura	113
1585	त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंको की नई शाखाएँ खोलना	Opening of New Branches of Nationalised Banks in Tripura	114
1586	व्यापारियों द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से राशि निकालने संबंधी नियमों का बनाना	Formulation of Rules in regard to withdrawal of Money by Traders from Nationalised Banks	114
1587	आवश्यक वस्तुओं का आयात	Import of Essential Commodities	114
1588	इंडियन एयर लाइंस के अधिकारियों और कर्मचारियों को दी जाने वाली बर्दियों पर व्यय	Expenditure on Uniforms provided to Officers and Employees of Indian Airlines	115
1589	वित्तीय आवंटनों में वित्त मंत्रालय द्वारा की गई कटौती	Amount of cut effected in Financial Allocations of Ministry of Finance .	115
1590	अलौह धातुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये खान तथा धातु व्यापार निगम का प्रस्ताव	MMTC proposal to overcome difficulties faced by Industries due to spurt in prices of Non-ferrous Metals	116
1591	राष्ट्र मंडल देशों को मिलने वाली प्राथमिकताओं को वर्ष 1974 के लिये बढ़ाने संबंधी प्रस्ताव	Proposal for the extension of commonwealth Preferences for 1974	116

अता० प्र० सं० U.S.Q. No.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1592	ऋण नीति के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को नये अनुदेश जारी करना	Issue of guidelines to Nationalised Banks and Financial Institutions Re. Credit Policy	117
1593	कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिये 'स्टास्क फोर्स'	Task force for increasing Textile production	117
1594	तेल का उत्पादन करने वाले देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करना	Boosting Exports to Oil producing countries	118
1595	पालम हवाई अड्डे की हवाई पट्टी संख्या 28 पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या	Number of Accidents at runway 28 at Palam Airport	119
1596	विश्व बैंक से आर्थिक सहायता	Financial assistance from world Bank	119
1598	राज्य व्यापार निगम द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव	Proposal to set up regional offices in Eastern and Western Europe and North America by STC	119
1599	समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन लाइसेंस	Incentive Licences for Export of Marine Products	120
1600	अमरीका को कपड़े का निर्यात	Export of Textiles to USA	120
1601	यूगोस्लाविया को वैगन देने के लिये समय का बढ़ाया जाना	Extension of time for delivery of wagons to Yugoslavia	120
विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में सभा-पटल पर रखे गये पत्र लोक लेखा समिति		Re. Question of Privilege Papers Laid on the Table Public Accounts Committee	121 122 124
101वां प्रतिवेदन		Hundred and First Report	
सभा का कार्य		Business of the House	124
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव		Motion of thanks on the President's Address	126
श्रीमती इन्दिरा गांधी		Shrimati Indira Gandhi	126
एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक		Esso (Acquisition of Undertaking in India) Bill	134
विचार करने का प्रस्ताव		Motion to consider	134
श्री देव कांत बरुआ		Shri D.K. Borooah	134
श्री ज्योतिर्मय बसु		Shri Jyotirmoy Bosu	135
डा० रानेन सेन		Dr. Ranen Sen	137
श्री राजा कुलकर्णी		Shri Raja Kulkarni	138

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति	Committee on Private Members' Bills and Resolutions	138
36वां प्रतिवेदन	Thirty Sixth Report	138
स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प	Resolution Re: Free and Fair Elections	139
श्री अटल बिहारी वाजपेयी	Shri Atal Bihari Vajpayee	139
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee	141
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Mishra	143
श्री रामावतार शास्त्री	Shri Ramavatar Shastri	143
श्री एम० राम गोपाल रेड्डी	Shri M. Ram Gopal Reddy	144
श्री ई० आर० कृष्णन	Shri E.R. Krishnan	144
श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी	Shri Dinesh Chandra Goswami	146
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar	148
श्री समर गुह	Shri Samar Guha	149

लोक-सभा वाद-विवाद (संक्षिप्त अनूदित संस्करण)
LOK SABHA DEBATES (SUMMARISED TRANSLATED VERSION)

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार- 1 मार्च 1974/10 फाल्गुन 1895 (शक)

Friday, March 1, 1974/Phalguna 10, 1895 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
Mr. Speaker in the Chair

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण
MEMBER SWORN

श्रीमती पार्वती कृष्णन (कोयम्बटूर-तमिलनाडु)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

एशियन क्लियरिंग यूनियन तथा एशियन रिजर्व बैंक

* 141. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशियन क्लियरिंग यूनियन तथा एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना करने संबंधी समझौता लागू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) इस समझौते पर एशियाई देशों की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) से (ग) : एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क), (ख) और (ग) : एशियन क्लियरिंग यूनियन अपने सदस्यों में वर्तमान दृश्य तथा अदृश्य लेन-देनों के लिये सभी प्राप्तियों तथा भुगतानों को, निर्धारित समय के बाद समेकित करने तथा उनका शोधन करने के लिये एक समाशोधन व्यवस्था का संगठन करेगी तथा उसका संचालन करेगी ताकि उन्हें

वर्तमान व्यवस्था के अनुसार अलग अलग लेन-देन करने के बजाय, जैसे इस समय किया जाता है केवल अन्तिम वकाया राशि ही इकट्ठी करनी पड़े अथवा उसका भूगतान करना पड़े। जब तक एशियन क्लियरिंग यूनियन करार पर एशिया और दूर पूर्व आर्थिक आयोग (इकाफे) के पांच सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हो जाते तब तक वह करार प्रभावी नहीं हो सकता और चूंकि अब तक करार पर केवल दो देशों अर्थात् ईरान और श्रीलंका ने ही हस्ताक्षर किये हैं इसलिये यह करार अभी तक प्रभावी नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत, नेपाल, अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान ने अप्रैल, 1973 में टोकियो में आयोजित एशिया और दूर पूर्व आर्थिक आयोग के पिछले वार्षिक सत्र में एशियन क्लियरिंग यूनियन में शामिल होने की अपनी इच्छा व्यक्त की थी। भारत ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में संशोधन करके रिजर्व बैंक को उचित अवसर पर करार पर हस्ताक्षर करने के अधिकार दे दिये हैं।

2. एशियन रिजर्व बैंक अपने सदस्य देशों की सकल विदेशी मुद्रा की प्रारक्षित निधियों का 10 प्रतिशत भाग जमा करने की परिकल्पना की है जिससे भूगतान शेष के अस्थायी घाटे का खास तौर से अन्तः क्षेत्रीय व्यापार के अन्तिम रूप से उदार बनाने से उत्पन्न घाटे का वित्त पोषण करने के लिये थोड़ी अवधि के लिये सहायता की व्यवस्था की जा सके और एशिया तथा दूर पूर्व आर्थिक आयोग के क्षेत्र में उत्पादनकारी निवेश के वित्त पोषण के लिये बहुप्रयोजनी संस्थाओं के वाण्ड प्राप्त किये जा सकें। एशियन रिजर्व बैंक की स्थापना के लिये एक करार का मसौदा, जैसाकि अगस्त, 1972 में अन्तःसरकारी समिति द्वारा तैयार किया गया था, एशिया और दूर पूर्व आर्थिक आयोग के सचिवालय की ओर से क्षेत्रीय सदस्य देशों को भेज दिया गया था ताकि उन देशों के विचारों के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। इस समय करार के मसौदे पर सदस्य देश विचार कर रहे हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : एशियाई देशों में सामूहिक आर्थिक गतिविधि का विचार इस दशक की एक सर्वोत्तम घटना है। इस दिशा में भारत सरकार के प्रयास प्रशंसनीय हैं। एशियाई रिजर्व बैंक तथा 'कस्टम्स यूनियन' में भारत को प्रवेश दिलाने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और क्या ऐसा ई०ई०सी० रिजर्व फंड के ढंग पर होगा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : निश्चय ही कुछ ऐसे कानून आवश्यक हैं जिन्हें इस संसद् ने पारित किया है और अब हम अन्य देशों की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहे हैं। रिजर्व बैंक के मामले में भी यही स्थिति है।

श्री हरिकिशोर सिंह : एशियाई देशों में यह भावना व्याप्त है कि एशिया के विकास से विभिन्न एजेंसियों पर जापान का प्रभुत्व हो रहा है और एशियाई देश भारत से यह अपेक्षा करते हैं कि वह एशियाई विकास एजेंसियों पर जापान के इस प्रभुत्व को रोके। क्या सरकार को इस बात का पता है...

अध्यक्ष महोदय : क्या आप इस बात पर इस प्रकार इतना अधिक बल देना चाहते हैं? क्या मंत्री महोदय उत्तर देने की स्थिति में हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यदि आप चाहें कि मैं उत्तर दूं तो मैं अपने ढंग से इसका उत्तर दे सकता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : एशिया के आर्थिक विकास के लिए यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि मंत्री महोदय चाहें तो वह अपने ढंग से उत्तर दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : शांत रहिए। यह सभा समाचार-पत्र पढ़ने के लिये नहीं है।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम किसी संगठन के साथ सहयोग बढ़ाने की दृष्टि से शामिल होना चाहते हैं न कि किसी देश के साथ प्रतियोगिता करने की दृष्टि से। यही हमारी मूल नीति है।

प्रो० मधु दण्डवते : सदस्य देशों की मुद्राओं की रक्षा करने के लिये एशियाई रिजर्व बैंक क्या व्यवस्था करेगा?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों की जांच अभी की जानी है और हम अन्य देशों के साथ सम्पर्क बनाये हुए हैं। अभी से इसके विस्तार में जाना जल्दबाजी होगी, केवल सिद्धान्त के बारे में बातचीत हो रही है।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : प्रत्येक देश का कितना योगदान होगा? क्या किसी प्रक्रिया का निर्णय किया गया है?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी, नहीं।

इंडियन एयरलाइंस को बोइंग विमान के लिये अमरीकी ऋण

* 142. श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यू० एस० एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक इंडियन एयरलाइंस को बोइंग विमान के सौदे के लिये कोई ऋण देने पर सहमत हो गया है ;

(ख) कुल कितनी धन-राशि देने की पेशकश की गई है और उसकी शर्तें क्या हैं; और

(ग) इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस ने, सरकार के अनुमोदन से, तीन बोइंग 737 विमानों तथा उनके फालतू पुर्जों एवं उपस्कर की खरीद के लिए कुल प्रायोजना लागत के 45% की वित्तीय व्यवस्था करने के लिए, यू० एस० ए० के इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट बैंक से 86.4 लाख यू० एस० डालर का ऋण प्राप्त कर लिया है। ऋण समझौते पर अभी हस्ताक्षर होने हैं।

श्री एम० एस० संजीवीराव : मैं समझता हूँ कि इंडियन एयरलाइंस चालू वर्ष 1974 के लिये यू० एस० एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक से 4 बोइंग विमान अर्जन करना चाहती है, तो क्या इंडियन एयरलाइंस ने यू० एस० एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट बैंक की सहायता से या उसकी बिना सहायता के पांचवी योजना में विमानों की आवश्यकता का अनुमान लगाने के लिये सर्वेक्षण किया है?

श्री राजबहादुर : चार बोइंग विमान हैं। एक विमान उस विमान के स्थान पर है जो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पांचवी योजना के दौरान हमारा 29 बोइंग-77 विमानों की क्षमता उत्पन्न होने का अनुमान है।

श्री एम० एस० संजीवीराव : क्या सोवियत संघ ने टी० यू० 154 की खरीद के लिये आसः शर्तों पर ऋण तथा ईंधन देने की भी पेशकश की है। सोवियत संघ ने हाल ही में यह अत्यंत आधुनिक विमान टी० यू० 154 निकाला है। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस बारे में भी विचार हो रहा है?

श्री राज बहादुर : इन मामलों पर अनेक स्तरों पर बातचीत और विचार हो रहा है और अभी से कुछ कहना उचित नहीं होगा।

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon. Minister has just stated that out of 4 Boeings, one met with an accident and apart from that they are going to take three Boeings and 29 Boeings will be required during the Fifth Plan, I want to know whether they received enormous commission from the countries from which they are going to take these planes, and the commission which is going to be received now and may I also know under which head the amount of commission so received will be placed?

Shri Raj Bahadur: I am afraid that the hon. Member has not followed my answer. I did not say that we were going to take 29 Boeings. I said, it is estimated that during the Fifth Plan we will require capacity to be created which will be equal to 29 Boeings.

So far as the 4 Boeings are concerned, one was destroyed in the crash which is to be replaced and whose expense will be met through insurance and our own and for the remaining three Boeings, loan will have to be taken from Export-Import Bank and Commercial Bank. So far as the commission is concerned, as stated by the hon. Member, I have no information about that. If he has any information, he may tell me because he is interested in commissions.

Shri Hukam Chand Kachwai: A sum of Rs. 50 lakhs has been received as commission at the time of purchase of the last 4 planes and the Prime Minister has taken it. The hon. Minister should tell as to whether he would inquire into it and find out as to what has happened to that amount? Rs. 50 lakhs as commission has been taken. On this matter, there was a dispute between the Prime Minister and Shri Karan Singh. He does not know about that.

Shri Priya Ranjan Das Munsii: Election is over.

Shri Hukam Chand Kachwai: Will the hon. Minister conduct an inquiry and tell as to who has received that amount. It should be found out. There was dispute on this question between these two and Shri Karan Singh was removed from Cabinet.....
(interruptions).

Mr. Speaker: If somebody levels charges against anybody, there is a procedure for it. He may do so under that procedure.

श्री बंसत साठे : वह बिना किसी सबूत के आरोप नहीं लगा सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसकी अनुमति नहीं दी है।

Shri Hukam Chand Kachwai: The dispute took place as to who should take this commission. Prime Minister or Dr. Karan Singh.

Mr. Speaker: Is the hon. Member prepared to tell it outside the House?

Shri Hukam Chand Kachwai: Why not?

Mr. Speaker: He knows that nothing happens on what he says in the House.

Shri Hukam Chand Kachwai: You cannot silence us by speaking loudly. Truth is bitter. You do not know.

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल असंगत प्रश्न है। मंत्री महोदय को इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मेरा निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न पूछने में शिष्टाचार होना चाहिए।

श्री ज्योतिर्मय बसु : जब कोई माननीय सदस्य अपने उत्तरदायित्व से सभा में आरोप लगाता है.....

अध्यक्ष महोदय : इसके लिये प्रक्रिया है। वह इस प्रकार नहीं कह सकते हैं। वह मंत्रियों तथा हर किसी के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं।

श्री वसंत साठे : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया जाना चाहिए (व्यवधान)

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त से नहीं निकाला जा सकता।

Shri Vasant Sathe: It is a matter of great irresponsibility. It should not happen.

Mr. Speaker: He says whatever he likes.

Shri Hukam Chand Kachwai: How much commission has been received.

Shri Raj Bahadur: The hon. Member's allegation is false and baseless and this shows his indignation due to defeat in elections.

Shri Hukam Chand Kachwai: This is a matter of the past. Will he conduct an inquiry. The hon. Minister is new.

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : प्रधान मंत्री और श्री दीक्षित.....

अध्यक्ष महोदय : मैं आपसे बोलने के लिये नहीं कह रहा हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : आप इस प्रकार मुझे बंद नहीं कर सकते हैं। मैं यहां अपने अधिकारों से बोल रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपको बोलने को नहीं कहा जाये, आप इस प्रकार खड़े नहीं हो सकते हैं।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पहले अनेक बार कांग्रेस पार्टी के लिए सीमेंट आवंटन समिति द्वारा 1.5 करोड़ रुपया एकत्रित करने जैसे आरोप मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : नियमों के अन्तर्गत इसके लिये प्रक्रिया निर्धारित है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : मंत्रियों को भी उसका खंडन करने की छूट है।

श्री वसंत साठे : जब माननीय सदस्य आरोप लगायें तो उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इसकी जांच होनी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai: Will they get an inquiry conducted into it .

Mr. Speaker: There are some hon. Member who come after taking vow not to allow the House to function properly. Parliament has been made a fun.

Shri Hukam Chand Kachwai: There is no question of taking a vow. You want us to sit silent.

Mr. Speaker: The whole House has been held to ransom.

Shri Hukam Chand Kachwai: They have taken a vow to see the poor people hungry. We ask questions and they do not bother.

श्री ज्योतिर्मय बसु: क्या आप यह कहते हैं कि वे राशि एकत्र नहीं कर रहे हैं? वे कपड़ा मलों, डालडा वालों, श्री गोयन्का और अन्य लोगों से पैसा ले रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप जो बात बाहर नहीं कह सकते हैं वह सदन में भी नहीं कह सकते हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी: आप सदैव माननीय सदस्य को आरोप लगाने की अनुमति दे रहे हैं।

श्री भागवत झा आजाद: मैं इस सभा तथा मंत्री महोदय को याद दिलाना चाहता हूँ कि मैंने हाल में ही कहा था कि नागर विमानन विभाग ने सोवियत संघ की ओर से इस सरकार को सस्ते ऋण पर विमान देने की पेशकश की अपेक्षा अमरीका से बोइंग विमान खरीदने की योजना तैयार की थी साथ ही सभी विमान अधिक समय तक चलने वाले थे। परन्तु उस समय मंत्री महोदय ने इस बात से इन्कार कर दिया था और मैं उस योजना को सभा-पटल पर रखने को तैयार था जो मेरे पास थी। मैं जानना चाहता हूँ कि उन विमानों की रूस की पेशकश, जो अधिक सस्ते और श्रेष्ठतर हैं, पर विचार किये बिना सरकार ने अमरीका से बोइंग विमान क्यों खरीदे?

श्री राज बहादुर: जिन तीन बोइंग विमानों के बारे में मैं कह रहा हूँ उनके लिये 8 अक्टूबर 1973 को आर्डर दिये गये। पांचवीं योजना अवधि में भावी अर्जन के सम्बन्ध में हम निश्चय ही अन्य विमानों के साथ-साथ रूसी विमानों के लिये जितना संभव होगा, विचार करेंगे।

श्री ज्योतिर्मय बसु: सोवियत संघ के सरकारी क्षेत्र से विमान खरीदने की अपेक्षा सरकार ने अमरीका के गैर-सरकारी क्षेत्र से सौदा करने को तरजीह क्यों दी?

श्री राज बहादुर: यह गलत है। समूचे मामले पर विचार हो रहा है।

ऋण नीति के संबंध में केरल सरकार का अनुरोध

* 143. श्री सी० के० † चन्द्रप्पन :

श्री ए० के० कोत्ताशट्टी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने केन्द्र से अनुरोध किया है कि लघु स्तर के तथा निर्यातान्मुख उद्योगों के सम्बन्ध में ऋण पर रोक की वर्तमान नीति पर पुनर्विचार किया जाये;

(ख) यदि हां, तो उनके इस अनुरोध की मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस पर क्या निर्णय है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग). केरल के मुख्य मंत्री ने केन्द्रीय वित्त मंत्री को लिखे एक पत्र में इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान ऋण नीति में इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए ताकि केरल जैसे सापेक्ष रूप से अविकसित राज्य में औद्योगिकीकरण की गति में बाधा न पड़े। मुख्य मंत्री ने देश में बैंक ऋण के प्रादेशिक वितरण के व्यापक प्रश्न का भी उल्लेख किया है और सुझाव दिया है कि और अधिक समुचित वितरण को सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने दूसरी बात यह कही है कि उन लोगों को बैंक ऋण नहीं दिए जाएं तो उनका इस्तेमाल सट्टे आदि के लिए करते हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि यदि ऋण पर रोक लगाना अनिवार्य है तो यह रोक एकाधिकार घरानों और बड़े पैमाने पर चल रहे उद्योगों को मिलने वाले ऋणों पर लगाई जानी चाहिए और युक्तियुक्त ऋण नीति से औद्योगिक उत्पादन की गति में बाधा नहीं पड़नी चाहिए और ना ही इससे निर्यात में कमी होनी चाहिए।

केरल सरकार द्वारा उठाये गये प्रश्न, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत नीति का अंग हैं और यहां तक की ऋण नीति में आपातकालीन स्थिति का सामना करने के लिये जो थोड़ी देर के लिये परिवर्तन किये जाते हैं उनका उद्देश्य औद्योगिकीकरण की गति को बनाये रखना होता है और विशेषकर अविकसित क्षेत्रों में छोटे पैमाने के उत्पादन संबंधी प्रयासों को प्रोत्साहन देना होता है। उत्पादन से भिन्न प्रयोजनों के लिये बैंक ऋणों के प्रयोग को कम करना होता है और इस प्रकार स्वीकृत लंबी अवधि के सामाजिक आर्थिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में वे सहायक सिद्ध होते हैं।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने कहा है कि केरल सरकार द्वारा दिये गये सुझाव सरकार की नीति का ही एक अंग हैं। परन्तु क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि लघु पैमाने के उद्योग, विशेषकर हथकरघा, नारियल जटा आदि जैसे निर्यात-प्रधान उद्योग सरकार की ऋण-नियंत्रण की नीति के कारण त्रस्त हैं जबकि दूसरी ओर बड़े व्यापार गृह पहले ही की भांति विभिन्न सरकार संगठनों से धन प्राप्त करके लाभान्वित हो रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उनका प्रश्न का अन्तिम भाग तथ्यों पर आधारित नहीं है। जहां तक प्रश्न के पहले भाग का संबंध है, इस ऋणनीति के क्रियान्वयन के आरम्भ में, निर्यात कर्ताओं को कुछ कठिनाईयां हुई थीं। रिजर्व बैंक ने इस बदलती स्थिति पर निश्चय ही अपनी दृष्टि रखी थी और बाद में निर्यात कर्ताओं को इस नीति के प्रभाव से बचाने के लिये उसका पुनरीक्षण कर दिया था। यदि अब भी इसके कारण कोई परेशानी रह गई है, तो मुझे विश्वास है कि उस पर भी विचार किया जा सकता है। साथ ही मुझे यह भी विश्वास है कि इस नीति से निर्यात संबंधी प्रयास पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ा है।

श्री सी० के० चन्द्रप्पन : मंत्री महोदय ने बड़ा ही सामान्य वक्तव्य दिया है। ऋण-नियंत्रण नीति द्वारा उत्पन्न कठिनाईयों से लघु उद्योगों को बचाने के लिये क्या ठोस उपाय किये गये हैं? दूसरे, मेरे प्रश्न के दूसरे भाग के स्तर में उन्हें इससे इनकार किया है कि बड़े-बड़े व्यापार-गृह, उद्योगपतियों तथा सटोरियों को मनचाहे ऋण मिल रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि इस क्षेत्र पर बड़े व्यापार-गृहों तथा सटोरियों पर इस नई नीति का वस्तुतः क्या प्रभाव पड़ा ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं तो उन्हें केवल यह बता सकता हूँ कि वर्ष 1973 के अन्तिम तीन महीनों में ऋण का विस्तार किस प्रकार हुआ। शायद यही एक ऐसा सौदेश्य प्रतीक है जिससे इस नीति के कार्यकरण का पता लगता है। यदि माननीय सदस्य मुझे आंकड़ों का विवरण देने की अनुमति दें तो मैं कहूँगा कि वर्ष 1973 के अन्तिम तीन महीनों में कुल 626 करोड़ रुपये के ऋण दिये गये जिनमें से लगभग 78 करोड़ रुपये खाद्यान्न ऋण के लिये, 100 करोड़ रुपये निर्यात ऋण के रूप में, खाद्य निगम से अन्य सरकारी उपक्रमों को 109 करोड़ रुपये, प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र जैसे कृषि, लघु उद्योग तथा संबद्ध क्षेत्र के लिये लगभग 145 करोड़ रुपये और गैर-सरकारी क्षेत्र मुख्यतः बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योगों, थोक व्यापार के लिये 194 करोड़ रुपये दिये गये। यदि इत प्रकार ऋण-फैलाव के वास्तविक आंकड़े देखें तो हम देखते हैं कि वर्ष 1973 के अन्तिम तीन महीनों में प्रवृद्ध ऋण-फैलाव का 69 प्रतिशत भाग सरकारी क्षेत्र के उद्यमों को दिया गया है जिनमें खाद्यान्न वसूली कार्य तथा प्राथमिकता क्षेत्र शामिल हैं। यदि इन आंकड़ों को सौदेश्य सही मानते हैं तो फिर मैं कह सकता हूँ कि माननीय सदस्य द्वारा कही गई बात सही नहीं है।

डा० हेनरी आस्टिन : क्या सरकार को बड़ी संख्या में लघु उद्योग के एककों तथा उद्यमों, जोकि केरल में इस समय उपलब्ध अतिरिक्त बिजली का लाभ उठाते रहे हैं, की बिजली का स्थानीय रूप से उपयोग करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा स्थापित करने की इच्छा तथा साथ ही ऋण-नियंत्रण के फलस्वरूप यहां तक बिजली बोर्डों तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में बिजली का उपयोग करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने के क्षेत्र में अपनी गतिविधियों को विस्तार करने के प्रयासों में घुटन की भावना के बारे में अवगत है? क्या सरकार को इसकी जानकारी है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार कृपा करके इस की जांच करेगी और केरल सरकार को अपनी अतिरिक्त बिजली को बहुत कम दरों पर अन्य राज्यों को सप्लाय करने को विवश करने की बजाय उसे ही अपनी बिजली का प्रभावी ढंग से उपयोग करने हेतु आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने में सहायता करेगी।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : आवश्यक आधारभूत ढांचा तैयार करने का कार्य योजनाबद्ध विकास प्रयासों, बजट प्रयासों तथा अन्य प्रयासों पर निर्भर करता है। बैंक ऋण को बात करते समय हमें इसमें कुछ यह करना पड़ता है। बैंक ऋण इस समय अर्थ व्यवस्था को चलाने के लिये है और मेरे विचार से बैंक-ऋणों को आवश्यक आधारभूत ढांचे अथवा विकास-गतिविधियों के लिये उपयोग में नहीं लाया जा सकता। निश्चय ही इसकी अपनी भूमिका है, परन्तु फिर भी इस भेद को याद रखना है।

जहां तक सामान्य बातों का संबंध है, हमें इस से संबंधित कठिनाइयों से अनभिज्ञ नहीं हैं। इस व्यस्त मौसम के लिये ऋण-नीति की घोषणा के तुरन्त बाद एक प्रकार की घबराहट भरी प्रतिक्रिया हुई थी क्योंकि हम किसी योजनाबद्ध ऋण प्रतिक्रिया के अभ्यस्त नहीं हैं। इसलिये आरम्भ में इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया हुई थी, परन्तु इस क्षेत्र में रिजर्व बैंक ने हर आवश्यक स्थिति में आगे बढ़कर सहायता प्रदान की है। मेरे विचार से अपनी स्थिति में स्थायित्व आ गया है।

श्री निम्बाहकर : यह देखते हुये कि कच्चे माल के मूल्यों में तेजी से वृद्धि होती जा रही है, क्या ऋण प्रतिबंधों से औद्योगिकीकरण को हानि नहीं होगी और बड़े उद्योगों के लिये भी ऋण में कमी करने से छोटे उद्योगों पर कुप्रभाव पड़ेगा क्योंकि सहायक एककों के रूप में, इस स्थिति का लाभ बड़े उद्योगों की कठिनाइयों को छोटे उद्योगों पर लादने के लिये किया जाता है। इस संबंध में वित्त मंत्री महोदय क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हमारी मुख्य समस्या धन के विस्तार को रोकने की है क्योंकि मूलतः यह भी देश में मूल्यों में तथा मुद्रास्फोति में वृद्धि का कारण है। ऋण नीति का उद्देश्य इसी विशिष्ट समस्या का मुकाबला करना है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इसमें सर्वथा असफल रहे हैं।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : इस पर तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। मुझे अपना उत्तर तो पूरा करने दिया जाये। हमारी मुख्य समस्या तो यह है कि हम इस ऋण-नीति से वस्तुतः क्या फल प्राप्त करना चाहते हैं। माननीय सदस्य ने कहा कि कच्चे माल के मूल्य बढ़ते जा रहे हैं और इसलिये बड़े-छोटे सरकारी, गैर-सरकारी सभी उद्योगों को अधिक कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। यह तो बिल्कुल ही अलग समस्या है। यदि इसका संबंध उत्पादक बढ़ी-बढ़ी चल सम्पत्तियों को बनाने या अन्य लाभ कमाने वाली गतिविधियों के लिये न करके उत्पादन क्षमता और आवश्यकताओं में जोड़ा जाता है तो यह एक अलग बात है।

श्री पी० आर० शिनाय : क्या ऋण-नियंत्र के फल स्वरूप किसी भी वस्तु के मूल्य में कमी हुई है और यदि हां तो कितनी ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : मैं इस समय तो इसका दावा नहीं करूंगा।

दमदम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

* 146. श्री समर गुहा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दमदम हवाई अड्डे पर अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या न्यूनतम कर दी गई है;
- (ख) क्या दमदम हवाई अड्डे को दिल्ली तथा बम्बई हवाई अड्डों की तुलना में दूसरा दर्जा दे दिया गया है; और
- (ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों की आवृत्ति की संख्या विविध कारणों पर निर्भर करती है जिन में किसी हवाई अड्डे के लिये तथा वहां से होकर जाने वाले यातायात का परिमाण भी सम्मिलित है। इस समय भारत की राष्ट्रीय विमान कम्पनियों, एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस, के अतिरिक्त सात विदेशी विमान कम्पनियां, अर्थात्, एयरोफ्लोट, बंगलादेश विमान, ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन, बर्मा एयरवेज, रायल नेपाल एयरलाइंस कारपोरेशन, स्कैंडीनेवियन एयरलाइंस सिस्टम तथा थाई एयरवेज, कतकता के लिये/से होकर परिचालन कर रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों को न्यूनतम सीमा तक घटाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ख) और (ग) जी, नहीं। सरकार विदेशी विमानकम्पनियों द्वारा कतकता के लिये/से होकर उनकी हकदारी के अनुसार अनुसूचित विमान सेवायें परिचालित करने का स्वागत करेगी। यह आशा की जाती है कि संबंधित विमान कम्पनियां इस विषय में आवश्यक उपक्रम करेंगी।

श्री समर गुहा : क्या यह सच है कि यहां तब कि कुछ वर्ष पहले तक ही, पनाम, कनोडियन एयरलाइंस, जापानी एयरलाइंस, लुफ्थान्सा, डच एयर लाइंस, तथा फ्रांसीसी एयरलाइंस आदि सात अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइंस और अन्य सभी एयरलाइंस अपने विमान दमदम हवाई अड्डे तक तथा उस रास्ते से उड़ाया करते थे, और यदि हां, तो क्या सरकार ने उनके इन कारणों का पता लगाया है कि अब व

ऐसा क्यों नहीं करती हैं ? संबंधित एयरलाइन्स की स्वेच्छा पर ही इस बात को छोड़ने की बजाये क्या सरकार स्वयं ही पहल करके उन्हें दमदम हवाई अड्डे तक तथा इस रास्ते से अपने विमान उड़ाने के लिए प्रोत्साहित करेगी ?

श्री राज बहादुर : यह सही है कि माननीय सदस्य द्वारा बताई गई कुछ एयरलाइन्स कलकत्ता के रास्ते से अपने विमान उड़ाया करती थीं, माननीय सदस्य को तत्संबंधी शर्तों का पता है। फिर यातायात में कुछ कमी हो गई थी और स्वभावतः कुछ एयरलाइन्स ने अपनी उड़ाने जारी नहीं रखीं। खुद इस दिशा में पहल करने के अतिरिक्त हम उन्हें भी इस रास्ते से यथासंभव सीमा तक अपनी उड़ानें करने के लिये प्रेरित करने का निश्चय ही प्रयास करेंगे।

श्री समर गुह : मंत्री महोदय ने कहा कि यह यातायात की भीड़ के कारण था। परन्तु अब तो पश्चिम बंगाल में कुछ वर्षों से स्थिति सामान्य हैं और अब कोई भीड़भाड़ अथवा अन्य कोई कठिनाई नहीं है। अब तो कलकत्ता में भी दिल्ली तथा बम्बई जैसी ही स्थिति है। क्या सरकार इस एयरलाइन्स को यह विश्वास दिलाने का प्रयास करेगी कि अब वहां पहले जैसा कोई तनाव नहीं है ? क्या यह भी सत्य नहीं है कि गत पांच या दस वर्षों में सरकार ने जो राशि बम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों के विकास पर खर्च की है वह कलकत्ता हवाई अड्डे पर खर्च की गई राशि से कहीं अधिक है और यदि हां, तो क्या यही मुख्य कारण नहीं है कि अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स ने कलकत्ता को तथा उस रास्ते से अपनी उड़ाने बन्द कर दी हैं ?

श्री राज बहादुर : प्रश्न के अन्तिम भाग के उत्तर में, मैं कहूंगा कि हाल ही के कुछ वर्षों में विमान यातायात तथा उच्च क्षमता यातायात की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विमान-चालन सुविधाओं में सुधारों के अतिरिक्त नई अन्तर्राष्ट्रीय भवन आपरेशनल ब्लॉक के निर्माण पर 3 करोड़ रुपये से अधिक राशि खर्च की गई है।

श्री समर गुह : बम्बई तथा दिल्ली पर क्या खर्च किया गया ?

श्री राज बहादुर : मैं इस प्रश्न में बम्बई के बारे में नहीं बता रहा हूँ और इसलिये मुझे इसके लिये सूचना चाहिये। उन्होंने कहा था कि कलकत्ता में कोई विकास कार्य नहीं किया गया और उमकी उपेक्षा की गई। यह सही नहीं है। मैं ऐसी धारणा का खंडन करता हूँ। जहां तक यह प्रश्न है कि वहां यातायात बढ़ रहा है अथवा नहीं। बम्बई में ही वर्ष 1971-72 के तुलना में वर्ष 1972-73 में यातायात में केवल 22.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई जबकि दिल्ली में 24.1 प्रतिशत तथा मद्रास में 16.3 प्रतिशत की तुलना में कलकत्ता में 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वह जानते हैं कि विमान-यातायात आर्थिक कार्यकलाप में वृद्धि पर निर्भर करता है, केवल शांतिपूर्ण हालात पर नहीं। मैं समझता हूँ वह मेरे इस कथन से सहमत होंगे।

डा० रानेन सेन : इस तथ्य की दृष्टि से सरकार एक बड़ा अन्तर्राष्ट्रीय भवन बनाने पर लगभग 3 करोड़ रुपये खर्च कर रही है और कि दमदम हवाई अड्डा दार्जीलिंग तथा काजी रंगा जैसे पर्यटक केंद्रों के अतिरिक्त पूर्वी भारत, अर्थात् उड़ीसा, असम, मनीपुर तथा अन्य स्थानों के लिये प्रवेश-द्वार ही है, तो क्या कारण है कि दम-दम हवाई अड्डे पर जम्बो जेटों के उतरने के लिये उपयुक्त सुविधायें नहीं दी गई हैं। तथा पर्यटकों को दमदम की ओर आकृष्ट न होने की परिस्थितियां पैदा की गई हैं।

श्री राज बहादुर : कलकत्ता हवाई अड्डे पर जम्बो जेट विमानों के उतरने की सभी सुविधायें उपलब्ध हैं ।

डा० रानेन सेन : यह एक भ्रामक वक्तव्य है ।

श्री राज बहादुर : मैं सभा को भ्रम में नहीं डालना चाहता हूँ । बम्बई तथा दिल्ली हवाई अड्डों की भांति कलकत्ता हवाई अड्डे पर भी बोईंग 747 जम्बो जेट उतर सकते हैं । परन्तु क्योंकि एयर इंडिया ने टोकियो के अपने पूर्वी मार्ग पर बोईंग 747 विमान उड़ाना शुरू नहीं किया है, इसलिये इस समय कलकत्ता में जम्बो जेट सेवा उपलब्ध नहीं है । यह स्थिति है । यातायात की कमी का कारण पूर्वी क्षेत्र में जम्बो जेट विमान सेवा नहीं चला रहे हैं । यातायात संबंधी आवश्यकताओं की दृष्टि से इस क्षेत्र में जम्बो जेट सेवा आरम्भ करना न्यायोचित नहीं है । मेरे पास यही जानकारी है ।

डा० रानेन सेन : मैं आपा से संरक्षण चाहता हूँ, श्रीमान कुछ मास पूर्व, इंडियन एयरलाइन्स द्वारा तालाबन्दी के दौरान जब कुछ संसद सदस्य दिल्ली में ही बैठे रह गये और जब हमने यह मांग की कि हमें कलकत्ता पहुंचाने के लिये जम्बो जेट विमान उपलब्ध कराया जाये तब मंत्री महोदय ने कहा था कि कलकत्ता में जम्बो जेट उतरने की सुविधा नहीं है । दूसरे, उन्होंने कहा था कि जम्बो जेट के लिये सीढ़ी उपलब्ध नहीं है ।

श्री राज बहादुर : मुझे ऐसा कुछ याद नहीं पड़ता है । परन्तु मैंने सदस्यों के कलकत्ता जाने का प्रबन्ध अवश्य कर दिया था ।

अध्यक्ष महोदय : फिर तो इसमें झगड़े की कोई बात नहीं है ।

डा० रानेन सेन : वह भिन्न-भिन्न वक्तव्य दे रहे हैं । दो मास पूर्व उन्होंने कुछ और ही बात कही थी ।

श्री राजबहादुर : मैंने ऐसा कोई वक्तव्य सभा में नहीं दिया ।

अध्यक्ष महोदय : अब वहां जम्बो जेट विमान उतर गया । तब तो कोई विवाद नहीं होना चाहिये ।

श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या यह सच नहीं है कि कुछ अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स ने श्रमिक-विवादों के कारण कलकत्ता में अपने कार्यालयों को ही बन्द कर दिये थे । क्या यह भी सच नहीं है कि विमान के उतरने की सुविधायें दी एयर इंडिया तथा अन्य आन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स के बीच द्विपक्षीय करारों का आधार हैं ? क्या भारत सरकार अपने करारों का नवीकरण करने के समय अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स को कलकत्ता पर अपने विमान उतारने के लिये राजी करने का प्रयत्न करेगी ।

श्री राजबहादुर : अन्तर्राष्ट्रीय एयरलाइन्स का निर्णय यातायात संबंधी आवश्यकताओं पर निर्भर करता है । जहां तक श्रमिक विवादों का संबंध है, मैं आपसे सहमत हूँ ।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय ने अभी अभी कहा कि जम्बो जेट कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतर सकता है । क्या यह सही नहीं है कि के० एल० एम० नाम की डच एयरलाइन्स ने, जिसने हाल ही में कलकत्ता से अपनी उड़ाने आरम्भ की हैं, सार्वजनिक रूप से कहा और नागर विमानन मंत्रालय को बहुत स्पष्ट किया कि वे कलकत्ता हवाई अड्डे पर सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण वहां अपनी जम्बो जेट सेवा नहीं चला सकते हैं ? क्या अब वे इसका परीक्षण नहीं कर सकते हैं ?

श्री राजबहादुर : मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में पूछताछ कर सकता हूँ। परन्तु मेरी जानकारी यह है कि वहाँ पर जम्बो जेट उतरने की सुविधाएं उपलब्ध हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : यह बिल्कुल गलत बात है। कलकत्ता हवाई अड्डे पर जम्बो जेट नहीं जा सकते। वे इस सप्ताह में इसका प्रयोग कर सकते हैं।

श्री राजबहादुर : मैंने पहले ही बता दिया है कि वहाँ पर जम्बो जेट उतर सकते हैं। यदि के० एल० एम० को कोई कठिनाई हुई है तो मैं इसके बारे में पूछताछ कर सकता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : आप इस सप्ताह में इन सबको जम्बो जेट में बिठाकर कलकत्ता ले जायें हम सब जायेंगे और फिर वापस आ जायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : केवल विदेशी कम्पनियों द्वारा ही अन्तर्राष्ट्रीय उड़ाने नहीं की जाती, एयर इण्डिया द्वारा भी की जाती है। मैं यह पूछना चाहता हूँ कि पश्चिम की ओर-दिल्ली या बम्बई से लंदन, न्यूयार्क आदि जाने वाली उड़ानों के लिये निर्धारित किराये कलकत्ता से उन्हीं गंतव्य स्थानों तक की जाने वाली उड़ानों के लिये निर्धारित किरायों से कुछ कम रखे जाने के क्या कारण हैं। इस भेद-भाव का परिणाम यह होता है कि यात्री कलकत्ता से विमान यात्रा करने के बजाये अन्य मुख्य हवाई अड्डों पर से यात्रा करना पसंद करते हैं। हमारी राष्ट्रीय विमान कम्पनियों के मामले में कलकत्ता हवाई अड्डे के साथ इस प्रकार का भेद-भाव किये जाने के क्या कारण हैं ?

श्री राजबहादुर : माननीय सदस्य इस बात को भली भांति जानते हैं कि किराया दो बातों पर निर्भर करता है, यात्री विशेष कौन से मार्ग से जाता है और विमान को कितनी दूरी तय करनी है। कलकत्ता से पूर्व की ओर को जाने वाली सभी उड़ानें पश्चिम की उड़ानों से सस्ती होंगी। मंत्री महोदय का यह सुझाव है कि उन्हें बराबर क्यों नहीं कर दिया जाता

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह कहते हैं कि यह सुझाव है, गत कुछ वर्षों में अनेक सदस्यों ने यह मामला उठाया है।

श्री राजबहादुर : यह कार्यवाही के लिये सुझाव है। निश्चय ही मैं इस पर विचार करूँगा।

श्री बी० के० दास चौधरी : क्या मंत्री महोदय को पता है कि पूर्व की ओर की जाने वाली उड़ानें कुल उड़ानों की 20 प्रतिशत होती हैं क्योंकि 80 प्रतिशत या इससे भी अधिक उड़ानें पश्चिम की दिशा के लिये होती हैं ? क्या वह इस स्थिति को स्पष्ट करेंगे ? मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या यह बात सच है या नहीं ? और यदि हाँ, तो फिर श्री इन्द्रजीत गुप्त की बात ठीक है कि कलकत्ता हवाई अड्डे पर कुछ पाबन्दियाँ हैं। दूसरे, मैं जानना चाहता हूँ कि पहली पंचवर्षीय योजना के आरम्भ में अर्थात् वर्ष 1951 में कलकत्ता हवाई अड्डे से कितने यात्रियों ने अपनी विमान यात्रा आरम्भ की थी और दिल्ली या बम्बई हवाई अड्डे से कितने यात्रियों ने की थी ? यदि मंत्री महोदय के पास इस समय आंकड़े उपलब्ध न हों तो वही बाद में सभा पटल पर रख सकते हैं। जहाँ तक मुझे पता है बम्बई और दिल्ली की तुलना में कलकत्ता से विमान यात्रा आरम्भ करने वालों की संख्या काफी अधिक थी। अब वह बहुत कम हो गई है।

श्री राजबहादुर : मैं वर्ष 1951 के आंकड़े नहीं बता सकूंगा । मैं उनसे सहमत हूँ कि उस समय कलकत्ता हवाई अड्डे पर अधिक भीड़ होती थी । फिर कुछ विमान कम्पनियां ऐसी हैं जो केवल कलकत्ता से विमान चलाती हैं और इसी प्रकार कुछ विमान कम्पनियां पश्चिमी क्षेत्र से विमान चलाती हैं । मैं कहूंगा कि दूरी और भौगोलिक सांनिध्य विमान की उड़ानों का स्वरूप निर्धारित करता है ।

श्री बी० के० दास चौधरी : मैंने विशेष रूप से यह बात पूछी थी कि क्या पूर्व दिशा की ओर जाने वाली उड़ानें कुल उड़ानों की मुश्किल से 20 प्रतिशत है । उसका उत्तर नहीं दिया गया ।

श्री राजबहादुर : मैं उड़ानों की कुल संख्या बताऊंगा — नई दिल्ली से 47-48., बम्बई से 64-65, कलकत्ता से 37-38 जहां तक कलकत्ता का संबंध है, यह 20 प्रतिशत से काफी अधिक है ।

कतिपय मदों के आयात को सीमित करना

*147. श्री फतहसिंहराव गायकवाड : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले वित्तीय वर्ष में अनेक महत्वपूर्ण मदों के आयात को कम करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यह मद कौन-कौन से हैं और उनके आयात में कितने प्रतिशत कमी की जायेगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : आयात नीति की समीक्षा की जा रही है और अलग अलग मदों से संबंधित परिवर्तन, यदि कोई हुए, आगामी वित्तीय वर्ष 1974-75 की आयात नीति में शामिल कर लिये जायेंगे ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड : क्या यह सच है कि अनेक कार्यकारी दल इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कितनी बिदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकेगी और उसे किस प्रकार सर्वोत्तम ढंग से खर्च किया जाना चाहिये ? दूसरे, क्या यह सच है कि एक कार्यकारी दल ने यह सिद्धान्त निकाला है कि आगामी वर्ष में निर्यात को 3000 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है जो पहले ही वर्ष में पांचवीं योजना के लक्ष्य से अधिक है और यदि हां, तो यह अनुमान किस पर आधारित है ?

श्री ए० सी० जार्ज : विशेषकर बढ़ते हुये मूल्यों और आयात के बढ़े हुये बिल के संदर्भ में, वाणिज्य मंत्रालय ने अनेक कार्यकारी दल गठित किये हैं और वे क्षेत्र-वार और वस्तुवार अध्ययन कर रहे हैं । हमें आशा है कि हम वर्ष 1973-74 में अपने निर्धारित लक्ष्य अर्थात् 2072 करोड़ रुपये से काफी आगे बढ़ जायेंगे । परन्तु इस 'टास्क फोर्स' का पता नहीं जिसने आगामी वर्ष में 3,000 करोड़ रुपये का सुझाव दिया है । मैं इस बात से सहमत हूँ कि इन आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया होगा ।

श्री फतहसिंहराव गायकवाड : क्या यह सच है कि अन्तिम आंकड़े दो मुख्य बातों पर निर्भर करेंगे, अर्थात् अशोधित तेल का आयात पर जिसके बारे में सम्भवतः अप्रैल में पता चल जायेगा और दूसरे, खाद्यान्न के आयात के बारे में अन्तिम निर्णय पर और यदि हां, तो इन के बारे में अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेंगे ?

श्री ए० सी० जार्ज : यह स्पष्ट है कि तेल पर आधारित आयात की जाने वाली सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हो रही है । हम मूल्य, स्थान, आस्थगित भुगतान और अन्य सभी सुविधाओं के बारे में जो इस संकट पर काबू पाने में सहायक सिद्ध हो सकती हैं, तेल निर्यात करने वाले सभी देशों के साथ निरंतर बातचीत कर रहे हैं । मैं कोई निश्चित तिथि नहीं बता सकता कि ये ठेके कब तक हो जायेंगे अथवा अन्तिम निर्णय कब तक हो जायेगा ।

Shri Madhu Limaye: May I know whether Government is aware that 'Mackdovel' Group of Madras who manufacture whisky, have imported whisky in the name of flavouring essence, thus withdrawing this, import policy and this has resulted in huge loss? If this is correct then will the Government consider banning the Import of such items while taking a decision on import policy and strict action will be taken against defaulters?

श्री ए० सी० जार्ज : मद्रास कम्पनी द्वारा आयात प्रबंध के इस उल्लंघन के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। यदि माननीय सदस्य इस संबंध में मुझे व्यौरा दें तो मैं इसकी जांच करूंगा।

Shri Madhu Limaye: I have already sent them and I have received a reply also from Shri Y.B. Chauhan let him reply.

Mr. Speaker: He has already replied to Yesterday.

Shri Madhu Limaye: I want a reply on behalf of the Government.

The Minister of Finance (Shri Y.B. Chawan): I have already replied to that.

Shri Madhu Limaye: In spite of my giving details well in advance, should I get this reply?

Mr. Speaker: I can only say that the Minister may please look into it. If you want to extract more information, you can do so.

Shri Hukam Chand Kachwai: I would like to know as to when the reports of these working groups are expected? May I know whether it is a fact that many things are imported with the connivance of customs officials but they are not detected; if so whether this matter will be looked into?

श्री ए० सी० जार्ज : इन कार्यकारी दलों की रिपोर्ट शीघ्र प्राप्त करने में हमारी विशेष रुचि है। हम पांचवीं योजना तैयार कर रहे हैं और अपनी नीतियां निर्धारित करने के लिये इन कार्यकारी दलों से मार्गदर्शन चाहते हैं। मैं माननीय सदस्य को इस बारे में कोई निश्चित तिथि तो नहीं बता सकता परन्तु हम उन्हें यथासंभव शीघ्र प्राप्त करना चाहते हैं।

Shri Hukam Chand Kachwai: I wanted to know whether any action has been taken to look into this charge that many things are imported with the connivance of customs officials; if so, then details thereof? Goods worth crores of rupees are imported.

Mr. Speaker: You have stated but who is ignorant of these facts?

Shri Hukam Chand Kachwai: The hon'ble Minister is ignorant otherwise the things could be set right.

श्री ए० सी० जार्ज : आयात नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के संबंध में हम कठोर उपाय कर रहे हैं और यदि किसी विशेष घटना के बारे में हमें जानकारी दी जायेगी तो हम कार्यवाही करेंगे, हम जांच करेंगे और सुधारात्मक उपाय भी करेंगे।

जहां तक तस्करी का संबंध है, यह प्रत्येक देश में होती है, फिर भी उसको रोकने के लिये हम कार्यवाही करते रहते हैं।

हजार दुआरी (पश्चिम बंगाल) में पर्यटन स्थलों की सजावट करने का प्रस्ताव

* 148. श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पर्यटकों को आकर्षित करने हेतु पश्चिम बंगाल के सुन्दरबन क्षेत्र में मुर्शिदाबाद जिले के हजार दुआरी के पर्यटक स्थलों का नवीकरण और सजावट करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो क्या पश्चिम बंगाल सरकार से इस संबंध में कोई सहायता मांगी गई है ;
और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० (श्रीमती) सरोजिनी महिषी) : (क) से

(ग) साधनों की परिसीमाओं तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण मुर्शिदाबाद में नबाबी महल "हजार-द्वारी" के आस-पास के क्षेत्र के फिलहाल केन्द्रीय योजना के अर्न्तगत विकास का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि पश्चिम बंगाल सरकार को सुझाव दिया गया है कि राज्य का पर्यटन विभाग महल के साधारण तथा राज्य की पांचवी योजना की निधि में से वहां कुछ पर्यटक आवास की व्यवस्था करने के उद्देश्य से महल को अपने हाथ में ले लेने पर विचार करें।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मैं अपना अनुपूरक प्रश्न पूछने से पूर्व, आप से मुख्य प्रश्न को रखने की प्रार्थना करता हूँ। मेरा प्रश्न केवल हजार दुआरी के बारे में ही नहीं था, अपितु, यह सुन्दरबन के बारे में भी था। किन्तु मंत्री महोदय ने केवल हजार दुआरी के बारे में ही उत्तर दिया है और सुन्दरबन के बारे में उत्तर ही नहीं दिया गया है। अतः श्रीमान् जी, मंत्री महोदय द्वारा अपूर्ण उत्तर दिया गया है।

अब मैं हजार दुआरी के बारे में अपना अनुपूरक प्रश्न पूछूंगा। हजार दुआरी का महत्व लाल किले और आगरा के समान ही है। योजना पत्रों पर चर्चा किये जाने से पूर्व मैंने इस मंत्रालय तथा योजना मंत्री को भी पत्र लिखे थे। हजार दुआरी का भारतीय स्वतंत्रता के आन्दोलन में बड़ा ही महत्व है, क्योंकि पलासी के पास सिराजुद्दौला द्वारा अन्तिम लड़ाई लड़ी गयी थी। पर्यटक वहां जाया करते थे, किन्तु अब वहां नहीं जा सकते हैं, क्योंकि वहां आवास सुविधा उपलब्ध नहीं है। गंगा नदी के पास ही प्रासाद है। मैं आपको उस स्थान की यात्रा करने का प्रस्ताव करता हूँ और तभी आप वास्तविकता को समझेंगे। किन्तु मंत्री महोदय ने इस बात की जानबूझ कर उपेक्षा की है और जब भी कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो वह उचित ढंग से उत्तर नहीं देती हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या, मंत्री महोदय वहां जाकर स्थिति को देखना चाहती हैं और राज्य सरकार का विश्वास प्राप्त करके केन्द्र से आवश्यक प्रावधान करना चाहती हैं।

सुन्दरबन क्षेत्र के बारे में मैं मंत्री महोदय से उत्तर प्राप्त करना चाहता हूँ।

डा० सरोजिनी महिषी : यह बात कुछ समय पूर्व सलाहकार समिति में भी उठायी गयी थी। हमारे क्षेत्रीय पर्यटक निदेशक वहां गये थे और उन्होंने इस संबंध में एक प्रतिवेदन भेजा है। निसंदेह ही पश्चिम बंगाल देश का एक सुन्दर भाग है जिसमें कई रम्य स्थल हैं तथा सुन्दर स्मारक भी हैं। किन्तु इसके साथ ही

एक माननीय सदस्य : सुन्दर व्यक्ति भी है।

डा० सरोजिनी महिषी : जी हां। किन्तु इसके साथ ही पर्यटन एक राज्य का विषय है। केन्द्रीय सरकार के पर्यटन विभाग ने पश्चिम बंगाल में बहुत थोड़ी योजनाओं को शुरू किया है। माननीय सभा को मैं यह सूचित करना चाहती हूँ कि चौथी योजना में दार्जिलिंग में एक युवक छात्रावास बनाया गया था और दार्जिलिंग के वर्तमान पर्यटक लाज में 10 और कमरों की व्यवस्था की गयी। इसके अतिरिक्त, हम जलरापाटा शरणस्थल में भी पर्यटक आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे कई अन्य स्थान हैं, जिनके बारे में राज्य सरकार को विस्तार करना होगा। पांचवीं योजना में राज्य सरकार को 1.5 करोड़ रुपया मिला है। हमने राज्य सरकार को इस मामले की ओर ध्यान देने तथा यह सुनिश्चित करने की प्रार्थना की है कि वह बहुत ही अच्छे ढंग से इन्हें किस प्रकार विकसित कर सकती है। हम भी जो कुछ कर सकते हैं कर रहे हैं।

माननीय सदस्य ने कहा है कि कोई आवास स्थान उपलब्ध नहीं है। बरहामपुर में एक पर्यटक लाज है और उसका उपयोग भी पर्यटकों द्वारा किया जा रहा है, किन्तु मुंशिदाबाद प्रासार तथा बरहामपुर को जाने वाली सड़क अपेक्षाकृत तंग है और हमने राज्य सरकार से प्रार्थना की है कि वह इस सड़क का विकास करे।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : सुन्दरवन के बारे में क्या स्थिति है ?

डा० सरोजिनी महिषी : सुन्दरवन के बारे में राज्य सरकार हमें प्रार्थना करती रही है और सदस्य भी सभा में इस बात को उठाते रहे हैं। मैं माननीय सभा को सूचित करना चाहती हूँ कि मैं स्वयं सुन्दरवन गयी थी और मैंने लगभग 10 घंटे बरास्ता केनिंग पत्तन नाव में व्यतीत किये थे। इसको विकसित करना होगा। यह एक सुन्दर स्थान है। किन्तु पर्यटकों को उस क्षेत्र में प्रेरित करने से पूर्व कई विकासात्मक कार्य करने होंगे।

श्री शक्ति कुमार सरकार : एक बाघ परियोजना सुन्दरवन में स्थापित की जा रही है। क्या मैं मंत्री महोदया से पूछ सकता हूँ कि सुन्दरवन में बाघ परियोजना के पास पर्यटन आकर्षण के स्थानों को बनाया जायेगा ?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया ने अभी अभी इसका उल्लेख किया है।

डा० सरोजिनी महिषी : समाचार यह मिला है कि सुन्दरवन में बाघ हैं

अध्यक्ष महोदय : क्या वह नर भक्षी हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : दुर्भाग्यवश जब मैं वहां इस भाग में गयी थी, तो मैंने एक पक्षी को नहीं देखा, किन्तु ऐसा हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में कुछ पक्षी वहां आते रहे हों। ..
(व्यवधान)

श्री वसंत साठे : क्या वे आप से डरते हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : वन्य जीवों का संरक्षण करना मुख्यतया वन विभाग की जिम्मेदारी है और पर्यटक सुविधाओं की व्यवस्था करना केन्द्र अथवा राज्य के पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी है। जब इन्हें वन विभाग द्वारा शुरू किया जायेगा, तो इन्हें निश्चय ही विशेष परियोजना के रूप में ही शुरू किया जायेगा। जो कुछ भी सुविधाएँ पर्यटन विभाग की ओर से दी जानी होंगी, राज्य और केन्द्र सरकारें इस संबंध में विचार करेंगी।

श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पांच अवतरण (लैंडिंग) परियोजनाओं को, जिन्हें सुन्दरवन के लिये देशीय जल परिवहन समिति द्वारा मंजूर किया गया था, पूरा किया जा चुका है अथवा नहीं और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

डा० सरोजिनी महिषी : नौकाओं आदि की व्यवस्था भी की जा रही है। सुन्दरवन विकास समिति जिनका गठन किया जा चुका है, भी इस मामले पर ध्यान दे रही है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : अवतरण सुविधाओं की व्यवस्था अभी की जानी है।

अध्यक्ष महोदय : हम एक और प्रश्न पर चर्चा करें।

श्री समर मुखर्जी—यहां नहीं हैं।

श्री रघुनन्दनलाल भाटिया—वह भी यहां नहीं हैं।

श्री मानसिंह भौरा।

कपड़ा मशीनों का आयात

* 151. श्री मानसिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कपड़ा मशीनें आयात करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और आयात की जाने वाली मुख्य मदों का विवरण क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

प्रतिस्थापना तथा आधुनिकीकरण, दोनों प्रयोजनों के लिए स्वदेश में उत्पादित न होने वाली वस्त्र मशीनरी की अनुमत किस्मों के आयात की अनुमति विदेशी मुद्रा की प्राप्ति की शर्त के आधार पर है। गत तीन वर्षों के दौरान, वस्त्र आधुनिकीकरण, बम्बई ने मशीनरी की मुख्य मदों की निम्नलिखित किस्मों के आयात के लिए अनिवार्यता प्रमाणपत्र जारी कर दिये हैं :—

- (1) कताई : कार्ड लूमस, अनुषंगी माल, कूम्बर्स तथा इसकी मूल मशीनें आदि।
- (2) बुनाई : हाई स्पीड आटोमैटिक कोन तथा चीज वाइन्डर्स, सुपर हाई स्पीड वापिंग मशीनें, आटोमैटिक सिंग्लस, स्पिडल पर्न वाइन्डिंग मशीनें, वार्प टाइंग नोटिंग मशीनें, विशेषीकृत आटोमैटिक करघे आदि।
- (3) प्रोसैसिंग : रोटेरी स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें, प्लेट बैड स्क्रीन प्रिंटिंग मशीनें, हैंक मरसैराइजिंग मशीनें आदि।

(4) टैस्टिंग उपकरण : यूस्टर ईवनेस टेस्टर फाइबरोग्राफ आदि ।

उपकरण :

इसके अलावा, कतिपय निर्यात अभिमुख सूती वस्त्र मिलों को भी आधुनिक वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति दे दी गई है ताकि वे अपने उत्पादन आधार को सुदृढ़ कर सकें और विश्व बाजारों में अपनी प्रतियोगिता में सुधार कर सकें ।

सरकार, एक ओर तो वस्त्र मशीनरी विनिर्माता उद्योग और दूसरी ओर वस्त्र मिलों के साथ परामर्श करके पांचवी योजना अवधि के दौरान आवश्यक होने वाले वस्त्र मशीनरी के आयातों के स्तर तथा किस्मों का अनुमान लगा रही है ।

श्री मानसिंह भौरा : विवरण के पहले भाग में मंत्री महोदय ने कहा है कि:—

“स्वदेश में उत्पादित न होने वाली वस्त्र मशीनरी की अनुमत किस्मों के आयात की अनुमति है ।”

इसी उत्तर में मंत्री महोदय ने आगे कहा है:—

“इसके अलावा, कतिपय निर्यात अभिमुख सूती वस्त्र मिलों को भी आधुनिक वस्त्र मशीनरी के आयात की अनुमति दे दी गई है”

क्या मैं जान सकता हूँ कि जिन कारखानों तथा उद्योगपतियों को इस मशीनरी के आयात की अनुमति दी गयी है, उनके नाम क्या हैं और क्या यह मशीनरी भारत में उपलब्ध नहीं है ?

श्री ए० सी० जार्ज : कुछ परम्परागत कपड़ा मशीनों का निर्माण इसी देश में होता है और वास्तव में कुछ मर्दों का हम निर्यात करते हैं । कुछ आधुनिक मर्दों का जरूरी तौर पर बाहर से आयात करना होगा । इसका निर्यात कपड़ा आयुक्त कार्यालय की विशेषज्ञ समिति ने लिया है । हमने पता लगाया है कि लगभग 13 मर्दों का उत्पादन भारत में नहीं किया जाता जिनका आयात करना पड़ेगा ताकि हमारे कपड़ा उत्पादों का स्तर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंच सके और अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता हो सके । हमने 15 कारखानों को आयात करने के लिये परमिट दिये हैं । 15 कारखानों के नामों की सूचना अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैं इसे माननीय सदस्य को दे दूंगा ।

श्री मानसिंह भौरा : किन-किन देशों से मशीनरी का आयात किया जा रहा है ?

श्री ए० सी० जार्ज : हम जापान, अमरीका, पश्चिम जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों से इनका आयात कर रहे हैं ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

पांचवी योजना में सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं का विस्तार करने लिये ब्रिटेन से वित्तीय सहायता

*144. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र की कुल परियोजनाओं का विस्तार करने के लिये ब्रिटेन द्वारा किसी वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनायें कौन-कौन सी हैं; और

(ग) कितनी धनराशि की वित्तीय सहायता का आश्वासन दिया गया है ?

वित्त मंत्री श्री यशवन्तराव चव्हाण : (क) जी, नहीं। फिर भी ब्रिटेन की सरकार ने हमारे विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रमों, कौयला खनन परियोजनाओं, उर्वरक संयंत्रों आदि में हमारी सहायता करने में रुचि प्रकट की है। सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए ब्रिटेन की सरकार पहले भी वित्तीय सहायता देती आ रही है जिसमें उल्लेखनीय ये हैं—दुर्गापुर इस्पात संयंत्र, भोपाल स्थित हैवी इलेक्ट्रिकल्स संयंत्र, भारतीय नौवहन निगम द्वारा जहाजों की प्राप्ति आदि।

(ख) और (ग) सवाल पैदा ही नहीं होते।

किसानों को सरलता से तथा समय पर ऋण देने की व्यवस्था

* 145. श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पांचवीं योजना में कृषि क्षेत्र को दिये गये भारी महत्व की दृष्टि से क्या सरकार किसानों को सरलता से तथा समय पर ऋण दिलाने का सुनिश्चय करने सम्बन्धी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पिछले कुछ वर्षों से सहकारी समितियों, वाणिज्यिक बैंकों तथा कृषि पुनर्वित्त निगम जैसी ऋण देने वाली संस्थाओं की ऋण देने की प्रक्रियाओं और ऋण नीतियों की निरन्तर समीक्षा की जा रही है; तथा सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा-उपयुक्त उपाय, जिनमें कानूनी संशोधन भी शामिल हैं, किये गये हैं ताकि कृषकों को समय पर और आसानी से ऋण प्राप्त हो सकें और ऋण को अमानत प्रधान की बजाय अधिक से अधिक उत्पादन प्रधान बनाया जा सके। समाज के कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इस नीति को पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भी जारी रखा जायगा।

विदेशी कंपनियों द्वारा अपने पूंजी निवेश में वृद्धि करना

* 149. श्री समर मुखर्जी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न विदेशी कंपनियों को अपना पूंजी-निवेश बढ़ाने से रोकने का निर्णय किया है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में विशेष श्रेणी की कंपनियों को दी गई छूट के फलस्वरूप उक्त निर्णय निष्प्रभावी सिद्ध हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिये क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। भारत सरकार की यह नीति है कि आंतरिक व्यापारिक कार्यकलापों में लगी विदेशी कंपनियों की सामान्य शेयर पूंजी में नयी विदेशी भागीदारिता की स्वीकृति न दी जाये।

(ख) और (ग) जी, नहीं। विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (जिसकी एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को सभा पटल पर रख दी गई थी) की धारा 29 के प्रशासन के लिए जारी किए गए मार्ग निर्देशक सिद्धान्तों के अनुसार, विदेशी कम्पनियों की सभी शाखाओं के लिए यह आवश्यक होगा कि वे अपने आप को भारतीय कम्पनियों में परिवर्तित कर लें जिनकी विदेशी पूंजीधारिता 40 प्रतिशत से अधिक न हो और सभी मौजूदा भारतीय कम्पनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे विदेशी शेयरधारिता को घटा कर 40 प्रतिशत तक कर दें। अपवादात्मक मामलों में जहां विदेशी कम्पनियों ने एसी विशेषता, दक्षता प्राप्त कर ली हो या सुविधायें (वितरण व्यवस्था आदि) प्रस्तुत की हों जो इस समय देश में उपलब्ध नहीं हैं और जो निर्यात में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं या जहां वे औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति 1973 के परिशिष्ट 1 में उल्लिखित क्षेत्रों में मुख्यतः व्यापारिक गतिविधियों को छोड़कर मुख्य रूप से उत्पादन संबंधी गतिविधियों में लग गयी हों या जिन्होंने अपने आपको मुख्य रूप से निर्यात प्रधान उद्योगों (कुल उत्पादन का कम से कम 60 प्रतिशत निर्यात) में लगा लिया है, छूट दी जायेगी।

यदि उपर्युक्त विकल्प उन्हें स्वीकार्य न हो तो उन्हें भारत से अपनी गतिविधियों को बंद करने के लिए यथोचित समय दिया जायगा।

वर्तमान आयात लाइसेंस प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाना

*150. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान लाइसेंस प्रक्रिया से लघु क्षेत्र को कठिनाइयों का अनुभव हो रहा है;

(ख) क्या उनका मंत्रालय लघु उद्योगों के लिये आयात लाइसेंस देने की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाने के बारे में विचार कर रहा है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) 1973-74 अवधि के लिये आयात नीति में लघु एककों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिये विभिन्न उपाय किये गये हैं। लघु उद्योगों को लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया का सरलीकरण तथा सुव्यवस्थीकरण एक सतत कार्य है। लघु उद्योगों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाने के लिये अन्य उपायों पर भी अगले वित्तीय वर्ष 1974-75 हेतु आयात नीति बनाते समय विचार किया जा रहा है।

जीवन बीमा निगम द्वारा आयोजित कारोबार प्रतियोगिताएं

*152. श्री नबल किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जीवन बीमा निगम ने दिल्ली डिवीजन द्वारा जनवरी, 1973 से दिसम्बर, 1973 तक अपने ऐजेंटों तथा डिवेलपमेंट आफिसरों के लिए कितनी कारोबार प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं; "

(ख) कितनी प्रतियोगिताओं के परिणाम अब तक घोषित किये जा चुके हैं; और

(ग) एक वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी अभी तक सभी परिणाम घोषित न किये जाने के क्या कारण हैं और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) छ: ।

(ख) तीन प्रतियोगिताओं का परिणाम घोषित किया जा चुका है और बाकी तीन के परिणामों को संकलित किया जा रहा है ।

(ग) शेष तीन प्रतियोगिताएं मई, अगस्त से अक्टूबर और नवम्बर, 1973 में आयोजित की गई थीं । 'धीमे काम' करने, 'नियमानुसार काम' करने के आन्दोलनों के कारण और अन्त में जीवन बीमा निगम के दिल्ली प्रभाग में तालाबन्दी होने के कारण प्रतियोगिताओं के परिणाम घोषित करने में विलम्ब हुआ ।

**इंडियन एयरलाइंस में श्रमिकों के असंतोष के कारणों का पता लगाने के लिए
एक आयोग की नियुक्ति का प्रस्ताव**

*153. श्री एस० एम० बनर्जी : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइंस के श्रमिकों के असंतोष के कारणों की जांच करने के लिये सरकार का विचार एक आयोग नियुक्त करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उस आयोग के सदस्यों के नाम क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत का व्यापार

*154. श्री बूटा सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने फारस की खाड़ी के देशों के साथ भारत के व्यापार के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखते हुए नई निर्यात नीति बनाई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार सामान्य तौर पर खाड़ी के देशों सहित पश्चिम एशियाई देशों को भारत के निर्यातों को बढ़ाने के लिए एक निर्यात नीति बना रही है । इन देशों को हमारे निर्यातों में वृद्धि करने के लिए जिन मुख्य प्रस्थापनाओं पर विचार किया जा रहा है, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं :--

- (1) व्यापारियों, वाणिज्य चैम्बरों और अन्यो के प्रतिनिधि मण्डलों का अदान-प्रदान;
- (2) इन देशों के साथ व्यापार करार करके हमारे आर्थिक संबंधों को संस्थागत बनाना;
- (3) इस क्षेत्र में प्रदर्शनियों का आयोजन करना/उनमें भाग लेना;

- (4) आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विशेष अध्ययन करना;
- (5) समुचित तथा नियमित नौवहन सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (6) हमारे वाणिज्यिक मिशनों का सुदृढीकरण करना;
- (7) इन देशों में हमारे बैंकिंग कार्यकलापों का विस्तार करना;
- (8) भारतीय निर्यात सदनों, सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के संगठनों द्वारा कार्यालय खोलना;
- (9) इन देशों के लिए चावल तथा चीनी जैसी वस्तुओं के लिए विशेष निर्यात कोटे निर्धारित करना ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

*155. श्री लम्बोदर बलियार :

श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, जोकि यूनिलीवर की एक सहायक कम्पनी है और जिसमें 85 प्रतिशत विदेशी तथा 15 प्रतिशत भारतीय इक्विटी पूंजी है, महत्वपूर्ण मद सिंथेटिक डिटर-जैन्ट उत्पादन करने वाली कम्पनी की आड़ में सरकार द्वारा निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के 40:60 की छूट ले रही है हालांकि फरवरी, 1973 के विनियमों की सूची 2 के अन्तर्गत कोई विदेशी वित्तीय अथवा तकनीकी सहयोग, आवश्यक नहीं समझा जाता है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 की धारा 29 के अन्तर्गत मैसर्स हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड कम्पनी को भारत में अपने वर्तमान क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त करना होगा तथा उसे 1 जनवरी, 1974 से जिस दिन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू हुआ था, 180 दिनों के बीच प्रार्थनापत्र भेजना होगा । अभी तक कम्पनी की तरफ से कोई ऐसा प्रार्थनापत्र रिजर्व बैंक को प्राप्त नहीं हुआ है । जैसे ही वह आवेदन पत्र प्राप्त होगा, मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार जिस की एक प्रति 20 दिसम्बर, 1973 को सभा पटल पर रखी गयी थी, और उस कम्पनी के क्रियाकलापों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

बड़े उद्योग-गृहों को कपड़ा उद्योग में प्रवेश की अनुमति देना

*156. श्री एम० सुदर्शनम् :

श्री इन्द्रजीत गुप्त :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार बड़े उद्योग-गृहों को कपड़ा उद्योग में प्रवेश की अनुमति देने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार किन कारणों से अपना पहले का निर्णय बदलने को प्रेरित हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) चालू औद्योगिक लाइसेंस नीति के अन्तर्गत "टैक्सटाइल्स" ऐसी मद नहीं है जो सामान्यतः एम० आर० टी० पी० अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत पंजीयित या पंजीयन योग्य बड़े गृहों और/अथवा एककों के लिए खुली हो, जब तक कि उत्पादन प्रचुर मात्रा में निर्यात के लिए अलग से नियतन कर दिया जाये/सूती वस्त्र उद्योग में करघों की संख्या बढ़ाने के लिए लाइसेंस देने के मामले में यही नीति अपनाई गई है।

इण्डियन एयरलाइंस द्वारा शहरी कार्यालयों से हवाई अड्डों तथा हवाई अड्डों से शहरी कार्यालयों तक बस सेवा बन्द करना

*157. श्री कृष्णचन्द्र हाल्दर :

श्री बालकृष्ण बेंकन्ना नायक :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन एयरलाइन्स ने शहरी कार्यालयों से हवाई अड्डों तक तथा हवाई अड्डों से शहरी कार्यालयों तक बस सेवा बन्द कर दी है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी हां, इंडियन एयरलाइन्स के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली तथा मद्रास स्थित चार प्रमुख स्टेशनों और हैदराबाद पर।

(ख) स्थल परिवहन की व्यवस्था करना असल में किसी एयरलाइन के कार्यों में नहीं माना जा सकता क्योंकि आवश्यक रूप से उसका काम तो सुरक्षित एवं कुशल विमान परिवहन की व्यवस्था करना है। तदनुसार, विश्व की अधिकांश विमान कम्पनियां, विशेषकर भारत से होकर परिचालन करने वाली कम्पनियां, यात्रियों के लिए स्थल परिवहन की व्यवस्था नहीं करती हैं। अतः इण्डियन एयरलाइंस ने भी देश में संतोषजनक विमान परिवहन सेवा प्रदान करने सम्बन्धी अपने मुख्य एवं एकमात्र कार्य पर ध्यान केन्द्रित करने का निर्णय किया है। यात्रियों के लिए स्थल परिवहन की व्यवस्था मूल्य लेकर प्रमाणित परिवहन परिचालकों द्वारा की जानी है। इस प्रकार की सेवाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर इण्डियन एयरलाइंस तथा भारत का अन्तर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण संयुक्त रूप से गौर कर रहे हैं।

तेल उत्पादक देशों को निर्यात में वृद्धि

*158. श्री पी० गंगादेव :

सरदार महेन्द्र सिंह गिल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व में व्याप्त ऊर्जा संकट से भारत को अपने व्यापार सम्बन्धों में मौलिक परिवर्तन करना पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो क्या उनका मंत्रालय तेल उत्पादक देशों को निर्यात में वृद्धि करने के प्रस्तावों पर विचार कर रहा है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां, उस हद तक जितना आवश्यक है और बढ़ते हुए आयात बिल को चुकाने की सामर्थ्य की दृष्टि से सम्भव है।

(ख) जी हां, इन देशों को भी और अन्य देशों को भी।

गुजरात में 'नल सरोवर झील' में पर्यटकों के लिये 'फाइबर ग्लास' की नौकायों की व्यवस्था करने का प्रस्ताव

* 159. श्री बेकारिया :

श्री डी० पी० जदेजा :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गुजरात में 'नल सरोवर झील' में पर्यटकों के प्रयोग के लिये 'फाइबर ग्लास' की नौकाओं की व्यवस्था करने का है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी होगी ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) और (ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

काजू सप्लाई करने के लिये भारत और तनजानिया के बीच करार

* 160. श्री सी० एच० मोहम्मद कोया : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय काजू निगम को कच्चा काजू सप्लाई करने के लिये भारत और तनजानिया के बीच कोई करार हुआ था; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) 1973-74 फसल के 30,000 मी० टन कच्चे काजू की खरीद के लिए भारतीय काजू निगम और केश्यू आथारिटी आफ तनजानिया के बीच 1 जनवरी, 1974 को एक करार हस्ताक्षरित किया गया। खरीद एफ० ओ० बी० आधार पर की गई है और संपूर्ण मात्रा का लदान मार्च, 1974 के अन्त तक पूरा किया जाना है। मात्रा के क्वालिटीवार आंकड़े इस प्रकार हैं।

क्वालिटी	मात्रा
सी० डी० जे० के० एल०	9,000 मे० टन
ए० एफ० जी० एच० आई०	15,000 मे० टन
ई० एवस	3,000 मे० टन
डी० एस० ए०	3,000 मे० टन

योग

30,000 मे० टन

उत्तर बिहार में लघु उद्योगों के लिये बैंक ऋण

1402. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा बिहार में लघु उद्योगों को दिये गये ऋण के बारे में 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5864 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर बिहार के प्रत्येक जिले में लघु उद्योगों के लिए बैंक ऋण पाने के कितने मामले 3 मास से अधिक समय से बकाया हैं और इन्हें शीघ्र निपटाने के लिए, विशेषकर मधुवनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सीवान, एरान और सहरसा के सबसे अधिक उपेक्षित जिलों में, क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : जैसा कि 21 दिसम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 5864 के उत्तर में कहा जा चुका है, बैंकों में सूचना प्राप्त करने के वर्तमान प्रबन्ध में उन आवेदन पत्रों की संख्या के संबंध में, जो बैंकों में निपटाने के लिये बाकी पड़े हैं, सूचना संकलित करने की व्यवस्था नहीं है। जहां तक छोटे पैमाने के औद्योगिक एककों के आवेदनपत्रों को निपटारा जल्दी करने का सम्बन्ध है, सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने कई उपाय किये हैं। इनमें और बातों के अलावा निम्नलिखित उपाय शामिल हैं;

- (1) आवेदनपत्रों का सरलीकरण और सम्भव सीमा तक उन्हें प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध कराना।
- (2) आवेदनपत्रों को भरने में बैंक कर्मचारियों द्वारा ऋणकर्ताओं की सहायता किया जाना।
- (3) ऋण के आवेदनपत्र मंजूर करने की प्रक्रिया का सरलीकरण करना।
- (4) ऋणों की स्वीकृति के लिये प्रादेशिक/शाखा कार्यालयों को अधिक शक्तियों का दिया जाना।
- (5) चुनी हुई शाखाओं में उद्यमकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिये परामर्श सेवाओं की व्यवस्था किया जाता; और
- (6) आवेदनपत्रों का शीघ्र मूल्यांकन करने की सुविधा के लिये उपयुक्त स्तरों पर अतिरिक्त तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति किया जाना।

भारतीय स्टेट बैंक ने, ऐसे आवेदन पत्रों पर विचार करने के लिये, जो 3 महीनों से निपटाने को पड़े हों, अपने स्थानीय मुख्य कार्यालयों में स्थानीय समन्वय समिति की उप-समिति की स्थापना भी की है। सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया ने सूचित किया है कि वह प्रस्तावों की शीघ्र स्वीकृत देने के लिये इस इलाके के अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में 2 अनुभवी अधिकारी भेजेगे।

Advances by Industrial Development Bank to Subsidiary Banks

1403. Dr. Laxminarayan Pandeya: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of money advanced by the Industrial Development Bank to its subsidiary banks during the last two years; and

(b) the amount of loans advanced by the above bank to various industries during the above period.

The Minister of Finance (Shri Yashwant Rao Chawan): (a) & (b) The available information *vis-a-vis* advances of Industrial Development Bank to its subsidiaries is appended at Annexure I. [Placed in the Library, See No. Lt. 6277/74]. The information with regard to industry-wise advances of Industrial Development Bank of India is appended at Annexure II. [Placed in the Library, See No. L.T.—6277/74].

Seizure of Gold and Silver from a Businessman in Rajgarh

1404. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) whether a huge quantity of silver and gold was seized in January, 1974 from a businessman in Rajgarh District of Madhya Pradesh ;
- (b) the value of the seized silver and gold in Indian currency ; and
- (c) the action taken by Government against the person concerned ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) to (c) Gold and gold ornaments valued at Rs. 5,38,000 have been seized by the Central Excise Officers from a businessman of District Rajgarh, Madhya Pradesh. Some documents have also been seized from him by the Income Tax Officials. Action as provided in the law will be taken on completion of investigations which are in progress.

Items imported from Australia

1405. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Commerce be pleased to state :

- (a) the main items imported from Australia during the financial years 1971-72 and 1972-73;
- (b) the value in Indian currency of the goods imported from there ; and
- (c) the estimated value in Indian currency of the goods proposed to be imported during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) Wool, Non-ferrous metals, Wheat, Iron and Steel, Animal oils and fats, Ores and concentrates of non-ferrous base metals, Waste material from textile fabrics, Chemical elements and compounds, Machinery, Transport equipment and Electro Machinery, apparatus and appliances.

(b) Rs. 29.39 crores and Rs. 32.39 crores, respectively.

(c) It is difficult to forecast what the imports during 1974-75 would be but they are unlikely to be very different to what they were in the previous two years.

Payment of Debt to USSR

1406. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of interest paid by Government during 1972-74 on loans taken from USSR and

(b) the estimated amount of interest to be paid during 1974-75 ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) The amount of interest paid by Government during 1972-73 on loans taken from USSR was Rs. 8.89 crores. The estimated amount of interest payable during 1973-74 on loans taken from USSR is Rs. 7.93 crores.

(b) The estimated amount of interest to be paid during 1974-75 is Rs. 6.86 crores.

Arrears of Income-tax in Madras

1407. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the amount of arrears of Income-tax to be realised by Government in Madras;

(b) the amount of Income-tax realised during the last two years; and

(c) the steps being taken by Government to realise the arrears of Income-tax ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh): (a) The amount of gross and net arrears of Income-tax (including corporation-tax) outstanding as on 31-12-1973 in the charges of Commissioners of Income-tax, Madras I, II and Central is as under:—

(In crores of Rupees)	
Amount	Amount
Gross Arrears	Net Arrears
52.88	28.09

(b) The amount realised out of arrears in these charges by cash collection during the financial years 1971-72 and 1972-73 is as below:—

(In crores of Rupees)	
Financial Year	Amount
1971-72	9.08
1972-73	8.80

The total amount of income-tax (including corporation-tax) realised in the three Commissioners charges in Madras during the last two years is as follows:—

Financial Year	Net collections of Income-tax (In crores of Rs.)
1971-72	72.06
1972-73	82.04

(c) All steps provided in law, including the following, have been taken and are being taken depending upon the facts and circumstances of each case :—

- (1) Levy of penalty u/s 221 of the Income-tax Act, 1961 for non-payment of tax.
- (2) Attachment of money due to the assessee u/s 226(3).
- (3) Attachment of money in courts u/s 226(4).
- (4) Distraint and sale of movable property u/s 226(5).
- (5) Issue of Recovery Certificates u/s 222.
- (6) Attachment/sale of movable/immovable property.
- (7) Detention of assessee in Civil Prison.

Items exported to West Germany

1408. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of Commerce be pleased to state the value of goods likely to be exported to West Germany during the financial year 1974-75 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): In the context of the present international trading environment and the conditions in a free market economy like the Federal Republic of Germany, it is difficult to make any precise estimates of likely exports during 1974-75. The Government of India will, however, make efforts to maintain a *growth rate* in her exports to the Federal Republic of Germany appropriate to and consistent with her trade and plan development needs.

पश्चिमी गोदावरी जिले के कलेक्टर की कार से सोने तथा मुद्रा का पकड़ा जाना

1409. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वित्त मंत्री पश्चिम गोदावरी जिले के कलेक्टर की कार से सोने तथा मुद्रा के पकड़े जाने के बारे में 16 नवंबर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1001 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि तत्संबंधी जांच इस समय किस चरण में है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : श्री एस० आर० गोविन्दराजन् के पास से पकड़ी गई सोने की वस्तुयें स्वर्ण (नियंत्रण) अधिनियम के अधीन जब्त कर ली गयी हैं। श्री गोविन्दराजन् के श्वसुर के मकान से पकड़ी गई 55,000 रुपये की मुद्रा को आयकर अधिनियम की धारा 132 (5) के अन्तर्गत दिये गये आदेश द्वारा उनकी अधोषित आय माना गया है। तदनुसार आयकर अधिकारी ने पकड़ी गई रकम में से 37,865 रु० रोक लिये हैं और बाकी रकम वापिस कर दी है। श्री गोविन्दराजन् ने इस आदेश के विरुद्ध सरकार को अपील पेश की है और वह विचाराधीन है।

तमिलनाडु स्थित महालेखाकार के कार्यालय का विभाजन

1410. **श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु के महालेखाकार कार्यालय के कर्मचारी इस कार्यालय के विभाजन का विरोध कर रहे हैं तथा सामूहिक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं;

(ख) क्या महालेखाकार ने कुछ कर्मचारियों को उनकी कर्मचारी संघीय गतिविधियों के कारण निलंबित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अपेक्षाकृत अधिक अनुभवयुक्त और सोद्देश्य पर्यवेक्षक के द्वारा दक्षता में सुधार लाने की दृष्टि से कुछ समय पहले नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने विभिन्न राज्यों में बड़े-बड़े असैनिक लेखापरीक्षा और लेखा-कार्यालयों के पुनर्गठन की योजना आरम्भ की थी। इस योजना के अनुमरण में 1968 से 1972 तक की अवधि में कुछ राज्यों में महालेखाकार के कार्यालयों का पुनर्गठन किया गया था। उसके बाद महालेखाकार के कुछ अन्य कार्यालयों के पुनर्गठन का काम हाथ में लिया गया जिनमें तमिलनाडु के महालेखाकार का कार्यालय भी शामिल था। पुनर्गठन की प्रक्रिया को निर्बाध बनाने की दृष्टि से और उसके संबंध में कर्मचारियों की संभव गलतफहमियों को दूर करने के लिये भी नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालयों और अखिल भारतीय अराजपत्रित लेखापरीक्षा तथा लेखा कर्मचारी संघ के बीच अक्टूबर और नवंबर, 1972 तथा अप्रैल, 1973 में वार्ता का आयोजन किया गया था। प्रस्तावित योजना के संबंध में कर्मचारियों की गलतफहमियों को दूर करने के बाद उस योजना को 1 नवंबर, 1973 से लागू करने का निर्णय किया गया था। यद्यपि अखिल भारतीय कर्मचारी संघ को पुनर्गठन को योजना के बारे में अवगत करा दिया गया था और उसने वार्ता के संबंध में अपनी ओर से स्थानीय संघ को सूचना दे दी थी, तथापि कुछ कर्मचारियों द्वारा योजना का कुछ विरोध किया गया और पुनर्गठन के प्रश्न पर स्थानीय संघ ने एक आंदोलन छेड़ दिया। महालेखाकार ने आंदोलन के कारण कुछ कर्मचारियों के निलम्बन और सेवा समाप्ति के रूप में अनुशासनिक कार्यवाही की। निलंबित किये गये कर्मचारियों की संख्या 25 थी, जिनमें से अब तक दो मामलों में निलम्बन के आदेश रद्द कर दिये गये हैं।

2. अखिल भारतीय कर्मचारी संघ के महामंत्री ने महालेखाकार से 30 नवंबर, 1973 को भेंट की थी और उस भेंट के परिणामस्वरूप आंदोलन समाप्त कर दिया गया था। तत्पश्चात्, कर्मचारियों ने योजना को स्वीकार कर लिया और स्थिति अब सामान्य हो गई है।

राष्ट्रीयकृत बैंकों से ऋण मंजूरी की प्रक्रिया

1411. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण मंजूरी की वर्तमान प्रक्रिया को संतोषप्रद समझती है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इसमें सुधार करने का है जिससे कि साधारण व्यक्ति अधिक सुविधापूर्वक इस सुविधा का उपयोग कर सके ;

(ग) क्या सरकार को वर्तमान प्रक्रिया का आधोपांत परीक्षण करने तथा उसमें पर्याप्त सुधार लाने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) जब से राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से सरकारी क्षेत्र के बैंकों की ऋण संबंधी कार्य विधि की सरकार, रिजर्व बैंक और स्वयं उन बैंकों द्वारा लगानार समीक्षा की जा रही है। जहां तक कृषि क्षेत्रों में ऋण देने का संबंध है रिजर्व बैंक ने वाणिज्यिक बैंकों को कार्य विधि के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिये हैं जिनसे ऋणकर्ता अपनी ऋण संबंधी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकेंगे। रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त की गयी समिति ने किसानों को ऋण देने के लिये सरल आवेदन फार्म तैयार कर दिये थे और बैंकों को इन फार्मों को प्रादेशिक भाषा में तैयार करने और उन फार्मों को भरने में ऋणकर्ताओं की सहायता करने के लिये भी कहा गया है। वाणिज्यिक बैंकों की विशेष ऋण योजना के कार्यचालन, विशेषकर उनसे कितने लोगों को रोजगार मिल सकेगा की समीक्षा करने के लिये एक और समिति बनाई गई थी। इस समिति की सिफारिशों के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में छोटे ऋणकर्ताओं को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये बहुत से कदम उठाये गये हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ ये बातें भी हैं, (1) आवेदन फार्मों का सरलीकरण और जहां तक सम्भव हो सके उन्हें प्रादेशिक भाषाओं में उपलब्ध करवाना; (2) आवेदन फार्मों को भरने में ऋणकर्ताओं की सहायता करना; (3) ऋण के लिये आवेदनपत्रों की स्वीकृति के संबंध में बैंक की प्रक्रिया को सरल बनाना; (4) ऋणों की स्वीकृति के लिये प्रादेशिक/शाखा अधिकारियों को और शक्तियां प्रदान करना; (5) समुचित स्तर पर बैंक कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाना। आवेदन फार्मों का शीघ्रता से मूल्यांकन करने के लिये जितने तकनीकी और अन्य विशेषज्ञों की आवश्यकता है; उनकी नियुक्ति करना; (6) छोटे उद्यमकर्ताओं के मार्गदर्शन के लिये कुछ चुनी हुई शाखाओं में परामर्शदात्री सेवाओं की व्यवस्था करना अथवा बहुत से अन्य कार्य भी करना जैसे बैंक ऋणों के अज्ञात वित्तीय और प्रबन्ध सहायता भी करना; और (7) बैंक कर्मचारियों को पुनः प्रशिक्षित करना ताकि आवेदकों के प्रस्तावों पर उनकी आर्थिक और वित्तीय सक्षमता के आधार पर विचार करे न कि उनके द्वारा दी जाने वाली प्रतिभूति के आधार पर।

चंगदेव सुगर मिल्स लिमिटेड, बम्बई

1412. श्री गजाधर माझी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयकर विभाग द्वारा नियुक्त किसी "रिसीवर" ने चंगदेव सुगर मिल्स लिमिटेड (बम्बई) का कारोबार तथा प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं और इस फर्म पर कितने समय से आयकर बकाया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) श्री वी० वी० मुंडकर सेवा-निवृत्त आयकर आयुक्त ने, जिन्हें रिसीवर नियुक्त किया गया है, 16 जनवरी, 1974 से श्री चंगदेव सुगर मिल्स लिमिटेड (बम्बई) का कारोबार और प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया है; और

(ख) कर वसूली अधिकारी ने एक करोड़ रुपये से भी अधिक के कर की (जिसमें धारा 220 के अन्तर्गत व्याज शामिल नहीं है) बकाया की अदायगी के लिये दूसरी अनुसूची के नियम 2 के अन्तर्गत कम्पनी को नोटिस तामील किये थे। इन नोटिसों के तामील किये जाने के बावजूद भी इस कम्पनी ने मेसर्स ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कं० लि० शेयरों को बेच दिया। इस कम्पनी ने कुछ रकमों भी अपनी

सह-कम्पनियों को अन्तरित कर दीं । इसके खाते भी सही रूप से नहीं रखे गये थे । कम्पनी के मामलों के प्रबन्ध में उसके निदेशकों के बीच कोई एकता नहीं थी । करों की गैर-अदायगी के कम्पनी के रिकार्ड और कर-वसूली अधिकारी द्वारा उपरिलिखित नोटिस तामील किये जाने के बाद कम्पनी द्वारा परि-सम्पतियों के अन्तरण आदि बातों को देखते हुये आयकर विभाग ने आयकर अधिनियम 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 69 के अन्तर्गत "रिसीवर" नियुक्त किया । अब "रिसीवर" कम्पनी के कार्य का प्रबन्ध कर रहा है और जिन रकमों को सह-कम्पनियों को अन्तरित किया गया था उन्हें वसूल करने के उपाय कर रहा है ।

कम्पनी की तरफ बकाया मांग का संबंध कई कर-निर्धारण वर्षों से है जो कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 से आरम्भ होते हैं । इन वर्षों की मांगें भिन्न-भिन्न समय पर जारी की गई थीं । कर-निर्धारण वर्ष 1964-65 की सबसे पहली मांग 16 फरवरी, 1971 को जारी की गई थी ।

Export of Liquor from Madhya Pradesh

1413. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the quantity and value of liquor exported to other countries from Madhya Pradesh during the last three years alongwith the names of importing countries; and

(b) whether liquor was exported directly by Madhya Pradesh Government or through some agency ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George): (a) & (b) Information in respect of various commodities exported from India is not compiled State-wise.

Amount of Money advanced to Industrialists by L.I.C. during 1972-73

1414. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of Finance be pleased to state ;

(a) the total amount of money advanced to industrialists by the Life Insurance Corporation during 1972-73; and

(b) the amount of loans given by it to monopoly houses during that period?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) & (b) The total amount advanced by L.I.C. during 1972-73 to industrial concerns was Rs. 1399.49 lakhs of which Rs. 175 lakhs was advanced as loan to the Public Limited Companies belonging to Monopoly Houses.

Proposal to Construct Hotels at Tourist Centres in Madhya Pradesh

1415. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) whether Government propose to construct any hotels at tourist centres in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan for the convenience of tourists; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) and (b): Subject to the availability of funds and confirmation of the economic viability of the project, the India Tourism Development Corporation, a public sector undertaking, proposes to construct a 50-room motel at Bhopal during the Fifth Five Year Plan.

The Department of Tourism is also putting up a Youth Hostel at Bhopal. The Youth Hostel is already under construction and is expected to be completed by the middle of this year.

Raids by Income-tax Authorities in Madhya Pradesh

1416. **Shri G.C. Dixit:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the number of raids conducted by the Income-tax officials in different parts of Madhya Pradesh during the last three years ;

(b) the amount of money and documents seized during these raids and the names of the persons found guilty ; and

(c) the action taken or proposed to be taken by Government in each of these cases detected during these raids ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) The number of raids conducted in Madhya Pradesh during 1971-72, 1972-73 and 1973-74 (upto 31-1-1974) was 2, 3 and 9 respectively.

(b) The amount of cash and other assets seized during these raids is given below :—

	Seized (Rs.)
Cash	4,45,068
Other assets	13,11,000

Apart from the above, in the case of seven persons out of the 14 persons mentioned in reply to part, (a), books of accounts and other documents have also been seized.

The names of persons involved are as under:—

1. M/s. Chunilal Pannalal of Seoni.
2. Shri D.S. Deshpande of Dewas.
3. Chandmal Munat, Ratlam.
4. M.P. Bullion Refineries, Indore.
5. Munnalal & others, Kolhapur.
6. Basantlal Kedia, Korba.
7. Ramasahai and others, Indore.
8. Keshavprasad Agarwal of Katni.
9. Late B. V. Mahabale of Dewas.
10. Thakur Gandharv Singh of Sagar.
11. M/s. Bhupendar Soap Works, Bilaspur.
12. O.P. Suri, Nagpur.
13. Nathumal Morarka, Korba.
14. Pratap Singh Madhosingh, Dhabhkalan.

(c) Enquiries are in progress and necessary action is being taken in accordance with law.

केरल के कोचीन में एक निर्यात प्रक्रिया जोन की स्थापना

1417. श्री बयलार रवि : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या केरल के कोचीन में एक निर्यात प्रक्रिया जोन स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है तथा इस दिशा में क्या कार्यवाही की गई है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) विभिन्न पतनों के मास-पास निर्यात प्रोसेसिंग जोन स्थापित करने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार के विचार हेतु सुझाव दिये हैं और प्रस्थापनाओं में कोचीन भी एक है।

पांचवीं योजना में केरल में पर्यटन विकास

1418. श्री बयलार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में पर्यटन के विकास के लिये केरल की कितनी परियोजनाओं को सम्मिलित किया गया है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक परियोजना का व्यौरा क्या है तथा उनके लिये कितनी-कितनी धनराशि अलाट की गई है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) केवल कोवालम का और आगे विकास किया जा रहा है।

(ख) व्यौरों को तैयार किया जा रहा है।

केरल में 'कोवालम टूरिस्ट रिसोर्ट' पर विकास कार्य

1419. श्री बयलार रवि : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के कोवालम टूरिस्ट रिसोर्ट में सरकार द्वारा आरम्भ किये गये विभिन्न पर्यटन विकास कार्यों में क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या 'कोवालम ग्रोव' घाटे में चल रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा इसके कार्यक्रम और प्रबन्ध में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) 40 कुटीरों (80 शय्याओं) का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है तथा दिसम्बर, 1972 से उन का प्रयोग प्रारम्भ हो गया था। 100 कमरों वाले होटल का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा इस के जुलाई/अगस्त, 1974 तक पूरा हो जाने की आशा है। अन्य सुविधायें जैसे एक समुद्रतट केन्द्र, एक योग केन्द्र तथा एक मालिश केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं। जल क्रीड़ाओं के लिये भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इस प्रकार कोवालम में विकास का पहला चरण इस वर्ष के दौरान पूरा हो जायेगा।

(ख) और (ग) कोवालम ग्रोव 17-12-72 को चालू किया गया था तथा 1972-73 में इस के परिचालन के 3½ महीनों के दौरान इसे 6.27 लाख रुपये की हानि हुई, जिस के व्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

	(लाख रुपयों में)
मूल्य हास .	3.02
डवेलपमेंट रिबेट रिजर्व .	3.21
परिचालन हानि .	0.04

योग .	6.27

कोवालम समुद्रतटीय विहार स्थल आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर यूनिट बनने के लिये अभी पूर्णरूप से विकसित नहीं हुआ है। 100 कमरों वाले होटल के चालू हो जाने के पश्चात् पर्यटक यातायात को और अधिक परिमाण में आकर्षित कर सकना संभव हो जायेगा जिस के परिणामस्वरूप उस का और अधिक अच्छा उपयोग हो सकेगा तथा प्रदान की गयी सुविधाओं पर और अधिक आय हो सकेगी और अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के लिये भारत पर्यटन विकास निगम ने, जोकि इस विहार स्थल (रिजार्ट काम्प्लेक्स) का प्रबन्ध कर रहा है, पहले ही एक व्यापक विज्ञापन प्रोग्राम प्रारम्भ कर दिया है।

Appointment of Social Workers and Leaders as Chairmen of Public Sector Undertakings

1420. **Shri Jagdish Narain Mandal:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the number of industries in the public sector where social workers and political leaders have been appointed as Chairmen; and
(b) the names thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh): (a) & (b) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the number of Public Enterprises in which, persons drawn from public life, have been appointed as Chairmen. According to information, available, there are 13 such Enterprises. A List, showing the names of persons who have been drawn from public life and appointed as Chairmen of Public Enterprises, is attached.

Statement

List of Chairmen of Public Enterprises Drawn from Public Life

S.No.	Name of Public Enterprises	Name of Chairmen
1	2	3
1.	Central Warehousing Corporation	Shri G.W. Momin
2.	Cochin Refineries Ltd.	Shri C.R. Pattabhiraman
3.	Hindustan Salts Ltd.	Shri P.N. Kathju

1	2	3
4. Indian Motion Picture Export Corporation Ltd.		Shri A.M. Tariq
5. Instrumentation Ltd.		Shri V.N. Kak
6. Modern Bakeries (India) Ltd.		Shri Musheer Ahmed Khan
7. National Seeds Corporation		Shri Dev Rao S. Patil
8. State Farms Corporation of India		Shri M.R. Krishna
9. Sambar Salts Ltd.		Shri P.N. Kathju
10. Cotton Corporation of India Ltd.		Shri R.S. Panj hazari
11. Jute Corporation of India Ltd.		Shri Dwaipayen Sen
12. Handicrafts & Handlooms Export Corporation		Smt. Pupul Jayakar
13. Praga Tools Ltd.		Shri P.M. Wilson

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड पर नियंत्रण

1421. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम और कम्पनीज अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार इंडियन आक्सीजन लिमिटेड को एक विदेशी कम्पनी समझा जाता है; और

(ख) क्या इंडियन आक्सीजन लिमिटेड पर भी अन्य विदेशी कम्पनियों के समान ही नियंत्रण रखा गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) इंडियन आक्सीजन लिमिटेड भारत में निगमित की गई एक ऐसी कम्पनी है जिसमें अनिवासी हिस्सेदारी 40 प्रतिशत से अधिक है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के प्रयोजनों के लिये इसे विदेशी कम्पनी समझा जायेगा। सम्वाय अधिनियम के अन्तर्गत उक्त भारतीय कम्पनी, ब्रिटिश आक्सीजन लिमिटेड, ब्रिटेन की सहायक कम्पनी है।

(ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के उपबन्धों के अनुसार लगाये गये प्रतिबन्ध अन्य विदेशी कम्पनियों पर लगाये गये प्रतिबन्धों की तरह होंगे।

वर्ष 1973-74 में इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिए लक्ष्य

1422. चौधरी राम प्रकाश : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान इंजीनियरी सामान के निर्यात के लिये सरकार ने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है; और

(ख) यदि हां, तो निर्धारित लक्ष्य का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा 1973-74 के लिये इंजीनियरी माल के लिये निर्धारित वस्तुवार निर्यात लक्ष्यों को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इंजीनियरिंग निर्यात संवर्धन परिषद् द्वारा वर्ष 1973-74 के दौरान इंजीनियरिंग माल के निर्यात के लिये वस्तु-वार लक्ष्य दिखाने वाला विवरण :

क्रम संख्या	वस्तु	1973-74 के लिये लक्ष्य (करोड़ रुपयों में)
1.	आटो एण्ड आटो पार्ट्स	18.00
2.	इंडस्ट्रियल प्लांट एण्ड मशीनरी	20.00
3.	इलेक्ट्रीक वायर एण्ड केबल्स	14.00
4.	रेलवे वैगन, कोचेज, लोको एण्ड पार्ट्स	10.00
5.	एम० एस० पाइप एण्ड फिटिंग	12.00
6.	बाइसिकल	13.00
7.	स्टील स्ट्रक्चरल्स	10.50
8.	हैण्ड, स्माल एण्ड कटिंग टूल्स	9.00
9.	इलेक्ट्रिक मोटर्स ट्रांसफार्मर्स, आदि	7.00
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स	7.75
11.	मशीन टूल्स	5.00
12.	कास्टिंग एण्ड फार्जिंग	6.00
13.	स्टील प्रोजेक्ट एन० ओ० एस०	6.00
14.	डीजल इंजन एण्ड पार्ट्स	5.50
15.	बैटरी	3.25
16.	अलोह उत्पादन (एल्यूमीनियम को छोड़ कर)	3.90
17.	वायर प्रोजेक्ट एन० ओ० एस०	3.00
18.	इलेक्ट्रिक मैनुयुफैक्चर एन० ओ० एस०	2.40
19.	वातानुकूल, रेफ्रिजरेटर, आदि	2.00
20.	विजली के पंखे तथा पुर्जे	2.25
21.	रेलवे लाइन का सामान	0.20
22.	तार रस्सी तथा तार स्टैण्ड	2.00
23.	एल्यूमीनियम उत्पाद	1.00
24.	लोह होलोवेअर	1.35
25.	ब्राइट बार और शीपिंग	2.00
26.	यांत्रिक पंप	0.90
27.	एयर कम्प्रेसर	0.75
28.	सिलाई की मशीनें	0.20
29.	विविध निर्मित वस्तुयें	14.05
	योग	183.00

कोयले का आयात

1423. श्री बसंत साठे :

श्री धनशाह प्रधान :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयले के उत्पादन में कमी और हाल के विद्युत संकट को देखते हुये सरकार का कोयले का आयात करने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां तो इस संबंध में किये गये निर्णय की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) और (ख) जी नहीं, कोयले का आयात करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

जहाजों के उपलब्ध न होने के कारण अखबारी कागज के पहुंचने में विलम्ब

1424. श्री आर० एन० वर्मन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों के उपलब्ध न होने के कारण भारत में अखबारी कागज पहुंचने में विलम्ब हुआ, और

(ख) यदि हां, तो शीघ्र ही अखबारी कागज लाने के लिये अपेक्षित संख्या में जहाज उपलब्ध करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) स्कैंडिनेविया तथा कनाडा से सप्लाइयों में नौवहन कठिनाइयों के कारण कुछ विलम्ब हुआ है ।

(ख) अखबारी कागज जल्दी ही भारत लाने के लिये जहाजों की व्यवस्था करने के प्रयोजनार्थ भरसक प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

भारत से खाद्यान्नों की तस्करी

1425. चौधरी राम प्रकाश :

श्री हुकम चन्द कछबाय :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात से पाकिस्तान तथा सउदी अरब के लिये कुछ समय के लिये खाद्यान्नों की तस्करी हुई ; और

(ख) यदि हां तो अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा 1973 में केवल दो मामलों का पता लगाया गया जिनमें समुद्रतट के समीप (लगभग) 56,500/- रु० मूल्य की दालें पकड़ी गई थीं जिसके बारे में फारस की खाड़ी को निर्यात किये जाने का सन्देह था। राज्य सरकार के अधिकारियों द्वारा माल के पकड़े जाने के मामलों के बारे में यदि कोई होंगे तो सूचना प्राप्त की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभापटल पर रख दी जायेगी।

(ख) सीमाशुल्क विभाग द्वारा पकड़े गये दो मामलों में अपराधियों के विरुद्ध सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 के अधिन विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

हिन्दुस्तान मोटर लि० द्वारा राष्ट्रीयकृत बैंकों से लिया गया ऋण

1426. श्री सतपाल कपूर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान मोटर लिमिटेड ने राष्ट्रीयकृत बैंकों से कितना ऋण लिया है ;

(ख) कम्पनी के वित्त पोषण में बैंक ऋण तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं में ऋण का भाग क्या है ; और

(ग) क्या बैंकों तथा सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं का हिन्दुस्तान मोटर लिमिटेड के प्रबन्ध में उचित हिस्सा प्राप्त करने के बारे में कोई प्रस्ताव है और यदि हां. तो उसका क्या परिणाम निकला ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) बैंकों में प्रचलित प्रथा और प्रणाली के अनुसार तथा बैंकिंग कम्पनीज (उपक्रमों का अभिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम 1970 के अनुपालन में बैंकों को अपने ग्राहकों के बारे में सूचना न देने का कानूनी अधिकार प्राप्त है। इस लिए प्रत्येक बैंक द्वारा मेसर्स हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड के लिये मंजूर किए गए ऋणों की रकम के संबंध में सूचना देना संभव नहीं है।

(ख) 31 मार्च 1973 को कम्पनी के तुलनपत्र के अनुसार जमानती और गैरजमानती ऋणों की रकम 35.57 करोड़ रुपये थी। जिसमें से 16.98 करोड़ रुपये की रकम राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं से ली गयी थी।

(ग) सहायता-प्राप्त कम्पनियों के प्रबन्धक बोर्ड में निदेशकों की नियुक्ति करके उन कम्पनियों के प्रबन्ध में अधिक से अधिक भाग लेने की वित्तीय संस्थाओं की वर्तमान प्रथा के अनुसार ये संस्थाएं कम्पनी के प्रबन्ध में निकट सम्पर्क बनाये रखने की आवश्यकता महसूस कर रही है। कम्पनी ने जुलाई 1973 में भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट को अपने प्रबन्धक बोर्ड में अपना एक-एक प्रतिनिधि नामजद करने का निमंत्रण दिया था। इस नियंत्रण के उत्तर में इन दो संस्थाओं ने हाल में अपना एक एक प्रतिनिधि नामजद कर दिया है।

संसदीय समितियों के सदस्यों को उपहार देने के बारे में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को निदेश

1427. श्री यमुना प्रसाद मंडल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संसदीय समिति के सदस्यों को उपहार न देने के निदेश दिये हैं ; और

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) जी हां। संसदीय समितियों के सदस्यों को होने वाली सम्भव असुविधा से बचाने के लिये सरकार ने सरकारी उद्यमों को हिदायतें जारी की हैं कि जब भी कभी समितियां उपक्रमों में आयें अथवा उनके कार्यों की जांच करने आयें तो उन्हें कोई बहुमूल्य उपहार नहीं दिए जाने चाहिए।

सीमेंट की नेपाल को तस्करी

1428. श्री जगन्नाथ मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिहार से मिलने वाली नेपाल की सीमा पर आये दिन सीमेंट की तस्करी हो रही है ; और

(ख) क्या इस संबंध में कुछ तस्कर व्यापारी पकड़े गये हैं और यदि हां तो कितने ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) नेपाल के साथ बिहार की सीमा पर सीमेंट का तस्कर-व्यापार प्रायः होता हो, ऐसा नहीं लगता।

(ख) केवल एक मामला नोटिस में आया है जिसमें पुलिस अधिकारियों ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया।

प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध

1429. श्री एम० सुदर्शनम : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार से देश के रबड़ उद्योग के हित में प्राकृतिक रबड़ के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का अनुरोध किया गया है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां।

(ख) देश में प्राकृतिक रबड़ के उत्पादन तथा खपत की वर्तमान प्रवृत्ति के अनुरूप सरकार केवल उतनी मात्रा के निर्यात की अनुमति दे रही है जो देश की आवश्यकताओं से अतिरिक्त हो। तथापि स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

बम्बई में तस्करी की वस्तुओं का जप्त किया जाना

1430. श्री एम० सुदर्शनम : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या बम्बई में 30 जनवरी, 1974 को लाखों रुपये के मूल्य की तस्करी की वस्तुएं जप्त की गयी थीं ;

(ख) यदि हां, तो जप्त की गयी वस्तुओं का व्यौरा क्या है ;

(ग) गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम क्या हैं ; और

(घ) अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने 29 जनवरी, 1974 की रात्रि को तीन मामलों में निषिद्ध माल पकड़ा, जिसका सम्मिलित मूल्य लगभग 9.7 लाख रुपये था।

(ख) पकड़े गए माल का ब्यौरा नीचे दिये अनुसार है :

माल का विवरण	भारतीय बाजार दर पर मूल्य (हजार रुपयों में)
वस्त्र	797
सिगरेट	71
कैमरे	18
संगणन मशीनें	12
सेफ्टी रेजर सेट	23
रेकार्ड चेंजर	14
केसेटा टेप	17
कसेटा टेप रिकार्डर	18
	970

इसके अतिरिक्त तस्कर-व्यापार के माल को लाने ले जाने के लिये इस्तेमाल किये जाने वाले लगभग 45,000 रुपये मूल्य के 3 ट्रक भी पकड़े गये।

(ग) एक मामले में मोहम्मद मामू नामक ट्रक-ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया तथा बाद में मजिस्ट्रेट ने उसे 15,000 रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया। अन्य दो मामलों में माल को लावारिस माल के रूप में पकड़ा गया तथा कोई गिरफ्तारियां नहीं की गईं।

(घ) आगे जांच-पड़ताल जारी है।

औद्योगिककरण के लिये सोवियत संघ से सहायता

1431. श्री आर० बी० स्वामीनाथन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत संघ ने 15 वर्षों तक भारत के औद्योगिककरण औद्योगिक विकास को दृढ़ बनाने के लिये बड़ी मात्रा में सहायता देने का आश्वासन दिया है ;

(ख) यदि हां तो प्रस्तावित औद्योगिक सहायता कब से प्राप्त होनी आरम्भ हो जायेगी ;

(ग) सोवियत रूस की सहायता से कौन से उद्योग लाभान्वित होंगे ; और

(घ) औद्योगिक विकास के लिये भारत तथा सोवियत रूस के बीच कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (घ) : माननीय सदस्य का ध्यान भारत और सोवियत समाजवादी जनतन्त्र संघ के बीच हुए 15 वर्षीय करार/सन्धि के अनुच्छेद 2 की ओर दिलाया जाता है जिस पर 29 दिसम्बर 1973 को हस्ताक्षर किये गये थे तथा जिसकी प्रति 30 नवम्बर 1973 को सभा पटल पर रख दी गई थी। सोवियत संघ भारत को नयी औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

के लिए तथा ऐसी परियोजनाओं के विस्तार के लिए ऋण देने के लिए राजी हो गया है जो पहले सोवियत संघ की सहायता से इन क्षेत्रों में चलाई जा रही हैं लोहे और इस्पात अलोह धातु तेल की खोज और उत्पादन प्राकृतिक गैस कोयले और अन्य खनिजों पेट्रो रसायनों विजली नौवाहन आदि : सोवियत संघ के साथ नये ऋण करार पर अभी हस्ताक्षर किये जाने हैं । औद्योगिक विकास के लिये सहायता की ऋण दोनों सरकारों के बीच जिन परियोजनाओं कार्यक्रमों पर सहमति हो जायेगी उस पर निर्भर करेगी ।

कपड़ा मिलों में भट्टी तेल की कमी

1432. श्री बी० मायाबन : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भट्टी तेल की कमी के कारण देश में कपड़ा मिलें बन्द होने की स्थिति में हैं ;
- (ख) यदि हां तो क्या बन्द होने की स्थिति वाली कपड़ा मिलें भट्टी तेल की सप्लाई के लिये अधिकतर भारतीय तेल निगम पर आश्रित थीं ;
- (ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाई कर रही है ; और
- (घ) उत्पादन में कितनी कमी हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं । लेकिन भट्टी तेल का उपयोग करने वाली कपड़ा मिलों को भट्टी तेल की पर्याप्त सप्लाईयां प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ।

(ख) भट्टी तेल की पर्याप्त सप्लाईयां प्राप्त करने में जिन मिलों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनमें से कुछ मिलें भारतीय तेल निगम पर आश्रित हैं ।

(ग) तेल चालित वायलरों को कोयला आधारित वायलरों में बदलने के लिये योजनाओं पर विचार चल रहा है । भट्टी तेल की सीमित मात्रा में सप्लाईयों के समान वितरण के लिये व्यवस्था की जा रही है ।

(घ) तेल सप्लाई की कठिनाइयों के कारण उत्पादन पर अब तक कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है ।

दक्षिण दिल्ली में सोने के बिस्कुटों का जब्त किया जाना

1433. श्री रामसहाय पांडे :

श्री मूलचन्द डागा :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिसंबर 1973 में दक्षिण दिल्ली की बंगाली कालोनी के एक निवास स्थान से 25 लाख रुपये के मूल्य के सोने के 600 बिस्कुट बरामद किये गये थे ; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के क्या नाम हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) पूर्व सूचना पर कार्य करते हुए दिल्ली पुलिस तथा सीमाशुल्क समाहर्ता-कार्यालय, दिल्ली के अधिकारियों ने 22 दिसम्बर 1973 को तीन कारों का पीछा किया जिन पर विदेशी छाप का सोना ले जाये जाने का सन्देह था ।

जैसे ही कारें 106 बंगाली कालोनी नई दिल्ली पर रुकीं इन परिसरों पर छापा मारा गया और दस-दस तोले सोने के कुल मिलाकर 598 टुकड़े पकड़े गये जिनका भारतीय बाजार मूल्य 25 लाख रुपये होता है।

इस संबंध में निम्नलिखित 10 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था :—

1. श्री अब्दुल कादर
2. श्री अब्दुल हमीद
3. श्री अब्दुल तसिम
4. श्री मुस्तफा
5. श्री रामलुभाया
6. श्री रतन सिंह
7. श्री सतीश चन्द्र
8. श्री जवाहल लाल
9. श्री हरबन्स लाल
10. श्री राजन शर्मा।

गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों में से प्रत्येक को 10,000/- रुपये की जमानत तथा इतनी ही रकम के मुचलके पर मजिस्ट्रेट द्वारा छोड़ दिया गया है। इस मामले में आगे कार्यवाही जारी है।

Expenditure of Foreign Visits of Ministers

1434. **Shri Bhagirath Bhanwar:** Will the Minister of Finance be pleased to state:

- (a) the names of Ministers who went abroad during the year 1973 along with the names of countries visited by them ;
- (b) the number of Ministers who went with their families; and
- (c) the amount of foreign exchange spent on each of them ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R.Ganesh): (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as soon as available.

आर्थिक सहयोग के बारे में चेकोस्लोवाकिया के साथ करार

1435. **श्री भान सिंह भौरा :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या हाल में डा० गुस्ताव हुसक के दौरे के दौरान सरकार ने आर्थिक सहयोग के बारे में चेकोस्लोवाकिया के साथ कोई समझौता किया है ; और
- (ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जी हां। दिसम्बर 1973 में चेकोस्लोवाकिया साम्यवादी पार्टी के महा-सचिव डा० गुस्ताव हुसक की भारत यात्रा के दौरान भारत के वाणिज्य मंत्री प्रो० देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय तथा चेकोस्लोवाकिया के विदेश व्यापार मंत्री श्री ए० वरकाक ने आर्थिक तकनीकी तथा वाणिज्यिक सहयोग के बारे में एक संलेख पर हस्ताक्षर किये थे। दोनों पक्षों ने यह इच्छा तथा विश्वास प्रकट किया कि दोनों देशों के बीच वर्तमान सम्बन्ध आगामी वर्षों में और अधिक बढ़ेंगे तथा सुदृढ़ होंगे।

आर्थिक क्षेत्र में दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच व्यापार के बढ़ते हुए परिमाण पर सन्तोष प्रकट किया तथा सहमति प्रकट की कि 1974 के लिये व्यापार योजना में जैसा व्यवस्थित है, दोनों और के व्यापार में 150 करोड़ रु० के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रयास किये जाने चाहिए। इसके अतिरिक्त यह भी विनिश्चय किया कि दोनों पक्ष भविष्य में तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों में सक्रिय रूप से भाग लेंगे।

गत एक वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार

निगम द्वारा निर्यात किये गये अभ्रक की मात्रा तथा उसका मूल्य

1436. डा० हरि प्रसाद शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज तथा धातु व्यापार निगम उद्योग के कमजोर वर्गों की सहायता कर अभ्रक के निर्यात को बढ़ाने तथा इस क्षेत्र में एकाधिकार को समाप्त कर अभ्रक के निर्यात के अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त करने में असफल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत एक वर्ष में खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा अभ्रक का पूर्वी योरोप के देशों तथा अन्य देशों को देशवार कितनी मात्रा में तथा कितने मूल्य का निर्यात किया गया ; और

(ग) क्या निगम ने उन क्रयादेशों पर भी, जो कि किसी निर्यातकर्ता को सीधे प्राप्त हुए हों, माल भेजने की निर्णय किया है और यदि हां, तो माल भेजने की मूल योजना के यह किस हद तक अनुरूप है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) खनिज तथा धातु व्यापार निगम विदेशी खरीदारों से प्राप्त अभ्रक के क्रयादेशों का 30 प्रतिशत व्यापार के कमजोर वर्ग के माध्यम से पूरा करने के लिये सुरक्षित रख रहा है । इस वर्ष की पहली छमाही में अभ्रक के उत्पादन तथा निर्यातों में गिरावट थी लेकिन खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने अब विदेशी खरीदारों के साथ काफी संविदाएं सम्पन्न कर ली हैं जिससे अभ्रक के निर्यातों में गिरावट के रुक जाने की सम्भावना है ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) वर्तमान नीति के अनुसार निगम भूतपूर्व निर्यातकों को अपनी और से विदेशी खरीदारों के साथ संविदाएं करने की अनुमति दे रहा है लेकिन इन क्रयादेशों को केवल खनिज तथा धातु व्यापार निगम के अनुमोदन से ही पूरा किया जा सकता है ।

विवरण

1972-73 में अभ्रक निर्यात दिखाने वाला विवरण

पूर्व योरोप देश	एम/टी/000' रुपयों में मूल्य निर्यात	
	मात्रा	मूल्य
1. चेकोस्लोवाकिया	1,081	5,641
2. रमानिया	231	8,230
3. हंगरी	224	2,429
4. पोलैंड	766	15,692
5. रूस	582	52,113
6. ब्लगेरिया	164	2,065
7. पूर्व जर्मनी	406	7,590
8. यूगोस्लेविया	15	892
कुल	3,469	94,652

सामान्य मुद्रा वाले क्षेत्र	एम/टी/‘000’ रूप्यों में मूल्य निर्यात	
	मात्रा	मूल्य
1. बेलजियम	1,043	2,014
2. फ्रांस	1,731	3,555
3. जर्मनी (पश्चिम)	737	2,423
4. जापान	4,836	11,480
5. स्विट्जरलैंड	203	2,594
6. ब्रिटेन	226	5,678
7. अमरीका	3,707	10,525
8. अन्य	915	15,876
कुल	13,398	54,145

वैशाली जिला (बिहार) में उत्पन्न तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से प्राप्त राजस्व

1437. श्री हरि किशोर सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों में वैशाली जिला (बिहार) में उत्पन्न तम्बाकू पर उत्पादन शुल्क से कुल कितना राजस्व प्राप्त हुआ ;

(ख) गत दो वर्षों में उस जिले में तम्बाकू की काश्त में सुधार करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है और विशेषकर इस सम्बन्ध में कितनी धनराशि खर्च की गई है ; और

(ग) चालू वर्ष में कितना उत्पादन शुल्क प्राप्त होने का अनुमान है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

अरब में भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठक

1438. श्री नरेन्द्र सिंह : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फरवरी, 1974 के दौरान कुवैत में अरब देशों के भारतीय वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की बैठक हुई थी, ताकि विश्व के उस भाग में देश के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिये प्रयास किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो उस के विवरण क्या हैं ; और

(ग) उस में किन-किन मामलों पर चर्चा की गई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) पश्चिम एशिया तथा ईरान के निम्नलिखित सूची में दिये गये 14 देशों में भारत के राजदूतों/वाणिज्यिक प्रतिनिधियों की एक बैठक 10 से 13 फरवरी, 1974 तक कुवैत में हुई :

1. आबुधवी
2. वहरीत
3. दुबई
4. कुवत
5. ओमन
6. कतार
7. साऊदी अरब
8. यमन का जनवादी लोकतंत्रीय गणराज्य
9. यमन अरब गणराज्य
10. इराक
11. लेबनान
12. जोर्डन
13. सीरिया
14. ईरान

इस बैठक में, इस क्षेत्र को होने वाले निर्यातों का संवर्धन करने के उपायों पर सविस्तार विचार-विमर्श किया गया था। अनेक मदों का जैसे कि ताजा फल तथा सब्जियां, मांस, मांस उत्पाद, वस्त्र, चाय, मसाले, सीमेंट, चीनी, चावल, इंजीनियरी उत्पाद, इस्पात उत्पाद, औषधियां तथा भेषजीय पदार्थों आदि को इस क्षेत्र को निर्यात किये जाने की वृद्धिपरक के मदों के रूप में अभिज्ञात किया गया और आगामी 3-4 वर्षों के लिये वस्तुवार निर्यात लक्ष्य-निर्धारित किये गये।

बैठक के दौरान जिन अन्य प्रस्थापनाओं पर विचार-विमर्श किया गया उनमें से कुछ ये हैं:—

1. व्यापार करार करके हमारे आर्थिक सम्बन्धों को संस्थागत बनाना।
2. आर्थिक तथा औद्योगिक सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाने के लिये विशेष अध्ययन करना।
3. समुचित तथा नियमित नौवहन सुविधाओं की व्यवस्था।
4. हमारे वाणिज्यिक मिशनों का सुदृढीकरण।
5. भारतीय बैंकों द्वारा शाखाओं का खोला जाना।
6. संयुक्त उद्यमों का स्थापित किया जाना।
7. भारतीय फर्मों द्वारा संविदाओं तथा टर्न की परियोजनाओं के सम्बन्ध में परामर्शी कार्य किया जाना।
8. सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों तथा प्रमुख निर्यात सदनों द्वारा इन देशों में कार्यालयों का खोला जाना।

नयी कपड़ा नीति

1439. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री बंसत साठे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 31 जनवरी, 1974 को अपनी इच्छा से मूल्य अंकित करने वाली योजना के समाप्त हो जाने के पश्चात् काड़ा सम्बन्धी नयी नीति की घोषणा की है; और

(ख) यदि हां. तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और नयी तथा पुरानी नीतियों के बीच मुख्य अन्तर क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) स्वैच्छिक मूल्य नियंत्रण योजना की अवधि को मार्च, 1974 के अन्त तक बढ़ा दिया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

निर्यात बढ़ाने के विचार से कुछ वस्तुओं के देश में उपयोग पर रोक लगाया जाना

1440. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री एस० एन० मिश्र

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात बढ़ाने के विचार से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं के देश में उपयोग पर रोक लगाने का कोई प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) तेल की कीमतों में अभी हाल ही में हुई वृद्धि के कारण निर्यात बढ़ाने की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए सरकार परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों प्रकार की वस्तुओं के निर्यातों को बढ़ाने के लिये विभिन्न मार्गोपायों पर विचार कर रही है । इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिये उत्पादन-आधार को, विशेष रूप से निर्यातोन्मुख वस्तुओं के उत्पादन-आधार को सुदृढ़ किया जा रहा है, लेकिन उन वस्तुओं के बारे में, जिनका उत्पादन अल्पावधि में बढ़ाया नहीं जा सकता, यह आवश्यक हो सकता है कि उनके घरेलू उपभोग पर कुछ प्रतिबन्ध लगाये जाएं । फिर भी सरकार की यह नीति है कि निर्यात के लिये देशी माल अपेक्षित मात्रा में जटाने के लिये यथासम्भव कम-से-कम वस्तुओं पर कम-से-कम प्रतिबन्ध लगाये जाएं ।

भारत में मूल्य वृद्धि

1441. श्री सी० के० चन्द्रप्पन :

श्री बेकारिया :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत उन देशों में से एक है जहां पिछले दशक में सबसे अधिक मूल्य वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या सरकार का ध्यान भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, के मद्रास के निदेशक द्वारा 2 फरवरी 1974 को जारी किये गये तत्सम्बन्धी आंकड़ों की और दिखाया गया है ;

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, पिछले दशक में भारत में हुई मूल्यवृद्धि ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका जापान, इजराइल, ईरान तथा इराक जैसे कुछ देशों में होने वाली मूल्यवृद्धि की तुलना में अधिक है किन्तु अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, कोरिया तथा पेरू जैसे देशों के मुकाबले काफी कम है ।

(ग) हाल के वर्षों में मुद्रास्फीति का चक्र विश्व के सभी देशों में चला है । जहां तक भारत का सम्बन्ध है, दो युद्धों तथा कृषि के चार खराब मौसमों के कारण स्थिति अधिक बिगड़ी है । मद्रास्फीति के दबावों को रोकने के बारे में सरकार ने जो कदम उठाये हैं उनमें लम्बी अवधि के वे उपाय शामिल हैं जिनके द्वारा कृषि तथा उद्योगों की पैदावार बढ़ाने का लक्ष्य है इनके लिये विशिष्ट कार्यक्रम तैयार कर पंचवर्षीय आयोजना में सम्मिलित किये गये हैं । हाल के महीनों में किये गये छोटी अवधि के उपायों का अभिप्राय अनाजों तथा खाद्य तेलों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का अयात करके उनकी सप्लाई को तेज करना है ताकि सरकारी वितरण पद्धति को मजबूत बनाया जा सके और वित्तीय तथा मुद्रा सम्बन्धी उपायों के माध्यम से अर्थ-व्यवस्था में अतिरिक्त नकदी या नकदी जैसी परिसम्पत्तियों को कम किया जा सके ।

भारत तथा श्री लंका में व्यापार करार

1442. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

द्यौ आर० बी० स्वामीनाथन् :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के साथ हाल में कोई व्यापार करार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बात क्या हैं ; और

(ग) इस करार से भारत को कितनी सहायता मिलने की सम्भावना है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी, नहीं । श्रीलंका के साथ हाल ही में कोई करार नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा दिये गये ऋण

1443. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा जनवरी 1974 तक कुल कितनी राशि ऋण के रूप में दी गयी ;

(ख) उसमें से कितनी-कितनी राशि उद्योग, कृषि तथा ट्रकों और टैक्सियों की खरीद के लिये दी गयी ;

(ग) क्या बैंकों को यह अनुदेश दिये गये हैं कि प्रत्येक बैंक एक वर्ष में एक निश्चित राशि ही ऋण के रूप में दे सकता है ; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आदेश किस प्रकार के हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की 31 दिसम्बर, 1972 को बकाया धनराशि के क्षेत्रवार आंकड़े दिए गए हैं।

(ग) और (घ) रिजर्व बैंक ने ऐसे कोई अनुदेश नहीं दिए हैं, जिनमें वर्ष भर में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों की अधिकतम सीमाएं निर्धारित की गयी हों। किन्तु कीमतों तथा मुद्रा संबंधी स्थिति के संदर्भ में रिजर्व बैंक ने बैंकों को ये अनुदेश दिए हैं कि काम काज के चालू दिनों में अनाज की खरीद तथा निर्यात के लिए की जाने वाली वित्त व्यवस्था को छोड़ कर ऋणों का प्रसार सितम्बर 1973 के अन्त तक की बकाया धन राशि के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

विवरण

केरल राज्य में सरकारी क्षेत्र के बैंकों सहित अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों की 31 दिसम्बर, 1972 को बकाया धनराशि†

	(लाख रुपये)
1. कृषि और सम्बद्ध कार्य (बागान सहित)	18,60
2. उद्योग:—	
(क) खनन और उत्खनन	12
(ख) निर्माण	81,22
(ग) बिजली उत्पादन परिवहन और वितरण	2,06
(घ) इमारतों का निर्माण	1,24
(ङ) परिवहन	3,83
(च) व्यक्तिगत और व्यावसायिक सेवाएं	4,37
(छ) जोड़ (क+ख+ग+घ+ङ+च)	92,84
जिसमें लघु उद्योग	31,75
3. व्यापार	30,07
4. व्यक्तिगत ऋण	14,57
(टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं सहित)	
5. अन्य	
जोड़: बक ऋण	27,37
(1+2+3+4+5)	183,45

†राज्य में उपभोग किये गये ऋणों की राशि-आधार पर एकत्रित आंकड़े

तालाबंदी के कारण जीवन बीमा निगम को हुई हानि

1444. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन :

श्री पी० गंगादेव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल की तालाबंदी के कारण जीवन बीमा निगम को कुल कितनी हानि हुई ;

(ख) तालाबंदी के दौरान कर्मचारियों को कुल कितनी हानि हुई; और

(ग) तालाबंदी से निगम के कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण): (क) काम में कुछ नुकसान तो हुआ ही था परंतु उसकी मात्रा में व्यक्त करना कठिन है। इमारतों अथवा सम्पत्तियों को कोई नुकसान नहीं हुआ।

(ख) कर्मचारियों को तालाबंदी की अवधि का वेतन नहीं दिया जाएगा। कर्मचारियों की कठिनाई को कम करने के लिये, वेतन की कटौतियां 6 किस्तों में की जायेगी।

(ग) आंशिक तालाबंदी से लगभग 4800 कर्मचारी प्रभावित हुए थे।

तालाबंदी के कारण इंडियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को हुई हानि

1445. श्रीमती भार्गवी तनकप्पन : क्या पर्यटन और नगर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इण्डियन एयरलाइंस के कर्मचारियों को तालाबंदी के कारण अब तक कुल कितनी हानि हुई है ; और

(ख) तालाबंदी से निगम के कुल कितने कर्मचारी प्रभावित हुए हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर): (क) 24-11-1973 से 21-2-1974 तक तालाबंदी के कारण वेतन तथा भत्ते न मिलने के कारण इण्डियन एयरलाइन्स के कर्मचारियों को लगभग 209 लाख रुपए की कुल हानि हुई।

(ख) 14,442

सामाजिक सुरक्षा निधि में धन लगाने की नीति ;

1446. श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामाजिक सुरक्षा निधि के सम्बन्ध में धन लगाने सम्बन्धी नीति में उदारता लाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) कर्मचारी भविष्य निधि और अन्य सामाजिक सुरक्षा की निधियों की पूंजी लगाने की नीति की समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इन समीक्षाओं के दो उद्देश्य होते हैं अर्थात् कि इन निधियों से प्राप्त होने वाले पूंजी आयोजना को वित्त घोषित करने के काम आये और जहां तक सम्भव हो इन निधियों द्वारा पूंजी लगाने का एक ही स्वरूप हो।

पांचवी आयोजना के लिए पूंजी लगाने का स्वरूप अभी निश्चित नहीं हुआ है।

चमड़े की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि

1447. श्री सी० जनार्दनन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जनवरी, 1974 में चमड़े की वस्तुओं पर निर्यात शुल्क में वृद्धि की है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 1 जनवरी, 1974 से अर्द्ध-संसाधित खालों तथा चमड़ों पर किन्तु जिनमें सांप के चमड़े शामिल नहीं हैं, निर्यात-शुल्क की दर को 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से बढ़ाकर 20 प्रतिशत मूल्यानुसार कर दिया गया है। तैयार चमड़ों तथा चमड़े की विनिमितियों पर कोई निर्यात शुल्क नहीं है।

(ख) चमड़े के निर्यात-व्यापार के ढांचे में परिवर्तन करने की सरकारी नीति के अनुसरण में, अर्द्ध-संसाधित खालों तथा चमड़े के निर्यात को निरुत्साहित करके तथा तैयार चमड़े और चमड़े के सामान के निर्यात को बढ़ावा देकर, यह उपाय किया गया है।

केन्द्रीय पर्यटक सूची में दीघा सागर पर्यटन स्थल को शामिल करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार की प्रार्थना

1448. श्री समर गूह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल के दीघा सागर पर्यटन स्थल पर गत वर्ष बहुत अधिक पर्यटक गये थे ; और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ;

(ख) क्या दीघा सागर पर्यटन स्थल पर आवासीय स्थानों की कमी है तथा वहां परिवहन संबंधी कठिनाईयां भी हैं ; यदि हां, तो उसके संबंध में तथ्य क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार को केन्द्रीय पर्यटक सूची में दीघा सागर पर्यटन स्थल को शामिल करने के लिये पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) दीघा देशी पर्यटकों में लोकप्रिय है किन्तु इन यात्रियों का कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

(ख) दीघा में आवास की कमी अथवा परिवहन सुविधाओं की अपर्याप्तता के सम्बन्ध में कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई है। दीघा में उपलब्ध शय्याओं (बेड्स) की कुल संख्या 1080 है (राज्य पर्यटन बंगलो में 280 तथा निजी होटलों व लाजों में 800 शय्याएं)। राज्य परिवहन निगम कलकत्ता व दीघा के बीच एक दैनिक बस सेवा का परिचालन करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

रंगाई सामान उद्योग का टैरिफ आयोग द्वारा पुनरीक्षण

1449. श्री फतह सिंह राव गायकवाड़ : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगाई सामान उद्योग के पुनरीक्षण के बारे में टैरिफ आयोग ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) आयोग का अन्तिम प्रतिवेदन किस तिथि तक प्राप्त हो जाएगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) टैरिफ आयोग ने रंगक सामग्री उद्योग की समीक्षा हेतु अरेक्षित अधिकांश सामग्री एकत्र कर ली है और उसे आशा है कि अपना प्रतिवेदन सरकार को इस वर्ष के मध्य तक प्रस्तुत कर देगा।

वर्ष 1971 से 1974 के दौरान वस्त्रों का निर्यात

1450. श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1971-72 1972-73 और 1973-74 के दौरान कुल कितने मूल्य के वस्त्र निर्यात किये गये ;

(ख) वस्त्रों का निर्यात करने वाले अन्य देश कौन से हैं ; और

(ग) क्या देश में नायलन के तथा रेशमी वस्त्रों के प्रयोग पर रोक लगाने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वर्ष 1971-72, 1972-73 और 1973-74 (जनवरी, 1974 तक) के दौरान भारत से निर्यात किये गये सूती मिल वस्त्र का मूल्य क्रमशः 115.14 करोड़ रु० 158.34 करोड़ रुपये और 175.77 करोड़ रु० था।

(ख) जापान, चीन, हांगकांग, ताइवान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान और पूर्व यूरोपीय देश अन्य प्रमुख मिल वस्त्र निर्यातक देश हैं। इसके अलावा यूरोपीय आर्थिक समुदाय में अन्तः समुदाय व्यापार भी काफी होता है।

(ग) हालांकि कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है क्योंकि नायलन और अन्य संश्लिष्ट टैक्साटाइल रेशे/धागे पैट्रो-रसायनिक कच्चे माल पर आधारित है जिनका व्यापक रूप में आयात होता है, परन्तु भवष्य में संश्लिष्ट रेशों पर आधारित वस्त्रों का उपयोग कम करने के लिये वित्तीय उपाय जारी रखने पड़ेंगे।

पटसन के मूल्यों के बारे में भारत और बंगलादेश में मतभेद

1451 श्री रघुनन्दन लाल भाटिया .

श्री राज राज सिंह देव .

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत द्वारा किये गये करार के अनुसार बंगला देश से आयात की जाने वाली पटसन के मूल्य के बारे में भारत बंगलादेश के बीच कोई मतभेद पैदा हो गया था ;

(ख) क्या उक्त मतभेद समाप्त हो गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार इस बारे में क्या कार्यावाई कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग). एक वाणिज्यिक सौदे में, जिन कीमतों पर खरीदारिया की जाएगी, उनके बारे में वार्ताएं एक आम बात है और इस मामले में वार्ता के बाद, भारतीय पटसन निगम तथा बंगला देश पटसन निर्यात निगम के बीच आपसी सहमति के आधार पर कीमत तय की गई थी और कच्ची पटसन की 2 लाख गांठों के आयात के लिए एक संविदा की गई है।

विमानों के सुरक्षित उतरने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे में सुधार करने हेतु कार्यवाही

1452 श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

श्री पी० गंगादेव :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान की विकास कम्पनियों ने हाल ही में हुई लुफ्थांसा विमान की दुर्घटना के बाद दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान न उतारने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य विमान कम्पनियां भी ऐसा ही करेंगी ; और

(ग) विमानों के सुरक्षित उतरने की व्यवस्था करने के लिये दिल्ली हवाई अड्डे पर सुधार करने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाई की है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) . जी, नहीं । परन्तु, ऐसे अवसरों पर जबकि तत्कालीन मौसम परिस्थितियां ऐसा करने को मजबूर करें, जापान एयरलाइंस अथवा उसी तरह कोई दूसरी एयरलाइन भी दिल्ली विमानक्षेत्र के ऊपर से उड़ान भर सकती है ।

(ग) दिल्ली विमानक्षेत्र विमान परिचालनों के लिए सुरक्षित समझा जाता है । इसके अतिरिक्त, स्थिति का समय-समय पर पुनरावलोकन किया जाता है, तथा परिचालनात्मक आवश्यकताओं को दृष्टि में रखते हुए उपकरणों को उपलब्ध निधियों के अंतर्गत रहते हुए अधिक उन्नत एवं आधुनिक उपकरणों से बदल दिया जाता है या उनमें आवश्यक अभिवृद्धि कर दी जाती है ।

कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिए विश्व बैंक से ऋण

1453. श्री भान सिंह भौरा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को प्रत्येक पूरी हुई परियोजनाओं पर हुए खर्च की रिपोर्ट पेश करने के बाद विश्व बैंक से चरण वार सहायता प्रदान की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से किये गये करार के अन्तर्गत कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा चुनी हुई परियोजनाओं पर किये गये खर्चों के एक भाग की प्रतिभूति, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ से मिले ऋण से निकासी करके की जाती है । फिर भी, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण को, कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच हुई परस्पर सहमति प्राप्त व्यवस्थाओं के अनुसार, पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार और बाजार ऋणों आदि से इन परियोजनाओं और अन्य परियोजनाओं के लिए अग्रिम रूप में लगातार पूंजी प्राप्त होती रहती है ।

कलकत्ता चाय व्यापारी संघ के विक्रेता सदस्यों द्वारा त्यागपत्र

1455. श्री भान सिंह भौरा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कलकत्ता चाय व्यापारी संघ के विक्रेता सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 का विदेशी कंपनियों द्वारा पालन सुनिश्चित करने के लिये किये गये उपाय

1456. श्री नवल किशोर सिंह: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सुनिश्चित करने के लिये सरकार कौन-कौन से उपाय करना चाहती है कि भारत में काम करने वाली विदेशी कम्पनियां विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम संबंधी भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशों का सही ढंग से पालन करें।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 47 में, उक्त अधिनियम या उसके अन्तर्गत बनाये गये किसी नियम, निदेश या आदेश के किसी उपबंध के विपरीत संविद्रा या करार करने से बचाव करने की व्यवस्था है। इसके अलावा अधिनियम की धारा 50 के अन्तर्गत उक्त अधिनियम या किसी आदेश या निदेश के उपबंधों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को दण्ड दिया जा सकता है। धारा 56 में भी कुछ अपराधों के संबंध में मुकदमा चलाने की व्यवस्था है। ये उपबंध विदेशी कम्पनियों से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन करवाने की पक्की व्यवस्था करने के लिये पर्याप्त हैं।

रुपये के मूल्य में गिरावट

1457. श्री एस० एम० बनर्जी:

श्री भारत सिंह चौहान:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या भारतीय रुपये का मूल्य क्रय-शक्ति की दृष्टि से और भी गिर गया है;
- (ख) यदि हां, तो कितना; और
- (ग) इस में और कमी न आने देने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) . रुपये का मूल्य, जैसा कि अखिल भारतीय औद्योगिक श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (1960-100) द्वारा आंका गया था, दिसम्बर, 1972 में 47.6 पैसे तथा दिसम्बर, 1973 में 38.5 पैसे था। इससे पता चलता है कि इसमें एक वर्ष में 19 प्रतिशत की गिरावट आई है।

(ग) देश में पिछले दो वर्षों के दौरान मूल्य स्तर में वृद्धि एक चिन्ता का विषय रही है और सरकार ने मूल्यों पर दवावों को कम करने के लिये कई कदम उठाये हैं। इन उपायों का लक्ष्य अत्यावश्यक वस्तुओं का आयात करके उनकी सप्लाई को तेज करना तथा वित्तीय और मुद्रा संबंधी उपायों द्वारा कुल मांग को सीमित करना है। इस प्रकार 1973 के दौरान अनाजों का आयात 36 लाख मैट्रिक टन हो गया जबकि 1972 में 5 लाख मैट्रिक टन से भी कम का हुआ था। इसी प्रकार अप्रैल-दिसम्बर, 1973 के दौरान तेलों और चिकनाई वाले पदार्थों का आयात 1.5 लाख मैट्रिक टन का हुआ है। घाटे की वित्त व्यवस्था को कम से कम रखने के लिये सरकार ने 1973-74 में अधिक मात्रा में बाजार ऋण लिये हैं जो बजट अनुमानों में बताई गयी 326 करोड़ रुपये की रकम के स्थान पर 472 करोड़ रुपये (निवल) के हो गये हैं। सरकार ने खर्च में 400 करोड़ रुपये की कटौती करने के

बारे में भी पिछले अगस्त में निर्णय किया था। परिणाम यह हुआ कि सरकार के नाम जनवरी, 1974 के अन्त में रिजर्व बैंक के ऋण की जो रकम थी वह पिछले वर्ष अक्टूबर के अन्त में जो थी उसमें किसी प्रकार की वृद्धि नहीं हुई। मुद्रा के बारे में रिजर्व बैंक ने ऋण सीमाओं को कड़ा करने तथा बैंकिंग प्रणाली में अतिरिक्त नगदी और नगदी जैसी परिसम्पत्तियों को बटोरने के कई उपाय किये हैं। इस उपाय का यह परिणाम निकला कि बैंक की 400 करोड़ रुपये से अधिक की रकमें निष्क्रिय हो गयी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा होटलों का निर्माण

1458. श्री एस० एम० बनर्जी :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पांचवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में भारतीय पर्यटन विकास निगम द्वारा देश में और अधिक होटलों का निर्माण किया जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कितने और होटल कहां-कहां पर बनाये जायेंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) अभी इसका अन्तिम रूप से निर्णय नहीं किया गया है।

भारत और रूस के बीच व्यापार संबंधी वार्ता

1459. श्री पी० गंगादेव :

श्री मधु दंडवते :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी, 1974 में नई दिल्ली में वर्ष 1974 के लिये एक विस्तृत योजना पर भारत-रूस वार्ता हुई थी;

(ख) क्या किसी व्यापार संबंधी करार पर हस्ताक्षर किये गये थे; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . जी हां।

(ग) 1974 के लिये भारत-सोवियत संघ व्यापार संलेख के अन्तर्गत 1974 के दौरान दोनों देशों के बीच 670 करोड़ रुपये का व्यापार की व्यवस्था है।

इस संलेख के अनुसार, भारत इंजीनियरी माल, सूती वस्त्र, सिले सिलाये पिरिधान, गैरेज उपस्कर, स्टौरेज बेटरिज, डिटर्जेन्ट्स, जूते, शल्य चिकित्सा उपकरण, ऊनी बुने वस्त्र जैसी कई अपरम्परागत मदों का तथा तेल रहित खली, काजू की गिरियां, चाय, काफी, मसाले, तम्बाकू, पटसन निर्मित माल, हस्तशिल्प की वस्तुयें आदि जैसी अनेक परम्परागत मदों का निर्यात करेगा ।

सोवियत संघ से आयात की मुख्य मदें हैं: मिट्टी का तेल, उर्वरक, जस्ता, तांबा, निकल, पैलेडियम, असबेस्टस, अखबारी कागज, रोल्ड इस्पाती उत्पाद, सल्फर, सूरजमुखी के फूल के बीजों का तेल, सोवियत संघ सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिये फालतू फुर्जे तथा संघटक मशीनरी तथा उपस्कर आदि ।

गुजरात में ताल सरोवर झील के विकास के लिये 1973-74 में निर्धारित धनराशि

1460. श्री बेकारिया :

श्री अरविन्द एम० पटेल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात स्थित ताल सरोवर झील के विकास के लिये वर्ष 1973-74 में कितनी धनराशि निर्धारित की गई;

(ख) क्या वहां पर्यटकों के लिये एक बंगला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो उसका निर्माण कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा तथा वह कब तक पूरा हो जायेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) वर्ष 1973-74 में विशिष्ट रूप से कोई राशि निर्धारित नहीं की गई थी ।

(ख) और (ग) ऐसा एक प्रस्ताव है जिस पर कार्यवाही की जा रही है ।

आयात कम करने संबंधी योजनाएं

1461. श्री बेकारिया :

श्री रामअवतार शास्त्री :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आयात कम करने की कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उन मदों का विवरण क्या है जिनके आयात पर रोक लगाई जायेगी; और

(ग) देश की अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) . आयात नीति का पुनरीक्षण किया जा रहा है और पृथक पृथक मदों का आयात के संबंध में किया गया विनिश्चय, यदि कोई हो, अगले वित्तीय वर्ष 1974-75 की आयात नीति में शामिल कर दिया जायेगा ।

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन

1462. श्री बेकारिया :

श्री डी०पी० जदजा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड का पुनर्गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या मुख्य परिवर्तन किये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) . अंशतः पुनर्गठित भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की रचना, भारत के राजपत्र में अधिसूचित दिनांक 28-1-1974 के संकल्प में दी गई है, जो संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०-6287/74]

कलकत्ता हवाई अड्डे का विकास

1464. श्री समर गृह :

श्री रानेन सेन :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नागर विमानन विभाग ने दमदम हवाई अड्डे के सर्वांगीण विकास की कोई योजना बनाई है और यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : कलकत्ता विमानक्षेत्र पर लगभग 2 करोड़ रुपये की लागत से एक नये अन्तर्राष्ट्रीय टर्मिनल भवन का निर्माण किया जा चुका है और वह अन्तर्राष्ट्रीय यातायात के लिये खुला है। विमानक्षेत्र पर उपलब्ध सुविधाओं के सुधार के निरन्तर प्रयत्न किये जाते हैं जिनमें धावनपथ का विस्तार तथा उसके फर्श का नवीकरण और समुन्नत तकनीकी एवं परिचालनात्मक उपकरणों तथा सुरक्षा उपस्कर की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

पटसन के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये 'जूट इन्टरनेशनल' स्थापित किया जाना

1465. श्री गजाधर मांझी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पटसन के उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिये भारत और बंगलादेश द्वारा 'जूट इन्टरनेशनल' नामक एक नया संगठन स्थापित किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारत सरकार ने एक "जूट इन्टरनेशनल" बनाये जाने की प्रस्थापना की स्वीकृति की सूचना दे दी है। अब संस्थान की स्थापना के लिये परियोजन प्रतिवेदन तैयार किया जाना है।

Proposal to take over Great Eastern Hotel, Calcutta

1466. Shri G. P. Yadav:

Shri Mohan Swarup :

Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether a proposal to take over the Great Eastern Hotel of Calcutta is under the consideration of Government;

(b) if so, the reasons therefor and the time by which it is likely to be taken over; and

(c) the amount Government will have to pay by way of compensation therefor?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi): (a) and (b) No, Sir. However, in the light of inspection of the books of accounts of the company made under Section 209 (4) of the Companies Act 1956, Government appointed two directors under Section 408 of the Companies Act for a period of three years w.e.f. 25th October 1973.

(c) Does not arise.

अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तुलना में दमदम हवाई अड्डे पर उतरने वाले अथवा वहां से बाहर जाने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या

1467. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पिछले तीन वर्षों में देश के तीन अन्य अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की तुलना में दमदम हवाई अड्डे पर, कितने विदेशी पर्यटक तथा अन्य यात्री उतरे अथवा वहां से बाहर गये ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : गत तीन वर्षों में दमदम (कलकत्ता) और अन्य तीन अंतर्राष्ट्रीय विमान-क्षेत्रों पर उतरने वाले विदेशी पर्यटकों और अन्य यात्रियों की अलग-अलग संख्या को संलग्न विवरण में दिखाया गया है। (ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०—6278/74) बाहर जाने वाले यात्रियों के सम्बन्ध में इस प्रकार का अलग-अलग विवरण उपलब्ध नहीं है।

पटसन का निर्यात

1468. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) गत तीन वर्षों में भारत से कुल कितने मूल्य के पटसन का निर्यात किया गया; और
(ख) पटसन का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 1970-71, 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान पटसन माल के निर्यात क्रमशः 189.93 करोड़ रु०, 264.71 करोड़ रु० तथा 249.06 करोड़ रु० के हुए हैं।

(ख) निर्यातों की इकाई मूल्य प्राप्ति बढ़ाने, निर्यात किस्मों के उत्पादन पर पूरा ध्यान देकर निर्यातों की मात्रा बढ़ाने, तथा अपरम्परागत बाजारों में निर्यातों की विविधता की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिए कदम उठाये जा रहे हैं।

दमदम हवाई अड्डे को शुष्क पत्तन घोषित करने का निर्णय

1469. श्री ए० के० एम० इसहाक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या दमदम हवाई अड्डे को शुष्क पत्तन घोषित करने का कोई प्रस्ताव है; और
(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) दमदम को एक शुष्क पत्तन के रूप में घोषित किये जाने की कोई प्रस्थापना नहीं है। तथापि, दमदम के निकट एक निबन्ध व्यापार जोन स्थापित करने की प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन है।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा नये उद्यमियों को ऋण

1470. श्री भोला मांझी :

श्री के० एम० मधुकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या सरकारी वित्तीय संस्थानों ने नये उद्यमियों को शीघ्रतापूर्वक ऋण नहीं दिया था ;
- (ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;
- (ग) कौन से नये कारखानों को कितना ऋण दिया गया है; और
- (घ) वित्तीय संस्थानों के पास अभी तक कितने आवेदनपत्र अनिर्णीत पड़े हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) लम्बी अवधि के लिए ऋण देने वाली अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाएं अर्थात् भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट नये उद्यमकर्ताओं तथा टेक्नालाजिस्टों द्वारा चलायी जाने वाली परियोजनाओं की ओर विशेष ध्यान देती हैं और इस बात की सुनिश्चित व्यवस्था करने का प्रयास करती हैं कि वित्तीय सहायता के लिए उक्त वर्गों से प्राप्त आवेदन को शीघ्र ही निपटा दिया जाए। वित्तीय सहायता के लिए प्राप्त इस प्रकार के आवेदन-पत्रों का निपटाया जाना इन बातों पर निर्भर करता है: आवेदकों द्वारा उचित समय सीमा के अंदर वित्तीय संस्थाओं की तसल्ली के लिए पर्याप्त सूचना देना, सरकार की स्वीकृतियां तथा अनुमोदन प्राप्त करने, कंपनी के शेयर जारी करने, पूंजी के अन्य साधनों के बारे में संतोषजनक व्यवस्था करने, जमीन, पानी, बिजली आदि जैसी आधारभूत वस्तुओं की व्यवस्था करने जैसे प्रारंभिक उपाय करने के बारे में वित्तीय संस्थाओं को तसल्ली कराने का जिम्मा लेना।

ये संस्थाएं समय-समय पर आवेदन-पत्रों की प्राप्ति, उनकी स्वीकृति, उनके अभिलेखन तथा रकमों के भुगतान के बीच लगने वाले समय के बारे में जांच करती हैं और अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक संशोधन करती हैं ताकि इन आवेदन पत्रों के निपटारे जाने में यथासंभव कम से कम समय लगे। वित्तीय संस्थाएं अपने अनुभवों के आधार पर अपनी कार्यप्रणाली की बराबर जांच करती हैं ताकि कार्य विधि को और सरल बनाया जा सके।

(ग) नये उद्यमकर्ताओं द्वारा पिछले चार वर्षों में चलायी गयी परियोजनाओं के लिए भारतीय औद्योगिक वित्त निगम तथा भारतीय यूनिट ट्रस्ट ने जो सहायता दी है उनका व्यौरा क्रमशः विवरण I और विवरण II में दिया गया है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०--'6279/74) भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंध में इस प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी सूचना उपलब्ध होगी उतनी सभा पटल पर रख दी जायगी।

(घ) अपेक्षित सूचना इस प्रकार है :—

संस्था का नाम	वित्तीय सहायता के लिए नये उद्यमकर्ताओं से प्राप्त विचाराधीन आवेदन पत्रों की संख्या
1. भारतीय औद्योगिक वित्त निगम (31 दिसम्बर, 1973 तक)	4
2. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक (26 फरवरी, 1974 तक)	9 (उन 4 आवेदन पत्रों को छोड़कर जिनमें पूछताछ की गयी है)
3. भारतीय यूनिट ट्रस्ट	5

भारतीय जीवन बीमा निगम के संबंध में इसी प्रकार की सूचना इकट्ठी की जा रही है और जितनी मिल सकेगी उतनी सभा पटल पर रख दी जायगी।

केरल के महालेखाकार के विरुद्ध लगाये गये आरोप

1471. श्री ए० के० गोपालन :

श्री एम० के० कृष्णन :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को संसद सदस्यों, श्रमिक संघों या जन-सेवाओं से कोई ज्ञापन मिला है जिसमें केरल के महा लेखाकार का तुरंत स्थानान्तरण करने की मांग की गई है ;

(ख) क्या उनके विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उन आरोपों का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (घ) केरल के महालेखाकार के स्थानान्तरण की मांग के विषय में संसद सदस्यों, कर्मचारी संघों अथवा जनता से सरकार को कोई ताजा ज्ञापन प्राप्त नहीं हुआ। किंतु, ऐसे आरोप लगाये गये हैं कि 7-1-1973 से 19-2-1973 तक किया गया 'काम मत करो' आंदोलन वापस ले लेने पर केरल के महालेखाकार तथा अराजपत्रित अधिकारी संघ के बीच जो समझौता हुआ था, वह पूरी तरह कार्यान्वित नहीं हुआ है। इस संबंध में स्थिति यह है कि केरल के महालेखाकार कार्यालय के उप-महालेखाकार (प्रशासन) और उस कार्यालय के अराजपत्रित अधिकारी संघ के उपाध्यक्ष के बीच 24 फरवरी 1973 को हुए समझौते की, एक के सिवाय सभी शर्तों को कार्यान्वित किया जा चुका है। उस मद के अनुसार, 7-1-73 से 19-2-73 तक किये गये 'काम मत करो' आंदोलन की अवधि के वेतन की अदायगी से संबंधित नियम में ढील देने के बारे में महालेखाकार द्वारा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक तथा भारत सरकार को अनुकूल सिफारिश पेश की जानी थी, बशर्ते कि संघ द्वारा स्वीकार किये गये कार्यक्रम के अनुसार कर्मचारी अपने बकाया काम का निपटान कर दें। समझौते के अनुसार, महालेखाकार द्वारा अनुकूल सिफारिश करने का प्रश्न, बकाया काम का निपटान करने की शर्त से जुड़ा हुआ था और चूंकि उस शर्त को पूरा नहीं किया गया, इसलिए महालेखाकार सिफारिश नहीं कर सका।

Raids in Madras and Bombay to Unearth Black Money

1472. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) Whether raids were conducted at certain places in Madras and Bombay during the last year and current year and a large amount of unaccounted money was recovered;

(b) if so, the amount of money recovered and names of persons from whom it was recovered ; and

(c) the action taken against those persons ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K.R. Ganesh) : (a) to (c) The requisite information is being collected and will be laid on the Table of the House as early as possible.

Prices of Vanaspati Ghee, Coal and Kerosene Oil

1473. **Shri M.C. Daga** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the prices of Vanaspati Ghee, Coal, Kerosene oil and edible oils that prevailed in the country on 1st January, 1972 and prices prevailing at the end of January, 1974; and

(b) whether Government have arrested any traders for hoarding the above articles or selling them at higher price than the fixed price and if so, the number of persons so arrested state-wise and the number of persons punished ?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan): (a) The Wholesale Price Indices (1961-62=100) of vanaspati, coal, kerosene oil and edible oils for the weeks ending January 1, 1972 and January 26, 1974 were as follows :

	Week ending		Percentage increase
	1-1-72	26-1-74	
Vanaspati	174.1	254.8	+46.4
Coal	175.4	190.4	+8.6
Kerosene oil	187.5	267.2	+42.5
Edible oils (other than vanaspati)	205.4	404.1	+96.7

Powers to take action against hoarders and profiteers have been delegated to the State Governments under Essential Commodities Act and the Defence of India Rules. As such the required information is not readily available on all-India basis.

चाय बागान को सरकारी अधिकार में लिया जाना

1475. **श्री के० एम० मधुकर** : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बागान समिति ने चाय बागान को सरकारी अधिकार में लिये जाने की सिफारिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है तथा उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार को किसी ऐसी समिति की स्थापना की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

आयकर कर्मचारी फेडरेशन से सम्बद्ध यूनियन/एसोसिएशन

1476. श्री के० एम० मधुकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आयकर कर्मचारी फेडरेशन सम्बद्ध कार्मिक संघों/एसोसिएशनों के नाम क्या हैं और उनमें से प्रत्येक यूनियन तथा एसोसिएशन की 31 मार्च, 1973 को कुल सदस्य संख्या कितनी थी ;

(ख) आयकर विभाग में चल रही यूनियनों तथा एसोसिएशनों के नाम क्या हैं जोकि आयकर कर्मचारी फेडरेशन से सम्बद्ध नहीं हैं ; और

(ग) आयकर कर्मचारी फेडरेशन इस समय कुल कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व करने का दावा रखती है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) से (ग) : मांगी गयी सूचना एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सदन-पटल पर रख दी जायगी ।

विदेशी पर्यटकों से होटल के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान मांगने वाली योजना में संशोधन का प्रस्ताव

1477. श्री राजदेव सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विदेशी पर्यटकों से होटलों के बिलों का विदेशी मुद्रा में भुगतान मांगने वाली योजना में संशोधन करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या इस योजना की क्रियान्विति का कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना सफल पाई गई है ; और ।

(घ) क्या सरकार इस योजना को कानूनी रूप देना चाहती है ? ।।

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं । फिलहाल इस योजना में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ।।

(ख) और (ग) जी, हां । योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में किये गये एक सांख्यिकीय अध्ययन से ज्ञात हुआ है कि योजना सफल रही है ।

(घ) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इंडियन आक्सीजन लिमिटेड

1478. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन आक्सीजन लि० ने विदेशी मुद्रा विनियमन विधेयक, 1973 की व्यवस्थाओं के अधीन अपने वर्तमान व्यापार कार्यों को चलाने के लिये रिजर्व बैंक आफ इंडिया से स्वीकृति मांगी है ; और

(ख) क्या अनुमति दे दी गयी है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 की धारा 29 के अंतर्गत इस कंपनी को भारत में अपने वर्तमान क्रियाकलापों को जारी रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से अनुमति लेना जरूरी है तथा उसे 1 जनवरी, 1974 से, जिस दिन मुद्रा विनियमन अधिनियम लागू हुआ था, छः महीने के अंदर बैंक में, प्रार्थना पत्र भेजना होगा। रिजर्व बैंक को अभी तक कंपनी की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

दिल्ली में बैंकों का भुगतान न किया जाना

1479. श्री मधु दण्डवते: क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली क्लियरिंग हाउस में दिसम्बर, 1973 में गंभीर संकट उत्पन्न हुआ था जिसके परिणामस्वरूप, बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधि द्वारा पेश किये गये बहुत से बैंकों का भुगतान नहीं हो सका ;

(ख) यदि हां, तो इस संकट के क्या कारण हैं; और

(ग) इस संकट का सामना करने और भविष्य में इस स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) से (ग) रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित क्लियरिंग हाउस में जिसका प्रबन्ध स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा किया जाता है 5 दिसम्बर 1973 से 22 दिसम्बर, 1973 तक सामान्य कार्य का विघटन हो गया क्योंकि अन्य बैंकों ने (स्टेट बैंक आफ इंडिया को छोड़ कर) बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिए गए बैंकों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया था। बैंक आफ बड़ौदा द्वारा दिए गए बैंकों को लेने से इंकार किए जाने का कारण यह था कि कुछ समय पहले बैंक आफ बड़ौदा के प्रतिनिधियों ने क्लियरिंग हाउस के बाहर अन्य बैंकों के प्रतिनिधियों के विरुद्ध आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया था।

स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा आयोजित की गई प्रतिनिधि बैंकों की बातचीत के परिणामस्वरूप 24 दिसम्बर, 1973 से क्लियरिंग हाउस का कार्यसंचालन फिर से सामान्य रूप से चालू हो गया।

क्लियरिंग हाउस में गड़बड़ी के कारण जनता की परेशानी को कम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों को पहले ही सलाह दे दी थी कि जब भी क्लियरिंग का काम ठप्प हो जाये और यह प्रतीत हो कि यह स्थिति काफी समय तक रहेगी, उन्हें अस्थायी रूप से अपने आसामियों, उधार देने वाले और जमाकर्ता दोनों को ही जहां तक संभव हो, संग्रह के लिए प्राप्त स्थानीय बैंक, ड्राफ्ट आदि खरीदकर उनके खाते में जमा कर सहायता करनी चाहिए। सरकारी विभागों/अच्छी साख वाली और सुदृढ़ कंपनियों द्वारा पेश किए गए बैंकों और स्थानीय बैंकों के सामने पेश किए गए बैंक ड्राफ्टों के संबंध में भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

ऋय-केन्द्रों पर कच्चे पटसन का वर्गीकरण

1480. श्री शंकर नारायण सिंह देव: क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय पटसन निगम, सहकारी समितियों और पटसन उद्योग के गैर-सरकारी एजेंटों को ऋय-केन्द्रों पर कच्चे पटसन का वर्गीकरण करने और तदनुसार भुगतान करने के निदेश दिये गये हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : भारतीय पटसन निगम के खरीद केन्द्र तथा सहकारी समितियां, जोकि भारतीय पटसन निगम के एजेंट हैं, पटसन का ग्रेडिंग करती हैं तथा क्रय केन्द्रों पर भुगतान करती हैं। सरकार ने इस उद्योग के गैर-सरकारी एजेंटों को कोई अनुदेश जारी नहीं किए हैं ?

इंडियन एयरलाइंस में नए विमानचालकों की भर्ती

1481 श्री दीनेन भट्टाचार्य : क्या पर्यटन और नागर विमान मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस के प्रबंधकों ने हाल में नए विमान चालकों को भर्ती किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है तथा इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। इंडियन एयरलाइंस ने हाल में विमानचालकों की कोई भर्ती नहीं की है। तथापि, वर्ष 1972-73 में 55 उम्मीदवारों का एक पैनल बनाया गया था जो कि 1-2-73 से 1 वर्ष के लिए वैध था। उस पैनल में से केवल 28 उम्मीदवारों को उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्त किया गया था।

Number of Pilots who have joined duty after lock-out in Indian Airlines

1482. **Shri Mohan Swarup :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state:

(a) the number of pilots who have joined duty after the declaration of lock-out by the Indian Airlines;

(b) the number of flights restored as a result thereof; and

(c) whether there are still certain points that remain to be settled between the Indian Airlines and the pilots and if so, what ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) : (a) Between 24-11-1973 the date of which the lock-out was declared and 21-2-1974, the date on which the lock-out in respect of line pilots was lifted, out of 405 pilots 170 had joined duty by signing individual declarations. After the lifting of the lock-out the remaining pilots have also joined duty.

(b) Restoration of normal operations as a result of all the Pilots resuming duty is likely to take place by mid March, 1974.

(c) Does not arise in view of the reply to Part (a) above.

कपास उगाने वालों की समस्याएं

1483. श्री बंसत साठे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महाराष्ट्र में कपास उत्पादक संघ से राज्य सरकार द्वारा एकाधिकार के तौर पर कपास खरीदने की नीति को पुनः लागू करने तथा कपास के मूल्य बढ़ाने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिसमें उनके द्वारा कपास उगाने वालों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय सूती कपड़ा नीति के निर्माण के लिए अन्य उपाय भी सुझाए गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ;

(ग) क्या सरकार ने विशेषज्ञों को कपास उगाने वालों की ऊंचे मूल्य की मांग का अध्ययन करने को कहा गया है ;

(घ) क्या विशेषज्ञों द्वारा समस्या के अध्ययन तथा सरकार को रिपोर्ट देने के लिए अस्थायी तौर पर कोई समय सूची निर्धारित की गयी है ; और

(ङ) कपास उगाने वालों के लिए उचित मूल्य सुनिश्चित करने तथा कपड़ा निर्माताओं के लाभ को कम करने के लिए क्या अन्य उपाय करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार को महाराष्ट्र रूई उपजकर्ता संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें आग्रह किया गया था कि रूई की प्राप्ति उन कीमतों से ऊंची कीमतों पर की जाए जिन कीमतों पर राज्य सरकार की एकाधिकार प्राप्ति योजना के अधीन प्राप्ति की जाती है । योजना के पुरः आरंभ करने तथा यदि कोई उच्चतर कीमते दी जानी हैं तो उनके देने का प्रश्न राज्य सरकार के अधिकार में है ।

(ग) तथा (घ) : (क) तथा (ख) के उत्तर को देखते हुए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) जबकि सरकार उपजकर्ताओं को उचित कीमत देने की इच्छुक है, इसे धागे तथा कपड़े की, जिनकी उत्पादन लागत में रूई बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है, उचित कीमतों को बनाये रखने की आवश्यकता के अनुरूप रखना होगा । समर्थक कीमतों की सिफारिश रूई वर्ष 1973-74 के लिए कृषि मूल्य आयोग द्वारा की गई है । एकाधिकार प्राप्ति योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र सरकार द्वारा दी जाने वाली कीमतें तथा जिन कीमतों पर भारतीय रूई निगम अन्य राज्यों में खरीदारियां करता है, वे समर्थक कीमतों से काफी अधिक हैं ।

भारतीय निगम द्वारा लेखों को अन्तिम रूप दिया जाना

1484. श्री बंसत साठे : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रूई निगम, द्वारा 31 अगस्त, 1972 और 31 अगस्त, 1973 को समाप्त होने वाले वर्षों के लेखों की अभी अन्तिम रूप दिया जाना बाकी है ;

(ख) यदि हां, तो इसमें असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ग) निगम द्वारा गत दो वर्षों में देश के भीतर कितनी रूई खरीदी तथा बेची गई तथा कितनी रूई का निर्यात किया गया और इससे उसे कितना लाभ तथा हानि हुई ; और

(घ) क्या भारतीय रूई निगम के संबंध सहकारी समितियों से संतोषजनक नहीं है और प्रशासनिक ढांचे को युक्तिसंगत बनाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का प्रस्ताव है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) 31 अगस्त, 1972 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में लेखाओं को अन्तिम रूप दिया जा चुका है। 31 अगस्त, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के संबंध में लेखाओं का निगम द्वारा पहले ही संकलित किया जा चुका है लेकिन उनकी लेखा परीक्षा अभी नहीं की गई है क्योंकि सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी की जानी है।

(ख) क्योंकि लेखाओं का संकलन पहले ही निगम द्वारा किया जा चुका है अतः उसमें असाधारण विलम्ब नहीं हुआ है। जैसा कि ऊपर कहा गया है, 31 अगस्त, 1973 को समाप्त होने वाले वर्ष के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सकता, क्योंकि 1972-73 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों की नियुक्ति अभी की जानी है।

(ग) वर्ष 1971-72 तथा 1972-73 के दौरान खरीदी गई, बेची गई तथा निर्यात की गई रूई तथा साथ ही साथ उससे हुए लाभों का व्यौरा निम्नांकित प्रकार है :—

	1971—73	
	मात्रा (गांठों की सं०)	मूल्य (लाख रु० में)
खरीदारियां :	8,76,830	10401.59
बिक्रियां स्थानीय :	4,78,508	7306.08
बंगला देश को किया गया निर्यात :	67,697	985.75
लाभ :		146.40 लाख रु०

(घ) जी नहीं। सहकारी समितियों से भारतीय रूई निगम के संबंध में सामान्यतः मैत्रीपूर्ण रहे हैं।

विश्व बैंक से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये ऋण

1485. श्री त्रिदिब चौधरी : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक द्वारा 1973 में अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ के माध्यम से कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण के लिये जिन शर्तों पर 3 करोड़ डालर का ऋण देना मंजूर किया था वे शर्तें न तो कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण ने और न ही पश्चिम बंगाल सरकार ने पूरी की हैं और इस कारण विश्व बैंक कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त ऋण की निकासी को रोके हुये हैं ;

(ख) उक्त शर्त क्या थीं और उनको पूरा न करने के लिये कौन जिम्मेदार हैं ; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) क्षेत्रीय विकास योजनाओं से संबंध अंश को छोड़ कर कलकत्ता नगर विकास परियोजना के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ द्वारा 3.5 करोड़ डालर के ऋण को पहले ही लागू घोषित कर दिया गया है। हमें आशा है कि हम इस ऋण से शीघ्र

निकासी कर लेंगे। बातचीत के समय यह अनुमान था कि क्षेत्रीय विकास योजनाओं से सम्बद्ध ऋण के अंश को तभी प्रभावी घोषित किया जा सकता है, जबकि कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार कर ली जायें और इसमें कुछ समय लगेगा। आशा है कि ऋण के इस अंश को भी शीघ्र प्रभावी घोषित कर दिया जायेगा। इस लिये कलकत्ता महानगर विकास प्राधिकरण या पश्चिमी बंगाल सरकार के अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ के साथ लिये करारों की शर्तों को पूरा न करने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता।

रेल द्वारा पर्यटकों के 'सी इंडिया' दौरों को बढ़ावा देने की योजना

1486. श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :

श्री प्रसन्न भाई मेहता :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल द्वारा पर्यटकों के 'सी इंडिया' दौरों को बढ़ावा देने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बात क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी): (क) और (ख) कोई नई योजना तैयार नहीं की गई है। रेल द्वारा यात्राओं (टूर्स) का आयोजन यात्रा-अभिकरणों द्वारा रेलवे प्राधिकारियों के सहयोग से किया जाता है ; तथा अभिकरणों व एयर इंडिया द्वारा इन यात्राओं को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रारंभिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले देशों को इकट्ठा करने के लिये राज्य

व्यापार निगम का प्रस्ताव

1487. श्री प्रसन्न भाई मेहता :

श्री पी० ए० सामिनाथन

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटसन, चाय, काफी, लोह अयस्क और मैंगनीज अयस्क जैसे प्राथमिक उत्पादों का उत्पादन करने वाले देशों को एकत्र करने के लिये भारत का कोई पहल करने का प्रस्ताव है, जिससे कि कच्चे तेल के आयात पर निरंतर बढ़ रहे आयात बिल के प्रभाव को समाप्त किया जा सके ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या सफलता मिली है ; और

(ग) क्या राज्य व्यापार निगम ने इस बारे में कोई प्रस्ताव तैयार किया है और यदि हां, तो सरकार ने इसपर क्या निर्णय लिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) फिलहाल ऐसी कोई विशिष्ट प्रस्थापना सरकार के विचाराधीन नहीं है। फिर भी, अंकटाड, खाद्य तथा कृषि संगठन, गाट आदि के तत्वावधान में अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में इन मर्दों के लिए अधिक इकाई कीमतें प्राप्त करने के लिए गहन अंतः सरकारी विचार-विमर्श किये जा रहे हैं।

(ग) जी नहीं।

अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि

1488. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री अत्यावश्यक वस्तुओं की लोगों को उचित मूल्य पर सप्लाई के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3505 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) क्या सार्वजनिक वितरण व्यवस्था के अंतर्गत और अधिक वस्तुओं को लाये जाने के प्रश्न का अध्ययन करने के लिये योजना आयोग द्वारा नियुक्त समिति ने अपना कार्य पूरा कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके प्रतिवेदन का सार क्या है ; और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या लेवी चीनी तथा कपड़े की नियंत्रित किस्मों जैसी अत्यावश्यक वस्तुओं का एक बड़ा भाग काले बाजार में पहुंच जाता है और खुले बाजार में बिकने वाली चीनी और कपड़ों में मिल जाता है ; और यदि हां, तो क्या चीनी के पूरे उत्पादन एवं सारे मोटे कपड़े को नियंत्रित वर्ग में लिये जाने का विचार है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) आवश्यक जिन्सों और व्यापक खपत वाली वस्तुओं के संबंध में, योजना आयोग द्वारा स्थापित समिति ने अपनी रिपोर्ट दिसम्बर, 1973 के अंत में दे दी थी। समिति की सिफारिशों पर योजना आयोग द्वारा अभी विचार किया जाना है ; इसलिए समिति की सिफारिशें फिलहाल गोपनीय हैं।

(घ) और (ङ) : यद्यपि कदाचार को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जा सकता फिर भी सरकार यह लगातार प्रयत्न कर रही है कि वितरण प्रणाली को दोषरहित बनाया जाय जिससे इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि नियंत्रक मूल्य वाली वस्तुएं उन उपयोक्ताओं तक अवश्य पहुंच जायं जिनके लिए ऐसा किया गया है। इस प्रकार नियंत्रित किस्मों के कपड़े का वितरण लगभग पूरी तरह सरकार के अधिकरणों द्वारा किया जा रहा है और बाकी कपड़ा मिलों की अपनी खुदरा दुकानों द्वारा बेचा जा रहा है। मिलें नियंत्रित कपड़ा तभी देती हैं जब कपड़ा आयुक्त द्वारा अनुदेश जारी किये जाते हैं और उचित वितरण करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत, राज्य सरकारों के पास पर्याप्त अधिकार हैं। लेवी की चीनी के संबंध में केन्द्रीय सरकार राज्यों के लिए मासिक आवंटन निर्धारित करती है। इस प्रकार जारी की गई चीनी की बिक्री, भारतीय खाद्य निगम और सहकारी समितियों जैसे अन्य सरकार अधिकरणों द्वारा की जाती है। इस मामले में भी राज्य सरकारें राशन/उचित दर की दुकानों के माध्यम से वितरण की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। फिर भी वितरण प्रणाली को सुदृढ़ और दोषरहित बनाने के लिये राज्य सरकारों को समय-समय पर आदेश जारी किये जाते हैं ताकि कदाचार की संभावनाओं की प्रभावी रूप से रोक थाम की जा सके।

सरकार का यह मत है कि चीनी की आंशिक नियंत्रण की नीति सन्तोषजनक ढंग से कार्य कर रही है और इस बात की कोई आवश्यकता नहीं है कि चीनी के सम्पूर्ण उत्पादन की मात्रा को अपने हाथ में ले लिया जाये। सूती कपड़ा/अनियंत्रित किस्म के कपड़े पर भी, पिछले जुलाई से सरकार ने अनौपचारिक रूप से मूल्य नियंत्रण की प्रणाली लागू कर दी थी तथा सूती कपड़े के संबंध में एक व्यापक नीति पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा के विरुद्ध शिकायतें

1489. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री स्टेट बैंक आफ इंडिया हिसार शाखा द्वारा छोटे व्यापारियों तथा दुकानदारों को ऋण दिये जाने के बारे में 30 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2873 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि स्टेट बैंक आफ इंडिया की हिसार शाखा के विरुद्ध शिकायतों की जांच के क्या निष्कर्ष निकले हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : स्टेट बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि हिसार शाखा के कर्मचारियों के विरुद्ध की गई शिकायत की विस्तृत जांच, बैंक के एक वरिष्ठ अधिकारी द्वारा की गई थी। अधिकारी द्वारा की गई जांच से इस आरोप का समर्थन नहीं हुआ कि बैंक के अधिकारी ऋण आवेदन पत्रों को स्वीकृत करने के लिए धन की मांग करते हैं और इसलिए वे केवल एक या दो व्यक्तियों की गारन्टी पर जोर देते हैं। कुछ मामलों में ऋणकर्ताओं को अनुचित देर और अनावश्यक असुविधा हुई है और स्टेट बैंक आफ इंडिया ने, शाखा द्वारा ऋण आवेदन पत्रों की जांच पड़ताल में होने वाली देरी को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय किये हैं।

बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार

1490. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस बीच देश में बैंकों के पुनर्निर्माण के लिये बैंकिंग आयोग की सिफारिशों पर विचार कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां

(ख) और (ग) : आयोग ने साधारण तौर पर यह सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के बैंकों को दो या तीन अखिल भारतीय बैंकों और छः प्रादेशिक बैंकों के समूहों में बांट दिया जाय। सरकार ने आयोग की सिफारिश को उसी रूप में तो स्वीकार न करने का निश्चय किया है जिस रूप में उन्होंने इसकी परिकल्पना की है बल्कि वर्तमान निवशताओं के रहते हुए भी बैंकिंग प्रणाली के लिये सबसे उपयुक्त ढांचा क्या होगा, के प्रश्न की समय-समय पर समीक्षा करने की बात को ध्यान में रख लिया गया है।

थोक व्यापारियों को बैंकों द्वारा ऋण

1491. श्री भोगेन्द्र झा : क्या वित्त मंत्री खाद्यान्न व्यापार, धागे, तिलहन, मोटे कपड़े वनस्पति तथा जीवन की अन्य आवश्यक वस्तुओं के लिए गैर-सरकारी बैंकों द्वारा वर्ष 1972-73 और 1973-74 में दिये गये संस्थागत ऋण के बारे में 17 अगस्त, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3502 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गैर-सरकारी बैंकों द्वारा थोक व्यापारियों को दिये गये ऋणों के संशोधित अद्यतन आंकड़े क्या हैं ;

(ख) क्या बैंकों के इन ऋणों से थोक व्यापारियों को बाजार में कृत्रिम अभाव पैदा करने में सहायता मिली है और क्या थोक व्यापारियों को अत्यावश्यक वस्तुओं के लिए ऋण देने की पद्धति को बन्द करने का प्रस्ताव है ताकि मूल्यों को घटाया जा सके ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों द्वारा अनाज (अनाज खरीदने वाली एजेन्सियों के अनाजों को छोड़कर) तेलहन, वनस्पति तेल और वनस्पति तथा चीनी के बदले दिये गये ऋणों की वकाया रकमों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल में जो सूचना भेजी है, उसका व्यौरा विवरण I और II में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०—6280/74]

थोक व्यापारियों को दिये गये ऋणों को "अन्य" वर्ग के अन्तर्गत दिखाया गया है और इसमें थोक व्यापारियों के अतिरिक्त खुदरा व्यापारी, सहकारी संस्थाएं, किसान तथा अन्य ऋणकर्ता जैसे अन्य वर्ग भी शामिल हैं।

बैंकों द्वारा थोक व्यापारियों को दिये गये ऋणों की राशि को देखते हुए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उक्त ऋणों के वजह से थोक व्यापारियों ने बाजार में जानबूझ कर चीजों की तंगी पैदा कर दी है। इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक उपभोक्ता वस्तुओं जैसे अनाज, तेलहन, वनस्पति तेल और वनस्पति रुई और कपास तथा चीनी के बदले दिये जाने वाले ऋणों पर चयनात्मक आधार पर ऋण नियंत्रण भी लगाता है। रिजर्व बैंक, ने इन वस्तुओं के बदले दिये जाने वाले ऋणों के संबंध में जो उल्लेखनीय शर्तें लगाई हैं, वे हैं:—न्यूनतम मार्जिन, न्यूनतम व्याज दर तथा ऋण की अधिकतम सीमा जिस तक इन वस्तुओं के बदले बैंक ऋण देने की अनुमति दी जा सकती है मिलों/प्रासेस युनिटों तथा औद्योगिक उपभोक्ताओं की अपेक्षा व्यापारियों पर कुछ कड़ा चयनात्मक ऋण नियंत्रण लागू किया गया है।

भारत और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच पटसन का व्यापार

1493. श्री किशन मोदी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों के बीच हुए समझौते में पटसन व्यापार को बढ़ाने की व्यावस्था की गयी है ; और

(ख) क्या 1974-75 में पटसन माल का निर्यात 300 करोड़ रुपये तक पहुंच जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारत-यूरोपीय आर्थिक समुदाय पटसन करार से यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों को कुछ हद तक हमारे निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

(ख) बहुत सी परिवर्तनीय बातों को देखते हुए ठीक ठीक यह पूर्वानुमान देना कठिन है कि 1974-75 में भारत से कितने मूल्य के पटसन माल का निर्यात किया जायेगा।

Payment of Overtime Allowance to Central Govt. Employees

1494. **Shri Phool Chand Verma :**

Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the amount of overtime allowance paid to the Central Government Employees as a whole each year during the last three years; and

(b) the steps taken under economy drive since August, 1973 in this regard and the results thereof, month-wise ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The amount of overtime allowance paid to the Central Government Employees as a whole each year during the last three years was as under;

1970-71	Rs. 31.19	crores
1971-72	Rs. 41.49	crores
1972-73	Rs. 51.13	crores

(b) Overtime allowance is paid in circumstances where it becomes essential to put the staff on work beyond the normal hours of work. Accordingly, it is not among the items specifically covered by recent economy measures. However, the question of containing the expenditure on this account is constantly under review by the authorities who control detailing of staff for overtime work.

Formulation of Comprehensive scheme for beautification of Tourist centres in States

1495. **Shri Phool Chand Verma :** Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state:

(a) whether his Ministry has in the recent past urged the various State Governments to consult it for beautifying the tourist centres in their respective States and in formulating comprehensive schemes for the purpose; and

(b) if so, the salient features thereof ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi) : (a) and (b) The Minister of Tourism & Civil Aviation has written to all the State Chief Ministers for the preservation of environment and natural setting of archaeological monuments and to ensure that their atmosphere and surroundings are not spoiled by disharmonious construction and haphazard growth. Discussions have also been held about some centres of archaeological interest with the representatives of the State Governments and it has been suggested to them to formulate comprehensive proposals as initial steps towards developing these centres and making them attractive for tourists.

With the objective of preserving our cultural heritage and to enhance its attractiveness for tourists, the Government of India propose to develop 10 archaeological complexes in the central sector in the Fifth Plan which would include physical Planning of the areas, for development, location of tourist facilities to be provided and landscaping and environmental improvement of the areas around the monuments.

Financial Assistance from World Bank during Oil Crisis

1496. Shri Jagannath Mishra : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether in view of scarcity of oil, the World Bank has given some new suggestions for economic assistance by developed and rich nations to the developing and-under developed countries;

(b) if so, the broad features thereof; and

(c) the amount of financial assistance India is likely to get from the World Bank during the current year?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) The World Bank has tried to assess the implications of increased petroleum prices since the beginning of 1974. The World Bank Group would be capable of absorbing very large amounts of capital if this was available on the right terms and Bank could act as an intermediary between the sources and the users of the capital. The oil exporting countries are also considering a proposal to set up a Bank to help developing countries and in that event the World Bank would be willing to give technical assistance if such a Bank materialises.

(b) No precise suggestions or measures have yet emerged in this regard.

(c) Agreements have so far been signed during 1973-74 for an amount of \$ 559 million with IDA and for an amount of \$ 70 million with World Bank.

अल्कोहल से बने रसायनों का निर्यात

1497. श्री एम०एस० पुरती : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औषधियों, फार्म्यूसिटिकल्स तथा पेंट जैसे घरेलू उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करने की दृष्टि से अल्कोहल से बने रसायनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की पुनरीक्षित नीति का व्यौरा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) अल्कोहल आधारित रसायनों के निर्यात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

बिहार के विकास के लिये विश्व बैंक से सहायता

1498. श्री एम०एस० पुरती : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बिहार के विकास के लिए कोई धन दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो कितना और इस धनराशि का उपयोग करने के लिए बिहार सरकार की योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 28 नवम्बर, 1973 को हस्ताक्षरित विकास ऋण करार की शर्तों के अनुसार विश्व बैंक की उदार शर्तों पर ऋण देने वाली संस्था अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ ने बिहार कृषि ऋण परियोजना के लिए भारत सरकार को 24 करोड़ रूपये (3 करोड़ 20 लाख अमरीकी डालर) देना मान लिया है। ऋण की रकम बिहार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक और वाणिज्यिक बैंकों के पुनर्वित्त पोषण के लिए, कृषि पुनर्वित्त निगम को दोबारा दे दी जायेगी। बिहार राज्य में तिरहुत और दरभंगा प्रभागों में ट्यूबवेलों, पम्पसेटों और भूमि को समतल बनाने के लिए किसानों के निवेश के 3 वर्षीय कार्यक्रमों की कुल परियोजना लागत के लगभग 53 प्रतिशत की वित्त व्यवस्था इस ऋण से की जायेगी।

भारत तथा दक्षिण कोरिया के बीच व्यापार समझौता

1499. श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1973 में भारत और दक्षिण कोरिया के बीच किसी व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) जैसा कि 21 दिसम्बर, 1973 को अतारांकित प्रश्न संख्या 5800 के उत्तर में बताया गया था कि व्यापार करार के पाठ पर नवम्बर, 1973 में आद्यक्षर किये गए। ऐसी आशा है कि कोरिया गणराज्य का एक प्रतिनिधिमंडल करार पर हस्ताक्षर करने के लिए शीघ्र ही दिल्ली आयेगा।

मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिये युगोस्लाविया के साथ स्थापना

1500 श्री एम० एस० संजीवी राव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए भारत युगोस्लाव संयुक्त उपक्रम की शीघ्र स्थापना होने वाली है ; और

(ख) क्या इस संबन्ध में किसी समझौते को अन्तिम रूप दे दिया है और हां, तो उसकी व्यापक रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) सरकार को कोई ठोस प्रस्थापना प्रस्तुत नहीं की गई है। तथापि, यह समझा जाता है कि मोटर गाड़ियों के पुर्जे बनाने के लिए एक संयुक्त उद्यम स्थापित करने हेतु युगोस्लाविया उपक्रम तथा कतिपय भारतीय उपक्रमों के बीच बातचीत चल रही है। तथापि बातचीत का व्यौरा अभी सरकार को मालूम नहीं है।

निजी क्षेत्रों को दिये गये ऋण को सम्य पूंजी में बदलना

1501. मौलाना इसहाक सम्भली : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निजी क्षेत्र और विशेष रूप से बड़े गृहों को दी जा चुकी वित्तीय सहायता को सम्य पूंजी में परिवर्तित करने की कोई कार्यवाही की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में की गई कार्यवाही क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) तथा (ख) सरकार ने सरकारी वित्तीय संस्थाओं के नाम इस आशय के उपयुक्त निर्देश जारी किये हैं कि उन्हें चाहिये कि वे औद्योगिक संस्थाओं को काफी सहायता दिये जाने के मामले में ऋण सहायता करारों में परिवर्तनीयता संबन्धी उपबन्धों को अवश्य जोड़े। ये निर्देश 2 जुलाई, 1971 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3765 के उत्तर में सदन के पटल पर रखे गये थे। इन निर्देशकों के अनुसार इन संस्थाओं ने ऋण करारों में परिवर्तनीयता संबन्धी उपबन्ध जोड़ने शुरू कर दिये हैं।

अनुबन्ध 1 के रूप में एक विवरण संलग्न है, जिसमें 31 दिसम्बर, 1973 की स्थिति के अनुसार उन वित्तीय सहायता के मामलों की संख्या दी गयी है जिनमें भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, जीवन बीमा निगम, भारतीय यूनिट ट्रस्ट तथा भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम द्वारा परिवर्तनीयता संबन्धी उपबन्ध जोड़े गये हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी०-6281/74]

रक्षा लेखा विभाग में काम करने वाले एकाउंटेंटों और अपर डिविजन क्लर्कों के पदनामों में प्रस्तावित परिवर्तन

1503. श्री रामश्रवतार शास्त्री : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग तथा रक्षा लेखा विभागों में एकाउंटेंटों तथा अपर डिविजन क्लर्कों के काम और सेवा शर्तें एक जैसी हैं ;

(ख) क्या सरकार का विचार रक्षा लेखा विभागों में काम करने वाले एकाउंटेंटों और अपर डिविजन क्लर्कों के पदनामों में परिवर्तन करने का है जैसा कि भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभागों में काम कर रहे एकाउंटेंटों और अपर डिविजन क्लर्कों के मामले में किया गया है।

(ग) क्या सरकार को पदनामों में परिवर्तन करने के लिए रक्षा लेखा विभागों के कर्मचारियों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उस संबन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दोनों विभागों में लेखाकारों तथा उच्च श्रेणी लिपिकों के फर्ज अधिकांशतः एक से हैं। उन दोनों पदों का वेतनमान एक ही है और सेवा शर्तें भी अधिकांशतः मिलती जुलती ही हैं।

(ख) इस संबन्ध में एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) जैसा कि उपर्युक्त (ख) में बताया गया है, मामला विचाराधीन है।

पांचवीं योजना के दौरान ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1504. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : पांचवीं योजना के प्रथम वर्ष के दौरान ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में राष्ट्रीयकृत बैंकों की राज्यवार कितनी शाखायें खोली जानी हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : वाणिज्यिक बैंकों का शाखा विस्तार कार्यक्रम तीन वर्षों तक चलने वाली योजनाओं के अन्तर्गत बनाया गया है। पहले वर्ष की योजना विस्तृत होती है जबकि उसके बाद के दो वर्षों की योजना सामूहिक आधार पर होती है। इस समय, बैंक 1974 से 1976 तक की अवधि के लिये तीन वर्ष तक चलने वाली योजना बना रहे हैं।

कोचीन क्षेत्र के विकास के लिये विश्व बैंक ऋण

1505. श्री ए० के० गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : क्या कोचीन टाउन-शिप प्राधिकरण ने कोचीन क्षेत्र के विकास के लिए दीर्घावधि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये के ऋण अथवा सहायता की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है और प्रस्तावित योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

केरल में काजू के कारखानों का बंद होना

1506. श्री ए० के० गोपालन : क्या वाणिज्य मंत्री यह कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि केरल राज्य काजू विकास निगम के 25 कारखाने तथा 150 काजू के निजी कारखाने गत दिसम्बर से बन्द पड़े हैं और इसके परिणामस्वरूप 1,50,000 काजू मजदूर बेरोजगार हो गए हैं ; और

(ख) यदि हां, तो मजदूरों को सहायता देने तथा कारखानों को पुनः खोलने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत में काजू तैयार करने का उद्योग एक मौसमी उद्योग है जोकि मई-सितम्बर के महीनों में स्वदेशी काजू की सप्ताईयों और वर्ष के शेष भाग में आयातित काजू पर निर्भर करता है। चूंकि स्वदेशी उत्पादन और साथ ही आयातों से भी कच्चे काजू की उपलब्धि उतनी नहीं हो पाती जितनी कि इस उद्योग के कारखानों द्वारा पूरी क्षमता में और पूरा वर्ष काम करने के लिए अपेक्षित है अतः काजू के कारखानों को वर्ष के दौरान कुछ महीनों के लिए बन्द रहना पड़ता है। इस उद्योग के लिए यह एक सामान्य बात है।

परम्परागत व नये-नये विदेशी स्रोतों से अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध कच्चे काजू का आयात करने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। बन्द कारखाने मार्च, 1974 में पुनः खोले जायेंगे। तब तक यह आशा है कि पात्र कारखानों में आंत्रटित किये जाने के वास्ते 53,218 मे० टन आयातित काजू उपलब्ध हो जायेगा। इसके अतिरिक्त, कच्चे काजू का स्थानीय उत्पादन बढ़ाने के वास्ते भारत सरकार और सम्बद्ध राज्य सरकारों दोनों ने दीर्घकालिक तथा लघु क्षेत्रीय योजनाएं बनाई हैं।

भारतीय रिजर्व बैंक की 'ऋण देना बन्द करो' नीति के बारे में केरल ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दिया गया वक्तव्य

1507. श्री ए० के० गोपालन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान केरल ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन द्वारा दिये गये इस आशय के वक्तव्य की ओर दिलाया गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की ऋण देना बन्द करो नीति से केरल में बोर्ड तथा पंचायतों की लाभप्रद विकास योजनाओं को भारी धक्का लगेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) क्या सरकार ने केरल ग्रामीण विकास बोर्ड को राज्य सरकार की सिफारिशों पर 150 लाख रुपये के ऋण पत्र जारी करने की अनुमति दे दी है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) केरल विकास बोर्ड के अध्यक्ष के नोट में, जिसे केरल के मुख्य मंत्री ने हाल ही में वित्त मंत्री के लिये लिखे गये पत्र के साथ भेजा है, मुख्य बात यह है कि केरल विकास बोर्ड के इस प्रस्ताव को, कि उन्हें चालू वित्तीय वर्ष में ऋण पत्रों को जारी करने दिया जाये, शीघ्र अनुमति दी जाये । भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि वह इस समय इस प्रस्ताव को मानने को तैयार नहीं हैं क्योंकि बैंकिंग ढांचे में, नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों की स्थिति ऐसी नहीं है कि वे अतिरिक्त बाजार ऋण का बोझ उठा सके ।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाई गई रोक का केरल के हथकरघा उद्योग पर प्रभाव

1508. श्री एम० के० कृष्णन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा ऋण पर लगाई गई रोक का केरल के हथकरघा उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस उद्योग की कठिनाइयों को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) चालू व्यस्त मौसम के लिए रिजर्व बैंक द्वारा तैयार की गयी ऋण विनियमन नीति में लघु उद्योगों को एक अलग वर्ग में रखा गया है और उन्हें कुछ रियायतें दी गयी हैं । चूंकि हथकरघा उद्योग भी लघु उद्योग का ही अंग है इसलिए केरल सहित सारे देश में इसे कुछ रियायतें दी गई हैं जिनमें प्रमुख ये हैं (1) निम्नतम व्याज दर के अनुबन्धों से छूट ; और (2) वस्तु-सूची और लेखे ऋणों के मार्जिन से संबन्धित मानदण्ड से छूट । हथकरघा उद्योग जहां निर्यात की आवश्यकताएं पूरी करता है, वहां उसे और भी रियायतें मिलती हैं, जैसे निर्यात के ९ और ऋण देने पर परिणात्मक सीमा से छूट है उन्हें रिजर्व बैंक से कुछ हद तक बढ़ी हुई पुनर्वित्त सुविधायें भी प्राप्त होती हैं ।

रिजर्व बैंक ने बैंकों से अनुरोध किया है कि वे ऋण विनियमन नीति को लागू करते समय, प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की, जिनमें हथकरघा उद्योग भी शामिल है, आवश्यकताओं को पूरा करने में पर्याप्त सावधानी बरतें ।

जीवन बीमा निगम के किन्हीं नियमों के संशोधन के लिये महिलाओं द्वारा की गई मांग

1509. श्री राम प्रकाश :

श्री ई०वी० विखे पाटिल :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की महिलाओं ने मांग की है कि भारतीय जीवन बीमा निगम के स्त्रियों के प्रति भेदभाव करने वाले किन्हीं नियमों का संशोधन किया जाये ;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम का ध्यान अखिल भारतीय महिला सम्मेलन में हुई चर्चा से संबन्धित एक समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें सदस्यों ने अन्य बातों के साथ साथ निगम से अनुरोध किया है कि वह महिलाओं के प्रति भेदभाव रखने वाले अपने नियमों में संशोधन करे ।

(ख) समाचार के अनुसार प्रस्ताव में विशेषरूप से यह बात कही गई है कि जबकि 18 वर्ष का बेरोजगार लड़का बीमा पालिसी ले सकता है परन्तु इसी उम्र की लड़कियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं है ।

(ग) अर्जित आय वाली महिलाओं के जीवन बीमा प्रस्ताव उन्हीं शर्तों पर स्वीकृत किये जाते हैं जिन पर पुरुषों के जीवन बीमा प्रस्ताव स्वीकृत किये जाते हैं । 18 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों के साधारण बीमा प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जाते क्योंकि लड़कों में से लगभग सभी यथासमय कमाई करने लग जाते हैं जबकि लड़कियों के मामले में स्थिति ऐसी नहीं है । अन्य मामलों में पुरुषों और महिलाओं की मृत्यु दर में माने जाने वाले अन्तर के कारण कुछ फेरफार रखा गया है । इस मामले की समय समय पर समीक्षा की जाती है और जीवन बीमा निगम ने इस संबन्ध में अपनी शर्तों को पिछलीवार जनवरी 1970 में उदार बनाया है ।

खनिज एवं धातु व्यापार निगम द्वारा लौह अयस्क के निर्यात के लिये पश्चिम यूरोपीय देशों के बाजारों से प्राप्त किये गए ऋयादेश

1510. श्री पीलू मोदी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम ने हाल ही में लौह अयस्क के निर्यात के लिए पश्चिम यूरोपीय देशों के बाजारों से ऋयादेश प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिये ऋयादेश प्राप्त हुये हैं और उन का कितना मूल्य है ; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित किये जाने का अनुमान है ?
वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जाजं) : (क) जी हां ।

(ख) तथा (ग) सितम्बर, 1973 से मई 1975 के दौरान पश्चिम यूरोपीय देशों को निर्यात करने के लिए लगभग 7.88 करोड़ रु० मूल्य का 16 लाख टन लौह अयस्क सप्लाई करने हेतु संविदाएं की जा चुकी हैं। चूंकि निर्यात नए बाजारों को हो रहे हैं इसलिए इन संविदाओं से होने वाली समग्र आय विदेशी मुद्रा की अतिरिक्त आय होगी।

जीवन बीमा निगम के कर्मचारियों द्वारा नियमानुसार काम करने का आन्दोलन

1511. श्री पीलू मोदी :

श्री राम कंबर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम के कर्मचारी गत दो मास से नियमानुसार काम करो, आन्दोलन चला रहे हैं ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) जब से कर्मचारियों ने नियमानुसार काम करो आन्दोलन आरम्भ किया है, तब से कितने जन घंटों की हानि हुई है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) निगम के बहुत सारे कर्मचारियों ने वेतनों तथा अन्य सेवा-शर्तों में संशोधन सम्बन्धी अपनी मांगों को मनवाने की दृष्टि से प्रबन्धकों पर दबाव डालने के लिये दिसम्बर 1973 और जनवरी 1974 में 'नियमानुसार काम' करने का आन्दोलन चलाया था।

(ग) कर्मचारियों द्वारा 'नियमानुसार काम' करने का आन्दोलन चलाने से जो श्रम घंटों की हानि हुई उसका कोई निश्चित हिसाब देना संभव नहीं है, क्योंकि प्रत्येक मामले में कार्य निष्पादन पर भिन्न भिन्न मात्रा में प्रभाव पड़ा था।

नाइलोन के धागे के मूल्यों तथा वितरण के बारे में नाइलोन की कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छिक समझौता

1513. श्री राजा कुलकर्णी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाइलोन के धागे के मूल्यों तथा वितरण के बारे में नाइलोन की कताई करने वालों तथा बुनकरों के बीच स्वैच्छा से हुए समझौते के मुख्य उपबन्ध क्या है ;

(ख) क्या कताई करने वालों द्वारा उक्त समझौते के उल्लंघन के बारे में सरकार को नाइलोन/रेयन बुनकरों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं, यदि हां, तो उन के हितों की रक्षा के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ; और

(ग) क्या नाइलोन के धागे के छोटे पैमाने के स्वतन्त्र क्रम्परों द्वारा भी उनको इस समझौते में शामिल न किये जाने के बारे में शिकायतें की गई हैं और यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) नायलोन कत्तिनों तथा बुनकरों के बीच हुए स्वैच्छक समझौते के मुख्य उपबन्ध निम्नलिखित हैं :—

1. (1) नायलोन के वास्तविक उपयोक्ताओं को निम्न प्रकार से परिभाषित किया गया है
 - (क) शक्तिचालित करघों अथवा वार्प/रशैल/लैस बुनाई मशीनों पर वस्त्रों तथा/अथवा रिबन के, जिनमें नायलोन धागा काम आता है, ऐसे विनिर्माता, जिसके पास उक्त मशीनों के लिए मालिक अथवा पट्टे दारों के रूप में वैद्य संस्थापन परमिट लाइसेंस हों ;
 - (ख) मालिकों अथवा पट्टे दारों के रूप में होजरी मशीनों, अर्थात् चपटी तथा/अथवा सर्कुलर बुनाई मशीनों पर हौजरी माल के विनिर्माता ।
- (2) वास्तविक उपयोक्ता शब्दों में क्रिम्परो अथवा ट्विस्टरों जैसे मध्यवर्ती साधित कर्ता शामिल नहीं हैं ।

2. सभी वस्तुओं का 180 डेनियर तक तथा उसके सहित नायलोन 6 फ्लैट धागे के उत्पादन के 75 प्र० श० भाग का वितरण केन्द्रीय नायलोन समिति के माध्यम से वास्तविक उपयोक्ताओं को उनके द्वारा 1972-73 के दौरान उठाये गये औसत माल के आधार पर किया जायेगा । शेष 25 प्र० श० माल, कत्तिनों द्वारा खुले बाजार में बेचा जायेगा ।

3. जब कोई कत्तिन किसी भी तिमाही में लाइसेंस शुदा क्षमता के अनुसार पूरा उत्पादन कर लेता है तो उस कत्तिन के विषय में उससे अगली तिमाही में वितरित किये जाने वाले नायलोन धागे के प्रतिशत को 75 प्र० श० से घटाकर 70 प्रतिशत कर दिया जायेगा । शेष 30 प्रतिशत की बिक्री कत्तिन द्वारा खुले बाजार में की जायेगी ।

4. प्रत्येक कत्तिन के क्रिम्पकृत बुने हुए नायलोन 6 धागे के उत्पादन के 100 प्रतिशत भाग का वितरण 1972-73 के दौरान वास्तविक उपयोक्ताओं को सुपुर्द किये गये ऐसे धागे की अधिकतम मासिक औसत सीमा के नीचे रहते हुए, केन्द्रीय नायलोन समिति के माध्यम से किया जायेगा । यदि सितम्बर, 1973 के बाद भी महीने में इसका उत्पादन सितम्बर, 1973 में हुए उत्पादन से अधिक होगा तो इस प्रकार की बढ़ी हुई मात्रा का 75 प्रतिशत भाग केन्द्रीय नायलोन समिति द्वारा वितरित किया जायेगा । शेष 25 प्रतिशत भाग की बिक्री कत्तिन द्वारा खुले बाजार में की जायेगी ।

5. यद्यपि क्रिम्पर साधिककर्ता होते हैं और वास्तविक उपयोक्ता नहीं होते परन्तु क्योंकि वे पहले भी धागा प्राप्त कर रहे थे, अतः उन्हें, कत्तिनों से, उनके द्वारा 1972-73 के दौरान उठाये गये माल का आनुपातिक भाग प्राप्त होता रहेगा बशर्ते कि ऐसे क्रिम्पर :

- (क) इस बात पर सहमत हों कि वे वास्तविक उपयोक्ता नहीं हैं ;
- (ख) ऐसे वास्तविक उपयोक्ताओं को बराबर मात्रा में क्रिम्पकृत बना हुआ कोटा तथा/अथवा रंगा हुआ धागा सुपुर्द करने के लिये सहमत हो जो कि 1972-73 के दौरान हुई सुपुर्दगियों के आधार पर उनके क्रिम्पकृत धागा खरीदते रहेंगे ।

6. परस्पर सहमत कीमतें कैप्रोलैक्टम की देश में पहुंचने पर 6872 रु० प्रति मे० टन लागत के आधार पर हैं । कैप्रोलैक्टम की पहुंचने पर लागत में प्रति मे० टन पर 100 रु० की वृद्धि या कमी की अवस्था में, सभी डेनियरों तथा क्वालिटियों के नायलोन धागे की प्रति कि० ग्रा० कीमतों में 15 पैसे की यथास्थिति वृद्धि या कमी कर दी जायेगी ।

7: उक्त पक्षकारों के बीच उठने वाले किसी भी विवाद अथवा मतभेद की स्थिति में ऐसे विवाद अथवा मतभेद ऐसे मध्यस्थ बोर्ड को भेजे जायेंगे, जिसमें कत्तिनों का तथा वास्तविक उपयोक्ताओं का एक-एक नामित होगा।

(ख) जी हां, प्राप्त शिकायतें मुख्यतया निम्नलिखित विषयों में थी:—

(क) कोटा-निर्धारण में हिसाब की गलतियां; तथा

(ख) करार में विहित सिद्धान्तों के अनुसार कोटा की अनुपलब्धि।

ऐसी शिकायतों पर केन्द्रीय नायलोन समिति और यदि आवश्यकता हो तो मध्यस्थ बोर्ड भी विचार करता है।

(ग) जी हां। उनकी शिकायतों पर विचार कर लिया गया है और यद्यपि इन शिकायतों को निबटाना मुख्यतः सम्बद्ध पक्षकारों का काम है, तथापि ऐसी शिकायतें दूर करने के उपाय किये गये हैं। देश में लगभग 75 क्रिम्पिंग मशीनें हैं, जिन में से 16 मशीनें कत्तिनों के पास हैं। शेष 20 क्रिम्पिंग मशीनें स्वतन्त्र क्रिम्परों के पास हैं। इनमें से 9 क्रिम्पिंग मशीनों वाले 5 एककों ने वचन दिया है कि स्वैच्छिक समझौते में विहित अनुशासन का पालन करेंगे। इन एककों को नायलोन का धागा आवंटित किया जा रहा है। 7 मशीनों वाले 7 क्रिम्परों ने 1972-73 के दौरान कोई माल काम नहीं लिया। स्वैच्छिक समझौते में यह व्यवस्था है कि नये प्रवेशकों को लौटाये गए परिमाणों में से माल दिया जायेगा। इन क्रिम्परों के मामले में इसका अनुसरण किया जा रहा है। 4 क्रिम्पिंग मशीनों वाले 2 क्रिम्परों ने समझौते में विहित अनुशासन का पालन करने का वचन नहीं दिया है। केन्द्रीय नायलोन समिति के अध्यक्ष उन्हें इस बात के लिए मना कर रहे हैं कि वे ऐसा वचन दे दें। अखिल भारतीय क्रिम्पर्स एसोसियेशन से प्राप्त शिकायतों को शीघ्र समाधान करने हेतु वस्त्र आयुक्त तथा अध्यक्ष केन्द्रीय नायलोन समिति को भेज दिया गया है।

Impact of Declining value of Rupee on Amount deposited in National Saving Scheme

1514. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of Finance be pleased to state the measures proposed to be taken by Government to provide safeguard to those who have invested money in National Saving Schemes in view of declining value of rupee?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : The fall in the value of rupee is attributable to the sharp rise in prices in the past few months and Government policies are so designed as to bring about a measure of stability in the level of prices.

Cultural Spots in Madhya Pradesh selected as Tourist Centres during Fifth Plan

1515. **Shri B. S. Chowhan** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the names of the cultural spots in Madhya Pradesh selected as tourist centres during the Fifth Five Year Plan; and

(b) the criteria of their selection?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi).

(a) The temples of Khajuraho and the Buddhist monuments at Sanchi are among the 10 archaeological complexes which are proposed to be developed by the Centre during the Fifth Plan.

(b) The selection of places for tourism development in the Central sector depends upon the availability of resources, and *inter-se* priorities which are determined by the actual or potential attraction of a site for tourists, its accessibility, its historical and archaeological significance, availability of basic tourism infrastructure, and the present flow of tourist traffic.

छोटे पैमाने के उद्योगों को अग्रिम धनराशि दिये जाने की सीमा के सम्बन्ध में ऋण देने सम्बन्धी नये मानदण्डों से छूट

1516. श्री एम० कतामुतु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योगों को अग्रिम धनराशि दिये जाने की सीमा के सम्बन्ध में ऋण देने सम्बन्धी नये मानदण्डों से छूट दे दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां, 24 सितम्बर, 1973 को भारतीय रिजर्व बैंक ने यह घोषणा की थी कि ऋण गारन्टी योजना के अन्तर्गत आने वाले लघु औद्योगिक एककों को चालू व्यस्त मौसम के लिए तालीकागत सूचियों और लेखा ऋणों के सम्बन्ध में जो मार्जिन बढ़ाया गया है उससे छूट दे दी जायेगी एसा लघु उद्योगों को उदार शर्तों पर ऋण देने की स्वीकृत नीति का अनुसरण करते हुये किया गया है ।

सरकार तथा सामान्य बीमा निगम द्वारा प्रायोगिक फसल बीमा योजनायें आरंभ किया जाना

1517. श्री एम० कतामुतु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार और सामान्य बीमा निगम ने चुने हुये क्षेत्रों में चुनी हुई फसलों का बीमा करने के लिये और अधिक प्रायोगिक योजनायें आरंभ करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूप रेखा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) विविध बीमा निगम निम्नलिखित जिन्सों के सम्बन्ध में अग्रणी फसल बीमा योजनाओं को चालू करने का तत्परता से विचार कर रहा है :—

(i) महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आन्ध्रप्रदेश कर्नाटक तथा राजस्थान राज्यों में कपास, और

(ii) गुजरात, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में मूंगफली ।

गुजरात के जूनागढ़ जिला में मूंगफली संबन्धी एक योजना तथा कपाम संबन्धी दो योजनाओं के बारे में, अर्थात् महाराष्ट्र के जलगांव जिले में तथा तमिलनाडु के कोयम्बतूर जिले में, प्रारम्भिक कार्य काफी आगे बढ़ चुका है, और विविध बीमा निगम को आशा है कि वह खरीफ की आगामी मौसम में इन तीनों योजनाओं को कार्यान्वित कर सकेगा।

(ख) विविध बीमा निगम की अग्रणी योजनाएं यह हैं कि व्यापक तौर से क्षेत्रीय सेवा की व्यवस्था करने के लिए नियंत्रित रूप में एक स्वतन्त्र, अधिकारक्षम निर्भर करने योग्य अभिकरण स्थापित किया जाय। प्रत्येक योजना में लगभग एक हजार एकड़ का एक ही प्रकार का संश्लिष्ट क्षेत्र रखा जायगा। इन योजनाओं का उद्देश्य यह होगा कि किसान ने वर्ष भर में फसलों में जो लागत लगाई हो उसकी रक्षा करना। एतदर्थ, प्रत्येक एकड़ के लिए न्यूनतम उपज का बीमा किया जायेगा और उससे उपज जितनी न्यून रहेगी, उस न्यूनता के लिये बीमा की शर्तों के अनुसार जिन्स की प्रति इकाई की स्वीकृत कीमत से मुआवजा दिया जायेगा। इनमें से प्रत्येक योजना के लिए, बीमा की जानेवाली न्यूनतम उपज, प्रति एकड़ बीमा की रकम और किस्तों की दरों आदि के ब्यौरे जीवन बीमा निगम द्वारा तैयार किये जा रहे हैं और आशा है कि इन योजनाओं को समय से मुकम्बल कर लिया जायेगा।

कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इंडिया में लगी आग के कारण हुई मौते

1518. श्री विक्रम महाजन : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया की बिल्डिंग में लगी आग के कारण कोई और मौत भी हुई थी ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी विवरण क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार ने रिपोर्ट दी है कि जब 3 और 4 जनवरी, 1974 की रात को नेता जी सुभाष मार्ग पर स्थित सेंट्रल बैंक आफ इण्डिया के भवन में आग लग गयी थी, उस समय सिन्धिया स्टीम नेवीगेशन कम्पनी के दो अधिकारी जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कुछ दस्तावेजों को निकालने के लिए अन्दर गये थे, आग की चपेट में आ गये और बाद में उनकी लाशें वहां से निकाली गयीं।

इण्डियन एयरलाइन्स में तालाबंदी के कारण बचत

1519. श्री शंकर राव सामन्त : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बनाने की कृपा करेंगे कि :
(क) इण्डिया एयर लाइंस में पूर्ण और आंशिक तालाबंदी की अवधि क्या है;

(ख) इस तालाबंदी के परिणाम स्वरूप कितने विमान पेट्रोल की बचत हुई है ; और

(ग) क्या तालाबंदी की अवधि के बीच किसी गलती के कारण किसी कर्मचारी के विरुद्ध कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) इण्डियन एयरलाइंस में तालाबंदी 24-11-1973 को घोषित की गयी थी जो कुल 15977 कर्मचारियों में से 14,442 पर लागू होती थी। 10-12-1973 को यह तालाबंदी भारतीय विमान तकनीशियन संघ द्वारा संशोधित शिफ्ट प्रणाली के अनुसार कार्य

करने तथा अपव्ययी पद्धतियों को समाप्त करने में प्रबंधकवर्ग के साथ सहयोग करने सम्बंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर कर देने पर उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कर्मचारियों के वर्गों के सम्बन्ध में आंशिक रूप से उठा ली गयी थी। इसी प्रकार के समझौते निम्नलिखित संघों के साथ भी किये गये थे तथा यह तालाबन्दी उनके द्वारा प्रतिनिधित्व किये गये कर्मचारियों के वर्गों के सम्बन्ध में, उन में से प्रत्येक के सामने दी गयी तिथि से, आंशिक रूप से उठा ली गयी थी :—

संघ का नाम	आंशिक रूप से उठाई गयी तालाबन्दी की तिथि
एयरलाइन ग्राउंड इंस्ट्रूक्टर्स एसोसिएशन	21-12-73
इण्डियन फ्लाइट्स इंजीनियर्स एसोसिएशन	23-12-73
आल इण्डिया एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स एसोसिएशन	10-1-74
इण्डियन कर्मशियल फ्लाइट्स एसोसिएशन	21-2-74

तालाबन्दी को 21-12-73 से उन कर्मचारियों के संबंध में भी उठा लिया गया था जिन्होंने संशोधित शिफ्ट प्रणाली के अनुसार, जहां कहीं भी वह लागू होती थी, कार्य करने तथा अपव्ययी कार्य पद्धतियों को समाप्त करने में प्रबंधकवर्ग के साथ सहयोग करने के लिए व्यक्तिगत रूप में वचन दिया था।

22-2-1974 को 15,932 कर्मचारी ड्यूटी पर उपस्थित थे और एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज यूनियन द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए 10716 कर्मचारियों में से 45 कर्मचारी अभी भी तालाबन्दी से प्रभावित थे। एयर कारपोरेशन एम्प्लाइज एसोसिएशन के साथ कोई भी समझौता अभी किया जाना है।

(ख) 24-11-1973 से 31-1-1974 तक विमानन तथा मोटर परिवहन ईंधन पर हुई बचत का अनुमान 264 लाख रुपये लगाया गया है।

(ग) कलकत्ता में तालाबन्दी से संबंधित कर्तव्यच्युति अथवा कर्तव्योत्पन्न के कार्यों के लिए केवल एक व्यक्ति को चार्ज-शीट किया गया था।

'पी' फार्म जारी करने संबंधी नियमों में संशोधन

1520. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय राष्ट्रियों को विदेश यात्रा हेतु 'पी' फार्म जारी करने संबंधी नियमों में हाल ही में कोई संशोधन किया है ;

(ख) यदि हां, तो नये नियमों की मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या नए नियमों के अनुसार भारतीय राष्ट्रियों को न केवल विदेशों में रहने वाले अपने मित्रों अथवा सम्बन्धियों के स्वयं को प्रायोजित कराना पड़ता है बल्कि विदेशी मुद्रा भी प्राप्त करके भारत में ही टिकट खरीदना पड़ता है ;

(घ) क्या पी० टी० ए० के आभार पर 'पी' फार्म जारी नहीं किया जाता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इन नियमों में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

(घ) और (ङ) सम्भवतः भाननीय सदस्य का संकेत 5 मार्च, 1969 से दो गरी रियायत की ओर है। इस रियायत के अनुसार यदि भेजवान यात्रा का पूरा खर्च उठाये और रकम पेशगी भेज दे तो 'पी' फार्म विदेश में रहने वाले मित्रों के आतिथ्य के आधार पर स्वीकार किया जा सकता है। उस समय जारी की गयी प्रेस विज्ञप्ति की प्रति सभा पटल पर रखी जा रही है।

[ग्रन्थालय में रखी गईं। देखिए संख्या एल०टी०—6282/72]

विदेश यात्रा कर

1521. श्री एच० एम० पटेल : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 प्रतिशत विदेश यात्रा-कर अभी लगाया जाता है यदि टिकट भारतीय मुद्रा में खरीदा गया हो ;

(ख) क्या ऐसे भारती राष्ट्रियों को भी, जो विदेशों में रहने वाले अपने मित्रों एवं सम्बन्धियों के माध्यम से विदेशी मुद्रा की अदायगी करके टिकट खरीदते हैं, 10 प्रतिशत यात्रा कर अदा करना पड़ता है; और

(ग) क्या सरकार को इस बारे में अनेक व्यक्तियों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और यदि हां, तो सरकार की उन पर क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) 10 प्रतिशत का विदेश यात्रा-कर केवल उन्हीं मामलों में लगाया जाता है जब हवाई जहाज में मितव्ययिता अथवा पर्यटन श्रेणी द्वारा यात्रा के लिए अथवा पानी के जहाज में तीसरे दर्जे अथवा डैक/शायिका (बैंक) या बिना शायिका (अनबर्थड) द्वारा यात्रा के लिए टिकट भारतीय मुद्रा में खरीदा जाता है। हवाई जहाज में प्रथम श्रेणी से और पानी के जहाज में केबिन श्रेणी से की जाने वाली यात्रा के लिए लगाये जाने योग्य कर की दर 15 प्रतिशत है।

(ख) जिन मामलों में भारतीय राष्ट्रिक, विदेशों में रहने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों की मार्फत विदेशी मुद्रा में टिकट खरीदते हैं उनमें कोई यात्रा कर वसूल नहीं किया जा रहा है बशर्ते कि कम्पनियों (केरियर्स) को विदेशों में स्थित अपने टिकट-घरों से टैलेक्स संदेश के रूप में 'पूर्व-प्रदत्त टिकट सूचना' प्राप्त हो गई हो जिसमें बताया गया हो कि संबंधित यात्रा के लिए किराये की अदायगी विदेश में विदेशी मुद्रा में कर दी गई है। इसी प्रकार अधिसूचना सं० 11/फा० सं० 433-टी आर (एफ टी टी)/71 दिनांक 27 अक्टूबर 1971 के अनुसार, जिन मामलों में कोई यात्री विदेशी मुद्रा विनियम विनियमन अधिनियम 1947 की धारा 2 के खण्ड (ए1) में यथापरिभाषित किसी प्राधिकृत व्यापारी से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि यात्रा के किराये की अदायगी उस निधि में से की गयी है जो भारत में ऐसे प्राधिकृत व्यापारी को यात्रा की यात्री के विशिष्ट प्रयोजन के लिए विदेश से विदेशी मुद्रा में भेजी गयी रकमों से प्राप्त हुई है, उनमें विदेश यात्री कर से छूट दी गई है। इसके अतिरिक्त, जिन मामलों में कोई यात्री भारत में किसी ऐसे प्राधिकृत व्यापारी के साथ विदेशी मुद्रा को भारतीय मुद्रा में बदल लेता है, जो बदले में विदेशी मुद्रा के बदलने से प्राप्त रूपों में अदायगी सीधे ही कम्पनी को अथवा उसके नामे खाते में टिकट जारी करने के लिए करता है, उनमें कोई यात्रा-कर लगाये जाने योग्य नहीं है। ऐसे मामले में, प्राधिकृत व्यापारी को निर्धारित प्रपत्र में कम्पनी के पास एक प्रमाण-पत्र भी भेजना चाहिए।

(ग) सरकार को इस संबंध में कहीं से भी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

मूंगफली और नीम के तेल का अवैध व्यापार

1522. श्री श्याम सुन्दर महापात्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि भारत के अनेक वायदा बाजार केन्द्रों में नीम के तेल के नाम पर मूंगफली के तेल का अवैध व्यापार हो रहा है :

(ख) यदि हां, तो इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) अवैध वायदा व्यापार करने के कारण गत छः महीनों के दौरान दिल्ली में कितने व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां । नीम के तेल के नाम पर मूंगफली के तेल में अवैध वायदा व्यापार की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं ।

(ख) तथा (ग) सरकार के नीम के तेल में वायदा व्यापार पर रोक लगाने का विनिश्चय किया है । वायदा बाजार आयोग ने पुलिस प्राधिकारियों को भी सजग कर दिया है कि वे और अधिक सतर्क रहे और उन पर छापे मारे जो अवैध वायदा व्यापार में लगे हुए हैं । दिल्ली पुलिस पहले ही 8 फर्मों पर पांच छापे मारे हैं तथा 50 दस्तावेजों को कब्जे में लिया है

Allocation of Foreign Exchange to Share-Holders of Maruti Limited

1523. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of Finance be pleased to state the amount of foreign exchange given to each of the share-holders having shares of Rs. 1,000/ or more in Maruti Limited during the last three years, year-wise?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : After March, 1972 no foreign exchange was released to any person on account of M/s Maruti Ltd. The number of share-holders having shares of Rs. 1,000/ or more is large and includes individuals, companies and institutional investors. Since shares are transferrable, it would be difficult to identify over a period individual share-holders of the category required by the Members to enable the Reserve Bank to collect data. If however, hon'ble Members require information about any individual or individuals the details could be collected.

Export of Cotton Clothes to various Countries

1524. Shri Atal Bihari Vajpayee :

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) the value of Indian cotton clothes exported to various countries during the last three years, year-wise indicating the names of those countries and the form in which it was exported;

(b) whether some countries sold this cloth at an enhanced price after marking it as indigenously manufactured by them after some alterations; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) A statement is attached. [Placed in library. See No. L.T.6283/74].

(b) & (c) A complaint that some of the countries are re-shipping Indian Cotton Textiles to other countries has come to the notice of the Cotton Textiles Export Promotion Council, Bombay. However, the exact quantity or value of such re-exports is not known. Nor is there any positive proof of such re-exports. Moreover, once the goods are shipped to the buyers abroad and payment received in full, the shippers cannot control the end uses of the fabrics.

Hotel charges paid by Indian Airlines and Air India for their employees

1525. **Shri Atal Bihari Vajpayee :**

Shri Jagannathrao Joshi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) the amount of hotel charges paid by the Indian Airlines and Air India in Delhi, Madras, Bombay and Calcutta for their employees during the last three years, hotel-wise and year-wise; and

(b) the action taken or proposed to be taken in this regard under the economy drive launched from August, 1973?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bahadur) :

(a) (i) Hotel charges paid by Indian Airlines— (Rs. in lakhs)

	1970-71	1971-72	1972-73
Bombay			
Taj .	4.26	6.28	7.15
Ritz .	4.69	5.26	5.67
	<u>8.95</u>	<u>11.54</u>	<u>12.82</u>
Calcutta			
Grand	1.50	2.25	2.00
Great Eastern	0.50	0.50	—
Hindustan			
International .	—	1.00	1.50
	<u>2.00</u>	<u>3.75</u>	<u>3.50</u>

(Rupees in Lakhs)			
	1970-71	1971-72	1972-73
Delhi			
Ashoka .	3.38	4.85	6.14
Ambassador	2.92	4.19	6.80
	6.30	9.04	12.94
Madras			
New Victoria .	0.65	0.12	0.61
Imperial .	0.07	0.09	0.02
Connemara	0.35	0.40	1.14
Savera .	—	0.09	1.43
Claridges	—	—	—
	1.07	0.70	3.20
TOTAL .	18.32	25.03	32.46
(ii) Hotel charges paid by Air India at—			
New Delhi	0.75	1.03	8.20
Madras	0.70	0.66	0.58
Bombay	7.24	4.25	1.50
Calcutta	0.30	0.34	0.09
	8.99	6.28	10.37

(Hotel-wise information is not readily available)

(b) Steps taken by Indian Airlines and Air-India—Expenditure on this account cannot be avoided altogether. Indian Airlines are taking steps to reduce night-stops in respect of flying crew to the extent feasible. Air India have to provide hotel accommodation to their crew at out-stations on termination of their flights since lay-overs in between flights are governed by the time-table and the agreed duty timings commensurate with maximum utilisation of crews. The expenditure is kept under constant review.

बंगला देश से कच्ची पटसन का आयात

1526. श्री मनोरंजन हाजरा :

श्री यमुना प्रसाद मंडल :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की भ्रूपा करेंगे कि : क्या बंगला देश से पटसन के आयात से हमारे देश के भीतर कच्ची पटसन के मूल्य कम हो जायेंगे ; और

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप पटसन उगाने वालों को हानि होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) बंगला देश से आयातित पटसन समीकरण भण्डार में जाएगा, अतः फिलहाल आयातों से आन्तरिक कीमतों पर कोई प्रभाव पड़ने की आशंका नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा जम्बो जेट के लिए क्रयादेश को रद्द करना

1528. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोइंग 747 जम्बो जेट के लिए अभी हाल में दिये गये अपने क्रयादेश को एयर इण्डिया ने रद्द कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) जम्बो जेट न होने की वजह से एयर इण्डिया के द्वारा भारत से विदेशों में यात्रा करने वाले और भारत में विमान-यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या पर कितना प्रभाव पड़ेगा ; और

(घ) विमान यात्रियों की बढ़ी हुई संख्या को आवश्यकता की पूर्ति एयर इण्डिया का किस प्रकार करने का विचार है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) जी, हां।

(ख) हाल के महीनों में ईंधन मूल्यों में हुई जोरदार वृद्धि के कारण परिचालन लागतों में वृद्धि हो गई है और इससे वैमानिक यातायात की विकास-दर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। परिणामी अन्तर्राष्ट्रीय विमान किरायों की वृद्धि, जिसको अन्तर्राष्ट्रीय विमान यातायात संगठन का अनुमोदन प्राप्त है, का भी इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इन परिस्थितियों में एयर इंडिया ने पांचवें बोइंग-747 विमान का अपना क्रयादेश रद्द करने का निर्णय किया है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया को अपने वर्तमान विमान बेड़े की उच्चतर उपयोग के निष्पादन द्वारा आवश्यक धारिता प्रदान करने की आशा है। तथापि, ईंधन मूल्यों और विमान, किरायों को प्रभावित करने वाली हाल की घटनाओं के दीर्घकालिक प्रभाव का पूरा-पूरा अनुमान अभी लगाया जाना है।

बेरोजगार वाणिज्यिक विमान-चालक

1529. श्री नवल किशोर शर्मा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेरोजगार वाणिज्यिक विमान-चालकों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने अभी हाल में उनसे भेंट की थी और उन्हें ज्ञापन दिया था ;

(ख) यदि हां, तो इन बेरोजगार विमान-चालकों की क्या मांगें हैं और सरकार का उन्हें किस प्रकार पूरा करने का विचार है।

(ग) क्या कुछ विमान-चालक, अगर उन्हें सरकार ने जल्दी ही रोजगार उपलब्ध नहीं किया तो निर्धारित आयु-सीमा को पार कर जायेंगे और यदि हां, तो ऐसे विमान चालकों की संख्या कितनी है; और

(घ) क्या रोजगार के मामले में उन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता देने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (घ) : कुछ बेरोजगार विमानचालक हाल ही में मंत्री से मिले तथा 1 फरवरी 1974 की तारीख में एक ज्ञापन भी दिया जिस में रोजगार अवसरों के लिए प्रार्थना की गयी है।

सरकार पहले ही वाणिज्यिक विमानचालकों में बेरोजगारी की समस्या से अवगत है तथा इस विषय में निम्न-लिखित उपाय किये गये हैं :

- (i) नागर विमानन विभाग में सहायक एयरोड्रोम अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए वाणिज्यिक विमानचालक के लाइसेंस को एक स्वीकार्य योग्यता के रूप में सम्मिलित करने के लिए नियमों को संशोधित किया गया था।
- (ii) कृषि मंत्रालय ने फसल छिड़काव परिचालनों संबंधी सम्परिवर्तन प्रशिक्षण (कन्वर्शन ट्रेनिंग) के लिए बेरोजगार वाणिज्यिक विमानचालकों के बारे में विचार करना मान लिया है।
- (iii) इंडियन एयरलाइन्स तथा एयरइण्डिया को परामर्श दिया गया है कि जहां कहीं संभव हो बेरोजगार विमानचालकों का स्थल कार्यों (ग्राउंड ड्यूटीज) के लिये उपयोग किया जाएगा सरकार ऐसा करने के लिए किसी भी रूप में बचनबद्ध नहीं है परन्तु उनके लिए लाभदायक रोजगार के अवसर खोजने के निरंतर प्रयास किये जा रहे हैं।

मार्च, 1974 में होने वाले लीपर्जिग व्यापार मेले में भारत का शामिल होना

1530. श्री नवल कशोर शर्मा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारत मार्च, 1974 में जर्मन जनवादी गणतंत्र में होने वाले लिपर्जिग व्यापार मेले में शामिल हो रहा है ;
- (ख) यदि हां, तो भारतीय मंडप में कौन-कौन से माल को प्रदर्शित किया जायेगा ; और
- (ग) क्या प्रदर्शित किये जाने वाले माल का पूर्वी यूरोप के देशों में कुछ आकर्षण होगा और उन देशों में उसकी कुछ मांग होगी ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) से (ग) : जी हां।

प्रदर्शनी में प्रदर्शित चीजों में, शामिल होंगे : धातू तथा रबड़ हाडैन्स टोस्टिंग मशीन, सीमेन्ट कंक्रीट टेस्टर्स, पेट्रोल मोटरिंग यूनिट, सेनीटरी फिटिंग्स, टाईवेयर, इलैक्ट्रिकल स्टैम्पिंग्स, कैबुल्स तार तथा रस्से, मोटरों के फालतू पुर्जे बिजली की मोटरें, काटने के औजार इलैक्ट्रानिक्स डेस्क तथा पाकेट कैलकुलेटर, ट्रान्जिस्टर रेडियो तथा बैटरियां, धुनाई मशीन, पटसन उत्पाद, लिनोलियम, वस्त्र हौजरी तथा पहनने योग्य तैयार वस्त्रों सहित चमड़ा उत्पाद, अर्द्ध कीमती पत्थरों सहित हस्तशिल्प की वस्तुएं, तिलहन, पिसी हुई हार्डियां, रसायन, रंजक सामग्री, खाद्य उत्पाद तम्बाकू आदि।

पूर्वी यूरोप के साथ व्यापार परस्पर स्वीकृत व्यापार योजना पर आधारित है। तथापि प्रदर्शित की जाने वाली मर्चें अन्य पूर्वी यूरोपियन देशों की रुचि का भी हो सकती हैं।

त्रिपुरा में मकान बनाने के लिए जीवन बीमा निगम द्वारा दिए गए ऋण

1531. श्री बीरेन दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या भारतीय जीवन बीमा निगम त्रिपुरा में मकान बनाने हेतु कोई ऋण दिये हैं ;

और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) जी हां। जीवन बीमा निगम ने 55000 रुपये के ऋणों के लिए तीन दरखास्तें मंजूर की थी, जिनमें से 'अपनी मालिकी का घर बनाओं' योजना के अन्तर्गत 31-12-1973 तक 28000 रुपये का ऋण वस्तुतः दिया जा चुका है।

त्रिपुरा में भारतीय पटसन निगम द्वारा पटसन की बसूली

1532. श्री बीरेन दत्त : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा में पटसन के मूल्य अत्यधिक कम हैं ;

(ख) क्या पटसन निगम ने कोई खरीद नहीं की है; और

(ग) त्रिपुरा में पटसन का मूल्य बढ़ाने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) यह सच है कि त्रिपुरा में कच्चे पटसन की कीमत मुख्यतः परिवहन कठिनाइयों के कारण पश्चिम बंगाल के कीमत से कम है। भारतीय पटसन निगम को अपना कार्य ऐसे ढंग से करने का परामर्श दिया गया है कि प्रति क्विंटल कीमत 157.68 रुपये की औसत पर बनी रहे।

(ख) भारतीय पटसन निगम ने अगस्त, 1973 से जनवरी 1974 को अर्वाधि में 63,800 मन पटसन खरीदा है।

(ग) सरकार ने त्रिपुरा में एक पटसन मिल स्थापित करने के लिए आशयपत्र जारी किया है ताकि इस क्षेत्र में कच्चे पटसन की मांग उत्पन्न हो सके तथा उत्पादकों को अच्छी कीमत मिल सके। इसके अतिरिक्त, भारतीय पटसन निगम भी इस क्षेत्र में अपनी खरीद बढ़ायेगा तथा अन्त में पटसन का सकल व्यापार अपने हाथ में ले लेगा।

त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा ऋण देना

1533. श्री बीरेन दत्त : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने त्रिपुरा में छोटे व्यापारियों को कोई ऋण दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो ऋण देने वाले बैंकों के नाम, क्या हैं और वर्ष 1972 से 1974 तक उन्होंने कितनी राशि के ऋण दिए ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) : त्रिपुरा में "खुदरा व्यापारियों और छोटे कारोबार" करने वालों को दिये गये अग्रिमों की बैंकवार बकाया राशि की उपलब्धि सूचना नीचे दी गई है :-

बैंक का नाम	जून, 1972 के अन्त में*		जून, 1973 के अन्त में*	
	ऋण लेखों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)	ऋण लेखों की संख्या	बकाया राशि (लाख रुपयों में)
यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया .	210	29.74	215	26.94
यूनाइटेड कर्माशियल बैंक .	102	6.19	109	9.53
स्टेट बैंक आफ इंडिया	43	3.16	41	3.42
	355	39.09	365	39.89

*आंकड़े अनन्तिम हैं ।

Production of Cotton Yarn

1534. Dr. Laxminarayan Pandeya : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) the situation regarding the production of cotton yarn during the 1972 and the first half of 1973; and

(b) the cloth (in million metres) manufactured by the hills, handlooms and powerlooms during 1972 and the first half of 1973?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A.C. George) : (a) The production of cotton yarn during 1972 and the first half of 1973 was as follows :

Period	Production (Million Kgs)
1972	972.229
1973	459.267
(January to June)	

(b) The production of cloth during 1972 and the first half of 1973 was as follows :

Period	Production (Million Meters)		
	Mill Sector	Decentralised sector	Total
1972	4244.864	3777.000*	8021.864
1973	2034.776	1555.000*	3589.776
(January to June)			

*Based on civil deliveries of cotton yarn.

Loans from Arab Countries

1535. **Shri Onkar Lal Barwa** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state :

(a) whether India has taken any loan from Arab countries for the import of crude oil; and

(b) if so, the salient features thereof and the amount of the loan?

The Minister of Finance (Shri Yashwant Rao Chavan) : (a) & (b) Some countries have indicated willingness to extend bilateral credit and details relating to these are under negotiation.

Interest to Depositors in Nationalised Banks

1536. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Finance** be pleased to state:

(a) whether the rate of interest given to the depositors in nationalised banks is very low;

(b) whether this rate of interest is the main reason of the decrease in the deposits in these banks; and

(c) the rate of interest charged on the amounts of loans advanced by these banks?

The Minister of Finance (Shri Yashwant Rao Chavan) : (a) The rates of interest on deposits are prescribed by the Reserve Bank of India for all scheduled commercial banks. In determining the rates a number of factors such as the rate of return on equity, the general structure of interest rates in the organised money market, the bank rate and the rates of interest at which Centre and State Governments raise their market borrowings, are taken into account.

(b) Over the last four years the deposit growth of nationalised banks has shown increases as follows :

Deposits (excl. inter-bank deposits) of nationalised banks

As at the end of December	Deposits (Rs. crores)
1969	2758
1970	3215
1971	3924
1972	4711
1973	5663
	(Provisional)

(c) A variety of interest rates is charged by banks on various kinds of advances. The minimum lending rate for large accounts is presently fixed by the RBI at 11%. Advances to certain exempted categories like priority sector advances are charged lower interest rates.

Advances against commodities subject to selective credit control are charged a minimum interest rate of 13%. Advances under the Differential Interest Rate Scheme are charged interest at 4% per annum.

**Alleged Mismanagement of Branches of L.I.C. in Indore Division of
Madhya Pradesh**

1537. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 4874 on the 14th December, 1973 regarding alleged mismanagement of Branches of L.I.C. in Indore Division of Madhya Pradesh and state :

- (a) whether investigation has since been made; and
- (b) if so, the outcome thereof?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) (i) For the alleged misappropriation of money at Mhow Branch Office on 17-7-1973 the concerned employee was placed under suspension and investigation is still in progress.

(ii) As regards allotment of an agent to a particular Development Officer, Ujjain Branch, the Corporation is satisfied that this was in order.

(iii) The misunderstanding between Class III employees and the Development Officers attached to the two Branches in Gwalior was cleared promptly by the intervention of the Divisional Manager.

(iv) As regards heavy expenditure on telephone and motor cars etc. at Indore and other offices, a budget committee has already been constituted at Indore which keeps expenditure under constant scrutiny so that it remains within the sanctioned budget.

**Withdrawal of facility of Loans from Nationalised Banks to persons engaged in various
Professions**

1538. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) whether the facility of loans from nationalised banks available to the persons engaged in various professions (doctors, engineers, lawyers) to promote their professions has been withdrawn;

(b) if so, the reasons therefor; and

(c) if not, the reasons for withdrawal of this facility by the United Commercial Bank?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir,

(b) Does not arise.

(c) United Commercial Bank has reported that it has not withdrawn the scheme of giving financial assistance to persons engaged in various professions.

पटसन उत्पादन के कृषि योग्य क्षेत्र को कम करना

1539. श्री डी० डी० देसाई : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने बंगलादेश सरकार को सूचित किया है कि भारत धीरे-धीरे पटसन के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र को कम कर देगा जिससे बंगलादेश का पटसन के ऊपर एकाधिकार बना रहे; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं।

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बाजार ऋण कार्यक्रमों के लिए बैंकों द्वारा गुजरात को दी गयी धनराशि

1540. श्री डी० डी० देसाई : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों की ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजनाओं के विकास के लिए और बाजार ऋण कार्यक्रमों के लिए बैंक ऋण देते हैं; और

(ख) बाजार ऋण कार्यक्रमों के लिए गुजरात को कितनी धनराशि दी गई?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) 31 मार्च, 1973 को गुजरात में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की सरकारी प्रतिभूतियों और वांडों तथा राज्य से सम्बद्ध निकायों के ऋण पत्रों में लगाई गई पुंजी 134.59 करोड़ रुपये थी।

मैसर्ज कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस संबंधी गुम हुई फाइल

1542. श्री मुख्तियार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्ज कर्नाटक एक्सपोर्ट हाउस से सम्बन्धित फाइल, जो नवम्बर 1972 से गुम हो गई है, सरकार द्वारा इस बीच ढूँढ़ ली गई है अथवा दोबारा बना ली गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) : प्रश्नाधीन फाइल फिर से बना ली गई है?

हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा कृषकों को धन का दिया जाना

1543 श्री मुख्तयार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1973-74 के दौरान हरियाणा में राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा किसानों को अब तक कितना धन दिया गया और वर्ष 1974-75 में इस प्रयोजन हेतु कितनी धनराशि रखी गई है ; और

(ख) उस राज्य में अब तक राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा सरकारी तथा गैर-सरकारी उद्योगों में कितना पूंजी निवेश किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवतराव चव्हाण) : (क) जून 1973 के अन्त तक हरियाणा राज्य में वाणिज्यिक बैंकों द्वारा कृषि के लिये दिये गये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अग्रिमों की बकाया धनराशि 1768.46 लाख रुपये थी। चूंकि कृषि के लिये ऋण देना प्रायः कई बातों पर निर्भर करता है जैसे स्थानीय क्षमता, आधारभूत ढांचे की उपलब्धता, मौसम संबंधी परिस्थितियां तथा बैंकों की शाखाओं का संगठनात्मक ढांचा, इसलिए बैंक प्रत्येक राज्य के लिए कृषि के लिए ऋण देने के वास्ते पहले से ही कोई धनराशि निर्धारित नहीं करते।

(ख) दिसम्बर 1973 के अन्त तक हरियाणा राज्य में सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा गैर-सरकारी और सरकारी उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की राशि 9333.60 लाख रुपये थी।

हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों में जीवन बीमा निगम द्वारा पूंजी निवेश

1544 श्री मुख्तयार सिंह मलिक :

श्री वीरेन्द्र सिंह राव :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1974-75 में हरियाणा के पिछड़े क्षेत्रों में अधिक पूंजी लगाने के बारे में कोई नया प्रस्ताव जीवन बीमा निगम के बिचाराधीन है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) वित्तीय वर्ष 1974-75 में जीवन बीमा निगम द्वारा हरियाणा राज्य में पूंजी निवेश करने का बजट उस वित्तीय वर्ष के आरम्भ होने पर बनाया जायेगा। जीवन बीमा निगम द्वारा राज्यों में किये जाने वाले निवेशों में से अधिकांश राज्य-स्तर के विभिन्न अभिकरणों के माध्यम से किये जाते हैं और ये अभिकरण ही तय कर सकते हैं कि जीवन बीमा निगम से उपलब्ध धन में से कितनी रकम पिछड़े क्षेत्रों में खर्च की जायेगी।

पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन

1545. श्री ज्योतिर्मय बसु :

श्री बयालार रवि :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात बढ़ाने हेतु पटसन उद्योग को दी गयी वित्तीय तथा रियायतों का मुख्य व्यौरा क्या है ;

(ख) पटसन उद्योग को दी गई रियायतों के परिणामस्वरूप राजकोष को अनुमानतः कितनी हानि हुई ; और

(ग) इन रियायतों के परिणामस्वरूप देश की विदेशी मुद्रा की आय में कितनी वृद्धि हुई ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) भारतीय पटसन निर्मित माल को अधिक प्रतियोगी बनाने और उनके निर्यात वढ़ान के लिये कालीन अस्तर और हेथियन विषयक निर्यात शुल्क ढांचे को उसमें 1 नवम्बर, 1973 तथा 12 जून, 1973 की कमी करके संशोधित कर दिया गया और 28 अगस्त, 1973 को टाट पर लगने वाला शुल्क समाप्त कर दिया गया। पटसन उद्योग को भी प्रार्थमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल कर लिया गया है ताकि वह 31 मई, 1974 के बाद स्थापित संयंत्र तथा मशीनों की लागत का 20 प्रतिशत आरम्भिक मुल्यह्रास भत्ता हासिल कर सके जिससे कि आधुनिकीकरण और उत्पाद विकास के लिये निवेश के लिए धन जुटाया जा सके। इसके अतिरिक्त औद्योगिक वित्त निगम उद्योग को सरल शर्तों पर रियायती व्याज दर से ऋण देता है।

(ख) निर्यात शुल्कों में की गई इन तरमीमों के परिणामस्वरूप राज्यों की आय में अनुमानित राजस्व हानि 1 नवम्बर, 1972 को लगभग 4—5 करोड़ रु० प्रतिवर्ष, 12 जून, 1973 को लगभग 5.20 करोड़ रु० प्रतिवर्ष तथा 28 अगस्त, 1973 को 11.30 करोड़ रु० प्रतिवर्ष की हुई।

(ग) आशा है कि निर्यात शुल्क में संशोधन हो जाने से भारतीय निर्यात फिर 1971 से पहले की उसी प्रतियोगी स्थिति में आ जायेगा जबकि शुल्क लागू किये गये थे। इन रियायतों से विदेशी मुद्रा की आय पर पड़ने वाले असर का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता। फिर भी निर्यात शुल्कों के संशोधित किये जाने के बाद की गई निर्यात संविदाओं में हुई प्रत्यक्ष वृद्धि ध्यान देने योग्य है।

कपड़ा कंपनियों को निर्यात में वृद्धि करने के लिये नकद सहायता देना

1546 श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कपड़ा कम्पनियों के नाम, पते और ब्यौरा क्या हैं जिन्हें गत दो वर्षों में निर्यात में वृद्धि करने के लिये नकद सहायता दी गई है, और प्रत्येक मामले में कितनी सहायता दी गई है ;

(ख) इन कम्पनियों ने उक्त नकद सहायता का किस प्रकार उपयोग किया ;

(ग) क्या इन कम्पनियों में से किसी कम्पनी के विरुद्ध सहायता के दुरुपयोग के कोई आरोप हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(घ) दोषी कम्पनियों के विरुद्ध यदि कोई कार्यवाही की गई है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (घ) कपड़ा कम्पनियों को अपने निर्यात वढ़ाने के लिये उपयोग हेतु सरकार द्वारा कोई नकद उपदान नहीं दिया जा रहा है। जहां तक सूती वस्त्र निर्यातकों को भारतीय सूती संघ द्वारा नकद सहायता दिये जाने का संबंध है, वह इस प्रकार के निर्यात हो जाने के पश्चात् वास्तविक निर्यातों के आधार पर दी जाती है। क्योंकि इसकी कोई शर्त नहीं है कि नकद सहायता के रूप में दी गयी राशि का उपयोग किस प्रकार किया जाना चाहिए, अतः इसके दुरुपयोग किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

जैम्स फिनले एंड कंपनी लिमिटेड

1547. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाया गया है कि जैम्स फिनले एण्ड कंपनी लिमिटेड भारत में अपनी संपत्ति क्रमबद्ध तरीके से परिसमाप्त करती जा रही है;

(ख) क्या इस कम्पनी का विचार अब चार चाय बागान (एक दूआस में और तीन आसाम में) बेचने का है और 10 बागान वह पहले ही बेच चुकी है;

(ग) क्या बेची जाने वाली सभी फर्में स्टर्लिंग कंपनियां हैं और उनसे प्राप्त होने वाली समूची राशि विदेश भेज दी जाएगी ; और

(घ) यदि हां, तो बेची गई या बेची जाने वाली फर्मों के नाम क्या हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) जी, हां ।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त सूचना के अनुसार इस कंपनी द्वारा इस समय तक किसी भी चाय बागान की बिक्री का कोई भी प्रस्ताव नहीं है तथा 1968 से इस कंपनी ने केवल एक ही चाय बागान बेचा है ;

(ग) और (घ) इस कंपनी द्वारा फर्मों को बेचने का कोई भी प्रस्ताव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है ।

सचिवों और संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रमों और भत्तों में किए गए परिवर्तन

1548. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सचिवों और संयुक्त सचिवों के वेतन-क्रम और भत्ते बढ़ाते समय उनके वेतन-क्रमों में कुछ परिवर्तन किए गए थे ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और किस के आदेश से और वेतन आयोग की किन सिफारिशों के अनुसार ऐसा किया गया था ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) भारत सरकार के संयुक्त सचिवों, अपर सचिवों और सचिवों के वेतनमान 1965 में संशोधित किये गये थे, क्योंकि वे 1947 से अपरिवर्तित रहे थे और अखिल भारतीय सेवाओं तथा केन्द्र की श्रेणी-1 की सेवा में भरती की प्रणाली के अध्ययन से सरकारी सेवा के उच्चतर वेतनमानों में संशोधन करना आवश्यक प्रतीत हुआ था ।

दिल्ली में सिनेमा मालिकों तथा फिल्म वितरकों के विरुद्ध कर की बकाया राशि

1549. श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सिनेमा मालिकों और फिल्म वितरकों के विरुद्ध बकाया कर की भारी राशि को वसूल करने के मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ख) वसूली करने के लिए दण्ड उपबंधों को लागू न करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या किशतों के भुगतान में चूक होने की स्थिति में कोई ब्याज भी लगाया जाता है ;
चौर

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस प्रकार के कितने मामले हैं जहां ऐसे उपबंधों को लागू किया गया है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) दिल्ली के सिनेमा मालिकों और फिल्म-वितरकों की ओर 1-4-1973 को मांग की बकाया की रकम, जहां प्रत्येक मामले में बाकी पड़ी मांग 1000 रु० से अधिक की थी, 12.68 लाख रु० थी। 31-1-1974 को, बकाया की यह रकम 6.84 लाख रुपये थी।

(ख) सभी मामलों में, यथा आवश्यकतानुसार, आयकर अधिनियम के दंडिक उपबंधों का उपयोग किया जाता है।

(ग) उन सभी मामलों में ब्याज लगाया जाता है जहां किशत की अदायगी में चूक की गयी हो।

(घ) यह सवाल नहीं उठता, क्योंकि उन सभी मामलों में जहां किशतों की अदायगी में चूक की गयी हो, ब्याज लगाया जाता है।

इस प्रकार के मामलों की संख्या जिनमें ऐसे उपबंध लागू किये गये हैं, 4 हैं।

युवक होस्टलों का प्रबंध युवक होस्टल एसोसियेशन को सौंपने की मांग]

1550. श्री डी०बी० चन्द्रगौड़ा : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चौथी पंचवर्षीय योजना में देश में बनाए गए 16 युवक होस्टलों का प्रबंध युवक होस्टल एसोसियेशन को सौंपने की मांग हाल में सरकार से की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) इन युवा-होस्टलों को कौन से अभिकरण (एजेंसी) द्वारा चलाया जायेगा इस संबंध में अंतिम निर्णय पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

मैसूर में काजू कारखानों का बंद होना

1551. श्री डी०बी० चन्द्रगौड़ा : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंगलौर (मैसूर) में कच्चे काजूओं की कमी के कारण काजू तैयार करने वाले कुछ एकक बंद कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके फलस्वरूप कितने व्यक्ति बेरोजगार हो गए हैं तथा उनको अन्य उपयुक्त नौकरियों में खपाने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किए हैं ;

(ग) क्या अफ्रीका से कच्चे काजू प्राप्त करने संबंधी कार्य में निगम की अकुशलता तथा अनुचित प्रयोजना के कारण स्थिति अधिक बिगड़ गई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) काजू साधित करने का उद्योग मौसमी होने और साधित किये जाने की स्थापित क्षमता आयातों और स्थानीय उत्पादन दोनों से उपलब्ध कच्चे काजू के मुकाबले काफी बढ़ी चढ़ी होने के कारण काजू फैक्टरियां मंदी के दिनों में बंद कर देनी पड़ती हैं। मंगलौर में ऐसी पांच काजू फैक्टरियां हैं जो आयातित काजू के आवंटन की पात्र हैं और इन में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 5120 है। काजू साधित करने वाली फैक्ट्रियों के बंद रहने की अवधि के दौरान कर्मचारियों को रोजगार के उन वैकल्पिक अवसरों का आश्रय लेना पड़ता है जो उपलब्ध होते हैं।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के पालामऊ जिले में राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखाएं खोलना

1553. **कुमारी कमला कुमारी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के पालामऊ जिले में किसानों को ऋण देने के लिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुछ और शाखाएं खोली जायेंगी ; और

(ख) यदि हां, तो कितनी शाखाएं खोली जायेंगी ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के पास पालामऊ जिले में 11 और कार्यालय खोलने के लाइसेंस/निर्धारण पड़े हैं। वाणिज्यिक बैंकों में कृषि क्षेत्र को अधिक से अधिक सहायता देने की जो प्रवृत्ति दिखाई दे रही है उसे देखते हुए यह आशा की जाती है कि जब वे अपने कार्यालय अपने-अपने क्षेत्रों में खोलेंगे किसानों को कृषि संबंधी ऋण और मिलेगा।

चाय बागानों में संकट

1554. **श्री रानेन सेन :** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से चाय बागान संकटावस्था से गुजर रहे हैं जिसका प्रभाव चाय के मूल्य बागानों की स्थिति एवं चाय उद्योग में काम कर रहे श्रमिकों के जीवनयापन तथा रहन-सहन के स्तर पर पड़ा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बागानों तथा श्रमिकों की स्थिति में सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए०सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

एयर इंडिया द्वारा अपनी कलकत्ता को जाने वाली/से होकर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या में वृद्धि

1555. **श्री रानेन सेन :** क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी०ओ०ए०सी० का विचार कलकत्ते से होकर जाने वाली अपनी उड़ानों में वृद्धि करने का है ;

(ख) क्या एयरइण्डिया भी कलकत्ता से होकर जाने वाली अपनी अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में वृद्धि करने पर विचार कर रही है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने कलकत्ता और दिल्ली और बम्बई के बीच किरायों के अंतर को दूर करने की वांछनीयता पर विचार किया है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) बी०ओ०ए०सी० से अभी तक ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि एयर इंडिया को पता चला है कि बी०ओ०ए०सी० का कलकत्ता से होते हुए हांगकांग से लंदन तक की पश्चिमवर्ती एक अतिरिक्त बी०सी०-10 उड़ान का परिचालन करने का प्रस्ताव है।

(ख) एयर इंडिया की फिलहाल ऐसी कोई योजनाएं नहीं हैं।

(ग) भारत के स्थानों से विश्व के विभिन्न स्थानों तक अंतर्राष्ट्रीय यात्री किराए ऐसे तत्वों पर आधारित हैं जैसे मार्ग का स्वरूप, उद्गम तथा गन्तव्य स्थानों के बीच की दूरी, इत्यादि।

फ्लाइंग क्लबों का बंद होने की स्थिति में आ जाना

1556. श्री राम कंबर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विमानों के कल-पुर्जों और उड़ान ईंधन की बढ़ी हुई कीमतों के कारण सारे देश में फ्लाइंग क्लबों को अपनी गतिविधियां बंद करनी पड़ रही हैं, क्योंकि कल-पुर्जों और विमान ईंधन की बढ़ी हुई कीमत से उनके सीमित संसाधनों में गंभीर रूप से कमी हुई है ;

(ख) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ग) इससे नये वाणिज्यिक विमानचालकों के प्रशिक्षण पर कितना प्रभाव पड़ेगा ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) : हाल ही में विमान ईंधन की कीमत में हुई वृद्धि ने फ्लाइंग क्लबों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डाल दिया है तथा उनमें से कुछ क्लबों ने निवेदन किया है कि यदि सरकार उनकी सहायता नहीं करती तो उन्हें क्लब बंद कर देने पड़ेंगे। मामले पर शौर किया जा रहा है।

(ग) वाणिज्यिक विमान-चालकों की वर्तमान बेरोजगारी के प्रसंग में 1 अप्रैल, 1971 से क्लबों में सहायता प्राप्त उड़ान को निजी विमानचालक के लाइसेंस के स्तर तक (अर्थात् 60 घंटे तक) सीमित कर दिया गया है। इस प्रकार नये प्रशिक्षु पहले ही इस सीमा से अधिक सहायता प्राप्त उड़ान करने से वंचित हैं।

इंडियन एयरलाइंस द्वारा टैरिफ में वृद्धि करने के कारण अतिरिक्त राजस्व

1557. श्री राम कंबर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सभी विमान मार्गों पर अभी हाल में टैरिफ में वृद्धि कर देने के परिणामस्वरूप इण्डियन एयरलाइंस को कितना अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : सभी मार्गों पर किराये में 25 प्रतिशत की वृद्धि के परिणामस्वरूप 1974-75 के दौरान इण्डियन एयरलाइंस को प्राप्त होने वाले संभावित अतिरिक्त राजस्व का अनुमान 15 करोड़ रुपये लगाया है जो कि अधिकांशतः विमानन ईंधन की बढ़ी हुई कीमत तथा अन्य संधारण व्यय में वृद्धि को संतुलित करने के काम आयेगा।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा अप्राधिकृत ऋण देना

1558. श्री राम कंवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया अपने नियमों-विनियमों का उल्लंघन करके ऋण देता रहा है ;

(ख) ऐसे उदाहरण कौन-कौन से हैं जहां प्रतिभूति के बिना गृह-निर्माण के लिये बैंक द्वारा दिये गये ;

(ग) हरियाणा कैमीकल्स एण्ड पेस्टीसाइड्स, बहादुरगढ़ को बैंक ने कितना ऋण दिया है और या इस कम्पनी ने उसका नियमित भुगतान किया है; यदि नहीं तो क्यों ; और

(घ) क्या ऐसे टैक्सी ड्राइवरो को ऋण दिये गये हैं जो टैक्सियां नहीं चलाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि उसके पास ऐसा कोई मामला नहीं आया जिसमें सेंट्रल बैंक ने अपने नियमों और विनियमों का उल्लंघन करके ऋण दिये हों। न ही रिजर्व बैंक के पास ऐसा कोई मामला आया है जहां बैंक ने बिना जमानत लिए मकान बनाने के लिए ऋण दिया हो।

(ग) हरियाणा केमिकल एण्ड पेस्टीसाइड्स, बहादुरगढ़ बैंक का संघटक है। परन्तु बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अन्तरण) अधिनियम, 1970 के उपबंधों और बैंकों के बीच प्रचलित प्रथा और रिवाज के अनुसार किसी व्यक्तिगत संघटक के संबंध में व्यौरा नहीं बताया जा सकता।

(घ) सेंट्रल बैंक ने बताया है कि केवल एक खाता ऐसा है जिसके संबंध में बैंक द्वारा टैक्सी के लिए दिया गया ऋण उस प्रयोजन के लिये इस्तेमाल नहीं किया गया था और ऋण की पूरी रकम जुलाई, 1972 में वापिस कर दी गयी है।

सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा फर्नीचर की खरीद

1559. श्री राम कंवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सेंट्रल बैंक आफ इंडिया फर्नीचर और शान-शौकत की वस्तुओं की खरीद पर अत्यधिक व्यय कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) सेंट्रल बैंक आफ इंडिया ने सूचना दी है कि वे फर्नीचर और शान-शौकत की वस्तुओं की खरीद पर अत्यधिक व्यय नहीं कर रहे हैं।

(ख) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

ऊनी चिथड़ों का जलत किया जाना

1560. श्री राम कंवर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमाशुल्क अधिकारियों ने ऊनी चिथड़ों की अनेक गांठों को फिर से जलत किया है, क्योंकि इनमें अधिक मात्रा में अन्य वस्तुएं थीं ;

(ख) यदि हां, तो इन चिथड़ों के बीच जो अन्य वस्तुएं पायीं गयीं उनका ब्यौरा क्या है ;
और

(ग) क्या उन आयातकों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है जो आयात के लिये अधिकृत वस्तुओं के स्थान पर अन्य वस्तुओं का आयात करके सरकार को धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) बम्बई के सीमाशुल्क प्राधिकारियों ने ऊन के चिथड़ों की 16 खेपों को जिनमें 2986 गांठें हैं, रोक लिया है क्योंकि आयातित माल, आयात लाइसेंसों में दिये गये माल के विवरण के अनुरूप नहीं है। इन आयात लाइसेंसों को संशोधित आयात-नीति की शर्तों के अनुसार जारी किया गया है, जिसमें यह अपेक्षा की गई है कि जहाज पर लादने के पूर्व "पुराने ऊनी चिथड़ों" को विदेश में ही अनुपयोगी बना दिया जाय और "नए ऊनी चिथड़ों" के अन्तर्गत ऐसे रद्दी ऊनी कपड़े आने चाहिए जिनका आकार 24 वर्ग इंच से अधिक नहीं हो।

(ख) रोके गए माल में से 12 खेपों में आयात की गई 2573 गांठों में उपयोगी वस्तुओं का काफी बड़ा प्रतिशत है, एक खेप में आयात की गई 80 गांठों में उपयोगी वस्तुओं का प्रतिशत 5 से कम है, तथा 3 खेपों में आयात की गई 333 गांठों में 24 वर्ग इंच से अधिक आकार की टेलर कटिंग हैं।

(ग) आयात-कर्ताओं के विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के बारे में जांच की जा रही है।

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की आय में वृद्धि करने के उपाय

1561. श्री एस०सी० सामन्त :

श्री एस०बी० पाटिल :

क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयर लाइंस के कर्मचारियों के वेतनों आदि में वृद्धि होने, इनके कार्यकरण का खर्चा बढ़ जाने और ईंधन की लागत में हुई वृद्धि से खर्च में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस की आय में वृद्धि करने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ;

(ख) उक्त उपायों के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) क्या आगामी वर्षों में उक्त उपक्रम लाभ में चलने की स्थिति में होंगे ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) से (ग) दोनों विमान कंपनियों में से अपव्ययी पद्धतियों को समाप्त करने के लिए उपाय किये जा रहे हैं। दोनों विमान कंपनियों व्यय में किफायत करने के लिए सभी संभव उपाय अपना रही हैं। एयर इंडिया ने अपनी आय में सुधार करने के लिए कई प्रोत्साही किराये प्रारम्भ किये हैं। दोनों विमान कंपनियों ने परिचालात्मक कुशलता में सुधार करने के लिए भी कदम उठाये हैं। यद्यपि इन उपायों से प्राप्त हुए लाभों की मात्रा का अनुमान लगाना

संभव नहीं है फिर भी यह आशा की जाती है कि विमान-कंपनियों की लाभदायकता में काफी सुधार होगा। तथापि, उन की लाभदायकता पर ईंधन की कीमतों में अत्यधिक वृद्धि के प्रभाव का इस समय पूरी तरह से मूल्यांकन नहीं किया जा सकता।

Steps to Encourage Production and Trade of Mica

1562. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether Government have taken any step to encourage the production and trade of mica, if so, the particulars thereof; and

(b) the percentage of the total production of mica which is exported to other countries and consumed within the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Government have been taking various measures for increasing the production and export of mica. A Committee named Mica Advisory Committee was set up to consider steps which should be taken to increase production and export of mica. As a result of the recommendations made by the Committee, export duties leviable on different grades of mica were decreased and floor prices revised in order to make production of mica remunerative to the mine-owners as well as to make it available to foreign buyers at competitive prices. A Delegation led by an officer of this Ministry and representatives of the trade was sent to important consuming countries in the world to promote exports of lower grades of mica. Assistance is being provided to the mica industry to increase the production of fabricated and manufactured products and their exports.

(b) Nearly entire production of mica is exported, only a small percentage of the production being consumed within the country.

Branches of Banks in the Country

1563. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Finance be pleased to state:

(a) the total number of branches of various Banks in the country;

(b) the number of Branches of each bank, separately, State-wise; and

(c) the number of branches of Banks before the nationalisation of Banks and the extent to which their number has increased after the bank nationalisation?

The Minister of Finance (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) & (c) The number of offices of the commercial banks in the country increased from 8321 on the eve of bank nationalisation to 16,503 as at the end of December, 1973.

(b) The required information as at the end of December, 1973 relating to the State Bank of India, each of the Nationalised banks and Subsidiaries of the State Bank of India, Foreign Banks and other Indian commercial banks as separate groups, is set out in the Annexure. [Placed in the Library. See No. L.T.-6284/74].

Profit/Loss from Cottages set up by I.T.D.C. at Kovalam and Mahabalipuram

1564. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) the number of tourists who stayed during 1973 in the cottages set up by the India Tourism Development Corporation on the sea coast of Kovalam and Mahabalipuram ;

(b) the number of foreign and Indian tourists out of them, separately ; and

(c) the amount of profit earned or loss suffered during 1973 by India Tourism Development Corporation from the cottages of Kovalam and Mahabalipuram ?

The Minister of State in the Ministry of Tourism and Civil Aviation (Dr. Sarojini Mahishi : (a) and (b) The Cottages at Kovalam known as 'Kovalam Grove' were commissioned on 17-12-1972 and the Cottages at Mahabalipuram now known as 'Temple Bay' were commissioned on 19-3-1973.

The number of tourists who stayed at these cottages is indicated below :—

Name of Cottage	Period	No. of foreign tourists	No. of Indian tourists	Total
Kovalam Grove	1-1-1973 to 31-12-1973.	1648	1553	3201
Temple Bay	1-4-1973 to 31-12-1973	1689	1654	3343

(c) During 1972-73 both the units suffered losses which is as under :—

	(Rs. in lakhs)	
Kovalam Grove	6.27	Includes depreciation of Rs. 3.02 lakhs and Development Rebate Reserve of Rs. 3.21 lakhs.
Temple Bay	3.41	Includes depreciation of Rs. 1.39 lakhs and Development Rebate Reserve of Rs. 1.19 lakhs.

Arrears of Income Tax against Film Stars

1565. Shri Shankar Dayal Singh : Will the Minister of Finance be pleased to state :

(a) the names of film stars; producers and directors against whom Income-tax arrears amounting to more than rupees one lakh are outstanding ; and

(b) the steps being taken by Government to realise this amount ?

The Minister of State in the Ministry of Finance (Shri K. R. Ganesh) : (a) The names of film stars, producers and directors against whom Income-tax arrears amounting to more than rupees one lakh were outstanding as on 31st December, 1973 are given in Annexure 'A'. [Placed in the Library. See No. L.T.—6285/74]

(b) The steps being taken by the Government to realise the arrears include the following :—

- (i) Issue of certificates to the Tax Recovery Officer.
- (ii) Attachment and/or sale of moveable and immovable assets.
- (iii) Attachment of bank accounts and realization of credit balances therein.
- (iv) Attachment of pictures produced by the producers.

- (v) Attachment and realisation of rent receivable from tenants of the properties belonging to the assesseees.
- (vi) Issue of garnishee notices under section 226 (3) to debtors and distributors, etc.
- (vii) Enforcement of recovery of instalments allowed for payment of taxes.
- (viii) Annulment of charges created on property with the intention to defraud revenue under section 281 of the Income-tax Act, 1961.
- (ix) Effecting recovery from Official Assignee where an assessee is declared insolvent.
- (x) Appointment of Receiver.
- (xi) Expeditious disposal of pending actions like appeals, rectifications, etc.

ब्रिटेन से ऋण

1566. श्री बी० मायावन :

श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) क्या ब्रिटेन ने हाल में भारत को 62.6 करोड़ रुपये का ऋण दिया है ;
- (ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ; और
- (ग) भारत सरकार द्वारा इस ऋण का उपयोग किस सीमा तक किया जायेगा ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां। पहली फरवरी, 1974 को नयी दिल्ली में ब्रिटेन सरकार द्वारा कुल मिला कर 62.6 करोड़ रुपये (3.3 करोड़ पाँड) की रकम के दो ऋण करारों पर हस्ताक्षर किये गये थे।

(ख) और (ग) 1965 से ले कर भारत को ब्रिटेन द्वारा दिये गये सभी ऋणों की तरह ये दोनों ऋण भी सभी प्रकार के व्याज प्रभारों से मुक्त होंगे और इन पर और किसी प्रकार का सेवा प्रभार नहीं देना पड़ेगा और इन्हें 25 वर्ष की अवधि में वापस करना पड़ेगा जिस में 7 वर्ष की प्रारंभिक रियायती अवधि शामिल है। 47.4 करोड़ रुपये (2.5 करोड़ पाँड) के पहले ऋण (ब्रिटेन/भारत अनुरक्षण ऋण, 1974) का उपयोग भारत सरकार द्वारा ब्रिटेन से परियोजना-भिन्न वस्तुओं के आयात के वित्तपोषण के लिए किया जायेगा। इन में भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चे माल, फालतू पुर्जे, और संघटक शामिल हैं।

दूसरे ऋण (ब्रिटेन/भारत ऋण पुर्नवित्त ऋण, 1974) की रकम 15.2 करोड़ रुपये (80 लाख पाँड) है और यह रकम 1973-74 के लिए ऋण राहत संबंधी व्यवस्था में ब्रिटेन द्वारा दिये गये अंशदान की द्योतक है।

Conference of Asian Chambers of Commerce and Industry

1567. Shri Shrikrishna Agrawal : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

(a) whether a conference of the representatives of the Asian Chambers of Commerce and Industry was held in Delhi recently ;

- (b) if so, the countries that participated in the Conference ;
- (c) whether with a view to achieve self-sufficiency by Asian countries, Government have made any proposals for trade balance ; and
- (d) if so, the particulars thereof and the reactions of the representatives of different countries thereto ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) Yes, Sir. The Conference was organised by the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry.

(b) Representatives of Chambers of Commerce and Industry from Australia, Bangladesh, India, Indonesia, Japan, Republic of Korea, New Zealand, Philippines, Thailand and the Republic of Vietnam participated. Nepal attended as an observer.

(c) In his speech at the Conference, the Minister of Commerce had stated *inter alia* that it should be possible for the developing countries of Asia to enter into long-term and meaningful commitment among themselves with a view to meeting each other's requirements and co-operating in a faster rate of growth of the economies in all the regional countries.

(d) It is reported that the Conference decided to undertake a detailed study of existing trade patterns in the region and to examine the possibility of developing an overall trade and investment plan.

कोका कोला निर्यात निगम

1568. श्री शशि भूषण : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोका कोला निर्यात निगम के लिये 80 प्रतिशत का फार्मूला निर्धारित करते समय मंत्रालय ने श्रम और कच्चे माल जैसी भारतीय सामग्री के मूल्य का भी ध्यान रखा था जैसा कि न्याय-मूर्ति नैन ने गैवरियल के मामले में निर्णय दिया है ;

(ख) निर्यात मूल्य की प्रतिशतता के रूप में निर्यात किये गये माल की लागत कितनी है ;

(ग) क्या सरकार का उक्त फार्मूला में संशोधन करने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो कैसे और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) सरकार ने यह फार्मूला सभी प्रेषणों को निर्यातों से संबद्ध करके बनाया ताकि उन सभी विदेशी मुद्रा प्रेषणों पर नियंत्रण रखा जा सके जो कि सामान्य नियमों के अन्तर्गत किये जा सकते हैं। भारतीय सामग्री आदि के संबंध में कोई विचार इस मामले में संगत नहीं है ।

(ख) फार्मूले के अनुसार जैसा कि 1-4-72 से है कोका कोला निर्यात निगम द्वारा किये गये सभी प्रकार के प्रेषण उनके अपने उत्पादन की मदों से संबंधित किये गये हैं और इसलिये लाभ सेवा प्रभार आदि मिलाकर माल की उत्पादन लागत निर्यातों के जहाज पर मूल्य के बराबर ही है।

(ग) तथा (घ) फार्मूले के क्रियान्वयन पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है और उसमें यथा-आवश्यक परिवर्तन किये जा सकते हैं ।

देश में सरकार द्वारा चलाये जाने वाले होटलों को हुआ लाभ
अथवा हानि

1569. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में सरकार द्वारा चलाये जा रहे होटलों की संख्या तथा नाम क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त होटलों के लाभ/हानि का व्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे क्या कदम उठाये गये हैं कि जिनसे इन होटलों में पिछले समय की हानि को रोका जा सके और लाभ बढ़ाया जा सके ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) भारत पर्यटन विकास निगम, जो कि सरकारी क्षेत्र का एक उद्यम है, देश में निम्नलिखित 12 होटलों का परिचालन कर रहा है:—

अशोक होटल, नई दिल्ली

अकबर होटल, नई दिल्ली

होटल जनपथ, नई दिल्ली

होटल रणजीत, नई दिल्ली

नोधी होटल, नई दिल्ली

कुतुब होटल, नई दिल्ली]

होटल अशोक, बंगलौर

लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर

औरंगाबाद होटल, औरंगाबाद

खजुराही होटल, खजुराही

कोवालम ग्रीव, कोवालम

वाराणसी होटल, वाराणसी

इसके अतिरिक्त राज्य सरकारों के निगम भी कुछ होटलों का परिचालन कर रहे हैं ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) औरंगाबाद, खजुराही, कोवालम तथा उदयपुर स्थित होटलों के संबंध में वर्ष 1972-73 के दौरान अधिक हानि होने का मुख्य कारण इन होटलों के लिये पूरे वर्ष के लिये मूल्य-ह्रास तथा विकास छूट आरक्षण की व्यवस्था है जबकि ये होटल (लक्ष्मी विलास पैलेस होटल—विस्तृत धारिता के साथ) वास्तव में उक्त वर्ष के दौरान तीन से छः मास की अवधि के लिये परिचालन में थे । इन होटलों की लाभप्रदता में सुधार करने के लिये और अधिक मार्केटिंग प्रयत्न किये जा रहे हैं । इसके अतिरिक्त अधिकांश होटलों में 'ग्रुप टैरिफ' लागू किये गये हैं और कोवालम ग्रीव में 'आफ सीजन टैरिफ' प्रारम्भ कर दिये गये हैं ।

विवरण	(लाख रुपयों में)		
	1970-71	1971-72	1972-73
होटल का नाम			
1. अशोक होटल, नई दिल्ली	(+) 18.71	(+) 16.06	(+) 27.06
2. अकबर होटल, नई दिल्ली (27-1-72 से चालू किया गया)	--	(--) 13.77	(+) 6.79
3. होटल जनपथ, नई दिल्ली	(+) 10.88	(+) 10.64	(+) 10.48
4. होटल रणजीत, नई दिल्ली	(--) 4.00	(--) 4.36	(--) 1.83
5. लोधी होटल, नई दिल्ली	(--) 1.95	(--) 2.48	(--) 0.67
6. होटल अशोक, बंगलौर (1-5-71 से चालू किया गया)	--	(--) 12.11	(+) 5.63
7. लक्ष्मी विलास पैलेस होटल, उदयपुर (जनवरी 1973 से 23 कमरे जोड़कर विस्तार किया गया)	(--) 0.36	(--) 0.49	(--) 4.72
8. ग्रौरंगाबाद होटल, ग्रौरंगाबाद (1-10-1972 से रेलवे से लिया गया)	--	--	(--) 1.17
9. खजुराहो होटल, खजुराहो (40 कमरे मिलाकर विस्तार किया गया तथा 19-11-1972 से होटल में बदला गया)	--	--	(--) 3.29
10. कोवालम ग्रोव, कोवालम (17-12-1972 से चालू किया गया)	--	--	(--) 6.27
11. वाराणसी होटल, वाराणसी		सितम्बर, 1973 से परिचालित	
12. कुतुब होटल, नई दिल्ली		4 नवम्बर, 1973 से परिचालित	

स्टर्लिंग रिजर्व के मूल्य के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ वार्ता

1570. श्री पी० जी० मावलंकर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीकी डालर की तुलना में "स्टर्लिंग रिजर्व" के मूल्य पर ब्रिटेन द्वारा गारंटी देने के बारे में लंदन में ब्रिटिश अधिकारियों के साथ कोई वार्ता की है; और

(ख) यदि हां, तो लन्दन में यदि कोई समझौते हुये हैं तो उन समझौतों के पाठ सहित सार क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) स्टर्लिंग रिजर्व के मूल्य पर ब्रिटेन द्वारा गारन्टी देने के बारे में ब्रिटेन के अधिकारियों के साथ कोई औपचारिक वार्ता नहीं हुई थी।

(ख) यह प्रश्न उपस्थित नहीं होता।

राष्ट्रीयकृत बैंकों की ऋण नीति का पुनर्विलोकन करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन

1571. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कृत बैंकों की ऋण नीति तथा ऋण मंजूरी की प्रक्रिया पर विचार करने के लिये संसदीय समिति नियुक्त किये जाने की मांग करने वाले ज्ञापन जो 18 अप्रैल, 1973 को 206 संसद् सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया था पर सरकार ने कोई निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय लिया गया; और

(ग) यदि नहीं, तो किस तिथि तक निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) समय-समय पर, सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य के विभिन्न पहलू वित्त मंत्रालय की संसदीय परामर्श समिति के विचारार्थ उपस्थित हुये हैं। जनवरी 1974 में, प्राक्कलन समिति ने पहली बार समाज के कमजोर वर्ग के लिये और पिछड़े इलाके के विकास के लिये ऋण देने के बारे में सरकारी क्षेत्र के बैंकों के कार्य से संबंधित विभाग के कर्मचारियों की जांच की थी। इसे ध्यान में रखते हुये सरकार का यह विचार है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के द्वारा ऋण स्वीकार करने की नीति और प्रक्रिया की जांच करने के लिये पृथक संसदीय समिति स्थापित करना आवश्यक नहीं है।

कम बैंक वाले राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र

1572. श्री नारायण चन्द्र पाराशर : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां बैंक कम हैं; और

(ख) ऐसे राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नये बैंक खोलने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) किसी क्षेत्र में बैंकों की संख्या बढ़ाने या यूं कहिये कि वहां बैंकिंग सुविधायें बढ़ाने के बारे में विचार करते समय उस क्षेत्र की जनसंख्या कितनी है, वहां तक उस क्षेत्र का शहरीकरण हुआ है, आर्थिक गतिविधि किस स्तर की है, उसमें बचत करने की क्षमता कितनी है तथा ऋण ग्रहण करने की कितनी क्षमता है जैसे बहुत-सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। इन बातों में प्रत्येक के संबंध में विस्तृत जानकारी न होने की स्थिति में किसी क्षेत्र में बैंकिंग सुविधाओं के विकास के लिये प्रत्येक बैंक कार्यालय के अन्तर्गत आने वाली जनसंख्या को ही स्थूल और तुरन्त आंकड़ों के रूप में मान लिया जाता है।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण किये जाने से पहले तथा दिसम्बर, 1973 के अन्त में विभिन्न राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों में बैंकों की कितनी शाखायें थी और इन दोनों तारीखों को प्रत्येक राज्य और संघीय राज्य क्षेत्र में प्रति बैंक कार्यालय के पीछे कितनी जन संख्या है इसका विवरण अनुबन्ध में दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखा गया देखिये संख्या एल० टी०-6288/74]

आमतौर पर ऐसे राज्यों और संघीय राज्य क्षेत्रों को कम बैंकों वाले क्षेत्र माना जा सकता है जहां कि प्रति बैंक जनसंख्या अखिल भारतीय जनसंख्या के मुकाबले कहीं अधिक है।

(ख) बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद से बैंक रहित केन्द्रों में नई शाखाएँ खोलने तथा ग्रामीण और अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों खास तौर पर उन क्षेत्रों में जहां बैंक की शाखाएँ बहुत कम हैं, अपनी शाखाओं का जाल बिछाने के लिये जोरदार प्रयास कर रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप ऐसे राज्यों तथा संघीय राज्य क्षेत्रों की जनसंख्या जहां कि प्रतिबैंक जनसंख्या एक लाख से ऊपर है, राष्ट्रीयकरण के अवसर पर (इनमें बैंक रहित चार संघीय राज्य-क्षेत्र भी शामिल थे) 14 में से कम होकर दिसम्बर, 1973 के अन्त में केवल 2 रह गयी है। शाखाओं के विस्तार के लिये तीन वर्षीय योजनाओं की तैयारी में बैंकों से कहा गया है कि वे बैंक सुविधाओं की दृष्टि से पिछड़े हुये क्षेत्रों, खासतौर पर उन जिलों जहां प्रति बैंक कार्यालय के अन्तर्गत जनसंख्या एक लाख से अधिक है, को बैंक संबंधी सुविधाएं देने की और विशेष रूप से ध्यान दें।

**भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा पर्यटन विभाग द्वारा प्रकाशित की जा रही
पर्यटन सम्बन्धी पत्रिकाएँ**

1573. प्रो० नारायण चन्द्र पाराशर : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये भारतीय पर्यटन विकास निगम तथा भारतीय सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कोई पर्यटन संबंधी पत्रिकाएँ प्रकाशित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो उन पत्रिकाओं के नाम क्या हैं तथा वे किन-किन भाषाओं में प्रकाशित की जा रही है एवं वे कहां-कहां से प्रकाशित की जाती है; और

(ग) उनमें से प्रत्येक के परिचालन का अनुपात क्या है ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, हां।

(ख) केवल एक पत्रिका "यात्री-मन्थली न्यूजलेटर" प्रकाशित की जा रही है। इस का प्रकाशन पर्यटन विभाग के लिये भारत पर्यटन विकास निगम द्वारा अंग्रेजी भाषा में दिल्ली से किया जा रहा है

(ग) इसकी औसत मासिक खपत (सर्कुलेशन) 9,000 प्रतियों की है।

टाटा समिति की सिफारिशें

1574. श्री बीरेन्द्र सिंह राव : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागर विमानन विभाग के संगठनात्मक ढांचे तथा कार्यकरण के बारे में जांच करने के लिये नियुक्त की गई टाटा समिति ने इस बीच सरकार को अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या सिफारिश की है; और

(ग) क्या सरकार इस प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखेगी; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) अभी नहीं ।

(ख) और (ग) फिलहाल प्रश्न नहीं उठते ।

**जीवन बीमा निगम के पास पड़ी ऐसी राशि जिसके लिए
दावे नहीं किये गये**

1575. श्री वीरेन्द्र सिंह राव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों से वर्ष-वार तथा जोन-वार जीवन निगम के पास कुल कितनी राशि ऐसी पड़ी है जिसके लिये दावा नहीं किया गया है; और

(ख) इसके दावेदारों का पता लगाने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) जीवन बीमा निगम में वर्ष 1970-71, 1971-72, 1972-73 में पुराने दावों की जो रकमें बकाया पड़ी थीं और जिनके दावेदार नहीं होने से, उनको आगे ले जाया गया, वे नीचे लिखे अनुसार हैं :--

वर्ष	लाख रुपयों में
1970-71	148.83
1971-72	254.61
1972-72	71.82

क्षेत्रवार आंकड़े तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ख) दावों का शीघ्रता से निपटान करने की आवश्यकता के प्रति जीवन बीमा निगम सजग है । निगम दावेदारों का पता लगाने के लिये अपने क्षेत्रीय कर्मचारियों को भेजता है । जिन मामलों में दावेदार आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ होते हैं, उन में जीवन बीमा निगम के कर्मचारी उनको आवश्यक सहायता देते हैं ।

हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखाएं खोलना

1576. श्री वीरभद्र सिंह : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश में चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीयकृत बैंकों की कितने शाखायें खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(ख) उन बैंकों के नाम क्या हैं जिन्होंने शाखायें खोलने के लिये आवेदन द्वारा लाइसेंस मांगे हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) इस समय हिमाचल प्रदेश में चार राष्ट्रीयकृत बैंकों अर्थात् सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास 9 कार्यालय खोलने के लिये लाइसेंस हैं । इंडियन ओवरसीज बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के हिमाचल प्रदेश में 8 और कार्यालय खोलने के प्रस्ताव भी भारतीय रिजर्व बैंक के विचाराधीन है ।

श्रीनगर हवाई अड्डे के एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के रूप में विकास करना

1577. श्री वीरभद्र सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीनगर हवाई-अड्डे का विकास एक अन्तर्राष्ट्रीय हवाई-अड्डे के रूप में किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना की अनुमानित लागत क्या है और इसके कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : (क) और (ख) जी, नहीं। तथापि, सरकार का श्रीनगर में नये स्थान पर एक नये सिविल पैसेंजर टर्मिनल काम्प्लेक्स के निर्माण का प्रस्ताव है जिसके प्लान व व्ययानुमान तैयार किये जा रहे हैं।

कर्नाटक में कृषि के विकास हेतु सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं द्वारा दिया गया धन

1578. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्नाटक में कृषि के विकास हेतु सेंट्रल बैंक आफ इंडिया की शाखाओं के माध्य में कितनी धनराशि दी गई; और

(ख) वर्ष 1972-73 के दौरान बैंकों ने कितनी प्राथमिक कृषि समितियों को धन दिया ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त राव चव्हाण) : (क) जून, 1973 के अन्त में कर्नाटक में सेंट्रल बैंक आफ इंडिया द्वारा कृषि कार्यों (प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों को इक्ठ्ठा लिया जाय तो) के लिए दिए गए अग्रिमों की बकाया रकम 337.07* लाख रुपये थी।

(ख) वाणिज्यिक बैंकों की, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए वित्त पोषण की योजना के अन्तर्गत, 1972-73 के दौरान कर्नाटक में वाणिज्यिक बैंकों ने 597 समितियों का वित्त पोषण किया है।

बड़े औद्योगिक गृहों के निर्यात दायित्वों में छूट

1579. श्री जी० वाई० कृष्णन् : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उसके मंत्रालय ने बड़े औद्योगिक गृहों से संबंधित एककों के निर्यात दायित्वों में कुछ छूट देने का समर्थन किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में हाल में अपनायी गयी भारत की नीति संबंधी रूपरेखा क्या है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े विदेशी निर्माताओं के सहयोग से निर्यात बढ़ाने सम्बन्धी योजनायें

1580. श्री वी० वी० नायक : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विदेशों में बड़े निर्माताओं के सहयोग से पुर्जे जोड़ने तथा पुनः निर्यात करने की कोई योजनायें तैयार की हैं;

(ख) क्या इस संबंध में अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को टैरिफमुक्त क्षेत्र घोषित करने संबंधी कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में निर्बाध पत्तन स्थापित किये जाने कि प्रस्थापना की संभाव्यता पर विचार किया जा रहा है।

विदेशी पर्यटकों को दी गई सुविधायें

1581. श्री बी० वी० नायक : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस देश में विदेशी पर्यटकों को प्रदान की गई सामान्य सुविधायें हिप्पी कहे जाने वाले पर्यटकों के वर्ग पर भी लागू की जाती हैं;

(ख) क्या इस बारे में अभी हाल में कोई शिकायतें हुई हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) पर्यटन विभाग इस देश की यात्रा करने वाले सभी यात्रियों के लिये जब तक वे देश के कानूनों और विनियमों का पालन करते हैं, अपने सामान्य शिष्टाचार के द्वार खुले रखता है।

(ख) और (ग) पर्यटन विभाग को हाल में ऐसी कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

अमरीका तथा योरुपीय देशों को काली मिर्च का निर्यात

1582. श्री के० मालन्ना : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका तथा योरुपीय देशों द्वारा भारत से बड़ी मात्रा में काली मिर्च के क्रय के फलस्वरूप देश में कुछ महीनों से इसके मूल्य बहुत ऊंचे चढ़ गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विवरण क्या है

(ग) क्या भारत से अभी तक अपनी आवश्यकता पूरी न कर पाने वाले देश वही यूरोपीय देश हैं जिन्होंने भारतीय मंडी में इसके सस्ता हो जाने की आशा से पहले खरीद नहीं की थी; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की पुनरीक्षित नीति की मुख्य रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख) भारत से निर्यात की गई काली मिर्च की जहाज पर औसत कीमत अक्टूबर-दिसम्बर, 1972 में 7.40 रुपये प्रति कि० ग्रा० थी जो अक्टूबर-दिसम्बर, 1973 में बढ़कर 9.00 रुपये कि० ग्रा० हो गयी। वृद्धि के मुख्य कारणों में से एक कारण यह था कि काली मिर्च के दूसरे उत्पादक देशों से कम सप्लाई होने के परिणामस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरीका में भारतीय काली मिर्च की मांग बढ़ गई। संयुक्त राज्य अमेरीका ने भारत से अप्रैल-दिसम्बर, 1973 के दौरान 3.27 करोड़ रुपये मूल्य की 3687 मे० टन काली मिर्च का आयात किया जबकि अप्रैल-दिसम्बर, 1972 के दौरान उसने 0.766 करोड़ रुपये मूल्य की 1070 मे० टन काली मिर्च का आयात किया था।

(ग) तथा (घ) पूर्व योरोपीय देशों के खरीदारों की ओर से ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं देखी गई है। अप्रैल-दिसम्बर, 1972 में पूर्व यूरोपीय देशों को काली मिर्च के हमारे जो निर्यात 4.97 करोड़ रु० के मूल्य के 6858 मे० टन हुये थे, वे अप्रैल-दिसम्बर, 1973 के दौरान बढ़कर 7.28 करोड़ रु० के मूल्य के 8459 मे० टन हुये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा त्रिपुरा के ग्राम्य उद्योगों को दिया गया ऋण

1583. श्री दशरथ देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों ने त्रिपुरा के ग्राम्य उद्योगों को 31 दिसम्बर, 1973 तक कितनी राशि का ऋण दिया; और

(ख) यदि कोई ऋण नहीं दिया गया, तो इसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) दिसम्बर, 1972 के अन्त में त्रिपुरा में सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा ग्रामीण उद्योगों सहित, लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिमों की बकाया रकम 41.08 लाख रुपये थी।

त्रिपुरा में हथकरघा उद्योग का विकास

1584. श्री दशरथ देव : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार त्रिपुरा में हथकरघा उद्योग का विकास करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रयोजन के लिये कोई योजना बनाई गई है ; और

(ग) प्रस्तावित योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) त्रिपुरा में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु योजनाएं त्रिपुरा सरकार द्वारा अपनी योजना के भाग के रूप में बनाई गई हैं। फिलहाल त्रिपुरा

में हथकरघा उद्योग के विकास हेतु केन्द्रीय अथवा केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित क्षेत्र में कोई योजना नहीं है। राज्य की पांचवीं योजना के भाग के रूप में 18.06 लाख रु० के व्यय का अनुमोदन किया गया है। यह गवेषणा, प्रशिक्षण तथा विकास की योजनाओं के लिए होगी।

त्रिपुरा में राष्ट्रीयकृत बैंकों की नई शाखाएं खोलना

1585. श्री दशरथ देव : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों ने त्रिपुरा में नई शाखाएँ खोलने के लिये कोई सर्वेक्षण किया है ;
और

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1974-75 के दौरान किन-किन स्थानों पर बैंकों की शाखाएँ खोली जा रही हैं

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) शीर्ष बैंक योजना के अन्तर्गत सम्बद्ध बैंकों को जो जिले निर्धारित किए गए हैं उनका सर्वेक्षण करने के साथ-साथ बैंकों के कार्यालय खोलने की संभावनाओं वाले केन्द्रों का पता लगाना होता है। इन सर्वेक्षणों के अलावा बैंक नये कार्यालय खोलने के लिये विभिन्न केन्द्रों का, समय-समय पर मूल्यांकन करते हैं ताकि बैंक कार्यालयों के खोले जाने के लिये उनकी उपयुक्तता का पता लगाया जा सके। इस समय स्टेट बैंक आफ इंडिया, यूनियन बैंक आफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक आफ इंडिया के पास कुमारघाट, उदयपुर, जिराना और अग्रतल्ला में कार्यालय खोलने के लाइसेंस हैं। इस समय वाणिज्यिक बैंक 1974 से 76 तक तीन वर्षों के लिये अपनी शाखा विस्तार योजना को अन्तिम रूप दे रहे हैं।

Formulation of Rules in Regard to withdrawal of money by traders from Nationalised banks

1586. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Finance be pleased to state :

- (a) whether to check black marketing and hoarding any rules are proposed to be formulated under which no trader may draw more than Rs. 10,000/- or Rs. 5,000/- or over draw from Commercial Bank or any other banks;
- (b) if so, the time by which the proposal will be implemented ; and
- (c) whether there is any other proposal to check these evils ?

The Minister of Finance (shri Yashwantrao Chavan) : (a) to (c) While no such specific proposals for checking black-marketing and hoarding are under consideration, the credit policy and the selective credit control measures of the Reserve Bank of India are directed towards ensuring that commercial bank credit is not misused for the purpose of black marketing and hoarding.

Import of Essential Commodities

1587. Shri Dhan Shah Pradhan : Will the Minister of Commerce be pleased to state :

- (a) whether there is a proposal to import certain essential goods on loan basis in order to save foreign exchange ; and
- (b) if so, the names of these items and the names of the countries from which the imports are being made ?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri A. C. George) : (a) In general, No Sir.

(b) It is premature to indicate any details.

Expenditure on Uniforms provided to officers and Employees of Indian Airlines

1588. **Shri Dhan Shah Pradhan :** Will the Minister of Tourism and Civil Aviation be pleased to state :

(a) whether the officers and employees of the Indian Airlines are provided yearly or once in two years with the uniforms made of cloth costlier than necessary ;

(b) if so, the reasons therefor and the total expenditure incurred on this account in 1971-72 and 1972-73 year-wise; and

(c) the steps being taken to avoid this expenditure ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Shri Raj Bhahadur) : (a) Officers in grade 10 and above, employees in grades 3 to 9 who come into contact with public and staff in grades 1 and 2 are supplied with summer and winter uniforms of the following basis :

(i) Summer uniforms once a year.

(ii) Winter uniforms every alternate year.

The cloth generally used for summer uniforms is terrycot and terrywool for winter uniforms (Silk Sarees in the case of air hostess) except in the case of staff in grades 1 and 2 who are provided with cotton uniforms in summer and pure wool uniforms in winter.

(b) The quality of cloth is decided in consultation with the various Unions/Associations

The expenditure incurred on uniforms was as under :—

1971-72	Rs. 47.00 lakhs
1972-73	Rs. 51.00 lakhs

(c) A committee was set-up to rationalise the issues of uniforms and reduce expenditure on this account. Its report envisages reduction in the scale of uniform and the categories of employees to be supplied with uniform and is being implemented. The impact will be known after the recommendations of the committee have been fully implemented.

वित्तीय आवंटनों में वित्त मंत्रालय द्वारा की गयी कटौती

1589. **श्री एस० एन० मिश्र :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी व्यय में कमी करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके मंत्रालय ने अभी तक वित्तीय आवंटनों में कितनी कटौती की है ;

(ख) योजना संबंधी तथा गैर-योजना संबंधी मदों में पृथक-पृथक कितनी बचत की जायेगी ?

(ग) इस कटौती के कारण कितनी योजनाओं/परियोजनाओं को स्थगित किया गया है ; और

(घ) ऐसी योजनाएँ/परियोजनाएँ पुनः कब ली जायेंगी और क्रियान्विति में देरी होने के कारण उन पर आने वाली लागत में कितने प्रतिशत वृद्धि की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : (क) और (ख) सभा-पटल पर दो विवरण रख दिये गये हैं जिनमें सरकारी खर्च में कमी करने की आवश्यकता को देखते हुए वित्त मंत्रालय द्वारा अब तक आयोजनागत और आयोजना-भिन्न मदों के संबंध में वित्तीय आवंटनों में की गयी कटौतियों का अलग-अलग व्यौरा दिया गया है ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिय संख्या एल० टी०—6286/74]

इन कटौतियों का उद्देश्य न तो सरकारी कर्मचारियों के वेतन और भत्तों में किये जाने वाले संशोधनों और उन मदों को हिसाब में लेना था और न ही उन्हें हिसाब में लिया गया है जिनके बारे में बजट तैयार करते समय अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

(ग) खर्च में कमी करने के उद्देश्य से की जाने वाली कटौतियों के कारण कोई योजना-परि-योजना स्थगित नहीं की गयी है। अत्यधिक मितव्ययता और योजनाओं के विभिन्न चरणों में थोड़ा सा फेर-बदल कर के खर्च में इस प्रकार बचत की गई है जिससे उच्च प्राथमिकता वाली उन मुख्य परियोजनाओं की प्रगति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े जिनका निर्माण-कार्य लगभग पूरा होने वाला है। ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं में उपयुक्त रूप से कुछ परिवर्तन कर दिया गया है जिन्हें पूरा होने में काफी समय लगना हो और जिनसे थोड़े समय में लाभ होने की कोई संभावना न हो। राज्यों की आयोजनाओं के लिये दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता में की जाने वाली कटौतियों को बताते हुए, राज्य सरकारों को यह परामर्श दिया गया है कि वे राज्यों की आयोजनागत योजनाओं/परियोजनाओं के मामले में भी इन्हीं सिद्धांतों का अनुसरण करें।

(घ) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

अलौह धातुओं के मूल्यों में हुई वृद्धि के कारण उद्योगों को होने वाली कठिनाइयों पर काबू पाने के लिए खान तथा धातु व्यापार निगम का प्रस्ताव

1590. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलोह धातुओं के मूल्यों में निरन्तर हो रही वृद्धि के कारण देश के उद्योगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या खान और धातु व्यापार निगम ने उद्योगों को कठिनाइयों पर काबू पाने के लिये कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) से (ग) अलोह धातुओं की अन्त-राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि की वजह से खनिज तथा धातु व्यापार निगम द्वारा रिलीज की गई इन धातुओं की कीमतों में वृद्धि हुई है। खनिज तथा धातु व्यापार निगम ने, उद्योगों में आए संकट को दूर करने के लिये और अधिक मात्रा में इन धातुओं को आयात करने के संबंध में एक प्रस्थापना प्रस्तुत की है और सरकार इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

राष्ट्रमण्डल देशों को मिलने वाली प्राथमिकताओं को वर्ष 1974 के लिए बढ़ाने सम्बन्धी प्रस्ताव

1591. श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर, 1973 में दार-ए-सलाम में हुए राष्ट्रमण्डलीय देशों के वित्त मन्त्रियों के सम्मेलन में भारत ने राष्ट्रमण्डलीय देशों को मिलने वाली प्राथमिकताओं को वर्ष 1974 के लिये बढ़ाने का प्रस्ताव रखा था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) अपने भाषण में, उप मंत्री ने जिन्होंने भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का नेतृत्व किया था, कहा कि ब्रिटेन के साथ राष्ट्रमण्डलीय देशों के जो विशेष व्यापारिक संबंध हैं उन्हें कम से कम एक वर्ष तक और चलने दिया जाय जब तक कि विस्तृत यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ नए संबंध तैयार नहीं कर लिये जाते ।

ऋण नीति के बारे में राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थानों को नये अनुदेश जारी करना

1592 श्री एस० एन० मिश्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा अन्य सरकारी वित्तीय संस्थानों को उनके द्वारा पालन किये जाने के लिये ऋण नीति के बारे में कोई मार्गदर्शी अनुदेश जारी किये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) 1973-74 के व्यस्त मौसम के लिए ऋण नीति में विभिन्न प्रयोजनों के लिए बैंक ऋण देने में यथासम्भव अधिकतम नियंत्रण रखने की परिकल्पना की गई है । इस नीति का अनुसरण करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने कई उपाय किये हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाद्यान्नों की वसूली और निर्यात से भिन्न क्षेत्रों में बैंक ऋण विस्तार की अधिकतम सीमा को निर्धारित करना, ऋण देने की न्यूनतम दर को बढ़ाना, रिजर्व बैंक से वाणिज्यिक बैंकों द्वारा उधार लेने की अधिकतम सीमा निर्धारित करना, नकदी और नकदी जैसी परिसम्पत्तियों के कानूनी अनुपात में वृद्धि करना तथा तालिकगत सूचियों और लेखा ऋणों के बदले अग्रिमों के मार्जिन में वृद्धि करना शामिल है । इन उपायों को लागू करते हुए रिजर्व बैंक ने इस बात पर बल दिया है कि उत्पादन की वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने और माल को लाने ले जाने और प्राथमिक क्षेत्रों की वास्तविक आवश्यकताओं पर पर्याप्त ध्यान दिया जाये ।

कपड़े का उत्पादन बढ़ाने के लिए 'टास्क फोर्स'

1593. श्री नरेन्द्र कुमार सांधी : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े सम्बन्धी 'टास्क फोर्स' ने पांचवीं योजना में मिल क्षेत्र में 400 करोड़ मीटर के वर्तमान उत्पादन को बढ़ाकर 5600 करोड़ मीटर करने का सुझाव दिया है ;

(ख) क्या कुछ मुख्य मंत्रियों ने पांचवीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों को धागे का उत्पादन बढ़ाने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सूती धागा उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योग गृहों के प्रवेश पर रोक लगाने वाली वर्तमान नीति की समीक्षा की जा रही है और यदि हां, तो इस बारे में निर्णय कब लिया जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) वस्त्र उद्योगों संबंधी 'टास्क फोर्स' को अपनी रिपोर्ट अभी सरकार को प्रस्तुत करनी है ।

(ख) कुछ मुख्य मंत्रियों ने सरकार को सुझाव दिया है कि चतुर्थ योजना लाइसेंसिंग नीति के स्थानपर, जिसमें नए कताई एकक केवल सरकारी तथा सहकारिता क्षेत्रों में स्थापित करने की व्यवस्था है, पांचवीं योजना नीति में गैर सरकारी उद्यमियों को ऐसे एककों की स्थापना के अवसर प्रदान किये जाने चाहिये।

(ग) लाइसेंसिंग नीति का सभी पहलुओं से पुनर्वलोकन किया जा रहा है और आशा है कि पांचवीं योजना के शुरु होने के पहले विनिश्चय कर लिये जायेंगे।

तेल का उत्पादन करने वाले देशों को किये जाने वाले निर्यात में वृद्धि करना

1594 श्री धामनकर : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार छह महत्वपूर्ण उत्पादों तथा, सीमेंट, चीनी, मशीनें, परिवहन उपकरण, लोहे तथा इस्पात के स्ट्रक्चरों और वासमती चावल के घरेलू प्रयोग में तुरन्त कटौती करने का है ताकि तेल के बढ़े हुए मूल्य को पूरा करने हेतु फारस की खाड़ी के तेल का उत्पादन करने वाले देशों को उनका निर्यात किया जा सके ;

(ख) क्या सरकार पटसन, कपड़ा, रबड़, नारियल जटा जैसी अन्य वस्तुओं के पर्याप्त मात्रा में निर्यात-अधिशेष बनाने तथा निर्यात उत्पादन के बराबर विकास को सुनिश्चित करते हुए निर्यात-प्रधान कारखानों को इस्पात, एल्यूमीनियम और अन्य अलोह-धातुओं को प्राथमिकता के आधार पर सप्लाई करने के लिये भी कदम उठा रही है ; और

(ग) क्या सरकार, यदि आवश्यक हो, तो योजना संबंधी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करने और उत्साहवर्धक निर्यात-अभियान आरम्भ करने पर विचार कर रही है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तेल की कीमतें बढ़ जाने के कारण निर्यातों को बढ़ाने की अनिवार्यता की दृष्टि से भारत सरकार सभी देशों को, जिन में तेल-उत्पादक व निर्यातक देश भी शामिल हैं, निर्यातों में पर्याप्त विस्तार करने के तरीकों पर विचार कर रही है। अधिक मात्रा में निर्यात की जाने वाली मदों में परम्परागत तथा गैर-परम्परागत दोनों प्रकार का माल शामिल होगा। यद्यपि उत्पादन आधार का विस्तार करने के प्रयास किये जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी वस्तुओं की घरेलू खपत में कुछ हद तक कमी करना अपरिहार्य है, जिनका उत्पादन तत्काल या थोड़ी अवधि में नहीं बढ़ाया जा सकता। फारस की खाड़ी के देशों को मशीनों, परिवहन उपकरणों, लोहे तथा इस्पात के उत्पादों, चीनी, सीमेंट और वासमती चावल की अधिक मात्राएं भेजने का विचार है क्योंकि इस समय वहां इन मदों के लिये तैयार बाजार है।

(ख) सरकार की यह स्वीकृत नीति है कि घरेलू उत्पादन इतना बढ़ाया जाये जिस से निर्यात मांग तथा अन्तर्राष्ट्रीय मांग पूरी की जा सके। इस प्रयोजन के लिये विभिन्न उत्पादक एककों को विशेषतः निर्यात रोल के एककों को, इस्पात, अलोह धातुओं आदि जैसे आवश्यक कच्चे माल की घरेलू व आयातित दोनों तरह की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में सुनिश्चित करने के वास्ते प्रयत्न किये जाते हैं। निर्यात अधिशेष बनाने के लिये उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त अन्य आर्थिक उपाय भी किये जाते हैं जिनमें कराधान के उपाय भी शामिल हैं ताकि निर्यात प्रयोजनों के लिये पर्याप्त अधिशेष सुनिश्चित हो सके।

(ग) प्राथमिकताएं निर्धारित करते समय और पांचवीं पंचवर्षीय योजना का अन्तिम रूप तैयार करते समय, सभी सम्बद्ध तथ्यों को ध्यान में रखा जायेगा जिसमें अशोधित तेल की कीमतों में वृद्धि भी शामिल है।

पालम हवाई अड्डे की हवाई पट्टी संख्या 28 पर हुई दुर्घटनाओं की संख्या

1595. श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या पर्यटन और नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हवाई अड्डे की हवाई पट्टी संख्या 28 पर वर्ष 1971 तथा 1973 के मध्य कुल कितनी दुर्घटनाएं हुईं ?

पर्यटन और नागर विमानन मंत्री (श्री राजबहादुर) : पालम विमानक्षेत्र के धावनपथ 28 पर 20 दिसम्बर, 1973 को एक दुर्घटना हुई थी जिसमें लुफ्थांजा का एक बोइंग 707 विमान प्रस्त हुआ था।

विश्व बैंक से आर्थिक सहायता

1596. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान विश्व बैंक के सूचना और सार्वजनिक कार्य निर्देशक श्री मैरियम के हाल ही के उस वक्तव्य की ओर दिलाया गया है जिसमें विकसित देशों द्वारा विकास सहायता में ढील किए जाने की संभाव्यता व्यक्त की गई है ; और

(ख) यदि हां तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

वित्त मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां !

(ख) विश्व बैंक के सूचना और सार्वजनिक कार्य निर्देशक ने कहा है कि कच्चे तेल के आयात के खर्च में तेजी से हो रही वृद्धि के फलस्वरूप विकसित देशों को भी भुगतान शेष की समस्या का सामना करना पड़ेगा और इस तेल के संकट के कारण विकसित देशों से प्राप्त होने वाली विकास सहायता में ढील दी जा सकती है। सरकार भारत के भुगतान-शेष पर तेल की बढ़ती हुई कीमतों के प्रभाव का मूल्यांकन कर रही है। आवश्यक हुआ तो समुचित उपाय किये जायेंगे।

राज्य व्यापार निगम द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका में क्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना का प्रस्ताव

1598. श्री प्रबोध चन्द्र : क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम का विचार पूर्वी तथा पश्चिमी यूरोप और उत्तरी अमरीका में क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) तथा (ख): राज्य व्यापार निगम का पहले ही मास्को में क्षेत्रीय कार्यालय है जिसके शाखा कार्यालय पूर्व यूरोप तथा पश्चिम यूरोप में प्राग, बुडापेस्ट, पूर्व बर्लिन तथा बेलग्रेड में हैं, एक क्षेत्रीय कार्यालय लन्दन में हैं जिसके शाखा कार्यालय पेरिस तथा फ्रैंकफर्ट में हैं। उत्तरी अमरीका में राज्य व्यापार निगम का एक क्षेत्रीय कार्यालय न्यूयार्क में है जो संयुक्त राज्य अमरीका और कनाडा के लिये हैं।

समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन लाइसेंस

1599. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री राम सहाय पांडे :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों का निर्यात करने के लिये प्रोत्साहन लाइसेंस की योजना को रद्द करने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

अमरीका को कपड़े का निर्यात

1600. श्री यमुना प्रसाद मंडल :

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने हमारे देश से कपड़े का और अधिक आयात करने पर सहमति दे दी है ;

और

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा के लिये सहमति हुई है ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) जी हां ।

(ख) सं० रा० अमरीका के साथ द्विपक्षीय बातचीत के पश्चात् वर्ष 1973-74 के लिये मिल विनिर्मित वस्त्रों का पुनरीक्षित कोटा 16.70 करोड़ वर्ग गज निर्धारित किया गया है । इसके अतिरिक्त अमरीका सरकार ने एक पक्षीय रूप से कोटावर्ष 1973-74 के दौरान अमरीका को 108.7 लाख वर्ग गज अतिरिक्त मिल विनिर्मित वस्त्रों के निर्यात की भारत को अनुमति दी है ।

दोनों पक्षों के बीच इस पर भी सहमति हुई है कि पारस्परिक सभ्य परिभाषा व प्रमाणीकरण प्रक्रियाओं की शर्त के अधीन रहते हुए कुटीर उद्योग के हथकरघा उत्पाद मात्रा, संबंधी प्रतिबन्धों से मुक्त होंगे ।

यूगोस्लाविया को बैगन देने के लिए समय का बढ़ाया जाना

1601. श्री के० एम० मधुकर :

श्री मान सिंह भौरा :

क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के तीन बड़े बैगन निर्माताओं—त्रैथवेट जैसप और टैक्समको—में यूगोस्लाविया को बैगनों की सप्लाई करने संबंधी ठेके के अन्तर्गत बैगनों की सप्लाई करने के लिये समय बढ़ाये जाने की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : (क) गत नवम्बर 1973 में बढ़ाए हुए 6½ महीने के समय के बाद और अधिक समय बढ़ाने के लिये नहीं कहा गया है। परन्तु वैगन निर्माताओं ने बढ़ाए हुए समय में भी वैगनों की सुपुर्दगी का काम पूरा करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है और संविदा को पुनः तय करने के लिये कहा है।

(ख) वैगन निर्माताओं ने कहा है कि निम्नोक्त कारणों से वे वैगनों की सुपुर्दगी का कार्य बढ़ाए हुए समय में पूरा नहीं कर सकते :-

- (1) कलकत्ता क्षेत्र में बिजली की घोर कमी,
- (2) जहाजों में पर्याप्त सामयिक तथा लगातार स्थान मिलने में कठिनाइयां,
- (3) देशी स्रोतों से कतिपय संघटकों की सप्लाई की गति का धीमी होना, तथा
- (4) युगोस्लाविया वाले ऐसी निरीक्षण शर्तें लागू करते हैं जो कि संविदा में शामिल नहीं थीं।

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में

Re-Question of Privilege

Shri Jambuwant Dhote (Nagpur) : Sir, I would like to make a short statement on the notice of breach of privilege given by me in connection with the manhandling by the Police. of Shri Ram Hedao, a newly elected member of this House. He was coming to Delhi for attending the House. But the Police detained him and deprived him of the opportunity of making his maiden speech today.

The fact is that a statue was to be installed at Nagpur while the people of whole Vidarbha was opposed to it. They even held a demonstration. Police resorted to lathi charge on the people and particularly on the hon. member. It is a very serious matter I may kindly be permitted to give a notice of breach of privilege on this point.

श्री एम० एम० बनर्जी (कानपुर) : महोदय ! यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये।

श्री ज्योतिर्मय बसु : यह निश्चित है विशेषाधिकार का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे अभी इस बात की जानकारी दी गई। मंत्री महोदय से जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही कुछ निर्णय किया जा सकता है। इस सम्बन्ध में सभा ने एक निश्चित प्रक्रिया निर्धारित कर रखी है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : महोदय, इस प्रकार की घटनाएं आए दिन होती रहती हैं। यह अत्यन्त चिंता का विषय है। आपको इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त करनी चाहिये।

अध्यक्ष महोदय मैं जानकारी प्राप्त करूंगा तथा सभा को वास्तविक स्थिति से अवगत कराऊंगा । सभा ने एक परम्परा बनाई है और मैं उसी को कायम रखना चाहता हूँ ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

Papers laid on the Table

दिल्ली विक्रय कर (पहला तथा दूसरा संशोधन) नियम, 1974, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा बिहार में आयकर की बकाया राशि के बारे में दिनांक 24 नवम्बर, 1973 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1708 का शुद्धि-पत्र

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० आर० गणेश) : महोदय! मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूँ :

- (1) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में यथाप्रवृत्त बंगाल वित्त (विक्रय कर) अधिनियम, 1941 की धारा 26 की उपधारा (4) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 - (एक) दिल्ली विक्रय कर (पहला संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र, दिनांक 17 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(84)/72 फिन (जी) में प्रकाशित हुए थे ।
 - (दो) दिल्ली विक्रय कर (दूसरा संशोधन) नियम, 1974 जो दिल्ली राजपत्र दिनांक 18 जनवरी 1974 में अधिसूचना संख्या एफ० 4(33)/73 फिन (जनरल) में प्रकाशित हुए थे । [ग्रंथालय में रखे गये /देखिये संख्या एल० टी० 6263/74]
- (2) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 - (एक) सा० सां० नि० 22(ड) जो भारत के राजपत्र दिनांक 25 जनवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
 - (दो) सा० सां० नि० 29(ड) जो भारत के राजपत्र दिनांक 2 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन ।
 - (तीन) सा० सां० नि० 36(ड) जो भारत के राजपत्र दिनांक 11 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखे गये /देखिये संख्या एल० टी० 6264/74]
- (3) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अधीन जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 32(ड) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति जो भारत के राजपत्र, दिनांक 8 फरवरी, 1974 में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन । [ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 6265/74]

- (4) पांचवीं लोक सभा के छठे सत्र के दौरान मंत्रियों द्वारा दिये गये आश्वासनों, वचनों तथा की गई प्रतिज्ञाओं पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विवरण संख्या 7, जो 5 सितम्बर, 1973 को सभा पटल पर रखा गया था में बिहार में व्यक्तियों के विरुद्ध आय-कर की बकाया राशि के बारे में श्री रामावतार शास्त्री के दिनांक 24 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1708 में दी गई जानकारी के शुद्ध करने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6266/74]

इंडियन एयर लाइंस के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे और इंडियन एयर लाइंस का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० सरोजनी महिषी) : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखती हूँ :

- (1) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 15 की उपधारा (4) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1972-73 के प्रमाणित लेखे (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति तथा तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (2) वायु निगम अधिनियम, 1953 की धारा 37 की उपधारा (2) के अन्तर्गत इण्डियन एयरलाइन्स के वर्ष 1972-73 के वार्षिक प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति। [ग्रंथालय में रखा गया /देखिये संख्या एल० टी० 6267/74]

भारतीय राज्य व्यापार निगम, नई दिल्ली की 1972-73 की समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन तथा निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई की 1972 के लिये समीक्षा और वार्षिक प्रतिवेदन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री ए० सी० जार्ज) : मैं सभा-पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूँ :

- (1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
 - (एक) (क) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली के वर्ष 1972-73 के कार्य-करण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (ख) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड, नयी दिल्ली का वर्ष 1972-73 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की टिप्पणियां।
 - (दो) (क) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई के वर्ष 1972 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) (ख) निर्यात ऋण तथा प्रतिभूति निगम लिमिटेड, बम्बई का वर्ष 1972 का वार्षिक-प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। [ग्रंथालय में रखे गये /देखिये संख्या एल० टी० 6268/74]

- (2) निर्यात (गुण-प्रकार नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 17 की उपधारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति :—
- (एक) पटसन उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3591 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) रंगों तथा सम्बद्ध उत्पादों का निर्यात (गुण-प्रकार) नियंत्रण तथा निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3592 में प्रकाशित हुए थे।
- (तीन) रबड़ होजों का निर्यात (निरीक्षण) दूसरा संशोधन नियम, 1973 जो भारत के राजपत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 1973 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 3594 में प्रकाशित हुए थे।
- (चार) मछली तथा मछली उत्पादों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974, जो भारत के राजपत्र, दिनांक 26 जनवरी 1974 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 207 में प्रकाशित हुए थे।
- (पांच) मेंढक-टांगों का निर्यात (निरीक्षण) संशोधन नियम, 1974 जो भारत के राजपत्र दिनांक 26 जनवरी, 1974 में अधिसूचना संख्या सां०आ० 208 में प्रकाशित हुए थे। [प्रंथालय में रखे गये/देखिये संख्या एल० टी० 6269/74]

लोक लेखा समिति

Public Accounts Committee

101वां प्रतिवेदन

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्बर) : मैं औद्योगिक विकास और आन्तरिक व्यापार (औद्योगिक विकास विभाग), स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण तथा आवास (दिल्ली विकास प्राधिकरण) मंत्रालयों के सम्बन्ध में लोक लेखा समिति के 75वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 101वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूँ।

सभा का कार्य

Business of the House

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रघुरामैया) : महोदय; मैं घोषणा करता हूँ कि 4 मार्च, 1974 से आरम्भ होने वाले सप्ताह में लोक-सभा में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :

- (1) आज की कार्य सूची से शेष सरकारी कार्य के किसी मद पर विचार करना
- (2) वर्ष 1974-75 के लिये रेल बजट पर सामान्य चर्चा
- (3) वर्ष 1974-75 के लिये सामान्य बजट पर सामान्य चर्चा।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : लगभग तीन सप्ताह से गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू है, किन्तु खेद है कि अभी भी गुजरात के लोग अत्यावश्यक वस्तुओं की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कष्ट सह रहे हैं। लोगों को अत्यावश्यक वस्तुएं मिल नहीं रही हैं। वहां की वितरण प्रणाली को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। गुजरात में नई गेहूं नीति क्रियान्वित करने की बात भी की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कब यह नीति लागू की जाएगी ?

आशा है कि सरकार इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही करेगी ताकि लोगों को कठिनाइयों से छुटकारा दिलाया जा सके।

श्री एस० एम० बनर्जी (कानपुर) : मैं आपकी अनुमति से दिल्ली में चल रही डाक्टरों की हड़ताल के सम्बन्ध में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। यह खेद का विषय है कि सरकार ने अब तक इस मामले में निर्णय नहीं लिया है। मैं चाहता हूं कि डाक्टरों के साथ एक बार फिर से बातचीत की जाए ताकि यह हड़ताल समाप्त की जा सके।

उत्तर प्रदेश में भी 22,000 जूनियर इंजीनियर हड़ताल पर हैं। प्रधान मंत्री ने जब उत्तर प्रदेश का दौरा किया था तब उनका एक प्रतिनिधि मण्डल उनसे मिला था। प्रधान मंत्री इस मामले की जांच करें तथा देखें कि मुख्य मंत्री द्वारा यह मामला शीघ्र निपटाया जाए।

श्री समर गुह (कन्टाई) : मैं सरकार का ध्यान इस समाचार की ओर दिलाना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के सत्तारूढ़ कांग्रेस दल के एक प्रमुख नेता श्री विजय सिंह नाहर ने पश्चिम बंगाल विधान सभा में यह आरोप लगाया है कि मुख्य मंत्री के पास एक पुलिस फाइल है। क्या सरकार 12 विधान सभा सदस्यों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की ओर उन 206 विधान सभा सदस्यों के मामले की जिन्होंने लेवी नोटिस का पालन करने से इन्कार कर दिया है केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच कराना उचित समझती है ?

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : कार्य मंत्रणा समिति द्वारा स्वीकार कि की गई कार्यसूची की कुछ मदों पर विचार करना अभी बाकी है। चीनी आयोग का प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया गया है। हम इस पर चर्चा करना चाहते हैं।

कई बार हम अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली के सम्बन्ध में प्रश्न पूछते हैं, तो बड़े अस्पष्ट से उत्तर दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि मामला अभी विचाराधीन है। और मंत्री अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लेते हैं, उन्हें हमारे विचारों से अवगत होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधारों पर सदन में चर्चा की जानी चाहिए। कार्य मंत्रणा समिति को इसे प्राथमिकता देनी चाहिए।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : When the Prime Minister was Home Minister also, she had said that the Government was going to bring Anti-defection Bill, I wish to know when will the Bill be introduced ?

Shri Ramavatar Shastri (Patna) : I have received a telegram from the employees of Co-ordination Committee, Dhanbad in which it has been stated that :

“Serious discontentment prevailing for Police lathi charge on staff on 25th instant D.S. office building Dhanbad and want an arrest of thirty two persons from office premises, immediate unconditional release of arrested person demand”. Will this matter be looked into by the Government ?

Both Ashoka and Akbar Hotels of Delhi come under I.T.D.C. but the pay scales of employees of both the hotels are not the same. An agitation is going on in this regard. Many leaders of the employees have been suspended. The hon. Minister should make a statement in this respect.

Shri Madhu Limye (Banka) : Mr. Speaker, Sir, you must not have forgotten that once I had raised the matter of Shri Javed Alam who was kicked out of his job because he married a Hindu girl. It has been reported that a Jat lady lecturer and Harijan Lecturer of Mahilpur college in district Hoshiarpur married each other and both of them have been thrown out of their job on this account. Does the Government propose to send this matter to Scheduled Castes and Scheduled Tribes committee or the Prime Minister will make a Statement about it.

A discussion should also be held on the reports of Bank Commission and Sugar Enquiry Committee.

Karnataka Assembly had passed a Bill on land reforms. For the last 6 month it has been lying with the President for his assent. Many assurances are given in regard to land reforms on the eve of elections. I wish to know why the Government has not been able to take a decision on the Land Reforms Bills Karnataka and Maharashtra ?

Shri Chandrika Prasad (Balua) : Mr. Speaker, Sir atrocities are being committed on agricultural labourers of Suratgarh farm. I have received telegrams from there that they are going on strike from 4th March. I wish that the hon. Agriculture Minister should interence in the matter.

संसदीय कार्य मंत्री (श्री के० रघुरामैया) : शायद माननीय सदस्य श्री कछवाय को मालूम नहीं है कि दल बदलुओं सम्बन्धी विधेयक पर संयुक्त समिति विचार कर रही है। जहां तक अन्य मामलों का सम्बन्ध है, मैं उनकी सूचना संबद्ध मंत्रियों को दे दूंगा।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

Motion of Thanks on the President's Address—

प्रधान मंत्री, परमाणु उर्जा मंत्री, इलेक्ट्रानिक्स मंत्री तथा अंतरिक्ष मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : यह सच है कि गत कुछ महीनों में हमारी जनता की कठिनाईयां कुछ बढ़ गई हैं क्योंकि अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्य बढ़ गए हैं तथा उनका अभाव हो गया है। किन्तु इसके लिए कुछ आंतरिक और कुछ बाह्य कारण जिम्मेदार हैं। मैं यह तो नहीं कहती कि सरकार का इससे तनिक भी दोष नहीं है। हमें कह सकते हैं कि सरकार ने भी गलतियां की हों लेकिन इतने बड़े देश और उसकी समस्याओं को देखते हुए कुछ गलतियों का होना अस्वाभाविक नहीं है। आज देश के सामने, संसद के सामने प्रश्न यह है कि इस संकट का मुकाबला कैसे किया जाए। और कैसे इस बोझ को कम किया जाए। क्या यह कार्य केवल क्रोध और असहयोग दिखाकर और हिंसा को अनदेखी कर या इसे प्रोत्साहित करके किया जा सकता है। मेरे विचार में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस दृढ़ निश्चय और उत्तरदायित्व की भावना परिलक्षित है और प्रसन्नता की बात है कि सदन के अधिकांश वक्ताओं ने भी यही बात कही है। मेरा निवेदन है कि जब भी कोई सदस्य अपने भाषण में आंकड़ों का उल्लेख करें तो वह पहले इस बात की जांच

कर लें कि वह आंकड़े सही हैं अथवा नहीं। जैसा कि माननीय सदस्य श्री ज्योतिर्मय बसु ने कहा कि 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में अंग्रेज 12 से अधिक व्यक्तियों की जान नहीं ले सके। अतः आंकड़ों के सम्बन्ध में जरा ध्यान रखा जाए।

हम पर तानाशाह होने का आरोप लगाया गया है। माननीय सभा को शायद यह मालूम है कि हम ने यहां इतना कुछ विरोध का प्रदर्शन होते देखा है। उसके उत्तर में हमने काफी सहनशीलता का प्रमाण दिया है।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमण्ड हार्वर) : मैंने जो आंकड़े दिये हैं, अभी भी मैं उनके बारे में नहीं कुछ कहता हूं। प्रधान मंत्री उसका खण्डन कर सकती हैं। सभा को गुमराह करने का प्रयत्न मत कीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उन्हीं सदस्य महोदय ने मुझ पर गलत आरोप लगाया है कि मैंने तानाशाही प्रवृत्ति से लाभ उठाया है। तानाशाही प्रवृत्ति की ओर ध्यान न देकर मैं लोकतंत्र के मामले का समर्थन कर रही थी क्योंकि इस सम्बन्ध में अन्य लोगों के वक्तव्य समाचारपत्रों में प्रकाशित हुये थे। मैंने हाल के वक्तव्यों का उत्तर दिया था जिनसे यह प्रतीत होता था कि मैंने लोकतंत्र में विश्वास खो दिया है। मैंने प्रत्येक अवसर पर यह कहा है कि यद्यपि लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपने आप में धीमी होती है तथापि इस प्रक्रिया से ही लोग समूचे रूप से शक्तिशाली बनते हैं और हम दल तथा देश के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिये वचनबद्ध हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा है कि मैंने लोगों से कहा है कि यदि उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में मत नहीं दिया, तो उत्तर प्रदेश को पर्याप्त केन्द्रीय सहायता नहीं मिलेगी। मैं इस वक्तव्य को शरारतपूर्ण, विद्वेषपूर्ण तथा राजनीति से प्रेरित तथा पूर्णतयः गलत, कहती हूं। मैंने अनेक सभाओं में मिली जुली सरकार से, जो उस योजना का अनुमोदन नहीं करती हैं, जिसे स्वीकृत किया जा चुका हो तथा माना जा चुका हो, होने वाली हानियों के बारे में कहा है। मैंने अपना दृष्टिकोण लोगों के सामने रखा है, किन्तु मैंने कभी भी ऐसा नहीं कहा कि इससे कोई अन्तर पड़ेगा। वास्तविकता तो यह है कि मैंने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि हम दलगत दृष्टिकोण को ध्यान में न रख कर प्रत्येक सरकार को इसके निर्वाचित तथा सत्तारूढ़ हो जाने पर हर प्रकार की सहायता देते रहे हैं। केन्द्र का इस सरकार से वही सम्बन्ध हो जाता है, जो किसी अन्य सरकार से होता है। किन्तु यदि कोई सरकार मूल रूप से हमारी नीति का निरनुमोदन कर देती है जैसा कि अतीत में कुछ सरकारें करती रही हैं, तो हमारी सहायता उनके लिये सहायक सिद्ध नहीं होती और वे उस प्रकार की सहायता प्राप्त करना नहीं चाहती।

श्री वाजपेयी यह भूल जाते हैं कि वह उत्तर प्रदेश को किसी चुनाव सभा में भाषण नहीं दे रहे हैं, अपितु वह इस समय संसद में बोल रहे हैं। उनके दल के कुछ सदस्यों ने यह शिकायत की है कि जन असन्तोष तथा लोगों की कठिनाईयों का गलत लाभ उठाने के लिये मैं विरोधी दलों पर दोष लगा रही हूं। श्री वाजपेयी ने यह भी कहा है कि उनका दल अपना यह नैतिक कर्तव्य समझता है कि वे जन असन्तोष का संचालन करें। सामान्य परिस्थितियों में तो यह विरोधी दलों का अधिकार है कि जन-असन्तोष को अपने उद्देश्य को सिद्ध करने तथा लाभ को पाने के लिये संचालन तथा उपयोग करें। मेरा कहने का अभिप्राय यह था कि जब देश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा हो, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिये। यह एक राष्ट्रीय संकट है जिसमें हमारे लाखों लोग प्रभावित हैं। यदि विपक्षी दल सरकार की आलोचना करे, तो यह बात तो समझ में आती है। किन्तु वर्तमान संकट में, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि इन विभिन्न आन्दोलनों से लोगों की कठिनाईयां बढ़ी हैं।

जनसंघ ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर रखने तथा गलत वक्तव्य देने की कला विकसित कर ली है।

यदि लोग मेरी सरकार को हटा दें, तो मैं निश्चय ही खुशी से इसे स्वीकार कर लूंगी। किन्तु मैं उन नीतियों या आदर्शों को नहीं छोड़ूंगी जिन्हें 'मैं' ठीक समझती हूँ और उनके लिये मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी।

मैं श्री शमीम द्वारा बताये गये साम्प्रदायिकता तथा जातीयता के खतरों से पूरी तरह सहमत हूँ। हम सभी को पूरी शक्ति के साथ इसका मुकाबला करना है। हमने साम्प्रदायिक दलों अथवा अन्य दलों के साथ सिद्धान्तहीन गठबन्धन नहीं किया है।

श्री एम० ए० शमीम (श्रीनगर) : मुस्लिम लीग के बारे में आपका क्या कहना है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं मुस्लिम लीग के बारे में पहले ही स्पष्ट कर चुकी हूँ।

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल में तथा केरल में क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अनेक वर्ष पूर्व इस मामले पर विचार किया गया था और इस बारे में मैं जनता के सामने स्पष्ट कर दिया गया था। तब मेरा विचार नहीं था कि मुस्लिम लीग, जिस रूप में यह केरल में थी, केरल में किसी साम्प्रदायिकतापूर्ण ढंग से कार्य कर रही थी...

श्री ज्योतिर्मय बसु : पश्चिम बंगाल के बारे में क्या है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे वहां साम्प्रदायिकता का उपदेश नहीं देते थे।

Shri Madhu Limaye (Banka) : Mr. Koya is the President of Uttar Pradesh Muslim League also.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं ने उत्तर प्रदेश में यह कहा है कि अब वे उत्तरी क्षेत्र में भी मुस्लिम लीग को लाने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तर में मुस्लिम लीग ने बिल्कुल भिन्न भूमिका निभायी है, जिसे भूला नहीं जा सकता।

श्री मोरारजी देसाई काफी समय के पश्चात् सभा में बोले हैं। मैं खुश हूँ कि उनकी बातें उतनी कटु नहीं हैं जैसा कि हम ने कुछ पूर्व अवसरों पर उन्हें पाया है। उन्होंने मुझे अनेक असफलताओं के लिये दोषी ठहराया है। उन्होंने मुझ पर यह भी दोष लगाया है कि मैंने अपने सरकारी तंत्र को दोषी ठहराया है। प्रशासन में किन्हीं व्यक्तियों तथा उसकी प्रशासन प्रणाली में अन्तर होता है। मैं सदैव ही यह कहती रही हूँ कि प्रशासन में योग्य और सक्षम अधिकारी हैं, किन्तु हमारे प्रशासन का ढांचा पुराना हो चुका है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने कई सुझाव दिये हैं और उन में अनेक सुझावों के बारे में पग उठाये गये हैं, किन्तु उनसे कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हो पाया है। क्योंकि केवल थोड़े बहुत मामूली से परिवर्तन कर देना ही आवश्यक नहीं है। इसके लिये आमूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जिसे किया जाना आसान नहीं है।

श्री देसाई ने भ्रष्टाचार के बारे में कहा है। जब श्री देसाई सरकार में थे, तो वह भ्रष्टाचार के आरोपों को लगाने की आदत को पसंद नहीं किया करते थे। यह वास्तव में ही खेद की बात है कि भ्रष्टाचार सामन्तशाही और उपनिवेशवादी युग से अभी तक निरन्तर चला आ रहा है जबकि हम स्वतंत्र हैं। किन्तु हम सभी यह जानते हैं कि प्रगति और परिवर्तन की अवधि के दौरान मनुष्य में प्रायः एक

प्रकार की स्वाभाविक निर्बलता तथा चंचलता पैदा हो जाती हैं। अभावों की स्थिति में कुछ लोग जमा खोरी करने लगते हैं। मैं माननीय सदस्यों से सहमत हूँ कि कुछ तत्वों के द्वारा इस प्रकार के समाज विरोधी रवैये का कठोरता से विरोध किया जाना चाहिये।

आखिरकार इस समस्या का समाधान तो अभावों को दूर करने से ही है। विशेषकर दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं के अधिक उत्पादन तथा समान वितरण से स्थिति में सुधार हो जायेगा। हमें अन्य प्रकार जीवन व्यतीत करने की इच्छा का भी दमन करना चाहिये और एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिये जिसमें प्रलोभन को कम कर दिया जाये और दूसरी ओर समाज विरोधी कार्यों का पड़ोसियों तथा जनसमुदाय द्वारा विरोध किया जाना चाहिये।

श्री मोरारजी देसाई ने 1965-66 की सूखा स्थिति की तुलना गत दो वर्षों में उत्पन्न सूखा स्थिति से की है। देसाई जी ने इस बात की पूर्णतया उपेक्षा कर दी है कि इन दोनों सूखा स्थितियों के दौरान भारत की जनसंख्या 850-900 लाख बढ़ी है और 1965-66 में केवल बिहार में ही सूखा पड़ा था। इस बार हमें बड़े पैमाने पर पांच राज्यों तथा छोटे पैमाने पर अन्य कई स्थानों पर राहत कार्य करने पड़े हैं। उन्होंने इस तथ्य की भी उपेक्षा कर दी है कि हमने इस बार विदेशों से किसी रियायती दर पर खाद्यान्न का आयात नहीं किया। मैं सभा को यह बात याद दिलाना चाहती हूँ कि 1966 के सूखे के दौरान 190 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया गया था, जबकि इस बार हमने केवल 40 लाख टन खाद्यान्न का आयात किया है और वह भी वाणिज्यिक शर्तों पर।

1972-73 में देश में कुल वसूली 160 लाख टन खाद्यान्न की हुई है जबकि सूखे के पूर्व क दो वर्षों में 80 लाख टन खाद्यान्न की वसूली हुई थी। जब यह सब कुछ हो रहा था, तो हमने पी० एल० 480 सहायता को समाप्त कर दिया और इसके साथ ही हमने पड़ोसियों को भी खाद्यान्न भेजा।

इस बार के सूखे के दौरान बड़े पैमाने पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को संगठित किया गया और दो वर्षों के दौरान 220 लाख टन तक खाद्यान्न वितरित किया गया। इस बात को सारे संसार ने माना है। केवल गत खरीफ़ फसल के पश्चात् ही अनाज की इस मात्रा में थोड़ी कमी हुई है। अब भी 80 लाख टन से अधिक खाद्यान्न वितरित किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि मूल्यों में हुई सामान्य वृद्धि तथा सरकार द्वारा वितरित अनाज और खुले बाजार में बिकने वाले अनाज के मूल्यों में बहुत अन्तर होने के कारण अच्छी फसल होने के बावजूद भी मांग कम नहीं हुई है जैसा कि पूर्व वर्षों में हुआ करता था।

मैं अब यह बताना चाहती हूँ कि सरकारी उद्यमों के कार्यकरण में विशेष सुधार हुआ है। 1972-73 में उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्य किया है। और आशा है कि इस वर्ष वे उत्पादन की मात्रा बढ़ाने तथा लाभ अर्जित करने की दिशा में बहुत ही सरानीय कार्य करेंगे।

कल मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है। यह बजट मुद्रास्फीति को रोकने वाला बजट है। इसमें घाटे की अर्थव्यवस्था को कम कर दिया गया है। स्थिति पर निरन्तर नज़र रखी जायेगी और सरकार यह सुनिश्चित करेगी घाटे की अर्थव्यवस्था को बढ़ने न दिया जाये। केन्द्रीय और राज्य सरकारों को निश्चय ही वित्त संबंधी मामलों में मितव्ययता सम्बन्धी उपायों की कठोरता से पालन करना होगा। बजट तो इस स्थिति से निपटने के लिये एक साधन मात्र है। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयास में अन्य साधनों का भी उपयोग करना पड़ेगा।

मैं भी उन अनेक सदस्यों के साथ हूँ जिन्होंने बड़े ही स्पष्ट और खेद भरे शब्दों में गुजरात के बारे में कहा है। यह शिकायत की गयी है कि हम संबंध में राष्ट्रपति के अभिभाषण में बहुत ही कम कहा गया है। किन्तु मुझे विश्वास है कि सदस्य इस बात को समझेंगे कि वहाँ परिस्थितियाँ इतनी तेज़ी से बदल रही हैं और इस बात को देखते हुए वहाँ के बारे में कम उल्लेख किया गया कि ऐसा करने से स्थिति और बिगड़ सकती है। जब भावनायें पैदा हो जाती हैं चाहे वे अच्छी भी हों, तो भी इस संदर्भ में कही गयी सही बात भी गलत लगती है और इससे संकट पैदा हो सकता है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : वहाँ की विधान सभा को भंग कर दीजिये।

Shri Hukam Chand Kachwai (Morena) : Please go to Gujarat and console the people there.

Shri Phool Chand Verma (Ujjain) : If you go there, every thing will be alright.

श्रीमती इन्दिरा गांधी : विपक्षी दल के माननीय सदस्यों ने कहा है कि मैं इस लिये गुजरात नहीं गयी हूँ क्योंकि मैं वहाँ जाने से डरती हूँ।

कई बार मैं ने पद त्याग करने का सोचा था परन्तु मुझे परामर्श दिया गया कि इससे परिस्थिति और भी बिगड़ेगी। इसमें सन्देह नहीं कि अभावों और उपद्रवों से परिस्थिति बहुत बिगड़ गई है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : इस विधान सभा के भंग किये जाने के बारे में आप के विचार जानना चाहते हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैंने हताहत व्यक्तियों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त कर दी है।

कहा गया है कि गुजरात में लोगों का क्रोध स्वतः स्फूर्त था, यह बात तो ठीक है परन्तु अन्य तत्वों ने इसमें वृद्धि की है। जिन छात्रों अथवा शिक्षकों ने इसका नेतृत्व किया, उन्हें पता होना चाहिये कि अन्य तत्वों द्वारा परिस्थितियों से अनुचित लाभ उठाया जाता है। प्राप्त रिपोर्टों से हमें पता चला है कि पूरी व्यवस्था को ठप करने के लिये फासिस्ट पद्धतियाँ अपनायी गई हैं।

क्या छात्र तथा शिक्षक चाहते हैं कि हिंसा का बोल बाला रहे? अतएव विचारशील लोगों को इस समय तनिक रुक कर स्थिति पर सभी दृष्टियों से विचार करना चाहिए।

हमारे इरादे तो शांति और व्यवस्था बनाये रखने के हैं। हम शांत वातावरण चाहते हैं ताकि हम अत्यावश्यक वस्तुओं की सप्लाई कर पायें। स्थिति वास्तव में अधिक जटिल है। (व्यवधान) यह आवश्यक है कि सभी मुद्दों पर विचार किया जाये परन्तु ऐसा शान्त वातावरण में ही संभव है।

कई लोगों ने विधान सभा भंग किये जाने की मांग की है। मैंने पहले भी बताया है कि सिद्धान्त रूप से अथवा नीति के रूप में हम इसके विरुद्ध नहीं हैं। परन्तु जब विधान सभा के सदस्यों को त्यागपत्र देने के लिये विवश किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ऐसा करना क्या उचित होगा?

सभा भंग किये जाने के बाद क्या होगा? कुछ ग्रुप जिन्होंने इसकी मांग की है, वे निर्वाचनों एवं पूरे संसदीय प्रजातंत्र के विरुद्ध हैं।

हम सामान्यतः लोगों को अपने कार्यों पर जाने का अवसर क्यों नहीं देते? उसके पश्चात् हम बैठ कर मामले के सभी पहलुओं पर विचार कर सकते हैं। राज्य में सरकार स्थापित करना तो संभव है और न ही ऐसा करने का हमारा कोई इरादा है।

श्री रण बहादुर सिंह ने यूनान-रोम राजनीतिक विचारधारा पर विचार करने को कहा है। यूरोप की परम्परा, न केवल भारत, अपितु समग्र विश्व के लिये उपयोगी है। मैं समझता हूँ कि इस विषय पर चर्चा रोचक रहेगी।

श्री मधु लिमये ने अंतर्जातीय विवाहों का मामला उठाया था। खेद की बात है यदि इस प्रकार के विवाह करने वालों को कष्ट उठाना पड़े। विवाह एक निजी बात है और हम इस पर ध्यान देंगे।

हरिजनों आदि के संबंध में मामले पर निर्णय कांग्रेसी एवं गैर कांग्रेसी सरकारों के सहयोग से ही किये जा सकते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर) : क्या यह महाराष्ट्र में शिवसेना के कृत्यों पर लागू नहीं होता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : शिवसेना ने बंबई के नाम को भी बदनाम कर दिया है। हम सभी चाहते हैं कि इस प्रकार की तथा साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों को दबाना चाहिए।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में शिमला समझौते की शेष बातों को क्रियान्वित करने की इच्छा व्यक्त की गई है। शीघ्र ही बंगलादेश के प्रधान मंत्री का हम भारत में स्वागत करेंगे। ईरान के साथ हमारे आर्थिक संबंध और दृढ़ होते जा रहे हैं।

सैनिक अट्टों एवं हमारे निकटवर्ती क्षेत्रों में शास्त्रों के एकत्र होने से हमें चिन्ता हो गई है। इससे भय का कोई कारण नहीं है। अतएव यह आवश्यक है कि हम मतर्कतापूर्वक अपनी कठिनाइयों पर काबू पावें तथा संकट का पर्याप्त दृढ़ता से सामना करें।

यह समय हमारी कष्ट सहन करने की क्षमता के जांच करने का है। हमें आत्म-विश्वास और निष्ठापूर्वक कार्य करना है। क्या इस समय देश की भीतरी अवस्था एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थिति ऐसी नहीं है कि बंगला देश के संकट के समय जैसा सहयोग करके समस्या का हल करें ?

वर्तमान संकट का सामना करने के लिए हम एकता अपनायें तथा सभी स्रोतों को एकत्र करें और अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों का समाधान करने के लिये अपने निर्यात को बढ़ायें। (अध्ययन)

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहती हूँ कि यह कार्यक्रम रचनात्मक है तथा ईमसे उत्पादन में वृद्धि होगी। जहां तक तेल का संबंध है यह भी हमारे रचनात्मक कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है। अन्त में मैं माननीय सदस्यों की आभारी हूँ जिन्होंने शांतिपूर्वक मेरी बात सुनी है। इन शब्दों के साथ मैं धन्यवाद प्रस्ताव को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करती हूँ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या एक मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendments No. 1 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 2 से 55 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
The amendment Nos. 2 to 55 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 57 से 68 मतदान क लिय रखे गये तथा अस्वीकृत हुये
The amendments Nos. 57 to 68 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 84 से 93 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।
The amendments Nos. 84 to 93 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 94 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided

पक्ष में 24 विपक्ष में 173
Ayes 24 Noes 173

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 95 और 96 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।
The amendments Nos. 95 and 96 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 97 से 107 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।
The amendments Nos. 97 to 107 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 108 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 28 विपक्ष में 176
Ayes 28 Noes. 176

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 109 से 151, 179 से 220, 300 से 314 और 513 से 530 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 109 to 151, 179 to 220, 300 to 314 and 513 to 530 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 152 मतदान के लिये रखता हूं ।

लोक सभा में मत विभाजन हुआ
The Lok Sabha divided.

पक्ष में 23 विपक्ष में 171
Ayes 23 Noes. 171

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ
The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 153-163, 503-512 और 643-666 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 153 to 163, 503 to 512 and 643 to 666 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 169-175 और 270-272 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 169-175 and 270-272 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 222-234 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 222-234 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 235 मतदान के लिये रखता हूँ :

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha divided.

पक्ष में 22 विपक्ष में 174

Ayes 22 Noes. 174

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 236 से 240 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 236 to 240 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन संख्या 243 मतदान के लिये रखता हूँ ।

लोकसभा में मत विभाजन हुआ

The Lok Sabha Divided

पक्ष में 18 विपक्ष में 174

Ayes 18 Noes. 174

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 241, 242, 244 और 245 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 241, 242, 244 and 245 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 246 से 269, 273 से 299, 372 से 408, 464 से 502 और 539 से 622 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 246 to 269, 273 to 299, 372 to 408, 464 to 502 and 539 to 622 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 323 से 347 और 531 से 538 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 323 to 347 and 531 to 538 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 416 से 441 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

The amendments Nos. 416 to 441 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 623 से 632 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 623 to 632 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 633 से 639 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुये ।

The amendments Nos. 633 to 639 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय प्रश्न यह है

“कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाये :—

‘कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो उन्होंने 18 फरवरी, 1974 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की है, उनके अत्यन्त आभारी हैं।’

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

The motion was adopted

(उसके पश्चात् लोक-सभा मध्यान्ह भोजन के लिये 2 बज कर 30 मिनट म० प० तक के लिये स्थगित हुई।)

(The Lok Sabha then adjourned for Lunch till half past Fourteen of the clock)

(मध्यान्ह भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर सैंतीस मिनट म० प० पर पुनः समवेत हुई।)

(The Lok Sabha re-assembled after Lunch thirty seven minutes past Fourteen of the clock)

अध्यक्ष महोदय पोठासोन हुये
Mr. Deputy Speaker in the chair

एस्सो (भारत में उपक्रमों का अर्जन) विधेयक, 1974

Esso (Acquisition of undertakings in India) Bill 1674

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री देवकांत बरुआ) : महोदय ! मैं प्रस्ताव करता हूँ :

“कि एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड द्वारा भारत में जिन पेट्रोलियम उत्पादों का वितरण और वियणन किया जाता है उनका समन्वित वितरण और उपयोग सुनिश्चित करने की दृष्टि से भारत में एस्सो ईस्टर्न इन्कारपोरेटेड के उपक्रमों के संबंध में उसके अधिकार, हक और हित का अर्जन और अन्तरण करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।”

इस सदन के अधिकांश माननीय सदस्य चाहते हैं कि विदेशी तेल कम्पनियों को सरकार द्वारा अपने नियंत्रण में लिया जाये। कांग्रेस ने अपने चुनाव घोषणापत्र में कहा था कि देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले उपक्रमों को सरकारी क्षेत्र के अधीन रखा जायेगा।

तेल उद्योग अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के साथ-साथ एक व्यापक और शक्तिशाली उद्योग है तथा इसे पूंजीवादियों के हाथों में नहीं छोड़ा जा सकता। स्वयं पूंजीवादी देशों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि तेल उद्योग पर सरकार का अवश्य कोई नियंत्रण होना चाहिये। इटली और फ्रांस जैसे देशों ने बड़ी-बड़ी तेल कम्पनियों को सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत रखा है। ग्रेट ब्रिटेन में भी लगभग 49 प्रतिशत तेल उद्योग सरकार के हाथों में है। जापान में भी तेल उद्योग सरकार के हाथों में है। अतः भारत जैसे समाजवादी देश में तेल उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होना अनिवार्य है। वैसे अभी इस उद्योग का अधिकांश भाग सरकार के ही अधीन है। सरकार की इसी नीति के अनुसरण में यह निर्णय किया गया है कि इस कम्पनी के 74 प्रतिशत शेयर सरकार द्वारा अपने हाथ में रखे जाएं। इनका एक उद्देश्य यह है कि हम अगली कुछ वर्षों तक उससे तेल की सञ्चाई प्राप्त करते रहेंगे क्योंकि तेल केवल सरकारी

कम्पनियों से ही नहीं खरीदा जाता। हमें अधिकांश तेल ईरान और सऊदी अरब से मिलता है तथा ये दोनों देश गैर सरकारी कम्पनियों के माध्यम से तेल सप्लाई करते हैं। अतः तेल के क्षेत्र में वर्तमान संकट को ध्यान में रखते हुए हमने सोचा है कि हमें सरकारी कम्पनियों तथा गैर-सरकारी कम्पनियों से तेल प्राप्त होता रहे। गैर-सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों से हम इसलिये भी तेल की सप्लाई जारी रखना चाहते हैं क्योंकि उनसे कम मूल्य पर तेल प्राप्त हो जाता है क्योंकि उन्हें तेल उत्पादक देशों से कम मूल्य पर तेल मिलता है।

किसी भी भारतीय कम्पनी को अधिकार में लेने के लिये या ऐसी कम्पनी को अधिकार में लेने के लिये जिमका पंजीकरण भारत में हुआ हो, संमद में विधेयक लाने की आवश्यकता नहीं होती। किन्तु यह कम्पनी भारत में पंजीकृत नहीं हुई। 'एस्सो' कम्पनी की तेल शोधक कम्पनी और ल्यूब आयल कम्पनी भारत में पंजीकृत हैं। अतः उनकी खरीदों फरोख्त भारत के कानूनों के अन्तर्गत हो सकती है। किन्तु इस कम्पनी की विपणन संबंधी गतिविधियां भारत में पंजीकृत नहीं हैं इसीलिये सरकार को यह विधेयक लाना पड़ा।

इस कम्पनी का 50 प्रतिशत ल्यूब आयल प्लांट हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कम्पनी के नाम और स्टाइल के अन्तर्गत कार्य करेगा तथा इस कम्पनी का उस कम्पनी के अधीन होगा जो पूर्णतः सरकारी नियंत्रण वाली कम्पनी होगी। मेरे विचार से इस विधेयक में कोई विवादस्पद विषय नहीं है।

श्री ज्योति रंय बसु (डा.प्रमड हार्बर) : यद्यपि यह कदम सरकार ने बहुत देर से उठाया है फिर भी सराहनीय है। जहां तक इस विधेयक का संबंध है मुझे इसके खण्ड 4 के उपखण्ड (2) में निहित उपबंधों पर आपत्ति है तथा मैं चाहता हूं कि भंत्री महोदय स्पष्ट करें कि 'एस्सो' कम्पनी को अधिकार में लेते समय सरकार ने उन्हें शेयर, ट्रेडमार्क आदि की रियायत क्यों दी है।

प्रबन्धक बोर्ड के बारे में भी कुछ उल्लेख नहीं किया गया। इसका भी क्या कारण है? दिनांक 13 नवम्बर, 1972 के अतारांकित प्रश्न संख्या 59 के उत्तर में बताया गया था कि 'एस्सो' ने अन्य बातों के साथ अपने सभी हितों को बेचने का प्रस्ताव किया है। किन्तु इस विधेयक में बहुत से हितों का उल्लेख नहीं किया गया। एक अत्यन्त गम्भीर मामला प्रबन्धक बोर्ड में आनुपातिक प्रतिनिधित्व के बारे में है। विशेष संकल्पों के लिये, जिसके लिये तीन-चौथाई बहुमत चाहिये, 'एस्सो' की अनुमति लेनी होगी। आस्तियों के पुनर्मूलन के कारण होने वाले लाभ पर करों की छूट देनी होगी। इन सब बातों से सन्देह उत्पन्न होता है। क्या इस प्रकार की छूट दिया जाना वैधानिक होगा? क्या इसे समाजवादी कदम कहा जा सकता है?

इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि विक्रय मूल्य को समान वार्षिक किश्तों में विदेश भेजा जा सकता है। इसका तात्पर्य है कि सरकार उनके आगे झुक गई है। यह एक प्रकार की गुलामी है।

डा० तनजेर के एक लेख के अनुसार "यह कम्पनी अपने पास 26 प्रतिशत शेयर इसलिये रखना चाहती है क्योंकि इतने प्रतिशत शेयरों के कारण उसे इस देश के कानूनों के अनुसार 'वीटो पावर' प्राप्त रहती है तथा भारत सरकार कम्पनी के कार्यकरण में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सकती"। सरकार ने इस कम्पनी को प्रत्यक्ष करों से बचने तथा रिजर्व बैंक के कानूनों से बचने की अनुमति दे दी है। सरकार ने इस कम्पनी पर भारतीय समवाय कानूनों को भी लागू नहीं किया।

मुआवजे का मामला भी नितांत रहस्यपूर्ण है। मुआवजे से संबंधी उपबन्ध मूलरूप से चाहे सरकार ने बनाये हों किन्तु ज्ञात होता है कि अंतिम निर्णय 'एस्सो' के प्रभाव में आकर किया गया है। पृष्ठ चार, धारा 8 के अनुसार सरकार को 2.59 करोड़ रुपये की राशि 'एस्सो' को देनी पड़ेगी।

दिनांक 28 फरवरी को प्रकाशित एक समाचार के अनुसार एस्सो के शत प्रतिशत अधिग्रहण के लिये सरकार को लगभग 21.97 करोड़ रुपयों की राशि देनी होगी तथा शत प्रतिशत अधिग्रहण सात वर्ष बाद किया जा सकता है।

इन सब बातों को देखते हुए हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इस कम्पनी को अपने हाथ में लिये जाने के लिये सरकार को कुल कितनी धनराशि देनी पड़ेगी। मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूँ कि समाजवाद की दुहाई देने वाली सरकार इस कम्पनी को तुरन्त अपने हाथ में क्यों नहीं ले सकी? यदि सरकार में समाजवाद लाने के लिये साहस है तो इन कम्पनियों को कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये।

डा० तनजेर का मत है कि भारत सरकार को सभी विदेशी तेलशोधक कारखानों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिये तथा उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाना चाहिये क्योंकि इन्होंने अत्यधिक लाभ अर्जित किया है। एक अन्य प्रश्न के उत्तर में सरकार ने विदेशी तेल कम्पनियों द्वारा लाभ/लाभांश आदि के रूप में अपने देशों को भेजी गई धनराशि का व्यौरा इस प्रकार दिया है:

	1967	1968	1969	1970
एस्सो	74	15	15	94
एस्सो रिफाईनिंग	—	—	171	284

अर्थात् 378 लाख रुपया। यह स्थिति है। इन पर विदेश धन भेजने संबंधी बैंक के कानून भी लागू नहीं किये जाते। इतना ही नहीं एस्सो मार्केटिंग ने 1967 में 2186 लाख रुपये, 1968 में 2876 लाख रुपये तथा 1969 में 2573 लाख रुपये अपने देश भेजे।

श्री पी० सी० सेठी: तीन प्रमुख विदेशी तेल शोधक कम्पनियों के लाभ आदि के बारे में निम्न-लिखित सूचना दी थी:

वर्ष	कुल लाभ	लाख रुपयों में	
		आरक्षित निधि में से हस्तांतरण	घोषित लाभांश
1969	515	446	961
1970	546	612	1158

ये कम्पनियां हमारे देश को लूटती रहीं हैं तथा सरकार ने इस संबंध में कोई कदम नहीं उठाया उनके पास 26 प्रतिशत शेयर छोड़कर सरकार चाहती है कि ये कम्पनियां हमारे देश को और भी लूट सकें। मेरी मांग है कि इस कम्पनी का शत प्रतिशत अधिग्रहण किया जाए तथा उसे कोई मुआवजा न दिया जाये। मंत्री महोदय यह भी आश्वासन दे कि रोजगार तथा सेवा की शर्तें इस कम्पनी में अच्छी रहेंगी। मंत्री महोदय हल्दिया में पेट्रो-केमीकल परियोजना की स्थिति भी स्पष्ट करें।

डा० रानेन सेन (वारसाट) : महोदय ! मैं उम विधेयक का विरोध करता हूँ। माननीय सदस्यों की यह इच्छा थी कि सभी विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। उसी आशय का एक संकल्प श्री एच० एन० मुखर्जी द्वारा सभा में लाया गया था किन्तु सरकार ने उसे पास नहीं होने दिया।

राष्ट्रीयकरण करने की वजाय सरकार ने इस विधेयक के द्वारा 'एस्सो' कम्पनी के ऐसे संस्थानों, डीपुअों और पेट्रोल पम्पों को खरीदने का प्रस्ताव किया है जो औसतन 10 वर्ष पुराने हैं।

दूसरे सरकार ने 2½ करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है जो विदेशी मुद्रा में होगी। मैंने मोटे तौर में हिसाब लगाया है कि व्याज, आयकर की छूट आदि के हिसाब से इस राशि में लगभग 3 करोड़ रुपये और बढ़ जायेंगे। सरकार को वर्तमान कानूनों के अन्तर्गत पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों और वितरण को विनियमित करने के अधिकार प्राप्त हैं। आई० ओ० सी० को सरकार प्रमुख विक्रम एजेंट बनाया जा सकता था। आई० ओ० सी० द्वारा विपणन आदि का सारा कार्य अपने हाथ में लिया जा सकता था। आई० ओ० सी० द्वारा वितरण आदि का कार्य भी बड़ी सुगमता से चलाया जा सकता था।

रिफाइनरी तथा ल्यूब कम्पनी के बारे में मंत्री महोदय ने बताया है कि इन कम्पनियों को खरीदने में कोई कठिनाई नहीं है। भारत सरकार केवल 74 प्रतिशत शेयर खरीदेगी। मैं जानना चाहता हूँ कि ये शेयर किस मूल्य पर खरीदे जायेंगे। विधेयक में इस सम्बन्ध में कुछ नहीं बताया गया।

एस्सो कम्पनी को सरकार द्वारा दी गई कुछ छूटों के बारे में श्री बसु ने उल्लेख किया है। एस्सो द्वारा लिये गये एस्सो स्टैंडर्ड अथवा ल्यूब इण्डिया के शेयरों को नहीं छुआ जाएगा। इसी प्रकार ट्रेड मार्क के बारे में भी उन्हीं के पक्ष में निर्णय किया गया है। आश्चर्य की बात है कि सरकार इस कम्पनी को अधिग्रहण कर रही है किन्तु उसके 'पेटेंट' आदि को हाथ नहीं लगा सकती। यह कार्य हमारे देश के हितों के प्रतिकूल है तथा इससे हमारे देश की प्रभुसत्ता को धक्का लगता है।

मैं अब पृष्ठ 4 पर खण्ड 9 के बारे में कहूंगा। श्री राजा कुलकर्णी का संशोधन इस संदर्भ में अच्छा है कि किसी कर्मचारी को हानि नहीं होनी चाहिये। क्या मंत्री महोदय को मालूम है कि भारतीय तेल निगम के अधिकारी को वेतन के रूप में 1,300 रुपये अथवा 1,500 रुपये मिलते हैं, किन्तु वह एस्सो के अधिकारी की तरह ही काम कर रहा है जिसे लगभग 3000 से 5000 रुपये वेतन के रूप में मिलते हैं। यह बात समझी जा सकती है कि गरीब कर्मचारी के अधिकारों की रक्षा करनी होती है, किन्तु उस प्रकार के अधिकारियों के बारे में क्या है जिनके बारे में मैंने कहा है? इस का परिणाम यह होगा कि आप इस अधिनियम के अन्तर्गत एक अन्य श्रेणी बना देंगे। यह बहुत ही विचित्र बात है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय जानते हैं कि बर्मा शैल तथा अन्य विदेशी कम्पनियों ने अपने अधिकारियों के लिये एक पूल निधि बनायी हुई है। अतः आप द्वारा 'अन्य निधि' का उल्लेख किये जाने से स्वाभाविक रूप से यह सन्देह पैदा हो जाता है कि उन अधिकारियों को दी जा रही सुविधाओं की रक्षा की जा रही है। भारतीय तेल निगम के अधिकारियों को ये सुविधायें नहीं मिलतीं, हालांकि इनमें से अधिकांश अधिकारी बर्मा शैल या कालटेक्स से आये हैं। अतः, इनको ये सुविधायें क्यों दी जायें जो उन्हें एस्सो कम्पनी में मिल रही थीं। विशेष अधिकारियों का एक वर्ग नहीं बनने दिया जाना चाहिये। इस कानून के अन्तर्गत 3,000 से 4,000 रुपये तक वेतन पाने वाले अधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुविधायें भी देनी होंगी। अतः, हमें इस विधेयक का विरोध करना चाहिये। संसद को इसे अस्वीकार कर देना चाहिये। सरकार को एक ऐसा विधेयक लाना चाहिये जिसके उपबन्ध स्पष्ट हों।

इसके अतिरिक्त मंत्री महोदय ने यह भी कहा है कि वह 'एस्सो' तेल शोधक कारखाने का राष्ट्रीयकरण नहीं कर सकते। किसी अन्य विदेशी तेल कम्पनी का राष्ट्रीयकरण करने में भी वह असमर्थ हैं, क्योंकि इन कम्पनियों के तेल प्राप्त करने के अपने-अपने साधन हैं। इस तेल शोधक कारखाने को खरीदने अथवा धन देकर 34 प्रतिशत भाग को ले लेने की बजाय उनका राष्ट्रीयकरण करना अधिक सरल है, क्योंकि ये भी तो भारतीय कम्पनियां ही हैं। यह निर्विवाद बात है।

अब देशों से एस्सो कितना अंशोधित तेल ले रहा है? उसकी क्षमता 25 लाख टन की है। भारत सरकार भी उसे अंशोधित तेल देती है। अतः यह 25 लाख टन से भी कम है। इससे समस्या का समाधान नहीं होता। अतः सरकार को साहस करके लोगों की मांग को स्वीकार करके विदेशी तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिये। मैं मंत्री महोदय से इस विधेयक को वापिस लेने के लिये कहता हूँ।

श्री राजा कुलकर्णी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ, यद्यपि इसे बहुत देरी से लाया गया है। लगभग चार पांच वर्ष पूर्व सर्व प्रथम यह मांग तेल उद्योग में संगठित कर्मचारियों द्वारा की गयी थी। इसके द्वारा उन्होंने जनता तथा सरकार को यह समझाने का प्रयत्न किया था कि विदेशी तेल कम्पनियां श्रमिक विरोधी रवैया अपना रही हैं और वह देश को लूट भी रही हैं। सरकार उस समय इस बारे में कोई निर्णय नहीं कर सकी थी।

सभा पटल पर जब एक प्रश्न पूछा गया तथा एक ज्ञापन भी दिया गया था, तो सरकार ने यह कहा था कि उनके सामने ये तीन विकल्प हैं। जिनके बारे में सरकार निर्णय कर सकती है। इनमें से एक था तेल शोधक कारखानों सम्बन्धी करार को समाप्त करना, दूसरा यह कि तेल शोधक कारखानों के इक्विटी शेयरों का कुछ प्रतिशत अंश ले लिया जाये तथा तीसरा विकल्प यह था कि इनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाये। सरकार ने इस बारे में कोई स्पष्ट मत नहीं बनाया था।

अब लगभग दो वर्षों से अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थिति पूर्णतः बदल चुकी है। मंत्री महोदय ने अब निर्णय करके अंशोधित तेल प्राप्त करने के लिये मध्य-पूर्व देशों के साथ समझौते किये हैं।

आज स्थिति इतनी नाजुक हो गयी है कि एस्सो को अपने नियंत्रण में लेने में और विलम्ब करने से हानि हो सकती है। मैं चाहता हूँ कि इस विधेयक का विरोध न किया जाये और इसे यथाशीघ्र पास किया जाये। अब इस विधेयक के उपबन्ध कहां तक उचित हैं और कहां तक एस्सो कम्पनी सहमत हुई है?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप अपना भाषण अगली बार जारी रखें।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

Committee on Private Member's Bills and Resolutions.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्बन्ध में चर्चा करेंगे।

श्री अमर नाथ चाबला (दिल्ली सदर) : मैं प्रस्तुत करता हूँ:—

“कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 36वें प्रतिवेदन से, जो 28 फरवरी, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।”

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:—

“कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 36वें प्रतिवेदन से, जो 28 फरवरी, 1974 को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है।”

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के बारे में संकल्प

Resolution re : Free and Fair Elections

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा पेश किये गये संकल्प पर आगे चर्चा करेंगे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी अपना भाषण जारी रखेंगे।

Shri Atal Bihari Vajpayee (Gwalior) : Free and fair elections are the pre-requisite for a parliamentary democracy. It is regretted that the corrupt practices are being adopted in the elections. The elections are being influenced by the money power and the Government machinery is being misused openly in favour of the ruling party.

Although limit has been prescribed on the expenditure to be incurred on the elections to the Assembly and Lok Sabha. It is an open secret that the candidates have to spend more than the prescribed limit and no accounts are kept for this.

According to the estimates of Dr. Sethi about one hundred crores of rupees are spent during the elections to the Lok Sabha and the State Assemblies. The political parties are receiving the amount from the industrialists who give this amount in expectations of undue favours from the concerned parties and it can be imagined that how much amount of black money they may be earning.

Although a number of incidents have come to light when Government officials had tried to interfere with the elections in favour of the ruling party. There is nothing in the present law to prevent the Government machinery from having misused in an organised manner to influence the electorate.

The Prime Minister as also the Chief Minister of U.P. has used the air force planes and helicopters during the recent elections. People used to come to see the helicopters although they are not interested to listen them. The stages from which the Prime Minister speaks, are erected by the public works departments. In our opinion no honest and poor is able to contest the elections. We too inquire from him that how much amount he can spend in the elections (*interruptions*). I have already said about the political parties. If this burden of expenditure is to be borne by the parties, these parties would try to get the amount from the Capitalists and thus the politics would become the slave of the rich people. To avoid abuse of money power in election, political parties contesting the elections should be given grants for contesting the elections. The Joint Committee on Amendment of the Election Law had also recommended that major expenses the political parties during election should be borne by the Government and it had also recommended that an expert committee should be constituted for that purpose.

In many of the democratic countries, the Government give necessary funds to the political parties for the purpose of contesting the elections. This should be done in our country also. If such thing is done the expenditure would not be more than 15 crores. It is necessary to amend the election law for this purpose. Many of the evils of the present election system would be abolished, if we adopt the list system in our country. This would also enable healthy development of political parties which is a precondition of a parliamentary democracy.

The Election Commission is the authority which is responsible for free and fair elections in this country. Although the function and area of responsibility of the Commission is increasing every year, it continue to be a one man Commission. The system of appointment of Election Commissioner should also be changed, because at present he is being nominated by the President. The Chief Justice of India and also the leaders of the opposition parties should also have a say in the appointment of the Election Commissioner.

The Joint Select Committee had recommended that all the political parties should be given the opportunity to broadcast their speeches on the Radio during election, But no action has been taken either by the Government or by the Election Commission in this regard A.I.R. has become a mouth piece of the ruling party and this media is being used to further the interest of the ruling party. The Election Commission can force the Government to allow the the use of the media of Radio and the Television by all the parties during the elections.

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प पेश किया गया :—

“यह सभा चुनावों में धन-शक्ति के बढ़ते हुए प्रभाव और शासकीय साधनों के दुरुपयोग पर चिन्ता व्यक्त करती है और स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु सरकार को निदेश देती है कि—

- (एक) मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को चुनाव अनुदान दिये जायें जैसी कि वांचू समिति ने सिफारिश की है;
- (दो) मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों के लिए समान रेडियो-समय देने, निर्वाचन आयोग को बहु-सदस्यीय निकाय बनाने, मतदान आयु को कम करके 18 वर्ष करने, और सूची पद्धति को अपनाने की सम्भाव्यता पर उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा जांच कराये जाने के बारे में निर्वाचन विधि में संशोधनों सम्बन्धी संयुक्त समिति की सिफारिशें क्रियान्वित की जायें;
- (तीन) मंत्रियों के लिये शासकीय सुविधाओं जैसे वायुयानों, हेलीकाप्टरों, वाहनों आदि का प्रयोग वर्जित कर दिया जाये जब तक कि अन्य मान्यता-प्राप्त राजनीतिक दलों को भी समता के आधार पर ये सुविधाएं उपलब्ध न हों— और
- (चार) मत-गणना मतदान-मण्डपवार की जायें ।”

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूँ :—

कि संकल्प में,—

after “money power” “communalism, regionalisms casteism, and other disruptive activities

(“धन शक्ति” के पश्चात),

(“साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयतावाद, जातिवाद और अन्य विघटनकारी गतिविधियां” अन्तःस्थापित किया जाये) । [संशोधन संख्या 1]

कि संकल्प के अन्त में यह जोड़ा जाये, —

“(v) measures be taken to ban communal, separatist, regional and caste-based propaganda by communal, reactionary and separatist parties and organisations in the interest of secularism, democracy and unity of the country ;

“(पांच) धर्मनिरपेक्षता, लोकतन्त्र तथा देश की एकता के हित में साम्प्रदायिक, प्रतिक्रियावादी, तथा पृथक्तावादी दलों और संगठनों के साम्प्रदायिक, पृथक्तावादी, क्षेत्रीयतावादी तथा जातिवादी प्रचार पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए उपाय किये जायें);

(vi) votes should be asked only on the basis of programmes and policies by the contesting parties and their candidates; and

(छः) चुनाव लड़ने वाले दलों तथा उनके उम्मीदवारों को केवल कार्यक्रमों तथा नीतियों के आधार पर मत मांगने चाहिए); और

(vii) system of proportional representation should be adopted for the Parliamentary and Legislative Assemblies elections.”

(सात) संसदीय तथा विधानसभाई चुनावों के लिए अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति अपनाई जाये ।” [संशोधन संख्या 3]

श्री विभूति मिश्र (मोतिहारी) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि संकल्प के अन्त में यह जोड़ा जाये,—

“(v) an impartial Commission be appointed to suggest the population for Lok Sabha and Vidhan Sabha constituencies and other measures for ensuring free and fair elections including the election expenditure being borne by the Government.”

“(पांच) लोक सभा तथा विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए जनसंख्या निश्चित करने तथा सरकार द्वारा वहन किये जाने वाले चुनाव व्यय सहित स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए अन्य उपाय सुझाने हेतु एक निष्पक्ष आयोग नियुक्त किया जाये ।”

[संशोधन संख्या 3]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : हम इस संकल्प का समर्थन करते हैं। मैं चाहता हूँ कि श्री वाजपेयी ने अपने संकल्प में इस बात को शामिल किया होता कि यह सुनिश्चित करने के लिये ऐसे प्रयास किये जाने चाहिये ताकि इस देश में चुनाव में धांधली न की जाये। चुनाव के नाम पर देश के कुछ भागों में जो कुछ हो रहा है, वह बड़ी चिन्ता की बात है। यदि हम संसदीय लोकतन्त्र को बनाये रखना चाहते हैं, तो यह सब कुछ नहीं होने देना चाहिये। हाल में कुछ हुए चुनावों के दौरान में

गम्भीर आरोप लगाये गये हैं कि चुनाव तन्त्र का दुरुपयोग किया गया है। मधुबनी में क्या हुआ ? किस कानून के अन्तर्गत देश के किसी भाग में, जहां चुनाव हो रहे हों, रेलों का आना जाना बन्द कर दिया ? किस अधिकार के अन्तर्गत लोगों को उस क्षेत्र में जाने से रोका गया ?

एक माननीय सदस्य : कोयले की कमी के कारण रेलों का आना जाना रोका गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या केवल मधुबनी में ही कोयले की कमी हो गयी थी ? गायवाट में क्या हुआ ? निस्सन्देह ही श्री समर गुह उस स्थान के बारे में बतायेंगे।

[श्री वसंतसाठे पीठासीन हुए
Shri Vasant Sathe in the chair]

बेलगाचिया में क्या हुआ ? खुरदा में भी वोटों की गणना आदि में गड़बड़ी की गयी। इन सब बातों के होते हुये आप संसदीय लोकतन्त्र को मजबूत करने की बात सोच रहे हैं ?

इसके अतिरिक्त, केवल इसलिये सरकार स्थापित कर दी जाती है क्योंकि वहां चुनाव होने वाले थे। चुनाव लड़ने के लिये वह सरकार स्थापित कर दी जाती है जिसने एक दिन भी विधान सभा का सामना नहीं किया। क्या इस देश के चुनावों के प्रति आपका यह रवैया है ? उत्तर प्रदेश में चुनावों से पूर्व लोकप्रिय सरकार इसलिये स्थापित कर दी गयी ताकि उत्तर प्रदेश जैसे एक महत्वपूर्ण राज्य में सरकारी तन्त्र का दुरुपयोग किया जा सके। ऐसा भी आरोप लगाया गया है कि सत्तारूढ़ दल ने सरकारी तन्त्र का पूरी तरह दुरुपयोग किया है।

श्री बाजपेयी जी ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने चुनावों में हेलीकाप्टरों का उपयोग किया है। निश्चय ही उनका समय कीमती है। चुनाव अभियान के संदर्भ में अन्य दलों के नेताओं का समय भी समान रूप से कीमती है, क्योंकि उन्हें थोड़े समय के भीतर अनेक राज्यों में जाना होता है।

सत्तारूढ़ दल के नेता, जो कि प्रधान मंत्री भी हैं, को इन सुविधाओं में एकाधिकार क्यों दिया जाता है। इस बारे में कुछ परम्पराएं और नियम बनाये जाने चाहियें। अन्य दलों को भी ऐसी सुविधाएँ दी जानी चाहिए।

1971 के निर्वाचन में सुरक्षा विभाग की जीपें सत्तारूढ़ दल को दी गई थी। यह मामला महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका प्रभाव सारे देश पर पड़ता है। मतगणना के लिये जो नये उपाय निकाले गये हैं आप उनको ही देखिए ?

इस मामले पर संयुक्त समिति ने विचार किया था। इस समय परिचालित नियम से यह नहीं जाना जा सकता कि किसी निर्वाचन केन्द्र पर किसी उम्मीदवार को कितने मत पड़े थे।

निर्वाचनों पर खर्च के बारे में मैं श्री अटल बिहारी बाजपेयी द्वारा व्यक्त विचारों से काफी सहमत हूँ। सामान्यतः यह समझा जाता है कि अधिकांश उम्मीदवार सीमा से अधिक व्यय करते हैं।

यह धन व्यवसायी लोगों से प्राप्त होता है। काला धन निकालने का यह एक अच्छा साधन है। इन मामलों पर संयुक्त समिति ने विचार किया था। परन्तु जो विधेयक लाया गया है उसमें कई महत्वपूर्ण मामले छोड़ दिये गये हैं। निर्वाचनों में धांधलेबाजी को रोका जाना चाहिए।

चौथे निर्वाचन में मेरी एक शिकायत की जांच उम्मी अधिकारी द्वारा की गई जिसके विरुद्ध शिकायत थी। निर्वाचन याचिका में इतना समय लगता है तथा उसकी प्रक्रिया इतनी जटिल है कि हर कोई इसका भार नहीं उठा पाता।

सरकार को संयुक्त समिति के मुद्दाओं को क्रियान्वित करने का यत्न करना चाहिए।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Even today there are several persons in congress who had undergone a lot of sacrifices and whose conduct is accepted above mark.

Shri Vajpayee has in his speech called for purification in elections. What is the criterion for that ? There are numerous small businessmen in his party. Where from the money comes. I toured my constituency either by Rail or by a cycle.

The Prime Minister can make use of plane under the rules. Raja of Ramgarh first used helicopters even for shorter distances. Even then he had to face defeat. Shri Vajpayee as made these allegations due to defeat in elections. The number of jeeps etc. used by them in the election is not less.

So I like that there should be cadre based parties. Jansang has the cadre i.e. R.S.S. I wish that all the parties may sit together and do away with this evil. There should be completely independent body to supervise elections. Wherever the Prime Minister visiting the people welcome her. Because of less virtues she is worshipped every where.

Every one should take care that elections are held impartially. The limit of Parliamentary elections is Rs. 35,000 and for state legislative is for Rs. 12,000. The hon. Member has admitted that he has spend more than this amount. The members should resign and fight election without spending any thing more than the prescribed limit. Some measures should be adopted to reduce expenditure on elections.

There is one Lok Sabha seat for 8-9 lakh people and one Assembly seat for 1-1/2 lakh people. It is very difficult to go a cadreless party to fight elections in such big areas.

Shri Ramavtar Shastri (Patna) : While supporting the Bill I have to put up my amendments. The youth of 18 years should be given voting right. Such right is available throughout the world.

The demand for stoppage of misuse of powers for elections is a right one. In Madhubani 30 lakhs were controlled by goondas.

All trains passing thorough Madhubani were cancelled a day before elections. Under whose authority the trains were cancelled ? Numerous Government vehicles are used for election for the party. If such measures together with communal and racial misuse are continued to be used the future of democracy would be dark.

Congress did not feels shame in joining hands with Shiv Sena. This alliance was made in order to defeat communists.

Racial trouble is prevalent there and in U.P. to a great extent. Why Shri Vajpayee has left these matters.

Shiv Sena and R.S.S. should be banned. Muslem League should be checked.

The political parties should seek elections on the basis of their policies. They should explain their policies to the people. The principle of proportional representation should be adopted. I cannot say why Shri Vajpayee has left out this matter.

Shri Atal Behari Vajpayee : It would come in the list system.

Shri Ramavtar Shastri : The votes of a party are too many. If proportionately they are able to send 20 candidates they are able to send only one.

Weaker sections are denied the right to vote even today. The government should look into it and arrange to send them to polling booths. A comprehensive Bill may be brought in order to insure free and fair elections.

Shri M. Ramgopal Reddy (Nizamabad) : Our policy since 1952 has been to conduct free, fair and impartial elections. It enabled establishment of governments by opposition parties in various states ?

So far as black money is concerned who gets it ? We have abolished Privy purses and raid black money. How can we get it. In my constituency Shri Vajpayee was presented a purse of Rs. 51,000 and whereas I got 1 lakh 50 thousand votes and his Party man got 25,000 votes.

The returning officers in our country are decent people. They have rejected the nominations papers of big people.

We may held meetings any where. It may be attended by 10 persons. Why disturbances, are created in our meetings ? In south India nothing like this happens. In our country Godse killed Mahatma Gandhi who was respected by people not only in India but in the world over.

If elections are conducted according to established norms then much expenditure can be saved. With these words I appeal Shri Vajpayee to withdraw his resolution.

*श्री ई० आर० कृष्णन् (सलेम) : मैं श्री बाजपेयी जी के संकल्प का पूरा समर्थन करता हूँ जिसमें हमारे जैसे लोकतन्त्रीय देश में निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की गई है।

यह सर्वविदित है कि केन्द्रीय सरकार ने देश में काले धन पर नियंत्रण रखने के लिए रचनात्मक पग नहीं उठाए हैं। इसका कारण यह है कि सत्तारूढ़ दल काले धन के बिना बार-बार चुनाव न कर सकेगा तथा उसमें जीत न सकेगा। वांचू समिति ने कहा था कि देश में काला धन लगभग 5000 करोड़ रुपये होगा। चूंकि काला धन चुनावों में काम आता है इसलिए सरकार उस पर नियंत्रण रखने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठा रही है।

*मूल तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

तीन महीने पूर्व तमिलनाडु विधान सभा में एक संकल्प पारित हुआ था जिसमें कहा गया था कि काले धन पर नियंत्रण रखने का कार्य राज्य सरकार को सौंपा जाए परन्तु सरकार ने उस पर अभी तक अपना अनुमोदन नहीं दिया है। यह सब जानते हैं कि चुनाव खर्च का विवरण गलत दिखाया जाता है। इसमें वास्तविक खर्चा नहीं दिखाया जाता है।

मैं सत्तारूढ़ दल द्वारा उत्तर प्रदेश में चुनावों से पूर्व अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों की ओर दिलाना चाहूंगा। हम सभी जानते हैं कि प्रधान मंत्री ने उत्तर प्रदेश में 400 करोड़ रुपये लागत की 15 विशाल परियोजनाओं का शिलान्यास किया। चुनावों में विजय प्राप्त करने के लिए सभी तरीके अपनाए गए सत्तारूढ़ दल का एक सिद्धांत है। उत्तर प्रदेश को पंजाब, हरियाणा तथा दिल्ली से बिजली की सप्लाई की गई जबकि वहां इसकी अत्यन्त आवश्यकता थी। इसी प्रकार जबकि गाजियाबाद में चीनी 3 रुपये प्रति 1 किलो बिक रही थी, यह दिल्ली में 4 रुपये 50 पैसे किलो बिक रही थी। इसी प्रकार गन्ने के मूल्य में वृद्धि की गई है, परन्तु कुछ दिनों के पश्चात चीनी के मूल्यों में भी वृद्धि की गई। ऐसा किए बिना सरकार को चीनी मिल मालिकों से चुनावों के लिए करोड़ों रुपये नहीं मिलते। एक ही महीने में उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों को दी जाने वाली महंगाई भत्ते में तीन बार वृद्धि की गई। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री बहुगुणा ने उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में एक विश्वविद्यालय खोलने का आश्वासन दिया है। इसी प्रकार उन्होंने यह कहा है कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में कालेज खोले जाएंगे, उत्तर प्रदेश में चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ दल के समर्थन में प्रचार करने के लिए काफी संख्या में केन्द्रीय मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, पड़ोसी राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने वहां का दौरा किया था। इन सब का खर्चा राजकोष से पूरा किया गया। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन समाप्त करके लोकप्रिय सरकार की स्थापना की गई परन्तु क्या उसने विधान सभा की एक भी बैठक बुलाई? यहां मैं पांडिचेरी का उदाहरण देना चाहूंगा जहां की सरकार ने द्रविण मुन्नेत्र कणगम के दो मंत्रियों द्वारा दल बदलने के कारण त्यागपत्र दे दिया था, द्रविण मुन्नेत्र कणगम की लोकतंत्रीय आदर्शों में आस्था है और वह देश में लोकतंत्रीय परम्परा को बनाए रखना चाहती है। परन्तु केन्द्र में सत्तारूढ़ दल का लोकतंत्र के प्रति कुछ दूसरा ही दृष्टिकोण है। उसने उत्तर प्रदेश में चुनाव से पूर्व राष्ट्रपति शासन समाप्त करके सरकार की स्थापना की जिसका उद्देश्य आगामी चुनावों को जीतने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था तथा अधिकार का उपयोग करना था। यह इस बात की ओर संकेत करता है कि सत्तारूढ़ दल किसी भी तरह से सत्ता में बने रहना चाहता है।

हाल ही में सभी राज्य सरकारों को एक परिपत्र जारी किया गया था जिसमें उन्हें प्रधान मंत्री द्वारा चुनाव दौरे पर होने वाले खर्च को वहन करने के लिए कहा गया था, पांडिचेरी जैसे एक छोटे से राज्य को प्रधान मंत्री के चुनाव दौरे के कारण 10 लाख रुपये वहन करना पड़ा। इसी प्रकार कांग्रेस विभिन्न राज्यों में अपने चुनाव हित को देखते हुए कभी संयुक्त कांग्रेस और कभी द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम से समझौता करती है। यदि पांडिचेरी में इंदिरा कांग्रेस और कामराज कांग्रेस एक हैं तो यही दल उत्तर-प्रदेश में एक दूसरे के विरुद्ध हैं। सत्तारूढ़ दल का सिद्धांत तथा नीतियां विभिन्न स्थानों में अलग-अलग हैं। किसी एक राज्य में भी इनकी समान नीति नहीं है। गत वर्ष अवरिष्कृत खाल तथा चमड़े के निर्यात पर इस आधार पर रोक लगा दी गई थी क्योंकि चमड़े के तैयार उत्पादों से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है परन्तु उत्तर प्रदेश में चुनावों से पूर्व यह रोक हटा दी गई थी। इससे पता चलता है कि अपने हित के सामने वे देश के आर्थिक हितों को भी गौण समझते हैं।

वांचू समिति ने देश में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों को कराने के लिये कुछ सुझाव दिये थे। इसी प्रकार मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु सरकार ने इस दिशा में कुछ नहीं किया है।

आकाशवाणी ने भी स्वस्थल लोकतंत्रीय परम्परा का पालन नहीं किया है। उसने चुनावों में सत्तारूढ़ दल के सफल उम्मीदवारों के बारे में कुछ न कह कर विपक्षी दलों की असफलताओं को प्रसारित करने पर अधिक जोर दिया। आकाशवाणी का देश के राजनीतिक दलों के प्रति ठीक रवैया नहीं है। आकाशवाणी विपक्षी दलों के विचारों को प्रसारित नहीं करती है। क्या देश में लोकतन्त्र को सफल बनाने के संबंध में विपक्षी दलों का महत्व गौण है? वांचू समिति ने आने प्रनिवेदन में कहा है कि कम्पनियों द्वारा राजनीतिक दलों को चन्दा देने पर रोक लगा देने से काले धन की मात्रा बहुत बढ़ गई है।

सरकार को चुनाव आयोग के इस सुझाव पर विचार करना चाहिये कि मूल्यों में वृद्धि के कारण संसदीय चुनाव पर व्यय की सीमा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देनी चाहिये। इसी प्रकार आयोग के समक्ष चुनाव संबंधी शिकायतों की संख्या बढ़ जाने के कारण उत्पन्न समस्या को हल किया जाना चाहिये।

सत्तारूढ़ दल देश में जातिवाद तथा सम्प्रदायवाद को बनाए रखने में रुचि रखता है। वह चुनावों के लिये जाति तथा सम्प्रदाय आदि के आधार पर उम्मीदवारों का चयन करता है।

मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी यह स्वीकार किया है कि चुनावों में भ्रष्टाचार का बोजवाला है परन्तु वह इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि चुनाव आयोग केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक ढांचे के एक अंग है चुनाव आयोग को वस्तुतः एक स्वतन्त्र तथा स्वयंप्रति शासी निकाय होना चाहिए तभी इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्री बाजपेयी जी के संकल्प का समर्थन करता हूँ।

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी (गौहाटी) : विपक्षी दलों के वक्तव्यों में मुझे निराशा और आक्रोश की झलक मिलती है। श्री बाजपेयी जी को इस बात की निराशा है कि चुनाव की वर्तमान प्रणाली से सत्तारूढ़ दल को हटाया नहीं जा सकता है। मैं उनकी निराशा को समझता हूँ। विपक्षी दलों की चुनाव में स्थिति बड़ी खराब हुई है और इसीलिए उन्होंने चुनाव प्रणाली की आलोचना की है। मैं यह नहीं कहता कि चुनाव प्रणाली भ्रष्टाचार रहित है। उसमें अभी सुधार किए जाने की आवश्यकता है।

द्रविड़ मुन्नेत्र कणगम के माननीय सदस्य ने यह आरोप लगाया है कि सत्तारूढ़ दल ने 1971 में द्रमुक मुन्नेत्र कणगम के साथ गठबंधन किया था और अब उन्होंने भारतीय साम्यवादी दल तथा संगठन कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है, इसलिए उसका अपना कोई सिद्धान्त नहीं है। उनके इस कथन में कोई औचित्य नहीं है क्योंकि ऐसे तो जब उनके साथ 1971 में गठबंधन किया गया था तो उनके दल का भी कोई सिद्धान्त नहीं था क्योंकि उसने एक सिद्धान्तहीन दल से गठबंधन किया था।

वर्तमान चुनाव परिणामों पर दृष्टि डालने से यह पता चलता है कि जनता ने अपना सही निर्णय दिया है। चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप लगाना जनता की भावनाओं को चोट पहुंचाना है। यह कहना गलत है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव में गड़बड़ी की गई है यदि ऐसा होता तो हम मनोपुर के चुनावों को भी जीत सकते थे। इसलिए इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जाने चाहिए।

उत्तर प्रदेश के निर्वाचन में निर्दलियों को कोई स्थान प्राप्त नहीं हुआ है। कांग्रेस (संगठन) की भी करारी हार हुई है। श्री सी० बी० गुप्ता जैसे नेता की जमानत जध्न हो गई। इसका यह तात्पर्य है कि एक सीमा तक शक्तियों का ध्रुवीकरण हुआ है और दक्षिण पंथियों को उत्तर प्रदेश में अस्वीकार किया गया है।

उड़ीसा के निर्वाचन में क्या हुआ? जिन लोगों ने सरकार गिराई श्री उन्हें लोगों ने स्वीकार नहीं किया है। नीलमणि राऊत्रे का मामला सामने है (व्यवधान)। इससे यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोगों ने बहुत जागरूक होकर मतदान किया है। जनता ने सत्ता हमें इसलिये दी है कि वे हमारी नीतियों से संतुष्ट हैं और इस बात के प्रति मजबूत है कि विपक्ष के पास कोई ठोस कार्यक्रम नहीं है (व्यवधान)। यहां चिल्लाने से मत नहीं मिलेंगे।

यदि विपक्षी दल लोकतंत्र में रुचि रखते हैं तो उन्हें अपना ठोस कार्यक्रम बनाना चाहिये क्योंकि इससे सत्तारूढ़ दल भी मजबूत होगा और लोकतंत्र भी। यदि लोकतंत्र समाप्त होता है तो हम सभी समाप्त हो जायेंगे। अतः लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाया जाना चाहिये। यह तभी हो सकता है जब विपक्ष की स्थिति मजबूत हो और उनका एक ठोस कार्यक्रम हो। यह कइने से काम नहीं चलेगा कि निर्वाचन में धांधली हुई है।

प्रधानमंत्री द्वारा हैलीकाप्टर का प्रयोग किये जाने पर आपत्ति उठायी गई है। देश के न्यायालयों ने भी यह बात स्वीकार की है कि प्रधानमंत्री को पर्याप्त सुरक्षा साधन प्रदान किये जाने चाहिये। देश की आन्तरिक शक्तियां तथा देश के बाहर की शक्तियां प्रधानमंत्री को आघात पहुंचाने पर तुली हुई हैं। इस कारण यदि प्रधानमंत्री को रक्षा विमान अथवा हैलीकाप्टर दे दिया गया तो इसमें कौनसा पहाड़ टूट पड़ा? क्या हैलीकाप्टर के प्रयोग से लोगों के निर्णय में कोई अन्तर आ जाता है? जहां प्रधानमंत्री हैलीकाप्टर से गयी भी है वहां हमारी हार भी हुयी है। प्रधानमंत्री के हैलीकाप्टर में दौरा करने से हमारा दल निर्वाचन में नहीं जीता है।

यह कहना कि निर्वाचन में कालाधन लगाया गया है अथवा निर्वाचन व्यय पर ही काला धन पनपने का दायित्व है अथवा काले धन के कारण ही आज की स्थिति ऐसी है, तथ्यों की अत्रहेलना करना है। प्रशासनतंत्र तथा प्रशासन प्रणाली जैसे इसके दूसरे कारण हैं। इनको नहीं भुलाया जाना चाहिये। यह सुझाव दिया गया है कि पश्चिमी देशों की तरह राजनैतिक दलों को पैसा दिया जाना चाहिये। इस विषय पर हम सभी को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। परन्तु मेरे विचार से प्रथम तो हमारे जैसे देश में जहां अनेकों राजनैतिक दल हैं यह बहुत कठिन कार्य है। ऐसा करने से क्या निर्दलियों को निर्वाचन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी? यदि राजनैतिक दलों को ही पैसा देने का निर्णय किया जाये तो निर्दलीय निर्वाचन में भाग ही नहीं ले सकेंगे। दूसरी कठिन बात यह है कि यहां राजनैतिक दल की विचारधारा का विकास नहीं हुआ है। यदि देश के राजनैतिक विकास पर दृष्टिपात किया जाये तो पता चलता है कि यहां व्यक्तियों से दलों का विकास हुआ है दूसरे देशों की तरह व्यक्ति दलों की देन नहीं है। श्री मधुदंडवते और राजनारायण में झगड़ा हुआ और दो दल बन गये। श्री वाजपेयी और श्री मधोक एक दूसरे को आंखों आंख नहीं देख सकते अतः दो दल बन गये।

Shri Onkar Lal Berwa (Kota) : There was a clash between Morarji Bhai and Prime Minister and two parties came up.

श्री दिनेश चन्द्र गोस्वामी : मेरा तात्पर्य यह है कि 1969 के निर्वाचनों में पराजय व्यक्तियों के कारण नहीं नीतियों के कारण हुई। इस संबंध में उसका मुझसे मतभेद हो सकता है। देश में एक विचारधारा का विकास होना चाहिये। यदि राजनैतिक दलों को पैसा दिया जाये तो क्या प्रत्याशी दिये गये पैसे के अतिरिक्त व्यय नहीं करेंगे? क्या व्यय को सीमित रखने के लिये किसी तंत्र की व्यवस्था है? जब तक ऐसे तंत्र की व्यवस्था नहीं है तब तक ऐसा करना निरर्थक है। अतः इस बात पर गंभीर रूप से विचार किया जाना चाहिये।

आकाशवाणी पर सभी दलों को समान समय देने की बात कही गई है। इस संबंध में भी जब तक सभी दलों में कोई सहमति नहीं हो जाती ऐसा करना बहुत कठिन है।

कांग्रेस दल पर साम्प्रदायिकता फैलाने का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिये। कांग्रेस ही एक ऐसा दल है जो साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन नहीं देता। इस संबंध में मेरे मस्तिष्क में एक सुझाव है। विधान सभा अथवा संसद को निर्वाचन के समय मतपत्रों पर प्रत्याशियों के नाम नहीं दिये जाने चाहियें। यदि ऐसा किया जाता है तो जातिवाद को बढ़ावा नहीं मिलेगा। राजनैतिक दल ही जनता को यह बता सकेंगे कि इस निर्वाचन क्षेत्र के लिये हम अमुख व्यक्ति दे रहे हैं। श्री वाजपेयी के संकल्प की भावना का मैं समर्थन करता हूँ और आशा करता हूँ कि विधि मंत्रालय इस पर गंभीर रूप से विचार करेगा और आशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : श्री वाजपेयी ने उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों में स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव कराने के विचार से गत सत्र में भी इस संकल्प को लाने का प्रयास किया था। परन्तु किस ढंग से इस चर्चा को चुनाव परिणाम के पश्चात् के लिये स्थगित किया गया है यह हमें भांति-भांति पता है।

[श्री जगन्नाथराव जोशी पीठासीन हुए
Shri Jagannathrao Joshi in the Chair]

निर्वाचनों के द्वारा ही लोगों को किसी व्यक्ति अथवा दल को ठुकराने तथा अभ्यव्यक्ति और दल को स्वीकार करने का अवसर मिलता है।

स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनावों की बात करते समय हमें धैर्य नहीं खोना चाहिये। देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् पांच आम चुनाव हुये हैं। इन चुनावों के अनुभव से पता चलता है कि चुनाव एक सीमा तक स्वतन्त्र और निष्पक्ष ही हुये हैं। विपक्ष को अपनी हार होने पर यह नहीं कहना चाहिये कि निर्वाचन में धांधली हुई है और जीत जाने पर यह नहीं कहना चाहिये कि धांधली नहीं हुई है।

आज विश्व में कोई देश ऐसा नहीं है जहां के लिये हम यह कह सकें कि वहां निर्वाचन पूर्णतया स्वतन्त्र और निष्पक्ष होते हैं। सर्वोत्तम लोकतंत्रों में भी कुछ न कुछ स्वतन्त्र और निष्पक्ष निर्वाचन के विपरीत होता है। मुझे यह शिकायत है कि 25 वर्षों में हमें जो भी सीमित अनुभव हुआ है हमने स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन संबंधी उस अनुभव को सुदृढ़ बनाने का प्रयास नहीं किया है। हमने निर्वाचन संबंधी बुरे तरीकों का तिरस्कार नहीं किया है। चुनावों में न केवल सत्तारूढ़ दल, अपितु सभी दल भ्रष्ट कार्यों का आश्रय लेते हैं और यदि किसी राज्य/राज्यों में विपक्ष सत्तारूढ़ हो जाये तो वह भी वही तरीके अपनाएगा जो आज कांग्रेस अपना रही है।

यदि हम चाहते हैं कि चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष हों तो इसे हमें लक्ष्य न मानकर लक्ष्य प्राप्ति का साधन मात्र मानना होगा।

मेरा आरोप यह है कि जो भ्रष्ट और अवांछनीय प्रक्रियाएं, ब्रिटेन और अमरीका तथा यूरोप के अन्य देशों में वर्षों के अनुभव के बाद समाप्त कर दी गई हैं, वे यहां समाप्त करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है।

श्री वाजपेयी के संकल्प का एक और महत्व भी है क्योंकि इसी समय विश्व की सबसे पुरानी लोकतंत्रीय प्रणाली वाले देश (ब्रिटेन) में भी चुनाव हुए हैं।

निष्पक्ष चुनावों के लिए जहां तटस्थ चुनाव आयोग आवश्यक है, वहां लोकमत, स्वतंत्र प्रेस, जागरूक विश्वविद्यालय और लोकतंत्रीय चुनाव कराने की सुस्थापित परम्परा भी उतनी ही आवश्यक हैं।

श्री वाजपेयी के संकल्प में एक मुख्य बात धन की शक्ति के बारे में कही गई है और इससे सभी सहमत होंगे क्योंकि हमने देखा है कि अमरीका जैसे धनी देश में भी जहां दल तथा प्रत्याशी दोनों काफी समृद्ध होते हैं वहां भी धन-शक्ति की भी इतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अतः सभी दलों, उसके प्रत्याशियों और निर्दलीय प्रत्याशियों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि धन का नियमानुसार ही प्रयोग किया जाए इससे अधिक नहीं।

जहां ब्रिटेन में प्रधान मंत्री चुनाव से 10-15 दिन पूर्व से ही निजी कार का प्रयोग करते हैं, वहां दूसरी ओर भारत में प्रधान मंत्री, अन्य मंत्री तथा मुख्य मंत्री विमानों और हेलीकाप्टरों का प्रयोग करके जनता को गलत ढंग से मोहित कर देते हैं—यह गलत प्रथा है।

मैं श्री गोस्वामी जी की इस बात से भी सहमत हूं कि चुनाव अनुदान दलों को देने के साथ साथ निर्दलीय सदस्यों को भी दिया जाना चाहिये। यदि चुनाव आयोग मतदाता को उसकी निर्वाचन संख्या और केन्द्र के बारे में बता दे और प्रत्याशी का एक संदेश भी मतदाता को मिःशुल्क मिल जाये तो अधिकांश व्यय घटाया जा सकता है।

मैं मतदाता आयु 21 से 18 वर्ष करने के श्री वाजपेयी के प्रस्ताव से भी सहमत हूं।

सभापति महोदय : अपना भाषण समाप्त करने के मेरे अनुरोध से भी आप सहमत होंगे।

श्री पी० जी० मावलंकर : जी हां। परन्तु अन्त में एक बात और कह दूं कि यदि ठीक समझ वाले व्यक्ति जो इन बातों में विश्वास करते हैं, श्रीगणेश करें तो कुछ हो सकता है।

श्री समर गुह (कन्टाई) : श्री वाजपेयी और अन्य सदस्यों के भाषणों के बाद मुझे अधिक तो नहीं कहना है परन्तु यह अवश्य कहना है कि जहां सरकार के पास राजनीतिक तथा आर्थिक दोनों शक्तियां हैं और जिस प्रकार सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है उसी प्रकार होता रहा तो किसी भले मानस का आगे चुनाव लड़ना कठिन ही नहीं असंभव हो जाएगा।

सभापति महोदय, स्वतंत्रता, न्याय और शान्ति लोकतंत्र के तीन आधारभूत सिद्धान्त हैं परन्तु जिस प्रकार इनकी मिट्टी खराब हो रही है उससे लोकतंत्र का भविष्य खतरे में है।

लोकतंत्रीय चुनावों की एक शर्त शान्ति है परन्तु हाल के गायघाटा उपचुनाव में जो स्थिति देखने में आई है उससे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने इस संबंध में राष्ट्रपति, चुनाव आयुक्त, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री को तार दी है और मैं राष्ट्रपति जी और चुनाव आयुक्त से भी मिलूंगा।

एक चुनाव जलसे में मेरे भाषण के बाद 21 तारीख को कुछ लोगों ने बताया है कि कांग्रेस चुनाव कार्यालय में एक व्यक्ति बम बनाते हुए मारा गया है। इस पर मेरे सहित कई लोग पुलिस के पास उन लोगों को पकड़ने के लिए कहने गए तो उलटे उन्हें ही पकड़ लिया गया। चुनाव से दो दिन पूर्व कलकत्ता से गुण्डे ट्रकों में भर कर लाए गए और उन्होंने चुनाव के दिन से पहले रात्रि के एक बजे चुनाव अधिकारियों के विश्राम स्थल पर जाकर मतपत्र छीन कर, मोहरें आदि लगाकर, पेटियों में बन्द करके उन्हें सील कर दिया और चुनाव आरंभ होने पर अनेक केन्द्रों में जब मतदाता मतदान करने गए तो कह दिया कि मतदान हो चुका है। इसकी दो फोटो कापियां भी मैं दिखाऊंगा।

एक समाजवादी प्रत्याशी को रिवाल्वर दिखा कर धमकाया गया जबकि वह अपने साथियों के साथ जीप में बैठकर मतदान केन्द्रों का दौरा कर रहा था। मैं दो पत्र, एक चुनाव अधिकारी—प्रथम और दूसरा ए० डी० एम० का दिखाऊंगा। आशा है सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी और जांच बिठाएंगी और इस स्थान पर चुनाव रद्द घोषित करेगी।

सभापति महोदय : अब बैठक स्थगित होती है।

(तत् पश्चात् लोकसभा सोमवार 4 मार्च, 1974/13 फाल्गुन, 1895 (शक) के 11 बजे म० पु० तक के लिए स्थगित हुई।)

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 4, 1974/Phalguna 13, 1895 (Saka).

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English Translation of speeches etc. in English/Hindi]